खण्ड ९ — अंक २३
१४ दिसम्बर, १९५६ (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha (XIV Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड ९ में अंक २१ से अंक २९ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

चार आने या २५ नये पैसे (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[भाग १ वाद-विवाद खण्ड ९—१२ से २२ दिसम्बर, १९५६]

पृष्ठ

अंक २१—बुधवार, १२ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०७४ से १०७९, १०८२, १०८३, १०८७ से १०९०, १०९५, १०९७, १०९९, ११०५, ११०८, १११९, १११२, १११८ से ११२१, १०८१, १०९४, ११०१ और ११०७ — १०६५–८८

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ४ से ७ — १०८८–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०८०, १०८४ से १०८६, १०९१ से १०९३, १०९६, १०९८, ११००, ११०२ से ११०४, ११०६, ११०९, १११०, १११३ से १११५, १११७ और ११२२ से ११२४ — १०९६–११०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५४ से ८९१ — ११०४–१९

दैनिक संक्षेपिका ... ... — **११२०–२२**

अंक २२—गुरुवार, १३ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६ से ११३०, ११३३ से ११३८, ११४१ से ११४५, ११४७, ११५०, ११५१ और ११५३ से ११५८ — ११२३–४६

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ८ और ९ — ११४७–४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११२५, ११३१, ११३२, ११३९, ११४०, ११४६, ११४८, ११४९, ११५२, ११५९ और ११६१ से ११६८ — ११५०–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ९१२ ... ... — ११५५–६२

तारांकित प्रश्न संख्या ११५५ पर अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि — ११६३

दैनिक संक्षेपिका ... ... — **११६४–६६**

अंक २३—शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११६९ से ११७५, ११७८ से ११८१, ११८४, ११८६, ११८९ से ११९४ और ११९६ से १२०० ... — ११६७–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११७६, ११७७, ११८२, ११८३, ११८५, ११८७ ११८८, ११९५, १२०१ से १२२१ और ८९५ .... — ११८८–९७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९१३ से ९७१ ... — ११९७–१२२१

दैनिक संक्षेपिका — **१२२२–२५**

अंक २४—सोमवार, १७ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२२२ १२२३, १२२५, १२२६, १२२८, १२२९ १२३१, १२३२, १२३५, १२३८, १२३९, १२४५, १२४७, १२४९ १२५१ से १२५५, १२५७, १२५८, १२६१, १२६५ और १२६७ ... १२२७–४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२२४, १२२७, १२३०, १२३३, १२३४, १२३६, १२३७, १२४० से १२४४, १२४६, १२४८, १२५०, १२५६, १२५९, १२६०, १२६२ से १२६४, १२६६ और १२६८ से १२७३ १२४९–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७२ से १०२९, १०३१ और १०३२ १२५८–८०

दैनिक संक्षेपिका **१२८१–८४**

अंक २५—मंगलवार, १८ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२७५ से १२७७, १२८०, १२८१, १२८३ से १२८५, १२८७ से १२९१, १२९३, १२९५ से १२९७, १२९९ और १३०१ से १३०३ १२८५–१३०७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ ... १३०७–१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२७४, १२७८, १२७९, १२८२, १२८६, १२९२, १२९४, १२९८, १३००, १३०४ से १३०७ और १३०९ से १३३० ... ... १३१०–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १०३३ से १०४३ और १०४५ से १०९९ १३२१–५०

दैनिक संक्षेपिका ... **१३५१–५४**

अंक २६—बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३३४, १३३७, १३३७-क, १३३८ से १३४५, १३४७ से १३४९, १३५२ से १३५४, १३५५, १३५६, १३५८ और १३६० ... ... १३५५–७६

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १२ और १३ ... १३७७–७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३३१ से १३३३, १३३५, १३३६, १३४६, १३५०, १३५१, १३५४-क, १३५७, १३५९, १३६१ से १३९२ ... ... १३७९–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०० से ११२६, ११२८ से ११३२, ११३४ से १२०६, १२०८ से १२१४ और १२१४-क ... १३९४–१४३७

दैनिक संक्षेपिका **१४३८–४३**

अंक २७—गुरुवार, २० दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९३ से १४००, १४०३, १४०६, १४०८, १४११ १४०७, १४१३, १४१४, १४१६, १४१८, १४२०, १४२०-क, १४२१, १४२४-क, १४२५, १४२६, १४२९ और १४३३ — १४४५–६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४०१, १४०२, १४०४, १४०९, १४१०, १४१२ १४१५, १४१७, १४१९, १४२२ से १४२४, १४२७, १४२८, १४३० से १४३२ और १११६ — १४६९–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१५ से १२२५, १२२५-क, १२२६ से १२८४ १२८४-क और १२८७ से १३०४ — १४७५–१५०५

दैनिक संक्षेपिका — **१५०६–१०**

अंक २८—शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४३५ से १४३७, १४४० से १४४४, १४४५-क, १४४६, १४४७, १४४९ से १४५६, १४५८ से १४६० — १५११–३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४३४, १४३८, १४३९, १४४५, १४४८, १४५७, १४६१ से १४८१ और १४८३ ... — १५३३–४२

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०५ से १३४४, १३४४-क, १३४५ से १३६३ — १५४३–६९

दैनिक संक्षेपिका ... — **१५६७–७०**

अंक २९—शनिवार, २२ दिसम्बर, १९५६

प्रश्न का मौखिक उत्तर

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १४ — १५७१–७३

दैनिक संक्षेपिका — **१५७४**

सत्र का संक्षिप्त वृत्तांत ... — **१५७५–७७**

टिप्पणी : किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

M29LSD—190—13-3-58—GIPF.

लोक-सभा

शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली में देशी चिकित्सा प्रणाली

†*११६९. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि दिल्ली में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के लिये उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं का सर्वेक्षण करने के लिये क्या कोई कार्रवाई की गई है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : जी, हां । दिल्ली राज्य सरकार ने इस काम के लिये ६ सितम्बर, १९५६ को एक समिति नियुक्त की थी । समिति ने अब तक कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा है ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : इस समिति ने क्या व्यवस्था की है, जिसके द्वारा यह सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : पण्डित रामेश्वर दयाल के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की गई है और १४ अन्य सदस्य हैं ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या माननीय उपमंत्री को कोई सूचना प्राप्त हुई है कि इस समिति द्वारा कार्य आरंभ कर दिया गया है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : जी, हां, उसकी एक या दो बैठकें हो चुकी हैं ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है जिसके अन्दर यह समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : जहां तक मुझे मालूम है, ऐसी कोई समय-सीमा नहीं है ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

केरल में ग्राम स्वास्थ्य योजनायें

†*११७०. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल से दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये नहरुआ के नियंत्रण और पीने के अच्छे जल के संभरण के सम्बन्ध में कोई योजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख). केरल सरकार से दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये नहरुआ के नियंत्रण और पीने के अच्छे जल के संभरण के सम्बन्ध में भारत सरकार को कोई नई योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या सरकार ने मलेरिया और नहरुआ के नियंत्रण के लिये कोई योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम इसी राष्ट्रीय नहरुआ नियंत्रण कार्यक्रम को जारी रखेंगे । इसके लिये, पहली पंचवर्षीय योजना में, केन्द्रीय सरकार का भाग १०९·८७ लाख रुपये था और राज्य सरकारों का अंशदान ४१·६६ लाख रुपये था । वह कार्यक्रम जारी रखा जायेगा । म समझती हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ६०० लाख रुपये से कुछ अधिक का उपबन्ध है ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : जारी किये गये नहरुआ नियंत्रण केन्द्रों तथा इन केन्द्रों के स्थापित किये जाने के परिणामस्वरूप निकले परिणामों के सम्बन्ध में जान सकता हूं——अर्थात क्या इस बीमारी में कोई कमी हुई है या वृद्धि हुई है ?

†**श्रीमती चन्द्रशखर** : हमने १३ नियंत्रण केन्द्र और २२ सर्वेक्षण केन्द्रों का आवंटन किया था, जिनमें से विभिन्न राज्यों में ११ नियंत्रण केन्द्र कार्य कर रहे हैं । उन राज्यों में १८ सर्वेक्षण केन्द्र भी कार्य कर रहे हैं । पहली पंचवर्षीय योजना के पिछले भाग में यह कार्य आरम्भ किया गया था और इस कार्य के परिणाम इतने शीघ्र नहीं जाने जा सकते ।

†**श्री अ० म० थामस** : विचार यह था कि उसी आधार पर नहरुआ की समस्या को हल किया जाये, जिस पर कि मलेरिया की समस्या को किया गया था । किन्तु अब तक राज्य स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जैसे डी० डी० टी० छिड़कने आदि का कार्य किया गया था । इसका ठीक कारण क्या है, क्योंकि जैसा कि आपको विदित है केरल में नहरुआ की बीमारी का सब से अधिक प्रकोप है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : हम जानते हैं कि केरल उन क्षेत्रों में से है जहां नहरुआ फैला हुआ है । इसी कारण हमने क्षेत्र कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये केरल राज्य में एरणाकुलम में एक प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित किया है, जो कि नहरुआ का नियंत्रण करने के लिये आवश्यक है । अब हमने भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य के क्षेत्रों में नियंत्रण कार्य का विस्तृत सर्वेक्षण किया है, और हमें सफलता मिली है । पिछले सप्ताह ही मंत्रालय के कुछ अधिकारी केरल राज्य में गये थे, इससे वहां की जनता प्रसन्न थी, और वह कहती है कि वह अब अधिक प्रसन्न है ।

†**श्री दामोदर मेनन** : माननीय मंत्री ने कहा है कि केरल सरकार ने केन्द्र को कोई नवीन योजना प्रस्तुत नहीं की है । क्या कन्द्र न केरल राज्य को मलेरिया नियंत्रण और पीने के जल के संभरण के लिये कोई एकीकृत योजना प्रस्तुत करने को कहा है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : हमने उससे योजना भेजने को कहा है और अभी उसकी प्रतीक्षा की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†श्री अ० म० थामस : विचार विस्तृत छिड़काव के द्वारा मच्छर मारना था, जैसा मलेरिया के मामले में किया जाता है। किन्तु मैं समझता हूं कि पर्याप्त कर्मचारियों के अभाव के कारण इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत कार्यवाही नहीं की गई है। क्या मैं माननीय उपमंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या वह उन योजनाओं के कार्यान्वित किये जाने के लिये निदेश देंगी ?

†श्रीमती चन्द्रशेखर : विस्तृत छिड़काव किया जा रहा है और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये कार्यवाही की गई है। सदस्य की सूचना के लिये मैं कह सकती हूं कि १९५५-५६ में तीन मैडिकल अफसरों और पांच नहरुआ निरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया था। १९५६-५७ में दो नहरुआ निरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है, और छः नहरुआ निरीक्षक इस समय भारतीय मलेरिया इंस्टीट्यूट, पुरानी दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

योजना गोष्ठियां

†*११७१. { श्री त० ब० विट्ठल राव : श्री वेलायुधन :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को योजना गोष्ठियों के दक्षिण प्रादेशिक सम्मेलन द्वारा जिसका सत्र सितम्बर, १९५६ में त्रिवेन्द्रम में समाप्त हुआ है, सभी राज्यों में योजना गोष्ठियां बनाई जाने सम्बन्धी सिफारिशों के सम्बन्ध में विदित है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का निर्णय क्या है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) और (ख). सितम्बर, १९५६ में त्रिवेन्द्रम में हुए योजना गोष्ठियों क दक्षिण प्रादेशिक सम्मेलन ने सभी राज्यों में योजना गोष्ठियां बनाये जाने के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की थी। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है देश के विभिन्न भागों में विश्वविद्यालयों और उनके अंगभूत कालेजों में पहले ही बहुत सी योजना गोष्ठियां बना ली गई हैं। योजना गोष्ठियों की केन्द्रीय कार्यपालिका समिति ने, जिसकी एक बैठक सितम्बर, १९५६ में त्रिवेन्द्रम में हुई थी, योजना गोष्ठियों के कार्य का समन्वय करने के लिये कतिपय साधनों पर विचार किया था। समिति की सिफारिशों में से एक यह थी कि योजना गोष्ठियों के कार्य का समन्वय करने के लिये राज्य स्तर पर एक निकाय स्थापित किया जाना चाहिये। दक्षिण प्रादेशिक सम्मेलन में इस सम्बन्ध में और केन्द्रीय कार्यपालिका समिति की अन्य सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्देश किया गया था। मैं यह भी बता दूं कि केन्द्रीय कार्यपालिका समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है और उन्हें यथासंभव सीमा तक कार्यान्वित किया जा रहा है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : शीघ्र निर्णय न किये जाने के क्या कारण हैं क्योंकि इन योजना गोष्ठियों की उपयोगिता स्वीकार की जा चुकी है ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : वस्तुतः मैं प्रगति के लिये बहुत उत्सुक हूं। जहां तक कि योजना गोष्ठियों के कार्य का सम्बन्ध है, हम शीघ्र प्रगति करने के लिये यथासंभव सभी कार्यवाही कर रहे हैं।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या इन योजना गोष्ठियों को बनाने में सरकार पर कोई वित्तीय उत्तरदायित्व आता है ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : वह बहुत कम है; परन्तु इस समय इन सभी बातों की जांच की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री न० मा० लिंगम** : योजना गोष्ठियों की गतिविधियों को योजना आयोग के वृहत कार्य में कैसे सम्मिलित किया जा रहा है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : इसके लिये मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस पत्रिका की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो हमने प्रकाशित की है और जो संभवत: इस समय माननीय सदस्यों के हाथों में है। उसमें बताया गया है कि योजना गोष्ठियों का कार्य क्या है, वे कैसे बनाई गई हैं और योजना आयोग उन्हें कैसे उपयोग में लाना चाहता है, आदि। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि योजना गोष्ठियों द्वारा चर्चा के फलस्वरूप जो कुछ निश्चय हमारे पास भेजे जाते हैं, हम उन पर समुचित विचार करते हैं, और जहां संभव होता है, उनके स्वीकार करने का प्रयत्न करते हैं।

होम्योपैथी

†*११७२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या बम्बई और पश्चिमी बंगाल सरकार ने होम्योपैथी के सम्बन्ध में गवेषणा करने और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिये एक केन्द्र आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन केन्द्रों के लिये कोई सहायता अनुदान मंजूर किया है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) बम्बई सरकार ने बम्बई में होम्योपैथी के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और गवेषणा केन्द्र को अभी आरम्भ नहीं किया है। जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है, ऐसा केन्द्र आरम्भ करने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

(ख) भारत सरकार ने सरकारी होम्योपैथिक हस्पताल, सियोन, बम्बई में होम्योपैथी के लिये एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ करने के हेतु बम्बई सरकार को ३८,०२० रुपये की एक धनराशि की मंजूरी दी है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या सहायता अनुदानों के अतिरिक्त होम्योपैथी को प्रोत्साहन देने के लिये कोई और वित्तीय सहायता दी जाती है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय अन्य संस्थाओं में होम्योपैथी सम्बन्धी गवेषणा कार्य से है तो चालू वर्ष में गुडीवाडा के आंध्र प्रांतीय मैडिकल कालेज और अस्पताल और मिदनापुर के मिदनापुर अस्पताल और कालेज में से प्रत्येक को १० गवेषणा बिस्तर (बेड) स्थापित करने के लिये २०,००० रुपये दिये गये हैं।

महिला ग्राम सेविकायें

†*११७३. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला ग्राम सेविकाओं को गृह अर्थशास्त्र का प्रशिक्षण देने की योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) योजना में अंशदान के रूप में सरकार द्वारा कुल कितना व्यय किया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७२**]

†**श्री झूलन सिंह** : इस समय राज्यवार कितने केन्द्र काम कर रहे हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मेरे पास सारी सूची है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सूची लम्बी है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : १४ राज्य में २७ केन्द्र हैं। आंध्र में दो हैं, आसाम में एक .....

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसकी आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या इन केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ग्राम सेविकाओं ने अपनी दक्षता को बढ़ाया है और क्या वे उनको सौंपे गये प्रदेश से बाहर कोई कार्य करती हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यह प्रशिक्षण दक्षता में वृद्धि करने के लिये नहीं दिया जा रहा है । यह प्रशिक्षण यह देखने के लिये दिया जा रहा है कि हम जिस काम की उनसे आशा करते हैं उसे वे कर सकें । महिलाओं सम्बन्धी यह योजना अभी ही कार्यान्वित की गई है । अभी कोई निश्चय नहीं किया जा सकता है ।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या इन सभी प्रशिक्षत ग्राम सेविकाओं को सरकारी नौकरी दे दी गई है अथवा वे अपने घरों में ही काम करती हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : वे सब सरकारी सेवा में हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि इन केन्द्रों में गृह-विज्ञान की जो शिक्षा दी जा रही है वह उन महिलाओं द्वारा दी जा रही है जिनको पिछले दिनों हवाई द्वीप में शिक्षा मिलती थी, और क्या इस लिये वे यहां आकर केवल हवाई बातें सिखला रही हैं, अर्थात काम की कोई बात नहीं सिखला रही हैं ?

डा० पं० शा० देशमुख : हवाई द्वीप हवा पर नहीं है भूमि पर है और वहां पर उनकी शिक्षा हुई है ।

†**श्रीमती जयश्री** : इस प्रशिक्षण को देने के लिये क्या न्यूनतम अर्हता होनी चाहिये ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यदि सम्भव हो तो हम मैट्रिकुलेटों को लेना चाहते हैं । यदि वे न मिलें, तो फिर हम मिडिल स्कूल परोक्षा उत्तीर्ण महिलाओं तक को ले लेते हैं ।

नमूने के मकान

†*११७४. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के ग्राम्य विभाग से सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों के ग्रामों में अपनाये जाने के लिये विभिन्न प्रकार के नमूने के मकानों के डिज़ाइन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने अपने परियोजना क्षेत्रों के लिये उन नमूनों आदि और ब्योरे को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा ग्राम्य आवास-व्यवस्था के बारे में कोई प्रक्रिया पुस्तिका प्रकाशित की गयी है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) और (ग). निर्माण, आवास, और संभरण मंत्रालय द्वारा ग्राम्य आवास-व्यवस्था सम्बन्धी प्रक्रिया पुस्तिका में विभिन्न प्रकार के नमूनों के मकानों के डिजाइन प्रकाशित किये गये हैं, और वह पुस्तिका इस मंत्रालय के द्वारा समस्त विकास आयुक्तों और प्रशिक्षण केन्द्रों को परिचालित की गयी है ।

(ख) ये डिज़ाइन तथा विशिष्ट ब्योरे[1] को राज्य सरकारों द्वारा आधारभूत सामग्री के रूप में प्रयोग में लाया जाता है । और उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक सीमा तक अपनाया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Specification.

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या किसी खण्ड के लिये आवंटित राशि में से कुछ प्रतिशत राशि मकानों के निर्माण पर खर्च की जाती है और क्या सरकार ने मकानों के बनवाये जाने के सम्बन्ध में कोई विशेष निदेश दिये हैं ?

†**श्री सु० कु० डे** : सामुदायिक विकास खण्ड में ७५,००० रुपये की छोटी सी राशि की व्यवस्था की गई है जिसे या तो ग्राम्य आवास के लिये अथवा अन्य प्रकार के आवास-निर्माण के लिये व्यय किया जा सकता है। जब भी ग्राम्य आवास की आवश्यकता होती है तो खर्च आय-व्ययक को इस मद में से लिया जाता है। राज्य सरकारों से यह कह दिया गया है कि जहां तक हो सके, ग्राम्य नमूनों के अनुसार ही मकान बनाये जायें।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में किये जाने वाले कार्य के लिये अतिरिक्त परिवहन मंत्रालय भी ओखला स्थित अपनी सड़क गवेषणा संस्था द्वारा मकानों के डिजाइनों के बारे में कोई सहायता कर रहा है ?

†**श्री सु० कु० डे** : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या मैं जान सकती हूं कि इस प्रकार के घर गांवों में कम से कम कितनी कीमत में बन सकते हैं ?

†**श्री सु० कु० डे** : प्रति मकान के लिये हमने ७५० रुपये की उच्चतम सीमा निर्धारित की है।

†**श्री न० मा० लिंगम** : माननीय मंत्री ने यह कहा है कि निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के डिज़ाइन, विभिन्न राज्यों में ग्राम्य आवास योजनाओं के लिये केवल आधार-सामग्री के रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं। क्या सामुदायिक परियोजना मंत्रालय ने यह काम राज्य सरकारों पर ही छोड़ देने के स्थान पर इस आधार-सामग्री की सहायता से कोई ऐसा डिजाइन निर्धारित किया है जो कि समस्त देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये उपयुक्त सिद्ध हो सके ?

†**श्री सु० कु० डे** : विभिन्न राज्यों में स्थिति विभिन्न प्रकार की है और कभी-कभी तो यह विभिन्न जिलों और तहसीलों में भी विभिन्न होती है। अतः यह असम्भव है कि केन्द्र द्वारा कोई विशेष डिज़ाइन निर्धारित कर दिया जाये जोकि सारे देश में लागू हो।

श्री विभूति मिश्र : माननीय मंत्री जी ने अभी बतलाया कि ७५० रुपये में एक घर बनेगा। क्या कभी माननीय मंत्री जी ने देखा है कि गांवों में ७५० रुपये खर्च करने वाले लोग कितने 'परसेंट' हैं ? उनके लिये सरकार क्या सोच रही है ?

†**श्री सु० कु० डे** : यह राशि प्रायः उन लोगों के लिये है जो कि अपने मकान के लिये रुपया खर्च नहीं कर सकते। यह राशि उन्हें दीर्घकालीन ऋण के रूप में दी जाती है।

इंजन और डिब्बे

†***११७५. श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री १३ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे की छोटी लाइनों के इंजनों तथा डिब्बों में कितनी कमी है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक कितने इंजन और डिब्बे प्राप्त हुए हैं तथा कितने प्राप्त किये जायेंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क)

इंजन	२०
डिब्बे	३२

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) भारतीय रेलों के समस्त छोटी लाइनों के विभागों के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में छोटी लाइनों के ८१ इंजनों, ६३३ सवारी डिब्बों तथा ४०२१ माल डिब्बों के नए डिब्बों आदि द्वारा बदल देने की व्यवस्था की गयी है, और उसमें से पश्चिमी रेलवे को अपना उचित भाग मिलेगा।

†**श्री डाभी** : क्या ये इंजन डिब्बे पर्याप्त होंगे, क्योंकि बहुत से इंजन और डिब्बे पुराने हो गये हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हमें आशा है कि वे पर्याप्त होंगे। निश्चय ही उनकी संख्या इतनी नहीं है जितनी हम चाहते हैं। तो भी इन परिस्थितियों में हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

बाढ़ से हुई क्षति

†*११७८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों का एक सर्वेक्षण करने और उन क्षेत्रों में हाल ही में निर्मित बांधों, नहर, सड़कों और जलाशयों को जो क्षति हुई है उनके सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित करने के लिये कोई प्रस्थापना है;

(ख) क्या किसी क्षेत्र में इन निर्माण-कार्यों से बाढ़ों की भयंकरता और अधिक बढ़ गयी है;

(ग) यदि हां, तो वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं; और

(घ) क्या उन क्षत्रों में बाढ़ के पानी को आसानी से बह जाने देने के लिये और अधिक पुल तथा पुलिया बनाने के लिये उचित कार्यवाही की जायेगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) इस प्रकार के सर्वेक्षण सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किये जा चुके हैं, अथवा किये जा रहे हैं।

(ख) बम्बई, जम्मू तथा काश्मीर और पंजाब के अतिरिक्त, जिनके कि उत्तरों की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है, केवल आसाम सरकार तथा दिल्ली प्राधिकारियों ने ही यह उत्तर दिया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि बांधों के निर्माण से कुछेक स्थानीय क्षेत्रों में बाढ़ की तीव्रता कुछ बढ़ गयी है।

(ग) और (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७३]**।

डा० राम सुभग सिंह : जो स्टेटमैंट (विवरण) टेबल पर रखा गया है, उससे ज्ञात होता है कि आसाम में करीब ६५ स्क्वायर (वर्ग) मील में और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की कठिनाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हालांकि उपमंत्री महोदय ने कहा कि थोड़ी सी ही बढ़ी है। तो क्या इन बांधों को बनाते वक्त इस दिक्कत को नहीं महसूस किया गया ?

श्री श्या० नं० मिश्र : इन दिक्कतों को साफ तौर पर देखा गया था, उनके बारे में कोई धुंधलापन नहीं था, क्योंकि कुछ दिक्कतें तो लाजिमी तौर पर होनी ही थीं। जहां तक दो तटबंधों के बीच की बस्तियों का सवाल है, उनको भी तकलीफें होनी ही थीं। उन बस्तियों के बारे में सोचा जा रहा है कि उनको उठा कर किन दूसरी जगहों पर ले जाया जाये। इसके लिये कुछ सूरतें पैदा की जा रही हैं। इसी तरह से आसाम में बांध बनने के पीछे जो तकलीफें हुईं वह लाजिमी थीं और उनके बारे में भी राहत देने की सूरतें सोची जा रही हैं।

श्री फीरोज़ गांधी : इन नहरों और बांधों की वजह से रेलवे लाइनों को जो नुकसान हो रहा है, इसके बारे में भी क्या प्लानिंग कमिशन (योजना आयोग) ने गौर किया है और क्या इस बात पर विचार किया है कि इन दोनों विभागों के अन्दर कोऑर्डिनेशन (समन्वय) होना चाहिए और नहरें और बांध बनाने के पहले इस पहलू पर भी गौर कर लिया जाना चाहिये ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री श्या० नं० मिश्र : जी हां, इन विभागों के बीच भी कोआर्डिनेशन हो इसके बारे में सोचा जाता है । बल्कि अब तो सड़कों पर जो ब्रिज हैं या पुल हैं, या रेलों पर जो पुल हैं, उन सभी को एक साथ मिलाकर पूरे नक्शे में दिखाया जाए उसके लिए कई राज्य सरकारों ने कमेटियां भी बनाई हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : यह जो स्टेटमेंट है इसमें बड़-बड़ बांधों के बारे में जैसे ब्रह्मपुत्र वगैरह पर सूचना दी गई है । दूसरे राज्यों के बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं बताया कि वहाँ जो छोटे-मोटे बांध बनाए गए हैं चाहे नदियों पर सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए बनाये गये हों चाहे किसी और कारण से उनके कारण बाढ़ की दिक्कत बहुत बढ़ गई है । ऐसे क्षेत्रों के बारे में अब तक सूचना संकलित क्यों नहीं की गई है और कब तक माननीय मंत्री इस सूचना को यहां पेश कर सकेंगे ?

श्री श्या० नं० मिश्र : माननीय सदस्य खास तौर पर किसी क्षेत्र के बारे में कहें तो मैं कुछ कह सकता हूं । लकिन एक विशाल पैमाने पर सारे दश की छोटी-मोटी योजनाओं के बारे में यदि वह जानकारी चाहते हैं तो इसको एकत्र करने में काफी दिन लग सकते हैं । अभी तक जितना ब्योरा मिला वह उनके सामने पेश कर दिया गया है ।

श्री फीरोज गांधी : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई खास मिसाल पेश की जाये । मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली में शहादरा का बांध बनाया गया है और इसकी वजह से जो यमुना ब्रिज है उसके ऊपर असर हो रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बांध को बनाने से पहले इस बात पर गौर किया गया था कि इस पुल के ऊपर इसका असर पड़ सकता है ?

डा० श्या० नं० मिश्र : मैं अधिकारपूर्वक इसके बारे में कह सकूं, ऐसी स्थिति में नहीं हूं । इसका कारण यह है कि इससे रेलवे मंत्रालय का भी ताल्लुक है ।

श्री फिरोज गांधी : मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि शाहदरा बांध बनाने के पहले रेलवे मंत्रालय से इजाजत ली गई थी और उससे पूछा था कि यह बांध बनाया जाये या न बनाया जाये ?

डा० श्या० नं० मिश्र : इसके बारे में मैं सूचना चाहूंगा ।

डा० राम सुभग सिंह : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसी जगह का नाम बताया जाय, तो मैं सूचना दे सकता हूं । अभी हाल ही में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी जिलों में खास तौर स बनारस, गाजीपुर, शाहबाद वगरह म बाढ़ों के कारण सैंकड़ों गांव जलमग्न हो गये थे और फसलों को बहुत ज्यादा हानि पहुंची थी । क्या माननीय मंत्री निश्चित रूप से बता सकते हैं कि बांध बनाने की वजह से या नई नहरें बनान की वजह स जितने गांव डूब ह, उन गांवों की रक्षा क लिये अगली बरसात के मौसम के पहले कोई व्यवस्था कर दी जायेगी या नहीं ?

श्री श्या० नं० मिश्र : यह प्रश्न काफी पहलुओं को लेकर एक साथ चलता है । मैं इसके बारे में उसस ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि जो मैंन अपन मुख्य उत्तर में बता दिया है । जिन राज्य सरकारों न हमारे पास सूचनायें भजी हैं व सारी सूचनायें, मैंने माननीय सदस्य के सामने रख दी हैं । बाकी सरकारों ने अभी तक कोई सूचनायें नहीं भजी हैं ।

जहां तक राहत पहुंचाने की बात है, मैं यह कह सकता हूं कि राहत पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की जायेगी ।

महेन्द्रू घाट स्टीमर स्टेशन

*११७९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री ग्रह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महेन्द्रू घाट (उत्तर-पूर्व रेलवे) स्टीमर स्टेशन पर होने वाली बहुत अधिक भीड़ को कम करने के लिये कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या है; और

(ग) उसे कब लागू किया जा रहा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग). जी, हां। महेन्द्रू घाट स्टीमर स्टेशन पर भीड़ की रोकथाम के लिये स्टेशन की एक नयी इमारत बनाने की योजना तैयार की गयी थी। इसके लिये मौजूदा घाट स्टेशन के पास पी० डब्ल्यू० डी० के सुपरिण्टेण्डिग इंजीनियर का बंगला और दफ्तर लेने का विचार है। इस सम्पति को लेने के लिये बिहार सरकार से बातचीत चल रही है। जब यह रेलवे प्रशासन को मिल जायेगी, स्टेशन की नयी इमारत बना दी जायेगी।

श्री विभूति मिश्र : बड़ी खुशी की बात है कि रेलवे मंत्री जी भी वहां रह चुके हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह चीज कब फाइनेलाइज होगी और कितना समय पत्र-व्यवहार में लगेगा ? वहां पर लोग बहुत ज्यादा कष्ट में हैं और खास तौर से नार्थ बिहार वाले तो बहुत ही कष्ट में हैं। कब तक आप इस मसले को हल करेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री शाहनवाज़ खां : हम इस मसले को हल करने के लिये बड़े बेताब हैं लेकिन यह जो ज़मीन देनी है यह तो बिहार सरकार ने देनी है। अगर माननीय सदस्य वहां भी हमारी कुछ मदद कर सकें तो हम बहुत मश्कूर होंगे।

श्री विभूति मिश्र : हमारे रेल मंत्री जी भी यहां पर हैं और बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब भी यहां हैं। ये दोनों मिल कर इस मसले को हल क्यों नहीं कर लेते। इससे नार्थ बिहार की कोई दो करोड़ जनता को बहुत कष्ट हो रहा है।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं बिहार गवर्नमेंट को लिखूंगा और कहूंगा कि वह इस बात का जल्दी निश्चय करें जिससे कि हमें ज़मीन मिल जाये ताकि हम स्टेशन को बड़ा बना सकें।

रेलवे के अस्थायी कर्मचारी

†*११८०. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने यह निर्णय किया है कि लिपिक तथा प्रविधिक अस्थायी कर्मचारियों के आवेदन पत्र अन्य मंत्रालयों को न भेजे जायें; और

(ख) यह रोक किस कारण से लगाई गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां।

(ख) रेलवे की अपनी विकास योजनाओं को ही कार्यान्वित करने के लिये अनुभवी कर्मचारियों की अत्यधिक कमी।

†**श्री बहादुर सिंह** : जबकि और किसी मंत्रालय में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है, तो यहां ऐसा प्रतिबन्ध लगाने का क्या विशिष्ट कारण है ?

†**श्री अलगेशन** : स्वयं रेलों की ही बड़ी योजनायें हैं और हम अस्थायी व स्थायी दोनों प्रकार के कर्मचारियों की भर्ती करने के लिये विशेष कार्यवाही करते रहे हैं। इन परिस्थितियों में जब तक हमारे

†मूल अंग्रेजी में।

कर्मचारी त्यागपत्र देना एवं और कहीं आवेदन करना न चाहें, तब तक हम अपने कर्मचारियों को छोड़ना बहुत नापसन्द करेंगे ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : रेलों में इतने विकास कार्य के होते हुए वे अस्थायी कर्मचारियों को रेलवे विभाग में ही क्यों स्थायी नहीं बनाते ?

†**श्री अलगेशन** : यह एक पृथक प्रश्न है, परन्तु उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है ।

पश्चिमी बंगाल के बांध

†*११८१. + **श्री झूलन सिंह** :
श्री हा० ना० मुकर्जी :
श्री क० कु० बसु :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ सूत्रों से प्राप्त होने वाले इन समाचारों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है कि पश्चिमी बंगाल की हाल की बाढ़ों से बांधों तथा उनकी संचालन सम्बन्धी त्रुटियां प्रकट हुई हैं;

(ख) क्या इसके बांधों पर होने वाले प्रभाव का प्राधिकृत निर्धारण कार्य करने का विचार है; और

(ग) क्या वह साधारण रूप में उत्तरी भारत की और विशेषकर पश्चिमी बंगाल की जल-निस्सारण व्यवस्था का तत्काल सर्वेक्षण करवायेंगे ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) ऐसा कोई निर्धारण कार्य करने का विचार नहीं है ।

(ग) यह काम पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने पहिले ही आरम्भ कर दिया है ।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या सरकार पश्चिमी बंगाल में पिछली बार आयी इन असाधारण बाढ़ों का कोई असाधारण कारण ज्ञात कर सकी है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : "असाधारण" शब्द की परिभाषा कुछ कठिन है । मैं यह कह सकता हूं कि इसका मुख्य कारण उस विशिष्ट काल में अत्यधिक वर्षा का होना था, परन्तु कुछ और कारण भी हैं और मेरा ख्याल है कि उन सबका यहां उल्लेख करना मेरे लिये सम्भव नहीं है ।

†**श्री क० कु० बसु** : क्या यह सच है कि मयूरक्षी बांध और दुर्गापुर बांध के फाटक एकदम खोल दिये गये थे जिससे पानी बहुत तेजी से आया था और परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी ? यह बात समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी ।

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मुझे यह सूचना पहली बार मिल रही है ।

†**श्री क० कु० बसु** : क्या यह सच है कि निचले दामोदर क्षेत्र में नहर के निर्माण के कारण पानी निकालने वाली कुछ साधारण नालियां आदि बन्द हो गईं और इसके परिणामस्वरूप इन नहरों की तरफ वाले क्षत्र में बाढ़ आ गई ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : स्थानवृत्त सम्बन्धी समस्त बातों का ध्यान रखा गया था, परन्तु ख्याल यह है कि यह माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित क्षेत्र में असाधारण रूप से अधिक शीघ्रता के कारण हुआ था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री म० कु० मैत्र** : क्या सरकार का ध्यान भारत के प्रधान मंत्री के उस समय दिये गये अभिवेदन की ओर आकर्षित किया गया है जबकि वह कण्डी परगना गये थे और जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि २६ सितम्बर को 'कनाडा मसनजोर' बांध से एकदम पानी छोड़ने के कारण कण्डी क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : यह सूचना मैं माननीय सदस्य से प्राप्त कर रहा हूं कि कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था ।

†**श्री म० कु० मैत्र** : यह प्रधान मंत्री को दिया गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह माननीय मंत्री प्रधान मंत्री नहीं हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : परन्तु यह संयुक्त उत्तरदायित्व है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस बात पर विवाद नहीं कर रहा । माननीय मंत्री यह कहते हैं कि उन्हें इस बात का पता पहली बार माननीय सदस्य से लग रहा है ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या यह सच नहीं है कि प्रश्नास्पद इन बांधों के निर्माण के पूर्व सम्बन्धित क्षेत्रों में जल विज्ञान और भूतत्व विज्ञान सम्बन्धी सामग्री एकत्रित करने के लिये विधिवत अध्ययन नहीं किया गया था, तथा सरकार के पास जो सामग्री थी वह अव्यस्थित ढंग से संग्रह पर आधारित थी ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मैं यह धारणा स्वीकार नहीं करता । जहां तक ऐसा करना आवश्यक व सम्भव हो, वहां तक सारी सामग्री के एकत्रित करने का प्रयत्न किया जाता है ।

†**श्री म० कु० मैत्र** : क्या सरकार ने 'कनाडा मसनजोर' बांध से एकदम पानी छोड़ने के फलस्वरूप उस स्थान पर २०० एकड़ के क्षेत्र में जमी हुई रेत को हटाने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मेरा ख्याल है कि इस मामले में राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही होगी ।

मद्यनिषेध जांच समिति

***११८४. श्री भक्त दर्शन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन नियुक्त मद्यनिषेध जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद तैयार किये गये कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : मद्य-निषेध जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद तैयार किये गये कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों ने जो कदम उठाये हैं उनका ब्योरा सभा की मेज पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७४]**

श्री भक्त दर्शन : इस ब्योरे में बतलाया गया है कि दिल्ली के होटलों, रेस्टोरेन्टों, मद्यपान-गृहों, तथा थियेटरों में जनता में मद्यपान पर पाबन्दी लगा दी गई है । क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि इस कागजी पाबन्दी के बावजूद अभी तक इन सार्वजनिक स्थानों में मद्यपान का खुला प्रयोग हो रहा है--भद्दा प्रदर्शन हो रहा है और खास तौर पर यूनेस्को सम्मेलन के अवसर पर तो खूब मद्यपान किया गया ? क्या गवर्नमेंट इस बारे म कोई सख्त कदम उठाने का विचार कर रही है ?

श्री श्या० नं० मिश्र : मैं तो ऐसा मानना चाहूंगा कि कानून का अच्छी तरह से पालन हो रहा है, लेकिन, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, कानून के पालन में बहुत सी कठिनाइयां कम से कम शुरू की हालतों में बहुत होती हैं और वे भी धीरे-धीरे खत्म हो जायेंगी । जहां तक यूनेस्को कांफ्रेंस का सम्बन्ध है, जिसका कि माननीय सदस्य ने हवाला दिया, मैं समझता हूं कि उसमें सम्मिलित होने के लिये हमारे

†मूल अंग्रेजी में ।

जो माननीय अतिथि बाहर से आए हैं, उनके बारे में खास तौर पर कुछ सुविधायें रखनी होंगी और उनको इस प्रश्न से मिलाना मुनासिब नहीं होगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि यूनेस्को सम्मेलन के अवसर पर जो विदेशी अतिथि आए हुए थे, उनके बहाने से बहुत से भारतीय लोगों ने भी उनको दी जाने वाली सुविधाओं का दुरुपयोग किया और खूब मद्यपान किया ?

श्री श्या० नं० मिश्र : यह मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो ।

श्री भक्त दर्शन : इस समिति ने यह एक सिफारिश की थी और गवर्नमेंट ने पंचवर्षीय योजना में उसको स्वीकार भी किया है कि लोगों को मद्यनिषेध के प्रति प्रेरित करने के लिये जहां तक हो सके, "चीप एंड हैल्दी साफ्ट ड्रिंक्स" का निर्माण किया जाये और उनका प्रचार किया जाय । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री श्या० नं० मिश्र : उस समिति की रिपोर्ट के मुताबिक हम लोगों ने ये सिफारिशें राज्य सरकारों के ध्यान में ला दी हैं और मेरा ख्याल है कि वे इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करती होंगी ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जिन स्थानों पर मद्यपान किया जाता है, उनको रात के ग्यारह बजे के बाद खुला न रहने दिया जाये ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मैं प्रश्न नहीं सुन सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्या अपना प्रश्न दोहरा सकती हैं ।

†**श्रीमती कमलेन्दुमती शाह** : क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इन स्थानों को रात्रि के ग्यारह बजे के बाद खुला नहीं रखा जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अर्थात् कोई भी 'नाइट क्लब' नहीं होना चाहिये ।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध करने का विचार कर रही है कि रात्रि के ११ बजे के बाद किसी भी 'नाइट क्लब' या होटल को खुले रहने की अनुमति न दी जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही करने के लिये सुझाव मात्र है ।

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : जी, हां ।

टिड्डियों के बारे में अनुसंधान

*११८६. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिड्डियों के बारे में एक अनुसंधान भवन बनाने के लिये राजस्थान में कोई ज़मीन ली गई है; और

(ख) इस भवन का निर्माण कब कराया जायेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) एक स्थान पसन्द कर लिया गया है और थोड़े समय म ही प्राप्त कर लिया जायेगा ।

(ख) ज़मीन प्राप्त होने के बाद शीघ्र ही भवन बना लिया जायेगा ।

श्री प० ला० बारूपाल : इस पर कितने रुपये खर्च किये जायेंगे और राजस्थान के कौन-से हिस्से में यह अनुसंधानशाला खोली जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

डा० पं० शा० देशमुख : इस स्टेशन पर कुल खर्चा २,९८,६२० रुपये का होगा और सैकंड फाइव ईयर प्लैन (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) में इसका प्राविजन (व्यवस्था) किया गया है। उसमें से १,५८,००० रुपया रिकरिंग (आवर्ती) है और १,४०,००० रुपया नान-रिकरिंग (अनावर्ती) है।

पाकिस्तान से नहरी पानी की कीमत

†*११८९. **श्री गिडवानी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दोनों देशों के बीच हुए करार के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने नहरी पानी की कीमत अदा करनी बन्द कर दी है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को कोई पत्र भेजा है;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो वह उत्तर क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) ४ मई, १९४८ के करार के अनुसार पाकिस्तान सरकार को नहरी पानी के लिये ऐसे तदर्थ व्यय अदा करने होंगे जो प्रधान मंत्री द्वारा उल्लिखित किये जायेंगे। पाकिस्तान ने इसके एक अंश का जो कि टंकण प्रलाभ तथा माधोपुर हैडवर्क्स और शाखा नहरों में लगी पूंजी के, ब्याज देने से सम्बन्धित है, विवाद खड़ा किया है। जुलाई, १९५० से पाकिस्तान द्वारा विवादग्रस्त राशि की अदायगी रोकी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). पाकिस्तान सरकार से केवल अन्तरिम उत्तर ही प्राप्त हुए हैं।

†**श्री गिडवानी** : पाकिस्तान ने अब तक कुल कितना बकाया रुपया देना है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : 'अविवादास्पद' शीर्ष के अन्तर्गत बकाया राशि १८,४५,९८१ रुपये हैं। 'विवादास्पद' शीर्ष के अन्तर्गत बकाया राशि ७६,०८,९०५ रुपये है।

†**श्री गिडवानी** : यदि पाकिस्तान यह राशि न दे तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : हम इस सम्बन्ध में इतने निराशावादी अथवा आलोचना करने वाले नहीं हो सकते हैं। यद्यपि समय काफी बीत गया है, तथापि हम आशा करते हैं कि यह हिसाब सन्तोषजनक रूप से तय हो जायेगा। हम इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की चिन्ता तथा अधैर्य को समझते हैं।

†**श्री गाडगील** : क्या यह धन उन्हें दिये गये पानी की कीमत है ? क्या यह विचार करना उचित नहीं है कि मूल्य न दिये जाने पर वस्तु रोक दी जाये ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : यह एक सुझाव है साथ ही इसमें एक विचित्र व्यंग भी है। माननीय सदस्य ऐसा व्यंग अवश्य करने के योग्य हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य केवल यह पूछ रहे हैं कि यह बकाया राशि वसूल करने के लिये विशेष उपचार रूपी उपाय क्यों न किये जायें। माननीय सदस्य यह पूछ सकते हैं कि बकाया राशि वसूल करने के लिये अन्य उपायों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : हमने अभी इसकी आशा नहीं छोड़ी है कि वर्तमान तरीका सफल नहीं होगा।

†**सरदार हुक्म सिंह** : १८ लाख से भी अधिक की अविवादास्पद राशि को न देने के लिये क्या बहाना किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : जून, १९५६ के अन्त तक का हिसाब चुकाया जा चुका है। मेरे विचार से इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है ।

†**सरदार हुक्म सिंह** : १८ लाख से भी अधिक रुपये अविवादास्पद राशि के रूप में जमा हो चुके हैं। पाकिस्तान ने इसे स्वीकार कर लिया है। क्या पाकिस्तान सरकार ने इसे न देने के लिये कोई बहाना बनाया है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मेरे विचार से यह केवल प्रक्रिया सम्बन्धी मामला है । अन्यथा इसमें कोई कठिनाई नहीं है । जून के अन्त में दी जाने वाली किश्त दी जा चुकी है तथा मेरे विचार से अन्य किश्तें भी शीघ्र दे दी जायेंगी ।

सामुदायिक परियोजनाओं सम्बन्धी डा० टेलर का प्रतिवेदन

†***११९०. श्री रघुबीर सहाय** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री २८ नवम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५५० के उत्तर के सम्बन्ध में, जो कि डा० टेलर के प्रतिवेदन पर सरकार की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में था, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिवेदन का अध्ययन करने के पश्चात, कोई अन्तिम विनिश्चय किये गये;

(ख) यदि हां तो वे क्या हैं;

(ग) क्या विकास कार्यों का संचालन करने के लिये नये अनुदेश जारी किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ङ) क्या इस प्रतिवेदन के फलस्वरूप, देश की विकास कार्य सम्बन्धी नीति अथवा किसी स्थिति पर उसको क्रियान्वित करने की पद्धति में कुछ परिवर्तन करने का विचार है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) और (ख). डा० टेलर के प्रतिवेदन सम्बन्धी कार्यवाही के बारे में निम्नलिखित प्रक्रिया निश्चित की गई है :

(१) इस प्रतिवेदन तथा अन्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों में उल्लिखित मुख्य निष्कर्षों एवं सिफारिशों से सम्बन्धित मंत्रियों की विकास समिति तथा सलाहकार समिति, जिसमें प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव, विकास आयुक्त मंत्री तथा विभागीय प्रधान होंगे, द्वारा विचार किया जायेगा ।

(२) प्रतिवेदन की महत्वपूर्ण बातों पर अन्तर्राज्यीय गोष्ठियों पर विचार किया जाना चाहिये ।

(३) उन विशिष्ट बातों पर जिनके सम्बन्ध में और आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं है, राज्य सरकारों को कार्यवाही करनी चाहिये ।

(ग) और (घ). यह प्रतिवेदन राज्य सरकारों तथा सामुदायिक विकास मंत्रालय दोनों के विचाराधीन है । जिन बातों पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों की सहमति होगी, उन्हें सामान्य अनुदेशों के रूप में समाविष्ट कर लिया जायेगा । तथा उन्हें इस विशेष प्रतिवेदन तथा इस वर्ष प्राप्त हुए अन्य प्रतिवेदनों पर अन्तिम रूप से विचार होने के पश्चात् जारी कर दिया जायेगा ।

(ङ) नीति में कोई आधारभूत परिवर्तन करने का विचार नहीं है, किन्तु कार्यक्रम के कुछ विशेष पहलुओं पर अधिक जोर देने के सम्बन्ध में, समायोजन किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री रघुबीर सहाय** : माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि डा० टेलर द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को यथोचित महत्व दिया जा रहा है। अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ २० पर उन्होंने कहा है :

"मेरी धारणा है कि अतिरिक्त अधिकारी वर्ग, अतिरिक्त शासन-व्यवस्था तथा प्रचार के तरीके ठोस सामुदायिक विकास या विस्तार के तरीकों के प्रयोग में सहायक सिद्ध नहीं हुए हैं।"

क्या इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि हमने अब तक सामुदायिक विकास पर जो कुछ भी व्यय किया है, वह व्यर्थ गया है ?

†**श्री सु० कु० डे** : जैसा माननीय सदस्य जानते हैं, प्रजातन्त्र की विकास प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। यह आशा करना उचित नहीं है कि सामुदायिक संगठन में रातोंरात परिपूर्णता आ सकती है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : यहां क्या किसी सिद्धान्त को प्रतिपादित करना आवश्यक है ? एक स्पष्ट उत्तर दिया जाना चाहिये।

†**श्री रघुबीर सहाय** : मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान डा० टेलर के प्रतिवेदन में एक और वाक्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पृष्ठ ३० पर यह कहा गया है :

"समाज शिक्षा संगठनकर्त्ताओं का कार्य पूर्णतया उस प्रकार से विकसित नहीं हुआ है जैसा कि मूलतः सोचा गया था।"

इस मत की दृष्टि में, क्या मैं जान सकता हूं कि इन संगठनकर्त्ताओं का उचित चुनाव करने और उन्हें उचित प्रशिक्षण देने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं जिससे कि वे अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकें ?

†**श्री सु० कु० डे** : यह एक नया विषय है जिसका कि अभी भारत में पूरी तरह विकास होना है। उचित प्रशिक्षकों की नियुक्ति द्वारा तथा पाठ्यक्रम में समन्वय द्वारा और भर्ती के लिये अर्हताओं में समन्वय द्वारा सुधार करने का प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है।

†**श्री रघुबीर सहाय** : मैं माननीय मंत्री का ध्यान पुनः डा० टेलर की इस टिपणी की ओर दिलाना चाहता हूं :

"कुल मिला कर, मुझे इस समय यह प्रतीत होता है कि विकास कार्यक्रम की श्रृंखला में जिला कार्यालय कर्मचारीवर्ग सब से कमजोर कड़ी है।"

यदि ऐसा है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस कठिनाई के निवारण के लिये क्या पग उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

†**श्री सु० कु० डे** : टेकनीकल अनुभव रातों-रात विकसित नहीं हो जाता। जिला संगठन को सभी टेकनीकल मामलों में सुदृढ़ करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है।

†**श्री थानु पिल्ले** : माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रजातन्त्र विकास प्रक्रिया बहुत धीमी है। क्या मैं माननीय मंत्री से इस बात का अनुमान जान सकता हूं कि सामुदायिक परियोजनाओं पर अब तक कितना रुपया व्यय किया गया है और उसका फल प्राप्त हुआ, तथा कितना रुपया बर्बाद गया है ?

†**श्री सु० कु० डे** : यह अनुमान लगाना बहुत कठिन है कि कितना प्रतिशत धन बर्बाद हुआ है। प्रत्येक उपक्रम में, चाहे वह व्यवसायिक हो या अन्यथा, थोड़ा बहुत नष्ट होता ही है, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम में भी कुछ हुआ होगा। किन्तु हमें विश्वास है कि यह यथासम्भव कम से कम हुआ है।

†**श्री थानु पिल्ले** : क्या परिणामों को जानने के लिये हमारे पास कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो इस जांच का परिणाम क्या रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री सु० कु० डे** : योजना आयोग के अन्तर्गत एक मूल्यांकन संगठन है जो कि समस्त कार्यक्रम का मूल्यांकन करता है। सामुदायिक विकास मंत्रालय में एक प्रशासनिक सूचना विभाग भी है जो कि विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर स्वतन्त्र रूप से विचार निर्धारण करता है। दोनों परिणामों की जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रधान कार्यालय से जो निरीक्षक अधिकारी क्षेत्र में जाते हैं, वे भी अपने विचार प्रकट करते हैं।

बानिहाल सुरंग

†*११९१. { **सरदार अकरपुरी** :
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बानिहाल सुरंग की पहली ट्यूब की खुदायी पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सुरंग के जरिये यातायात प्रारम्भ हो गया है; और

(ग) दूसरी सुरंग कब पूरी होगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां।

(ख) सुरंग का पश्चिमी ट्यूब सीमित हलके मोटर यातायात के लिये २२ दिसम्बर, १९५६ को खोल दिया जायेगा।

(ग) सन् १९५८ तक।

सरदार अकरपुरी : क्या मैं जान सकता हूं कि वेस्ट टनल (पश्चिमी सुरंग) पर कितना खर्च आया है, और इसमें केन्द्रीय सरकार का कितना है और काश्मीर सरकार का कितना ?

†**श्री अलगेशन** : यह सुरंग राष्ट्रीय राज मार्ग पर है। इसलिये समस्त व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अब तक, अर्थात् अक्तूबर, १९५६ तक ६९.५ लाख रुपये व्यय हो चुके हैं।

डूंगरपुर-बांसवाडा-रतलाम रेलवे लाइन

***११९२. श्री भीखा भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री २५ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १४१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डूंगरपुर-बांसवाडा-रतलाम रेलवे लाइन का प्रारम्भिक सर्वेक्षण इस बीच शुरू हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रारम्भिक सर्वेक्षण में जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये सरकार ने प्रयत्न किया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां। यातायात और प्रारम्भिक इंजीनियरिंग सर्वे हो रहा है।

(ख) जी, हां। सर्वे अफसरों को हिदायत दी गयी है कि जहां ज़रूरत पड़े जनता का सहयोग प्राप्त करें।

श्री भीखा भाई : क्या मैं जान सकता हूं कि रेलवे सर्वे कब तक समाप्त होगी और जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये क्या तरीके अपनाये गये हैं ?

श्री शाहनवाज खां : उम्मीद है कि सर्वे अप्रैल सन् १९५७ तक खत्म हो जायेगी, और जनता का सहयोग तब हासिल किया जायेगा जब जरूरत पड़ेगी।

---

†मूल अंग्रजी में।

श्री भीखा भाई : क्या मैं जान सकता हूं कि फायनल लोकेशन सर्वे कब स्टार्ट होगी ?

श्री शाहनवाज़ खां : इस सर्वे के बाद ।

श्री भीखा भाई : क्या मैं जान सकता हूं कि पिछड़े प्रदेश होने के नाते, जो इंडस्ट्रियल परपज़ेज़ के लिये रेलवे लाइन्स खोली जा रही हैं उनके पश्चात् उसको प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह बाद में सोचा जायेगा ।

मछली पकड़ने की नौकायें

†*११९३. **श्री वें० शिवाराव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत मानसून से पूर्व दो मछली पकड़ने की नौकायें प्रदर्शन के लिये मंगलोर भेजी गयी थीं;

(ख) इन प्रदर्शनों का क्या परिणाम रहा;

(ग) क्या मैसूर राज्य में किसी बन्दरगाह पर ऐसी नौकायें स्थायी रूप से रख जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या गत अक्तूबर मास में मीन-क्षेत्र के एक विशेषज्ञ डा० हार्डिंग ने पश्चिमी घाट पर स्थित कुछ मछली पकड़ने के केन्द्र देखे थे;

(ङ) क्या डा० हार्डिंग द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है; और

(च) प्रतिवेदन में दी गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां । मद्रास सरकार द्वारा ।

(ख) इससे सामान्यतः मछली उत्पादन में अभिरुचि बढ़ी है तथा इसके प्रदर्शन से मछुहारों के मध्य यह विश्वास बना है कि यंत्रीकृत नावों द्वारा मछली पकड़ना निश्चित रूप से उनकी वर्तमान प्रणाली से अच्छा है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) अभी तक नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

†**श्री वें० शिवाराव** : क्या प्रश्न के भाग (ग) के सम्बन्ध में दिये गये प्रतिनिधान के सम्बन्ध में मैसूर सरकार को कोई उत्तर दिया गया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी, हां ।

†**श्री वें० शिवाराव** : भाग (घ) और (ङ) के उत्तर के सम्बन्ध में, क्या मैं जान सकता हूं कि डा० हार्डिंग को यह निदेश दिया गया था कि मीन-क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में सहकारी संस्थाओं की सम्भावनाओं की जांच करें ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी, हां उन्होंने इस सम्बन्ध में जांच की थी और उनके बाद अब वहां एक विक्रय विशेषज्ञ काम कर रहे हैं । उनके प्रतिवेदन की अभी प्रतीक्षा है ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या डा० हार्डिंग को केरल तट से दूर अभी तक अपर्यवेक्षितवेज बैंक के मीन क्षेत्र को वाणिज्यिक आधार पर विकसित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये नियुक्त किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मुख्य रूप से उन्हें इस सर्वेक्षण को जारी रखने तथा सहकारी आधार पर मछली विक्रय की व्यवस्था सम्बन्धी एक या दो अग्रिम परियोजनायें प्रारम्भ करने के लिये नियुक्त किया गया था ।

†**श्री अच्युतन** : भाग (ग) का उत्तर माननीय मंत्री ने स्वीकारात्मक दिया । क्या मैं जान सकता हूं कि मछली पकड़ने की ये नौकायें केवल मैसूर राज्य में अवस्थित पत्तनों को ही उपलब्ध कराई जायेंगी अथवा केरल राज्य के अन्य भागों को भी उपलब्ध होंगी जिससे कि वहां के मछुहारे अनुभव प्राप्त कर सकें ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंग है । उसमें जहां के लिये भी उपबन्ध हैं वहीं ये उपलब्ध कराये जायेंगे ।

†**श्री दामोदर मेनन** : इस समय ये दोनों नौकायें कहां हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मेरा ख्याल है वे दक्षिण कन्नड़ में काम कर रहे हैं ।

कलकत्ता निगम

†*११९४. **श्री म० कु० मैत्र** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कलकत्ता निगम ने राज्य सरकार के जरिये जल सम्भरण और नाली व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख). भारत सरकार को पश्चिमी बंगाल सरकार से जल सम्भरण तथा सफाई के सम्बन्ध में कलकत्ता निगम के कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या कलकत्ते में जल सम्भरण में वृद्धि करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई राशि उपबन्धित की गयी है और यदि हां, तो क्या कलकत्ते में जल सम्भरण की बहुत कमी की दृष्टि में पश्चिमी बंगाल सरकार से शीघ्र ही भारत सरकार को योजनायें प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : एक पत्र भेज कर राज्य सरकार से निगम के जल सम्भरण तथा सफाई सम्बन्धी प्रस्ताव भेजने को कहा गया था और उस पत्र में यह भी कह दिया गया था कि निगम को इस कार्य के लिये २२५ लाख रुपये उपलब्ध हो सकेंगे । किन्तु अभी तक हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

†**श्री साधन गुप्त** : पत्र कब भेजा गया था ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : २२ सितम्बर, १९५६ को ।

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के प्रादेशिक केन्द्र

†*११९६. **श्री अच्युतन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सहित देश के विभिन्न भागों में भारतीय कृषि गवषणा संस्था के प्रादेशिक केन्द्र खोले जाने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यह कब तक क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं किया जायेगा, तो क्यों ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) प्रस्ताव फिलहाल त्याग दिया गया है ।

(ग) भारत में कृषि गवेषणा तथा शिक्षा पर संयुक्त भारतीय-अमरीकी दल द्वारा की गयी इस सिफारिश के अनुसार कि सामान्यत: केन्द्रीय संस्थाओं को प्रादेशिक गवेषणा केन्द्र स्थापित नहीं करने चाहियें तथा राज्यों में गवेषणा कार्य के लिये पहले से उपलब्ध सुविधाओं का प्रयोग करना चाहिये अथवा उन्हें और विकसित करना चाहिये यह प्रस्ताव त्याग दिया गया है ।

†**श्री अच्युतन** : इस कार्य के लिये जो राशियां निर्धारित की गयी थीं क्या वे अब प्रस्ताव के त्याग दिये जाने पर सम्बन्धित राज्य सरकारों को गवेषणा कार्य के लिये दी जायेंगी ?

†**श्री पं० शा० देशमुख** : चूंकि उपबन्ध मौजूद है इसलिये जब हम राज्य सरकारों के अंतर्गत विद्यमान केन्द्रों में विस्तार करेंगे तो इस राशि से धन निकालेंगे ।

†**श्री अच्युतन** : समस्त कार्य के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गयी थी और क्या उक्त सिफारिश को कार्यान्वित किया जायेगा तथा विद्यमान केन्द्रों के अतिरिक्त एक भी अन्य केन्द्र नहीं खोला जायेगा ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं समझता हूं कि यदि राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाने वाले विद्यमान केन्द्रों को ही विकसित किया जायेगा तो वे कदाचित उतने ही अच्छे हो जायेंगे जितने कि केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये गये वह केन्द्र होते जिनका कि मूलत: विचार किया गया था ।

श्री विभूति मिश्र : बिहार में कोई एग्रीकलचरल रिसर्च इंस्टीच्यूट खोलने की योजना है कि नहीं ?

डा० पं० शा० देशमुख : अभी नहीं खोला गया है । यह प्रपोज़ल था कि हम कुछ रीजन्ल सेंटर्स खोलें जो हमारे पूसा इंस्टीच्यूट की ब्रांचेज़ हों मगर अभी यह सिफ़ारिश की गई है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा और बेहतर यह होगा कि जो स्टेट्स के रीजन्ल स्टेशंस हैं उन्हीं को डेवलप करना अच्छा होगा ।

यात्रियों को सुविधायें

†*११९७. **श्री भागवत झा आज़ाद :**
श्री डाभी :
श्री म० रं० कृष्ण :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे दर्जे के यात्रियों को डिब्बों के भीतर मिलने वाली वर्त्तमान सुविधाओं की जांच करने के लिये कोई समिति बनाई गई है; और

(ख) यदि बनाई गई है, तो इस समिति के निर्देश-पद क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७५]**

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या यह समिति तीसरे दर्जे में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये सोने की जगह की आवश्यकता और उसकी मांग पर भी विचार करेगी ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जी, नहीं । यह इस समिति के निर्देश-पदों में शामिल नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या इस समिति के लिये ऐसी कोई समय-सीमा निश्चित की गई है जिसके भीतर वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे ?

†**श्री शाहनवाज खां** : ऐसी कोई समय-सीमा नहीं रखी गई है; परन्तु ऐसी आशा है कि इस माह के अंत तक वह प्रतिवेदन मिल जायेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस तीन-व्यक्तियों की समिति के दो सदस्य उत्तर रेलवे खण्ड के हैं । क्या मैं इससे यह समझ लूं कि अन्य खण्डों की अपेक्षा उत्तर रेलवे खण्ड में यात्रियों को अधिक सुविधायें हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हम रेलवे अधिकारियों में कोई भेदभाव नहीं करते । वे परिस्थितियों को निष्पक्ष रूप से देखने में काफी समर्थ हैं ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या समिति तीसरे दर्जे के डिब्बों में अच्छे नल लगाने के सम्बन्ध में जांच करेगी क्योंकि इस समय इन नलों से पानी लेना बहुत कठिन है और उन्हें खोलने के लिये दो आदमियों की ताकत चाहिये—क्या पहले दर्जे के समान नल लगाये जायेंगे ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इस पहलू पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकार अगले रेलवे आय-व्ययक में इस समिति की उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने का इरादा रखती है जो सम्भवतः उसके द्वारा की जाएँगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी, हां ।

†**श्री डाभी** : क्या जनता को इस सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त करने का मौका दिया गया था ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जनता को अपनी राय व्यक्त करने का काफी मौका है—खण्डीय समितियों द्वारा अथवा सीधे फरयाद करके ।

†**श्री फीरोज गांधी** : अथवा सामान्य निर्वाचन में ।

पौधों का बचाव

†*११९८. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत में पौधों के बचाव सम्बन्धी करार के अन्तर्गत सरकार संसार के दूसरे भागों से आई पौध नाशक बीमारियों की रोकथाम के लिये और इस क्षेत्र के भीतर भी उनका फैलना रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है अथवा करने का विचार करती है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : लोक-सभा के पटल पर विवरण रखा हुआ है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७६]**

†**श्री झूलन सिंह** : क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि ये पौध नाशक कीट और बीमारियां किस हद तक फैली हैं जिसके कारण इन सुविधाओं के लिये पहले ही इतना धन खर्च किया जा चुका है और आगे भी खर्च करने का विचार है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : ये पौध नाशक कीट और बीमारियां किस मात्रा में फैली हैं, इसका वर्णन करना कठिन है । परन्तु जो कुछ हमने किया है वह अत्यधिक वांछनीय है क्योंकि एक छोटा नाशक कीट भी करोड़ों रुपयों की चीजों और पौधों को हानि पहुंचा सकता है । मुझे उस खर्च के आंकड़े नहीं मालूम जो किया गया है परन्तु ऐसा करना अच्छा होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मीन-क्षेत्र

†*११९९. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास केरल राज्य में मीन-क्षेत्रों का विकास करने के लिये इस दृष्टि से कोई योजना है कि उस राज्य का समुद्र किनारा लम्बा है;

(ख) केरल से झींगा तथा अन्य प्रकार की कितनी मछलियां बाहर भेजी जाती हैं;

(ग) केरल में कितने मत्स्य-पालन क्षेत्र हैं; और

(घ) केरल में भीतरी मत्स्य-पालन के विकास की क्या सम्भावनायें हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां ।

(ख) वार्षिक निर्यात लगभग निम्नलिखित है :

(१) सूखी झींगा मछली	४,००० टन ।
(२) बर्फ में रखी गई झींगा मछली	१०० से १५० टन तक के बीच में ।
(३) अन्य मछलियां	स्वयं केरल के लिये पर्याप्त रूप से नहीं मिलतीं ।

(ग) पांच खारे पानी के मत्स्य-पालन क्षेत्र ।

(घ) समुद्री मत्स्य-पालन क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम हैं ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : भाग (क) का माननीय मंत्री ने 'हां' उत्तर दिया है । क्या मैं जान सकता हूं कि मत्स्य-पालन क्षेत्रों के विकास के लिये कौन-कौन-सी योजनायें हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : केरल में मत्स्य-पालन क्षेत्रों के विकास की योजनाओं में ७२·१ लाख रुपये खर्च होने का अंदाजा है । इस रकम में से ५२·९ लाख रुपयों की रकम पूर्ववर्त्ती त्रावनकोर-कोचीन की योजनाओं के लिये और १९·२ लाख रुपयों की रकम मालाबार जिले के लिये रखी गई है जोकि पहले मद्रास राज्य में था । ५२·९ लाख रुपयों की रकम वाली योजनायें निम्नलिखित हैं । इसमें ९ मदें हैं । यदि आप उन्हें जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें बताता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ९ स्थान ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : वे ९ मदें हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री एक पढ़ें ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : समुद्र किनारे पर मछुओं के लिये क्वाटर बनाना·····

†**श्री वेलायुधन** : अच्छा होगा यदि हमें विवरण दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री कृपा कर सभा-पटल पर विवरण रखें और माननीय सदस्य उसे पढ़ सकते हैं ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी, हां ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या यह सच है कि यदि केरल राज्य के भीतरी मत्स्य-पालन क्षेत्रों का अच्छी तरह से विकास किया जाये तो उससे मछलियों के सम्बन्ध में केरल की सारी आवश्यकता पूरी हो जायेगी तथा समुद्र में पकड़ी गई सारी मछलियां बाहर भेजी जा सकेंगी और इससे लोगों को बहुत अधिक फायदा होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं इतनी दूर नहीं जाना चाहता और न ही अपने मित्र के समान इतना आशावादी हो सकता। परन्तु सम्भावनायें निश्चित ही हैं और हम इन सम्भावनाओं का विकास करने के लिये उत्सुक हैं।

†**श्री वेलायुधन** : क्या उस राज्य में मछलियों को अच्छा बनाये रखने के लिये एक शीतागार खोला गया है? यदि खोला गया है तो क्या वह राज्य के अधीन है अथवा किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को दिया गया है?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं प्रश्न की पूर्व सूचना चाहूंगा।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या उस योजना में जो माननीय मंत्री के ध्यान में है, उन समुद्री मछुओं की परिस्थितियों को सुधारने के लिये कोई विशेष आधार हैं जो मानसून की कठिनाइयों के कारण ३ या ४ माह समुद्र में नहीं जा सकते और अपना गुजारा करने के लिये पूर्णत: बेबस हो जाते हैं?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं अपने माननीय मित्र को यह बता सकता हूं कि १९·२ लाख रुपयों की जो रकम रखी गई है वह मछली मारने के क्षेत्रों के विकास, मछुओं की सहकारी संस्थाओं की सहायता, आदर्श मछली बाज़ारों के निर्माण, बड़े-बड़े जलाशयों के उपयोग और विकास, मछली सेंथने वाले मछुओं को घटी हुई दरों पर नमक देने, कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि के लिये ही है। इन सभी उपायों से मछुओं को मदद मिलेगी।

भ्रष्टाचार निरोधक संगठन,

पश्चिम रेलवे

†*१२००. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री २७ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम रेलवे के भ्रष्टाचार निरोधक संगठन ने अभी तक क्या कार्य किया है?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: सभा-पटल पर एक विवरण रखा है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७७]**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मंगई बाढ़ नियंत्रण योजना

*११७६. **श्री रा० न० सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कहने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बलिया और गाज़ीपुर के पास मंगई नदी पर बाढ़ को रोकने के लिये जो बांध बनाया जा रहा था, उसका निर्माण कार्य स्थगित कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन क्षेत्रों के लोगों ने मंगई नदी पर बांध बनवाने की मांग की थी उन्होंने एक ऊंची सड़क बनवाने का सुझाव दिया है; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि अभी तक उस क्षेत्र में सिंचाई के प्रयोजन के लिये या बाढ़ से गांव और फसलों के बचाने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है?

योजना उपमंत्री (श्री श्याम नन्दन मिश्र) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का विवरण सदन की मेज़ पर रख दिया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७८]**

---

†मूल अंग्रेजी में।

इंजन और डिब्बे

†*११७७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में बड़ी लाइनों के इंजनों और डिब्बों के संग्रह की वर्त्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) क्या वर्त्तमान संग्रह पर्याप्त है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७९]**

(ख) यात्रियों के यातायात की मांग को पूर्णतया पूरा करने के लिये अपर्याप्त है ।

भाटक दलाल सन्था

†*११८२. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
बाबू राम नारायण सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि कलकत्ता, बम्बई आदि स्थानों पर एक भाटक दलाल सन्था है जो पोतवणिकों और जलयान-अभिकर्ताओं के बीच माल के यातायात तथा स्थान आवंटन के बारे में लिखा पढ़ी करती है;

(ख) क्या यह सच है कि इस सन्था की सदस्यता सीमित है जिससे कि संथा के सदस्य दलाली के मामले में एकाधिकार बनाये हुए हैं;

(ग) क्या सरकार को यह मालूम है कि भाटक दलाल सन्था के दलाली के एकाधिकार को बनाये रखने के कारण एक ही फर्म के हाथ में विभिन्न नामों पर एक से अधिक जगहें इकट्ठी हो गई हैं; और

(घ) इस संथा को उन जहाजों में जगह देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है जो भारत सरकार की है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह सच है कि संथा के नियमों में सीमित सदस्यता उपबन्धित है परन्तु विहित प्रणाली के अनुसार नये सदस्यों के प्रवेश का भी उपबन्ध है ।

(ग) ऐसा प्रतीत होता है कि कलकत्ता सन्था ने भागीदारों की संख्या के आधार पर प्रत्येक फर्म से एक से अधिक सदस्य लिये हैं ।

(घ) माननीय सदस्य के ध्यान में कदाचित ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन के जहाज होंगे । यदि ऐसा है तो कारपोरेशन से माल भेजने की बुकिंग उसके अपने दलालों द्वारा की जाती है, अन्यथा भारत-आस्ट्रेलिया, भारत-सुदूर पूर्व के व्यापार को छोड़ कर जिसमें कलकत्ता भाटक दलाल सन्था के द्वारा माल बुक किया जाता है, शेष जगहों के लिये माल उस व्यवस्था के अनुसार बुक किया जाता है जो परिषदों और दलाल संथाओं के बीच वर्त्तमान है ।

रेलगाड़ियों का देर से आना

†*११८३. **श्री च० रा० चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मछलीपट्टम से नरसरावपेठ आनेवाली रेल गाड़ियों के हमेशा देर से आने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८०]**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

बिहार के फार्म प्रबन्ध गवेषणा केन्द्र

†*११८५. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के कृषि महाविद्यालयों में फार्म प्रबन्धक गवेषणा केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि है, तो कब ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). फार्म प्रबन्ध की पहिली अध्ययन माला के प्रयोजनार्थ भारतवर्ष को विभिन्न फसलों के आधार पर ६ विशिष्ट क्षेत्रों में बांटा गया था। ये अध्ययन-मालायें प्रारम्भ हो चुकी हैं और उन अध्ययन-मालाओं के लिये चुने गये स्थानों में बिहार का कृषि महाविद्यालय नहीं है। जब और अधिक विस्तार का निर्णय किया जायेगा, तब बिहार में यह अध्ययन शुरू करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। ऐसा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अधीन हो सकता है।

रेल के डिब्बों की त्रुटिपूर्ण खिड़कियां

†*११८७. **श्री काजरोल्कर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ये सूचनायें प्राप्त हुई हैं कि रेल के डिब्बों में खिड़कियों के फट्टों के अचानक गिर जाने से यात्रियों को गहरी चोटें आई हैं, क्योंकि उन्हें ठीक स्थान पर जमाये रखने की व्यवस्था त्रुटिपूर्ण होती है; और

(ख) यात्रियों को इस खतरे से बचाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, नहीं। किन्तु यात्रियों की अपनी असावधानी के कारण कुछ रेलों पर एक-दो घटनायें हुई हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

परियोजनायें और परियोजना-पदाधिकारी

*११८८. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तिम मूल्यांकन रिपोर्ट के पृष्ठ १३ पर की गई सिफारिश के अनुसार "परियोजनायें और परियोजना-पदाधिकारी" की सफलता का निश्चय करने के लिये कोई कसौटी निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो वह कसौटी क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो कसौटी निश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) जी, हां।

(ख) (१) प्रोग्राम में वास्तविक सफलता;
(२) जनता का सहयोग; और
(३) सरकारी खर्च में तरक्की।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

हावड़ा-नागपुर सवारी गाड़ी

†*११९५. **श्री कामत** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका ध्यान २ दिसम्बर, १९५६ के दिल्ली "स्टेट्समैन" में प्रकाशित एक चिट्ठी "विशेष यात्रा" की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि एक पहले दर्जे का डिब्बा एक रेलवे पदाधिकारी के परिवार के लिए रक्षित किया गया था और उसे तालाबन्द करके रखा गया था ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : जी, हां। इस मामले की जांच की जा रही है।

बीज के गोदाम

†*१२०१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में बीजों के गोदाम बनाने के लिये कितनी राशि मंजूर की गई;

(ख) इस राशि मे कितने गोदाम बनाने का अनुमान है; और

(ग) इनके लिये कौन-से स्थान चुने गये हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) ४४·६५ लाख रुपये।

(ख) ४५४।

(ग) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

कृषि प्रशिक्षण के लिये राकफैल्लर अधिछात्रवृत्तियां

†*१२०२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राकफैल्लर प्रतिष्ठान (अमेरिका) ने कृषि प्रशिक्षण के क्षेत्रों में कुछ भारतीय स्कूलों को अनुदान देने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो अनुदानों के विशेष पहलू क्या हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[दखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८१]**

उत्तर प्रदेश में बाढ़ से रक्षा

*१२०३. **श्री रा० न० सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बांध निर्माण योजना को कार्यान्वित करने के परिणामस्वरूप अभी हाल में जो भयंकर बाढ़ें आई थीं उसके कारण उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की जनता उस योजना के विरुद्ध हो गई है;

(ख) क्या यह सच है कि बांध या गोल बांध पूर्वी जिलों के लिये उपयुक्त नहीं है; और

(ग) क्या यह सच है कि वहां के लोग बाढ़ से बचने के लिये गांव को ऊंचा करने की योजना को पसन्द करते हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) बांधों का निर्माण बिना सोचे विचारे नहीं किया जाता। बांध वहीं बनाये जाते हैं जहां उनको उपयोगी समझा जाता है।

(ग) राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार इस विषय में वहां की जनता एकमत नहीं है, कुछ लोग गांव को ऊंचा करने की योजना के पक्ष में हैं और कुछ तटबन्धों द्वारा बाढ़ रक्षा को अधिक अच्छा समझते हैं जबकि पहली योजना से केवल गांवों के मकानों की रक्षा होती है, बांध गांव के निवासियों और उनके खेतों की भी रक्षा करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

सुन्दरबन का विकास

†*१२०४. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **योजना** मंत्री ३० मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २००२ और २० जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार से सुन्दरबन और २४ परगना के विकास और उनमें बाढ़ नियन्त्रण की योजना के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, कितनी राशि की मंजूरी दी गई है; और

(ग) १९५६-५७ में कितना काम हाथ म लिया जायेगा और पूरा किया जायेगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) से (ग). अभी राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हुई । उपलब्ध होने पर यह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत सेवक समाज

†*१२०५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परियोजना क्षेत्रों में भारत सेवक समाज ने किस प्रकार का सहयोग दिया है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कृ० डे)**: भारत सेवक समाज युवक कैम्प, सामाजिक सेवा कैम्प और विद्यार्थी कैम्प आयोजित करता है, जिनमें ग्राम सड़कों, नालियों और औषधालयों और पुस्तकालयों के लिये सामुदायिक इमारतों जैसे स्थानीय विकास निर्माण कार्यों के लिये श्रमदान दिया गया है । समाज ने कार्यक्रम में भाग लेने के लिये लोगों का उत्साह बढ़ाने में भी सहायता दी है । जहां तक संभव हो, समाज के सदस्य खंड मंत्रणा समितियों और गोष्ठियों की बैठकों में भी भाग लेते हैं ।

नागार्जुन सागर परियोजना क्षेत्र में जल-संभरण

†*१२०६. **श्री च० रा० चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) नागार्जुनसागर परियोजना क्षेत्र में जल-संभरण योजना के अन्तर्गत (१) पदाधिकारियों के क्वाटरों में; (२) श्रमिकों के कैम्प क्षेत्रों में जल-संभरण के लिये कितने नलों की व्यवस्था है; और

(ख) जल-संभरण योजना कितनी सफलता से चल रही है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** (क) श्रमिकों और कर्मचारियों के लिये नलों की वास्तविक संख्या तुरन्त उपलब्ध नहीं है । पदाधिकारियों और कर्मचारियों के सब क्वार्टरों में जल-संभरण की व्यवस्था है । श्रमिकों के कैम्पों में थोड़ी थोड़ी दूर पर सार्वजनिक पानी के खम्बे बनाये गये हैं ।

(ख) वर्तमान जल-संभरण योजना अस्थायी है । चूंकि वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त नहीं समझी जाती, इसलिये दोनों किनारों पर प्रतिदिन १०,००० गैलन तक साफ किये हुए पानी के संभरण की एक स्थायी योजना बनाई जा रही है ।

रेलवे कर्मचारी और हड़तालें

†*१२०७. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री देवगम :
श्री कामत :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५६ में अवैध हड़तालों में भाग लेने के अपराध में बहुत-से रेलवे कर्मचारियों की सेवा में विघ्न पड़ गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो खण्डवार ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ग) क्या श्रम संघ ने कोई मांग की है कि कथित हड़ताल की वैधता या अवैधता के बारे में और उस में सम्बन्धित कर्मचारियों के वास्तविक भाग के बारे में एक संयुक्त जांच की जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८२]**

(ग) जी हां, कुछ मामलों में ।

(घ) कोई जांच आवश्यक नहीं समझी जाती क्योंकि प्रत्येक मामले में सिद्ध हो चुका है कि उन्होंने अवैध हड़ताल में भाग लिया था ।

[1]हिल स्टेशन

*१२०८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **रेलवे** मंत्री १ मार्च, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ अन्य रेलवे स्टेशनों को हिल स्टेशनों की सूची में सम्मिलित करने के जिस प्रश्न पर विचार किया जा रहा था क्या इस बीच उनके बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस निर्णय की एक प्रति लोक-सभा के टेबल पर रखी जायेगी; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां ।

(ख) यह फैसला किया गया है कि उन पहाड़ी स्टेशनों की सूची में नये स्टेशन शामिल न किये जायें, जिनके लिये रियायती वापसी टिकट जारी किये जाते हैं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

बीकानेर-दिल्ली मेल

*१२०९. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बीकानेर-दिल्ली मेल में तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये स्लीपिंग कार की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : इस समय प्रयोग के तौर पर कुछ खास गाड़ियों में तीसरे दर्जे में सोने की जगह की व्यवस्था की गयी है ।

इसलिये अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह सुविधा दिल्ली-बीकानेर डाकगाड़ी और दूसरी गाड़ियों में कब तक दी जा सकेगी ।

रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा

†*१२१०. **श्री काजरोल्कर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे के डिब्बों में गद्दों को नष्ट करने और हानि के अन्य कार्यों की सूचनायें मिली हैं;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि बहुत-से डिब्बों में गद्देदार स्थान तोड़-फोड़ दिये गये हैं और यात्रियों को खाली तख्तों पर बैठना और सोना पड़ता है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]पहाड़ी स्थान ।

(ग) इसे रोकने, रेलवे सम्पत्ति को नष्ट होने से बचाने और रेलवे यात्रियों को न्यूनतम सुविधायें देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) टूटे हुए स्थानों के कारण कभी-कभी यात्रियों को असुविधा होती है किन्तु शुरू के स्टेशनों पर टूटे हुए गद्दों आदि की शीघ्रता से मरम्मत करने और खोये हुए साज़ सामान को लगाने की कोशिश की जाती है ।

(ग) सब रेलवे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है । यार्डों में खाली डिब्बों को ताले लगाये जाते हैं और यार्डों में पहरे के लिये सैनिक नियुक्त किये गये हैं और उन्हें गाड़ियों के साथ जाने के लिये भी भेजा जाता है । गाड़ियों के गार्डों को भी निदेश दिये गये हैं कि वे गाड़ियों के खाली डिब्बों पर नज़र रखें ।

रेल-समुद्र समन्वय समिति

*१२११. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **परिवहन** मंत्री २१ जुलाई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेल-समुद्र समन्वय समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो कब और सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अभी तक नहीं मिली है ।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता ।

(ग) आशा है कि रिपोर्ट अगले साल के शुरू तक प्राप्त हो जायेगी ।

चीन से चावल

†*१२१२. **श्री भीखा भाई** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन-भारत करार के अन्तर्गत चीन से चावल का एक लदान प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कितने और लदान प्राप्त होने हैं और कब ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां । दो लदान प्राप्त हो चुके हैं ।

(ख) इस मास और अगले मास के दौरान में ६ और लदान प्राप्त होने की आशा है ।

रेलवे कंडक्टर-गार्डों के लिये वर्दियां

†*१२१३. **श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे पर कंडक्टर-गार्डों को वर्दियां देने के लिये आदेश किस तिथि को जारी किये गये थे;

(ख) क्या इन्हें क्रियान्वित किया गया है और क्या उन्हें वर्दियां दी गई हैं;

(ग) क्या वर्दियां जाड़ों और गर्मियों के लिये दी जायेंगी; और

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) २६-४-१९५६ ।

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) गर्मियों की वर्दियां अगली गर्मियों में दी जायेंगी, क्योंकि आदेश बहुत देर से जारी किये गये थे और इन्हें इस वर्ष क्रियान्वित नहीं किया जा सकता था । इस वर्ष जाड़ों में वर्दियां देने का विचार था, किन्तु इसमें विलम्ब हुआ है और इसके कारणों की जांच की जा रही है ।

तुंगभद्रा बांध

†*१२१४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा बांध कार्यक्रम के अनुसार दिसम्बर, १९५६ के अन्त तक पूरा हो जायेगा;

(ख) क्या बांध-बिजलीघर भी दिसम्बर १९५६ के अन्त तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी, हां; अधिप्लवन मार्ग[१] के १३ मेहराबों[२] के कपाटों को लगाने की व्यवस्था को छोड़कर ।

(ख) बांध की दाहिनी ओर का बिजलीघर कार्यक्रम के अनुसार दिसम्बर, १९५६ के अन्त तक चालू हो जायेगा ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे यात्री सुविधायें

†*१२१५. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन सब सुविधाओं का पूरा सर्वेक्षण कर लिया है जिनकी पश्चिम, उत्तर पूर्वोत्तर और दक्षिण रेलवे के स्टेशनों पर आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) तथा (ख). पश्चिम, उत्तर, पूर्वोत्तर और दक्षिण रेलवे के स्टेशनों की आवश्यक सुविधाओं का पूरा सर्वेक्षण कर लिया गया है ।

पंजाब में गव्यशाला (डेरी) विकास योजना

†*१२१६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित गव्यशाला विकास योजना से पंजाब राज्य को कितना लाभ होगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : सभा-पटल पर विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८३]**

लाख का उत्पादन

†*१२१७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में और विशेष रूप से बिहार में लाख उत्पादन के विकास की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है तथा यह कितनी अवधि में पूरी हो जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[१] Spill way.

[२] Span.

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां ।

(ख) ब्रूड लाख फार्मों, आइडल होस्ट पौधे का सर्वेक्षण और अन्य लाख विस्तार कार्यों की स्थापना के जरिये १९६०-६१ में देश में १६ लाख मन लाख उत्पादन करना इस योजना का उद्देश्य है ।

त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज

†*१२१८. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री अ० म० थामस :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम के मेडिकल कालेज के कार्य-संचालन की जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम हुए हैं ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) इसका उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ख) लोक-सभा के पटल पर विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८४]**

रेलवे स्टेशनों पर फलों की बिक्री

*१२१९. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
बाबू राम नारायण सिंह :
श्री देवगम :
श्री कामत :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे स्टेशनों पर बिकने वाले फलों की कीमत बाजार से अधिक न होने पाये, इस बात के सुनिश्चयन के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर स्थानीय बाजार में फलों की दरें रोजमर्रा और दूसरे स्टेशनों पर कभी-कभी मालूम करने के पश्चात् रेलवे स्टेशनों पर इनकी कीमत निश्चित की जाती है ।

वाणिज्यिक विभाग के अधिकारियों द्वारा बहुधा निरीक्षण और आकस्मिक जांच इस आशय से की जाती है कि स्टेशनों पर कीमतें बाजार की अपेक्षा अनुचित रूप में ज्यादा न हों ।

बीकानेर स्टेशन को हटाना

*१२२०. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे क्रासिंग की कठिनाई को दूर करने के लिये बीकानेर रेलवे स्टेशन को हटाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक उसके पूर्ण होने की आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) राज्य सरकार से एक सुझाव मिला है जिसमें कहा गया है कि बीकानेर शहर से गुज़रने वाली रेलवे लाइन का रास्ता बदल दिया जाये । इस पर विचार हो रहा है ।

(ख) अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

रेलवे यात्री सुविधाएं

†*१२२१. **श्री काजरोल्कर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कई रेलवे कम्पार्टमेंट में स्नानकक्ष (बाथ रूम) के नल इस प्रकार लगे हैं कि जैसे ही उन्हें खोला जाता है यात्रियों पर पानी ढुल जाता है और वे पूर्णत: भीग जाते हैं; और

(ख) क्या सरकार यात्री हित की दृष्टि से व्यवस्था में सुधार करने के लिये प्राधिकारियों को अनुदेश देने का विचार रखती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) सभा-पटल पर विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८५**]

(ख) हाल ही में नियुक्त की गई सुविधा समिति इस विषय की भी जांच करेगी ।

नौवहन सम्बन्धी लक्ष्य

†*८९५. **श्री मात्तन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग नौवहन नीति समिति द्वारा १९४७ में निर्धारित २० लाख टन जहाजों के लक्ष्य की पूर्ति तृतीय योजना अवधि के अंत तक पूरा करने की आशा रखती है जिसके लिये कि दस लाख टन से अधिक जहाजों के प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ेगी; और

(ख) क्या सरकार तृतीय या चतुर्थ पोत निर्माणशाला बनाये बगैर ही तृतीय योजना अवधि के प्रारम्भ, अर्थात् १९६१ में इसे पूरा कर लेगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) तथा (ख). तृतीय योजना अवधि में नौवहन विकास सम्बन्धी स्थिति के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है और न यह बताना संभव है कि इसकी पूर्ति किस प्रकार होगी ।

दिल्ली सड़क परिवहन सेवा

†९१३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सड़क परिवहन सेवा मार्गों पर बस के किराये की निर्धारित दरें क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ मार्गों पर बस की दरें निर्धारित दरों से भिन्न हैं;

(ग) यदि हां, तो इन मार्गों के नाम और दरों में अन्तर की राशि; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) दिल्ली परिवहन सेवा की बसों की निर्धारित दरें नीचे दी जाती हैं :

रु०	आ०	पा०	
०	१	०	प्रति मील, दो मील तक
०	०	६	प्रति मील, तीसरे और चौथे मील के लिये
०	१	०	पांचवें मील के लिये
०	०	६	छठा मील और उसके बाद, प्रति मील

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) से (घ) विभिन्न बस्तियों को महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ने वाले अधिक दूरी के मार्गों पर एक्सप्रेस सेवा चलती है। इन मार्गों पर एक्सप्रेस सेवा के रियायती दरों पर निर्धारित किराये नीचे दिये जाते हैं :

क्रम संख्या	मार्गों का ब्योरा	निर्धारित किराया	रियायती किराया	अन्तर
		आना	आना	आना
१.	तिलक नगर से केन्द्रीय सचिवालय	६-१/२	४	२-१/२
२.	लाजपतनगर से केन्द्रीय सचिवालय	५	४	१
३.	कालका जी से केन्द्रीय सचिवालय	५	४	१
४.	कालका जी से कनाट प्लेस ओडियन	६	४	२
५.	मालवीयनगर से रेलवे स्टेशन	७-१/२	४	३-१/२
६.	कालका जी से रेलवे स्टेशन	६-१/२	४	२-१/२
७.	चिराग दिल्ली से दिल्ली	७	४	३

कुछ मामलों में, दो अथवा अधिक मार्गों पर समान सैक्शनों के लिये किराये की दरें निर्धारित दर से भिन्न हैं। इसका ब्योरा नीचे दिया जाता है :

क्रम संख्या	सैक्शनों का ब्योरा	मार्ग संख्या	किराया	अन्तर	किराये में अन्तर के कारण
			आना	आना	
(१)	पहाड़गंज से कनाट सर्कस	२१	२	१	संख्या १५ के मार्ग पर रियायती किराया है। इस का कारण यह है कि मार्ग के पुनर्गठन के पूर्व पहाड़गंज से गोलमार्केट तक एक आना किराया था।
	पहाड़गंज से कनांट सर्कस (गोलमार्केट होकर)	१५	१		
(२)	कश्मीरी गेट से फवारा	१६	२	१	मार्ग संख्या १६ और १६-क मुफस्सिल एवं नगरीय मार्ग है अधिक दूरी वाले यात्रियों के लाभार्थ अधिक दूरी के लिये किराया अन्य मार्गों की अपेक्षा कम निर्धारित किया जाता है।
		२५ और २३	१		
(३)	कश्मीरी गेट से तिब्बिया कालेज	१६-क	३	१/२	
		२५	२-१/२		
(४)	मोती नगर से तिलक नगर	१६	३	१	
		६	२		

कृषि तथा पशुपालन बोर्ड

†९१४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २४ अगस्त, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के कृषि तथा पशुपालन बोर्ड की फसलों और मिट्टी से सम्बन्धित शाखा की ग्यारहवीं बैठक का प्रतिवेदन उसके पश्चात् प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) कृषि तथा पशुपालन बोर्ड की फसलों और मिट्टी से सम्बन्धित शाखा की ग्यारहवीं बैठक का प्रतिवेदन उसके पश्चात् प्राप्त हो गया है । उसके साथ की सिफारिशों की प्रतिलिपि सन्निहित है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८६]**

(ख) उत्पन्न नहीं होता है ।

रोहतक-पानीपत रेलवे मार्ग

†९१५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री ३ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहतक-पानीपत के ध्वस्त रेल-मार्ग का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) मोटे रूप में ४७,१७,२३९ रुपये की अनुमानित राशि हाल ही में स्वीकृत की गई है । कार्य आरम्भ करने के लिये प्रारम्भिक व्यवस्था कर दी गई है । १९५६–५७ में दस लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है ।

(ख) ३१ मार्च, १९५८ तक ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता है ।

रेलवे इंजन

†९१६. **श्री फीरोज गांधी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४७-४८, १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१, १९५१-५२, १९५२-५३, १९५३-५४, १९५४-५५ और १९५५-५६ में मार्ग पर प्रयुक्त रेलवे इंजन औसतन कितने वर्ष काम दे सकेंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: लोक-सभा के पटल पर विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८७]**

आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा की शिक्षा

९१७. **श्री ह० रा० नथानी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि उन विश्व-विद्यालयों और कालेजों के नाम क्या हैं जहां आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा की शिक्षा दी जाती है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : नीचे लिखे विश्वविद्यालयों/कालजों में आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा की शिक्षा दी जाती ह :

आन्ध्र

१. कालेज आफ इंटग्रेटिड मेडिसन (मद्रास और आन्ध्र के लिये सम्मिलित) आन्ध्र ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

२. गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज, हैदराबाद ।
३. निजामिया तिब्बी कालेज, हैदराबाद ।
४. श्री वेंकटेश्वारा आयुर्वेदिक कलाशाला, विजयवाड़ा ।
५. श्री राम मोहन आयुर्वेदिक कालेज, गन्तुर ।

आसाम

६. आयुर्वेदिक कालज, गौहाटी ।

बिहार

७. गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज, पटना ।
८. एस० एन० वाई० आयुर्वेदिक कालेज, भागलपुर ।
९. आयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेदिक कालेज, वेगुसराय, मूंगेर ।
१०. शिव गंगा आयुर्वेदिक महाविद्यालय, मधुवनी, दरभंगा ।
११. गवर्नमेंट तिब्बी कालेज, पटना ।

मध्य प्रदेश

१२. गवर्नमेंट कालज, रायपुर ।
१३. गवर्नमेंट कालेज, ग्वालियर ।

पंजाब

१४. गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज, पंजाब, पटयाला ।
१५. दयानन्द आयुर्वेदिक कालेज, जालन्धर ।

उड़ीसा

१६. सदाशिव संस्कृत कालेज, पुरी ।
१७. विद्याभूषण संस्कृत कालेज, वोलंगीर ।
१८. पारल कीमेदी संस्कृत कालेज ।

केरल

१९. आयुर्वेद कालेज, त्रिवेन्द्रम ।
२०. संस्कृत कालेज, श्रीपुनीथुरा ।
२१. माधव आयुर्वेद कालेज, एरणाकुलम ।
२२. केरालिया आयुर्वेद समाजम, शोरानुर ।
२३. आर्य वैद्य पाठशाला, कोट्यकल ।
२४. माधव मेमोरियल आयुर्वेद कालेज, कन्नमोर ।

पश्चिम बंगाल

२५. जामिनीभूषण अष्टांग आयुर्वेद विद्यालय, १७०, राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट, कलकत्ता ।
२६. श्यामदास वैद्यशास्त्रपीठ परिषद्, २९४/३/१ अपर सरकुलर रोड, कलकत्ता ।
२७. विश्वनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय, ९४, ग्रे स्ट्रीट, कलकत्ता ।

मैसूर

२८. गवर्नमेंट कालेज आफ इंडियन मेडिसन, मैसूर ।
२९. तारानाथ आयुर्वेद विद्यापीठ, वेल्लारी ।

राजस्थान

३०. आयुर्वेदिक कालेज, जयपुर (गवर्नमेंट) ।
३१. आयुर्वेदिक कालेज, उदयपुर (गवर्नमेंट) ।
३२. परसुरामपुरिया आयुर्वेदिक कालेज, सिकार ।
३३. सनातन धर्म आयुर्वेदिक कालेज, बीकानेर ।
३४. तिब्बिया कालेज, जयपुर ।

उत्तर प्रदेश

३५. आयुर्वेदिक कालेज, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ।
३६. आयुर्वेदिक कालेज, देहरादून ।
३७. स्टेट आयुर्वेद कालेज, लखनऊ ।
३८. ललितहरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत ।
३९. गुरुकुल आयुर्वेदिक कालेज, कांगड़ी, हरिद्वार ।
४०. ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालज, हरिद्वार ।
४१. झांसी आयुर्वेदिक कालेज, झांसी ।
४२. बुंदेलखण्ड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी ।
४३. तिब्बिया कालेज, मुसलिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ ।
४४. यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद ।
४५. तकमिल-उत-तिब कालेज, लखनऊ ।
४६. भारत तिब्बिया कालेज, सहारनपुर ।

बम्बई

४७. पुनर्वसु आयुर्वेद महाविद्यालय, पूना ।
४८. सुधा आयुर्वेद विद्यालय, सिओन, बम्बई ।
४९. नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर ।
५०. पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद शिक्षा केन्द्र, जामनगर ।
५१. आर० ए० पोदार, मेडिकल कालेज ।
५२. आयुर्वेद महाविद्यालय, अहमदनगर ।
५३. आर्य-आंग्ल वैदिक विद्यालय, सतारा ।
५४. ओ० एच० नाज़र महाविद्यालय, सूरत ।
५५. जोराभाई शंकरभाई महागुजरात आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, नदियाद ।
५६. अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, पूना ।
५७. करनाटक आयुर्वेद विद्यालय, बेलगांव ।
५८. शुद्ध आयुर्वेद विद्यालय, हुबली ।
५९. शुद्ध आयुर्वेद विद्यालय, नासिक ।
६०. शुद्ध आयुर्वेद विद्यालय, बीजापुर ।
६१. शुद्ध आयुर्वेद विद्यालय, हथिपोल, बड़ोदा ।

दिल्ली

६२. आयुर्वेदिक व यूनानी तिब्बिया कालेज, दिल्ली ।
६३. जामिया तिब्बिया कालेज, दिल्ली ।
६४. बनवारी लाल आयुर्वेदिक विद्यालय, दिल्ली ।

सहकारी चीनी मिलें

९१८. श्री ह० रा० नथानी : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में चीनी की मिल स्थापित करने के लिये कितनी सहकारी समितियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितने लाइसेंस दिये गये हैं ?

खाद्य मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : केवल एक आवेदन प्राप्त हुआ है ।

अभी तक कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है ।

उर्वरक

†**९१९. श्री बहादुर सिंह :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय नाइट्रोजन वाले उर्वरकों की कितनी मात्रा आयात की जाती है;

(ख) आयात किये हुए नाइट्रोजन वाले उर्वरक तथा देश में तैयार किये गये ऐसे उर्वरकों की कीमतों में प्रति टन कितना अन्तर है;

(ग) किन देशों से भारत इन उर्वरकों का आयात करता है;

(घ) क्या जिन देशों से उर्वरकों का आयात किया जाता है, उनकी प्रति टन कीमत बराबर होती है या भिन्न होती है; और

(ङ) किन देशों से आयात अधिकतम कीमत पर होता है और किन से न्यूनतम कीमत पर ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) १९५६ में निम्न मात्रा का आयात किया जा रहा है :

	टन
एमोनिया सल्फेट	२,००,०००
यूरिया ...	२३,९००
एमोनियम सल्फेट नाइट्रेट ...	२१,६००

(ख)

	आयात किये गए उर्वरक की लागत तथा भाड़े सहित औसत कीमत	भारतीय सामान का कारखाने का औसत मूल्य
	रुपये	रुपये
एमोनिया सल्फेट	३०५	२७५
यूरिया	६२०	इस समय भारत में इन का उत्पादन नहीं होता ।
एमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	४०७	

(ग) अमेरिका, इटली, पूर्वी जर्मनी तथा पश्चिमी जर्मनी ।

(घ) लागत व भाड़े सहित कीमत भिन्न-भिन्न है और बदलते हुए समुद्रीय भाड़े पर मुख्यतया आधारित है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

(ङ) एमोनियम सल्फेट के बारे में अमेरिका मे लागत व भाड़े सहित कीमत अधिकतम है और इटली मे आने वाले माल की कीमत न्यूनतम है यद्यपि अमेरिका में जहाज़ में लादने की लागत सहित कीमत सबसे कम है ।

यूरिया तथा एमोनियम सल्फेट नाइट्रेट क्रमश: इटली तथा जर्मनी से खरीदे गये थे ।

नगर आयोजन तथा प्रादेशिक योजनायें

†९२०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **योजना** मंत्री २० जुलाई, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में नागरिक तथा प्रादेशिक विकास की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) दामोदर घाटी प्रदेश के सर्वेक्षण की एक योजना को हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है और चालू वर्ष के दौरान में १ लाख रुपये की एक रकम उस प्रयोजन के लिये मंजूर की गई है ।

(ख) समस्त योजना पर लगभग ८·७ लाख रुपये की लागत आयेगी जिसमें २ लाख रुपये की राशि दामोदर घाटी निगम द्वारा दी जायेगी और शेष रकम योजना आयोग द्वारा दी जायेगी । सर्वेक्षण तीन वर्ष तक चलेगा ।

परिवार आयोजन

†९२१. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या १९५६-५७ के लिये समस्त देश के लिये परिवार आयोजन की ब्योरात्मक योजना तैयार कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितना धन आवंटित किया गया है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)**: (क) जी, हां ।

(ख) योजना के लिये १९५६-५७ के लिये ३० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है किन्तु अभी राज्यवार आवंटन नहीं किये गये हैं । राज्यों को अनुदान उनके द्वारा स्थापित किये गये परिवार आयोजन क्लिनिकों के आधार पर दिये जाते हैं ।

पंजाब में भूमिहीन मजदूर

†९२२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ के लिये पंजाब में भूमिहीन लोगों के पुनर्वास के लिये राज्य सरकार को कितनी मात्रा के अनुदान तथा ऋण मंजूर किये गये हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : १,३०,००० रुपये का एक अनुदान तथा २,२५,००० रुपये का एक ऋण मंजूर किया गया है ।

ढोर तथा गव्यशाला विकास

†९२३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ क दौरान में पंजाब राज्य को ढोर तथा गव्यशाला विकास के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : १९५६-५७ के दौरान ढोर सुधार योजनाओं पर १,९३,९२० रुपये केन्द्रीय सहायतानुदान के रूप में तथा ९,७५० रुपये ऋण के रूप में मंजूर किये गये हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने ढोर सुधार समस्याओं की गवेषणा के लिये ३,०२,२६९ रुपये की योजनायें मंजूर की हैं। गव्यशाला विकास सम्बन्धी योजनायें अभी राज्य-सरकार से प्राप्त नहीं हुई हैं।

पंजाब को प्रथम योजना में आवंटन

†९२४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इक़बाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **योजना** मंत्री सभा-पटल पर यह दिखाने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य को प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधीन विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कितनी रकमों के अनुदान तथा ऋण दिये गये और ३१ मार्च, १९५६ तक उनमें से कितनी राशियों का वास्तव में प्रयोग किया गया ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है और जब उपलब्ध हो जायेगी तो सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम

†**९२५. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन देश में स्थानीय प्रशासन को राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिये उत्तरदायी बनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो योजना को सफलता और प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) हां, श्रीमान्। पंचायतों से आरम्भ किया गया है।

(ख) निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

(१) राज्य-सरकारों से कहा गया है कि पंचायतों तथा अन्य स्थानीय स्वायत्तशासी निकायों के ग्राम विकास कार्य के पहलू पर जोर दिया जाये।

(२) पंचायत के पंचों को विकास कार्य करने के लिये तत्पर करने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

(३) समस्त खण्ड मंत्रणा समितियों में अब पंचायतों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है।

(४) इस बात पर सहमति हो गई है कि पंचायतें सहायतानुदानों में ग्राह्य मदों के बारे में २,००० रुपये तक की सीमा के विकास कार्य (योजना तथा क्रियान्विति) करने के लिये अधिकृत की जायें।

(५) एक व्यवस्था यह की गई है कि प्रतिवर्ष प्रति खण्ड में सामुदायिक विकास खण्ड के गहन काम के बाद की अवस्था में २५,००० रुपये सम्पूर्णतया पंचायतों तथा अन्य स्थानीय निकायों द्वारा ही व्यय किये जायें।

(६) स्वास्थ्य मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, जिसका काम केवल स्थानीय शासन के मामलों विशेषकर पंचायतों के मामलों को निपटाना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

यात्री मार्ग दर्शक

†९२६. **श्री झूलन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काशी विद्यापीठ तथा अन्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा, उनको विभिन्न रेलों पर यात्री मार्ग दर्शकों को सौंपे गए काम के बारे में संतुष्ट है; और

(ख) क्या इन स्नातकों ने, इस काम में अपना पूरा समय तथा शक्ति का पूर्ण उपयोग करने के बारे में कोई अभ्यावेदन भेजा है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां । जो काम उन्हें सौंपे गये थे ।

(ख) जी, नहीं ।

राजस्थान में जल-सम्भरण तथा जल निस्सारण योजनायें

†९२७. { **श्री करणी सिंह जी :**
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १९५२-५३, १९५३-५४, तथा १९५४-५५ में राजस्थान को नगरीय जल-सम्भरण तथा जल निस्सारण योजनाओं के लिये कितनी धनराशि का ऋण दिया गया; और

(ख) यह ऋण किन योजनाओं के लिये दिया गया था तथा इन वर्षों में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय जल-सम्भरण तथा सफाई कार्यक्रम १९५४–५५ में प्रारम्भ किया गया था । इसलिये १९५२-५३, तथा १९५३-५४ में राजस्थान के लिये नगरीय जल सम्भरण तथा जल निस्सारण योजनाओं के लिये ऋण देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । १९५४-५५ में भी राजस्थान को कोई ऋण नहीं दिया गया था ।

ओज़कावार में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

†९२८. **श्री वेलायुधन** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के ओज़कावार में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया है; और

(ख) यह धन किन मदों पर व्यय किया गया ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)**: (क) सितम्बर, १९५६ तक २·४४ लाख रुपये ।

(ख) कर्मचारी, पशुपालन, कृषि विस्तार, स्वास्थ्य, देहात की सफाई, समाज शिक्षा, संचार, सिंचाई, तथा देहाती कला, शिल्प तथा उद्योग ।

नेय्यातिन्करा में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड व सामुदायिक परियोजना

†९२९. **श्री वेलायुधन** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के नेय्यातिन्करा में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड व सामुदायिक परियोजना में पदाधिकारियों आदि के वेतन समेत कुल कितना धन अब तक व्यय हुआ है;

(ख) वहां काम करने वाले पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) खण्ड में कितनी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(घ) वहां समाज सुधार के कौन से काम किये गये हैं;

(ङ) देहाती जनता के लिये कितने नये मकान बनाये गये हैं; और

(च) ऋण के रूप में कितनी धनराशि किन कार्यों के लिये दी गई है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) ३१ अक्तूबर, १९५६ तक ४२·५ लाख रुपये ।

(ख)

परियोजना कार्यपालिका पदाधिकारी...	१
खण्ड विकास पदाधिकारी	२
सह-इंजीनियर	१
अधीक्षक (लोक-निर्माण-विभाग)	३
कृषि पदाधिकारी	३
समाज शिक्षा संगठनकर्त्ता ...	५
सहकारी निरीक्षक	२
शालिहोत्री पदाधिकारी ...	१
दूध न देने वाले पशुओं के फार्म प्रबन्धक	१
स्टाकमैन	३
ग्राम सेवक	३०
ग्राम सेविका	५

(ग) ६

(घ) स्त्रियों के कल्याण केन्द्रों का संगठन, सामुदायिक मनोविनोद केन्द्र, युवक क्लब (खेल-कूद के क्लब), युवा कृषक क्लब, वयस्क साक्षरता केन्द्र, ग्राम्य पुनर्निर्माण केन्द्र, सांस्कृतिक केन्द्र, तथा समाज सेवा शिवर, तथा दल आदि । ये ग्राम्य स्वास्थ्य तथा सफाई, कार्यक्रम के अधीन कार्यों के अतिरिक्त हैं, जैसे, चिकित्सा सहायता का उपबन्ध नये कुओं का निर्माण, तथा पुराने कुओं की सफाई, जल निस्सारण की व्यवस्था, गांवों की गलियों पर ईंटे बिछाना, पाखानों का निर्माण, तथा बिना धूएं के चूल्हों का बनाना, आदि ।

(ङ) ८०

(च)

औद्योगिक ऋण	१·०१ लाख रुपये
कृषि ऋण	३·५७ लाख रुपये

रेलवे यात्री मार्ग दर्शक

†**९३०. श्री भीखा भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलों पर अब तक कुल कितने रेलवे यात्री मार्ग दर्शक नियुक्त किये गये;

(ख) यात्री मार्ग दर्शिकाएं कितनी नियुक्त की गईं; और

(ग) उनके कार्य किस प्रकार के हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) २२० ।

(ख) ५२ ।

(ग) यात्री मार्ग दर्शक का मुख्य कार्य सामान्यतः यात्रियों की तथा मुख्यतया तीसरे दर्जे के यात्रियों की सहायता करना है जिससे इस बात का प्रबन्ध हो सके कि स्टेशन सीमा में तथा गाड़ियों में आवश्यक सुविधायें तथा आराम दिया जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पान की खेती

†९३१. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पान की खेती की योजनाओं की भारतीय-कृषि गवेषणा परिषद् की उद्यान विद्या समिति ने नई दिल्ली में २५ अक्तूबर, १९५६ को जांच की थी;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में इस समय पान की खेती हो रही है;

(ग) इस समय कुल कितने एकड़ खेती हुई है; और

(घ) क्या इस खेती की सुधार की कोई योजना है, यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां, उत्तर-प्रदेश मद्रास तथा मध्य-प्रदेश की पान की खेती सम्बन्धी गवेषणा की योजनाओं पर उद्यान विद्या समिति ने अक्तूबर, १९५६ में विचार कर लिया था ।

(ख) भारत के अधिकांश भागों में पान बोया जाता है ।

(ग) कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) विभिन्न राज्यों से प्राप्त योजनाओं के कार्य की मुख्य मदें, पान की उत्तम किस्म बनाना तथा पान के रोगों को रोकने के लिये प्रभावोत्पादक ढंग निकालना है ।

केरल में खाद्यन्नों की दुकानें

†९३२. **श्री वेलायुधन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में अब तक खाद्यान्नों की बिक्री के लिये कितनी थोक की तथा कितनी खुदरा दुकानें खोली गईं; और

(ख) राज्य में खाद्यान्नों के कितने गोदाम हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) थोक की दुकानें ... १९३

खुदरा दुकानें २,९३८

(ख) ४१, जिनमें से १९ केन्द्रीय सरकार के गोदाम हैं तथा शेष राज्य सरकार के गोदाम हैं ।

केरल राज्य में शीत भांडागार संयंत्र

†९३३. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में एक शीत भांडागार संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र किस स्थान पर लगेगा; और

(ग) संयंत्र कब प्रारम्भ किय जायेगा तथा यह गैर-सरकारी क्षेत्र में होगा अथवा सरकारी क्षेत्र में ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) जी, हां । छः संयंत्र स्थापित करने का विचार है ।

(ख) विझीजोम, कायमकुलम, एरणाकुलम, कोट्टायम, त्रिचूर तथा क्विलोन में ।

(ग) विझीजोम, कायमकुलम, एरणाकुलम तथा क्विलोन के संयंत्र १९५६-५७ में, कोट्टायम का संयंत्र १९५८-५९ तथा त्रिचूर का संयंत्र १९५९–६० में चालू हो जायेगें । सभी संयंत्र सरकारी क्षेत्र में होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पेरोटान द्वीप के लिये लाइटहाउस

†९३४. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के पेरोटान द्वीप के लिये, एक ब्रिटिश मार्थ ने एक लाइट-हाउस एसेम्बली बनाया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी कुल लागत कितनी है; और

(ग) लाइटहाउस–एसेम्बली की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी, हां। यंत्र को मैसर्स स्टोन चान्स लिमिटेड क्राडले, समेक्स, ब्रिटेन ने, भारत भांडार विभाग, लन्दन के महानिदेशक द्वारा आर्डर दिये जाने पर बनाया है ।

(ख) २,१२,००० रुपये

(ग) यंत्र की मुख्य बातें यह हैं :

१. प्रकाश का आकार––तीसरा आर्डर विशाल, ५०० एम/एम फोकल लैंग्थ

२. पेडेस्टल का प्रकार––मर्करी फ्लोट

३. प्रकाशपुंज––५५ एम/एम पैट्रोलियम वैपूर, ओटोफार्म मैन्टल बर्नर

४. प्रकाश का घुमाव––भार द्वारा संचालित घुमावदार यंत्र

५. लालटैन––८'–९-३/४" डायमीटर

६. आपटिकल परफौरमैंस– (१) स्थाई प्रकाशपुंज ८,८३,००० केन्डला;
(२) प्रकाश की अवधि, एक सेकेन्ड का ०·३५;
(३) प्रभावोत्पादक अथवा दीखनेवाली प्रकाशपुंज ४,९५,००० केन्डला;
(४) दीखने की दूरी––वातावरण ट्रान्समीशन फैक्टर ०·६ मे १९ मील

नरासारावपेट स्टेशन

†९३५. **श्री च० रा० चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नरासारावपेट स्टेशन पर जहां स्टेशन के कर्मचारी काम करते हैं उन कमरों में तथा प्लेटफार्म पर क्या पंखों की व्यवस्था की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : अभी तक नरासारावपेट स्टेशन पर पंखे लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

नागार्जुन सागर परियोजना क्षेत्र में मनोविनोद की सुविधायें

†९३६. **श्री च० रा० चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुन सागर बांध स्थान तथा इस परियोजना के कार्य क्षेत्रों के कर्मचारियों को काम के पश्चात् कुछ मनोविनोद की सुविधाओं की व्यवस्था की गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नागार्जुन सागर परियोजना बोर्ड द्वारा भारत सेवक समाज कार्य को कितना प्रोत्साहन मिला है तथा यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुए ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) और (ख). परियोजना प्राधिकारी सीनेमा हाल, रेडियो, रिकार्डों का संगीत जैसी मनोविनोद की सुविधाओं की व्यवस्था करने की ओर ध्यान दे रहे हैं।

(ग) इस समय लगभग २० लाख रुपये की भूमि की खुदाई का काम भारत सेवक समाज को सौंपने का विचार है। नहर के बायें किनारे पर ११·३ लाख रुपये के मूल्य की खुदाई का कार्य उनको दिया जा चुका है तथा प्रारम्भ हो चुका है।

भारत सेवक समाज को निम्नलिखित सुविधायें दी जायेंगी--

(१) जल संभरण, सफाई तथा चिकित्सा के प्रबन्ध किये जायेंगे।

(२) परियोजना प्राधिकारी द्वारा ऋतु के कार्य के २५ प्रतिशत का अग्रिम धन दिया जायेगा।

(३) कोई प्रत्याभूति अथवा बयाना नहीं लिया जायेगा।

(४) कार्य की ऋतु के समाप्त हो जाने पर कुल अग्रिम धन वापिस होगा।

नागार्जुन सागर परियोजना क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानें

†९३७. **श्री च० रा० चौधरी**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्राधिकारी नागार्जुन सागर परियोजना क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानें खोलने का कार्य कर रहे हैं जिससे उस क्षेत्र में खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ जाने से, नागार्जुन सागर परियोजना क्षेत्र के कर्मचारियों को बिना किसी रुकावट के खाद्यान्न मिल सकें?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: जी, हां। नागार्जुन सागर नियंत्रण बोर्ड के कहने पर नलगोंडा के जिलाधीश परियोजना क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानें खुलवाने के लिये कार्य कर रहा है।

विकास आयुक्तों का सम्मेलन

†९३८. **ठाकुर युगल किशोर सिंह**:
श्री देवगम:
श्री कामत:

क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री ५ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १३३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकास आयुक्तों के सम्मेलन की कौन सी सिफारिशें अब तक कार्यान्वित हो चुकी हैं;

(ख) अब तक कौन सी सिफारिशें कार्यान्वित नहीं हुई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)**: (क) से (ग). राज्य सरकारों के सम्बन्ध में विकास आयुक्तों के गत सम्मेलन की सिफारिशें, राज्यों में कार्यान्वित हो रही हैं। इस कार्यान्विति के सम्बन्ध में राज्यों से प्रतिवेदन मांगे गये हैं। अब तक केवल दो राज्यों ने अपने प्रतिवेदन भेजे हैं। विकास आयुक्तों के गत सम्मेलन की केन्द्रीय सरकार के बारे में सिफारिशें केवल पांच को छोड़ कर सभी कार्यान्वित हो चुकी हैं। वे पांच ये हैं। (१) खादी कार्य में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, (२) आदिम जाति क्षेत्रों क लिये कार्यक्रम, (३) प्रशिक्षण तरीकों तथा प्रशिक्षण प्रविधि की परीक्षा, (४) ग्राम सेवकों आदि के लिये प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम तथा (५) ग्राम सेवकों के रिकार्डों का पुनरीक्षण/सिफारिशों कीं इन पांचों मदों को लागू करने का कार्य किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

बिहार में भूमिहीन मजदूरों का पुनर्वास

†९३९. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २५ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में भूमिहीन मजदूरों के पुनर्वास की योजना तब से केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुई है; और

(ख) उस प्रयोजन के लिये बिहार राज्य को १९५६–५७ में कितना अनुदान और ऋण मंजूर किया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) बिहार सरकार से अभी तक कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है । भूदान की १ लाख एकड़ जमीन पर भूमिहीन मज़दूरों के पुनर्वास के लिये बिहार भूदान समिति ने १ करोड़ रुपये वित्तीय सहायता की मांग की है ।

(ख) इस प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

"अवध-तिरहुत मेल" का पुनर्नामकरण

†९४०. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कानपुर और सिलिगुड़ी के बीच अभी हाल में चालू की गई सीधी रेलगाड़ी का नाम "अवध-तिरहुत मेल" के बजाय "दार्जिलिंग मेल" रखने का सरकार का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जी, नहीं ।

इलाहाबाद और सिलीगुड़ी के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी

†९४१. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर और छपड़ा के यात्रियों की सुविधा के लिये इलाहाबाद और सिलीगुड़ी के बीच एक नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी चालू करने और उसे "दार्जिलिंग एक्स्प्रेस" नाम देने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे कर्मचारियों के काम करने के घंटे

†९४२. **श्री वेलायुधन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल, टिकट और पार्सल लिपिकों की श्रेणियों के लिये कोई उचित काम विश्लेषण किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इन श्रेणियों के कर्मचारी अब भी बहुत अधिक काम कर रहे हैं और वे ८-१/२ घंटे के बजाय १० घंटे काम कर रहे हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इन कर्मचारियों को दोपहर के भोजन की कोई छुट्टी नहीं दी जाती और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) क्रमशः "अनवरत" या "आवश्यकरूप मे सविश्राम" वर्गीकरण के अनुसार सामान्यतया कर्मचारी ८ से ८-१/२ घंटे या १२ घंटे काम करते हैं ।

(ग) कर्मचारियों की कार्य-सूची में दोपहर के भोजन की छुट्टी की कोई व्यवस्था नहीं है, जो काम के घंटे विनियमों के अनुसार बनायी जाती हैं ।

रेलों के माल, टिकट और पार्सल क्लर्क

†**९४३. श्री वेलायुधन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल, टिकट और पार्सल क्लर्कों की श्रेणियों में अनेक स्थायी और अस्थायी पद खाली पड़े हुए हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि छुट्टी के लिये रक्षित कर्मचारियों से इन रिक्त पदों पर काम लिया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उनके कारण कर्मचारियों को छुट्टी नहीं दी जाती ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) छुट्टी के लिये रक्षित कर्मचारियों से कभी-कभी काम लिया जाता है परन्तु इस कारण कर्मचारियों की छुट्टी सामान्यतया अस्वीकार नहीं की जाती ।

रेलवे कर्मचारियों के लिये छुट्टियां

†**९४४. श्री वेलायुधन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि माल, टिकट और पार्सल लिपिकों को राजपत्र घोषित छुट्टियां नहीं दी जातीं और न ही उनके बजाय उन्हें कोई क्षतिपूर्ति दी जाती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जी, हां ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में यात्रियों को सुविधाएं

†**९४५. श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में दक्षिण-पूर्व रेलवे के स्टेशनों पर स्टाल, प्लैटफार्म, बैंच, स्वच्छ पेशाबघर और शौचालयों जैसी यात्री सुविधायें देने के विषय में सुधार करने की कोई व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). दूसरी पंचवर्षीय योजना में, रेल के यात्रियों की सुविधाओं जैसे स्टाल, प्लैटफार्म बैंच, स्वच्छ पेशाबघर और शौचालय आदि की व्यवस्था पर खर्च के लिये दक्षिण-पूर्व रेलवे को कुल २·०२ करोड़ रुपये दिये गये हैं । अलग-अलग काम प्रत्येक स्टेशन की आवश्यकताओं की तुलनात्मक अविलम्बनीयता के अनुसार यात्री सुविधा समिति के परामर्श से मंजूर किये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मलाबार के स्टेशनों पर बिजली लगाना

†**९४६. श्री अ० क० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को मलाबार (केरल राज्य) के मुख्य रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाने के लिये अपर्याप्त विद्युत् के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी, हां । कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) प्रत्येक मामले में, बिजली लगाने में सुधार करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की गई है ।

एजहीमलाई का पत्तन

†**९४७. श्री अ० क० गोपालन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि केरल राज्य के मलाबार जिले में कन्ननूर के आगे एजहीमलाई में एक प्राकृतिक बन्दरगाह है; और

(ख) यदि हां, तो क्या दूसरी योजना की अवधि में या उसके बाद इस पत्तन का विकास करने का सरकार का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). छोटे पत्तनों का विकास करना मुख्यत: राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व होता है । केरल सरकार ने यह सूचित किया है कि एजहीमलाई में कोई प्राकृतिक बन्दरगाह नहीं है और वह उसके विकास की किसी प्रस्थापना पर विचार नहीं कर रही है ।

पन्तालयिनि पर डाक गाड़ियों का रुकना

†**९४८. श्री अ० क० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के पन्तालयिनि स्टेशन पर डाक गाड़ियां रोकने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो उस विषय में सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस स्टेशन पर एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था करने के लिये पर्याप्त यातायात का कोई उचित आधार नहीं है ।

रेलों में चिकित्सा कर्मचारीगण

†**९४९. श्री साधन गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों में चिकित्सा-कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु ५५ से बढ़ाकर ६० वर्ष कर दी जायगी; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

औषधि अधिनियम

†१५०. **श्रीमती जयश्री** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि किसी राज्य ने औषधि अधिनियम, १९४० को संशोधित करने के लिये कोई प्रस्थापना भेजी है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : अधिनियम के संशोधन की प्रस्थापनायें मद्रास और बम्बई सरकार से निम्न रूप में प्राप्त हुई हैं :

बम्बई :

राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि औषधि अधिनियम, १९४० की धारा २२ का संशोधन किया जाये ताकि जब कभी औषधि निरीक्षकों को यह विश्वास हो कि नकली **औषधियां बनायी** जाती हैं, तो उन्हें अभिलेख, व्यंग चित्र ब्लाक आदि और उस मकान को जब्त करने की शक्ति दी जा सके ।

मद्रास :

(१) राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि जब औषधियां निम्नस्तर की सिद्ध हो जायें तब उन औषधियों को जब्त करने के लिये औषधि अधिनियम १९४०, की धारा ३१ का संशोधन किया जाये चाहे ऐसी औषधियां रखने वाले व्यापारी को दण्ड दिया जाय या नहीं ।

(२) राज्य सरकार ने प्रस्ताव किया है कि राज्यों के सरकारी विश्लेपकों का प्रमाणपत्र केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र से रद्द भले ही न हो किन्तु प्रतिपक्षी की ओर से उसे साक्ष्य समझा जाय और न्यायालय बिना भेदभाव के समान आधार पर प्रमाणपत्रों की शुद्धता पर विचार करे ताकि मामले का उसके गुणदोषों के आधार पर निश्चय किया जा सके । प्रस्थापना में औषधि अधिनियम, १९४० की धारा २५(४) के संशोधन का सुझाव है ।

रेलों में भोजन व्यवस्था

†१५१. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे क्षेत्र में वाल्टेयर-रायपुर रेलवे लाइन के स्टेशनों पर उपहार-गृह और चाय के स्टाल चलाने के लिये लाइसेंस फीस की दर बहुत ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो लाइसैंस फीस किस कसौटी के आधार पर निर्धारित की जाती है;

(ग) सीतानगरम् जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन पर उपाहार-गृह या चाय का स्टाल न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को उसके लिये कोई मांग प्राप्त हुई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) लाइसैंस फीस साधारणतया स्टेशन का महत्व, यातायात के परिमाण और स्टेशन पर रुकने वाली गाड़ियों की संख्या को ध्यान में रखते हुये निर्धारित की गयी है ।

(ग) सीतानगरम् स्टेशन पर उपाहार-गृह के लिये कोई औचित्य नहीं है । २ अप या ३ डाउन रेलगाड़ियों में से कोई भी वहां भोजन के समय नहीं पहुंचती ।

सीतानगरम् स्टेशन पर चाय का एक स्टाल है जो अप्रैल, १९५६ से खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी उपयुक्त ठेकेदार उसे चलाने के लिये तैयार नहीं हो रहा है, यद्यपि दो बार आवेदन पत्रों की मांग की गयी है ।

अब फिर तीसरी बार भी आवेदन पत्र मांगे गये हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

गुडारी (उड़ीसा) में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

†९५२. **श्री संगण्णा** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरापुट जिले (उड़ीसा) के गुडारी में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड का काम प्रस्थापित वंशधारा नदी परियोजना के कारण बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे जिले में और कहीं स्थानान्तरित करने की कोई प्रस्थापना है; और

(ग) वह नयी जगह कौन सी होगी ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सोनपुर मेला

†९५३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष और पिछले दो वर्षों में सोनपुर के मेले में उत्तर-पूर्व रेलवे से कितने यात्री आये गये; और

(ख) इस वर्ष और पिछले दो वर्षों में, विशेषकर यात्री सुविधाओं के सम्बन्ध में, रेलवे की ओर से क्या सामान्य व्यवस्था की गयी थी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८८]**

कटिहार जंकशन से गाड़ियों का देर से चलना

†९५४. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटिहार जंक्शन से चलने वाली कुछ गाड़ियां घण्टों देर से चलती हैं; और

(ख) यदि हां, तो गाड़ियां देर से चलने की इस अनियमिता के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी, हां ।

(ख) सम्बन्धित सवारी गाड़ियों के ठीक समय पर आने-जाने में सुधार करने के सम्बन्ध में काफी प्रयत्न किया गया है । सभी यात्री सुविधाओं में, जिसमें गाड़ियों का ठीक समय पर आना जाना शामिल है, सुधार करने की दृष्टि से कटिहार स्टेशन पर एक वरिष्ठ अधिकारी रखा जा रहा है ।

बीकानेर स्टेशन पर यात्री सुविधायें

९५५. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों को बढ़ाने और उन पर छत बनाने तथा प्रतीक्षालयों और तांगा स्टेण्ड के निर्माण के लिये भूमि अर्जित करने के लिये कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) बीकानेर स्टेशन के प्लेटफार्म के विस्तार की कोई योजना नहीं है, लेकिन १९५६–५७ में उस पर छत लगाने का कार्यक्रम बनाया गया है। म्युनिस्पल बोर्ड को लिखा गया है कि स्टेशन के सामने की जमीन तांगा व मोटर अड्डा बनाने के लिये दे दें; लेकिन अभी तक उन्होंने इसकी मंजूरी नहीं दी है।

(ख) आशा है ३१ मार्च, १९५८ तक प्लेटफार्म पर छत की व्यवस्था हो जायेगी।

भटिन्डा और बीकानेर रेलवे लाइन

९५६. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटिन्डा और बीकानेर के बीच बड़ी लाइन बिछाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो वह कब तक क्रियान्वित हो जायेगी ?

रेलव तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

बीकानेर शहर में रेल के फाटक

९५७. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर शहर में रेल के कितने फाटक हैं;

(ख) बीकानेर और लालगढ़ के बीच प्रति दिन जाने वाली यात्री रेलगाड़ियों तथा माल-गाड़ियां, शंटिंग इंजनों, मजदूरों की रेलगाड़ियों, इंजनों और ट्रालियों की औसत संख्या कितनी है और रेलवे बुकिंग गेट से होकर जाने वाला रास्ता एक दिन में कितनी बार बन्द होता है;

(ग) बीकानेर और लालगढ़ के बीच यात्रा करने के लिये रेलगाड़ियों को सामान्यतः कितना समय लगता है;

(घ) क्या यह सच है कि इन फाटकों के सामान्यतया पन्द्रह से लेकर बीस मिनट और कई बार लगातार आधे घण्टे तक बन्द रहने के फलस्वरूप सड़कें बन्द रहती हैं और लोगों को तकलीफ होती है इसके कारण प्रति दिन हजारों नागरिकों का घण्टों नुकसान होता है;

(ङ) प्रतिदिन सड़कें कुल कितने घण्टे बन्द रहती हैं;

(च) क्या यह सच है कि रेलवे बुकिंग गेट के बन्द रहने के कारण लोग समय रहते स्टेशन नहीं पहुंच पाते और वांछित रेलगाड़ी से यात्रा नहीं कर पाते; और

(छ) यदि उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्य-वाही करना चाहती है ?

रेलव तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ५ समपार जिनमें से ३ पर चौकीदार हैं और २ पर नहीं।

(ख)

सवारी गाड़ियां	६
माल गाड़ियां	३
शंटिंग इंजन ...	२४
मजदूरों की रेल गाड़ियां	२
ट्रालियां ...	२

दिन भर में औसतन ३७ बार फाटक बन्द किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) गाड़ियों को बीकानेर और लालगढ़ के बीच आम तौर पर दस-पन्द्रह मिनट लगते हैं।

(घ) चौकीदार वाले समपारों के फाटक गाड़ी गुजरने के समय ५ से १० मिनट तक बन्द रखे जाते हैं।

(ङ) दिन भर में लगभग ५ घण्टे सड़कें बन्द रहती हैं।

(च) जनता के स्टेशन पहुंचने में कोई रुकावट नहीं होती। फाटक बन्द होने पर वे हास्पिटल रोड के लम्ब रास्ते से होकर या समपार की चकरी से होकर फाटक को पैदल पार करके जा सकते हैं।

(छ) बीकानेर और लालगढ़ के बीच रेलवे लाइन का रास्ता बदलने और बीकानेर स्टेशन को दूसरी जगह हटाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

मेरता रोड स्टेशन का मन्दिर

९५८. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६० वर्ष पूर्व हरिजनों द्वारा मेरता रोड स्टेशन के निकट बनाये गये श्री रामदेव जी के मन्दिर की चहारदीवारी जोधपुर के डिवीजनल सुपरिटेंडेंट के कार्यालय के आदेश से बिना पूर्व-सूचना के गिरा दी गयी है;

(ख) क्या स्थानीय हरिजनों ने इसके विरोध मे अभ्यावेदन के लिये कुछ तार भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). जी, हां। इस मामले की जांच की गयी थी। मेरता रोड में रेलवे की जमीन पर एक मन्दिर है जो ३० साल पहले बनाया गया था सितम्बर, १९५६ में इस मन्दिर का विस्तार करने के उद्देश्य से कुछ स्थानीय लोगों ने एक पक्का कमरा बनाना शुरू किया। इस पर रेलवे ने तुरन्त कार्रवाई की और उस कमरे को उन्हीं लोगों से गिरवा दिया गया जो उसे बना रहे थे। लेकिन पुराने मन्दिर पर हाथ नहीं लगाया गया। वह ज्यों का त्यों बना है।

दिल्ली के सामुदायिक विस्तार सेवा खण्ड

९५९. श्री नवल प्रभाकर : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक विस्तार सेवा खण्ड विभाग ने दिल्ली के कितने ग्रामों में गत ४ वर्षों में पक्की गलियां बनवाई हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में सहायता के रूप में दी गयी राशि का ब्यौरा क्या है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) १०२ गांवों में पक्की गलियां बनाई गई थीं। गलियों की पूरी-पूरी तादाद मालूम नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) कुल इमदाद की रकम १;९५,८९८ रुपये है जिसकी तफसील नीचे है :

वर्ष	अलिपुर ब्लाक		नजफगढ़ ब्लाक		शाहदरा ब्लाक		मैहरोली ब्लाक		कुल	
	ग्रामों की संख्या	रकम रु०	ग्रामों की संख्या	रकम रु०	ग्रामों की संख्या	रकम रु०	ग्रामों की संख्या	रकम रु०	ग्रामों की संख्या	रकम रु०
१९५३-५४	१	४,५००	—	—	—	—	१	७,६००	२	१२,१००
१९५४-५५	१९	४७,५६३	५	१३,७१५	३	९,३५०	१	७२७	२८	७१,३५५
१९५५-५६	३४	२९,५८९	२४	५१,७५०	१०	२३,९३०	४	७,१७४	७२	१,१२,४४३
	५४	८१,६५२	२९	६५,४६५	१३	३३,२८०	६	१५,५०१	१०२	१,९५,८९८

नोट : १९५२-५३ में कोई रकम नहीं दी गई ।

दिल्ली में सामुदायिक भवन (चौपाल)

९६०. श्री नवल प्रभाकर : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत ४ वर्षों में दिल्ली विस्तार सेवा खण्ड के क्षेत्र में अब तक कुल कितने सामुदायिक भवन (चौपाल) बनाये गये हैं जिनके निर्माण के लिये सहायता दी गयी; और

(ख) सहायता के रूप में दी गयी राशि का ब्योरा क्या है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) ७९

(ख) कुल २,०१,२६२ रुपये की रकम सहायता के रूप में दी गई थी जिसकी तफसील नीचे दी गई है :

वर्ष	अलिपुर ब्लाक		नजफ़गढ़ ब्लाक		शाहदरा ब्लाक		मैहरोली ब्लाक		कुल	
	चौपालों की संख्या	रकम रु०	चौपालों की संख्या	रकम रु०	चौपालों की संख्या	रकम रु०	चौपालों की संख्या	रकम रु०	चौपालों की संख्या	रकम रु०
१९५३-५४	१	७,५००	—	—	—	—	—	—	१	७,५००
१९५४-५५	७	३०,६५२	५	१६,१७०	३	९,३५०	१	८,०००	१६	६४,१७२
१९५५-५६	१७	४१,९५०	२४	४७,८१५	१०	१४,८९५	११	२४,९३०	६२	१,२९,५९०
	२५	८०,१०२	२९	६३,९८५	१३	२४,२४५	१२	३२,९३०	७९	२,०१,२६२

नोट : १९५२–५३ में कोई खर्च नहीं किया गया था ।

उखाड़ी गई रेलवे लाइनें

†**९६१. श्री काजरोल्कर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले आठ वर्षों में कितनी रेलवे लाइनें उखाड़ी गई हैं; और

(ख) प्रत्येक लाइन के उखाड़े जाने के कारण क्या थे ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) पिछले ८ वर्षों में उनमें से कोई भी रेलवे लाइन नहीं उखाड़ी गई जो जनता के यातायात के काम में आती है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ग्रांट रोड स्टेशन

†९६२. **श्री काजरोल्कर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि पश्चिम रेलवे पर बम्बई नगर के बीच शहर में स्थित ग्रान्ट रोड स्टेशन अब पुराना हो गया है और अब इस योग्य नहीं रह गया कि इतनी अधिक संख्या में यात्री उस पर आसानी से और शीघ्रतापूर्वक आ जा सकें;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बाहर जाने का मार्ग संकरा होने और प्रतीक्षालयों की कमी तथा यात्रियों को अन्य सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण उन्हें अत्याधिक असुविधा होती है; और

(ग) क्या स्टेशन का आधुनिकीकरण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। जून, १९५५ में एक शिकायत यह की गई थी कि स्टेशन के नीचे प्लेटफार्म पर जो दो समपार की चकरियां बनी हुई हैं उन्हें एक साथ ही खुला न रखने के कारण अत्यधिक असुविधा होती है। दोनों समपार की चकरियों को खुला रहने की व्यवस्था करके यह चीज तत्काल ही ठीक कर दी गई थी।

(ग) जी, नहीं। इस स्थिति पर अन्य स्टेशनों के साथ-साथ यथासमय उन्हें नये नमूने की बनाने की सम्भाव्यता और वांछनीयता पर विचार किया जायेगा।

रेलों में खतरे की जंजीर का दुरुपयोग

†९६३. **सरदार इक़बाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में अब तक प्रत्येक खण्ड में विभिन्न रेलों पर जंजीर का दुरुपयोग करने के लिये कितने व्यक्तियों का चालान किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जनवरी, १९५६ से सितम्बर, १९५६ के दौरान में खतरे की जंजीर का दुरुपयोग करने पर जिन व्यक्तियों का चालान किया गया उन की संख्या :

मध्य	५७
पूर्वोत्तर	५२
उत्तर	४३
दक्षिण-पूर्व	७१
पूर्वी ...	१५७
पश्चिमी	२४
दक्षिण	१०२

†मूल अंग्रेजी में।

यात्री सुविधायें

†**९६४. श्री भीखा भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों वाले डिब्बों में इस समय यूरोपीय ढंग के कमोडों को भारतीय ढंग के शौचालयों में बदल देने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी, हां ।

(ख) कुछ डिब्बों में पहले से ही ऐसे शौचालय बने हुए हैं जिनमें कमोड व मलपात्र हैं। ऐसे शौचालयों में और अधिक सुधार करने के बारे में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

मोरवी-टंकारा रेलवे लाइन

†**९६५. डा० ज० न० पारिख** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र (पश्चिम रेलवे) के टंकारा की जनता के पास से मोरवी और टंकारा के बीच की विद्यमान तंग लाइन को बदल कर उसमें सुधार कर उसे छोटी लाइन बना देने और उसे राजकोट तक बढ़ा देने के बारे में कोई ज्ञापन अथवा प्रार्थना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह प्रस्ताव वित्तीय दृष्टि से उचित नहीं है । अधिकतर यातायात सड़क से होता है ।

सड़क दुर्घटनायें

†**९६६. श्री हेम राज** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५६ के दौरान में मध्य प्रदेश की पहाड़ी सड़कों पर अधिक संख्या में मोटर दुर्घटनायें हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने लोग घायल हुए ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी, हां ।

(ख) जहां तक हिमाचल राज्य यातायात की मोटर गाड़ियों का सम्बन्ध है, सूचना निम्न प्रकार से है :

(१) मृत्यु संख्या	...	२९
(२) घायल व्यक्तियों की संख्या	...	८७

गर-सरकारी व्यक्तियों की मोटर गाड़ियों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

लक्ष्मीपुर हाल्ट स्टेशन

†**९६७. श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के लक्ष्मीपुर हाल्ट को झंडी दिखाने वाले स्टेशन में बदल देने के बारे में अन्तिम रूप से स्वीकृति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो झंडी दिखाने वाले कथित स्टेशन का बनना कब से आरम्भ करने का निश्चय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) १९५७-५८ के निर्माण कार्यक्रम में इस कार्य के लिये व्यवस्था कर दी गई है ।

रेलवे बोर्ड

†**९६८. श्री भोखा भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले रेलवे बोर्ड कार्यालय में तृतीय श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी थे; और

(ख) स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने के पश्चात् यह संख्या उसकी तुलना में कितनी हो गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ५६० (३१-७-४७ को) ।

(ख) १,०१२ (३०-११-५६ को) ।

इंजन तथा डिब्बा शेड, बिलासपुर

†**९६९. श्री भोखा भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४, १९५५ और १९५६ में अब तक दक्षिण-पूर्व रेलवे के इंजन तथा डिब्बा शेड, बिलासपुर में चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं; और

(ख) नियुक्त किये गये लोगों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जाति के कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८९]**

पठानकोट-अमृतसर ब्रांच लाइन

९७०. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० नवम्बर, १९५६ को रात में पठानकोट-अमृतसर ब्रांच लाइन की एक फिश-प्लेट हटा दी गयी थी और एक गैंगमैन के प्रयास से वहां दुर्घटना नहीं होने पाई; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही और जांच की गयी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). २८-११-५६ की दोपहर को लगभग १ बजे न कि ३० नवम्बर, १९५६ की रात को जैसा कि सवाल में कहा गया है—निरीक्षण करते हुए चाबी रखने वाले ने देखा कि उत्तर रेलवे के बटाला कादियां सेक्शन में ७/१२–१३ मील पर फिश-प्लेटों का एक जोड़ा चारों फिशबोल्टों समेत गायब है । उसने फौरन पटाखे रख कर और खतरे का सिगनल दिखा कर उस जगह का बचाव किया । सभी सम्बन्धित अधिकारियों को इस घटना की सूचना तुरन्त दे दी गयी और बटाला के सहायक रेलपथ निरीक्षक ४ ए० बी० क्यू गाड़ी से वहां के लिये रवाना हुए । पटरी को ठीक करने के बाद उन्होंने २८-११-५६ को शाम के ६ बज कर १८ मिनट पर उस जगह से गाड़ी गुजरने की इजाजत दी । चौकसी के लिये इस क्षेत्र में एक गश्ती दस्ता नियुक्त कर दिया गया । रेलवे पुलिस अपराधियों को खोजने और उनके इरादे का पता लगाने के लिये जांच कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

रानीपत रेलवे स्टेशन

†९७१. { **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
श्री रामचन्द्र रेड्डी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रानीपत रेलवे स्टेशन को मद्रास और बंगलौर के बीच मुख्य लाइन पर लाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या १९३० में ही ऐसा करने का प्रस्ताव किया गया था ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) दक्षिण रेलवे ने इस प्रस्ताव की जांच की थी, किन्तु वित्तीय रूप से यह उचित नहीं समझा गया ।

(ख) इस प्रस्ताव पर १९३४ से समय-समय पर विचार किया जाता रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९५६]

		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	...	११६७–८८

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	
११६९	दिल्ली में देशी चिकित्सा प्रणाली	११६७
११७०	केरल में ग्राम स्वास्थ्य योजनायें	११६८–६९
११७१	योजना गोष्ठियां	११६९–७०
११७२	होम्योपैथी ...	११७०
११७३	महिला ग्राम सेविकायें	११७०–७१
११७४	नमूने के मकान	११७१–७२
११७५	इंजन और डिब्बे	११७२–७३
११७८	बाढ़ से हुई क्षति ...	११७३–७४
११७९	महेन्द्रू घाट स्टीमर स्टेशन	११७५
११८०	रेलवे के अस्थायी कर्मचारी	११७५–७६
११८१	पश्चिमी बंगाल के बांध	११७६–७७
११८४	मद्यनिषेध जांच समिति ...	११७७–७८
११८६	टिड्डियों के बारे में अनुसन्धान ...	११७८–७९
११८९	पाकिस्तान से नहरी पानी की कीमत	११७९–८०
११९०	सामुदायिक परियोजनाओं सम्बन्धी डा० टेलर का प्रतिवेदन	११८०–८२
११९१	बानिहाल सुरंग	११८२
११९२	डूंगरपुर-बांसवाडा-रतलाम रेलवे लाइन ...	११८२–८३
११९३	मछली पकड़ने की नौकायें	११८३–८४
११९४	कलकत्ता निगम	११८४
११९६	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के प्रादेशिक केन्द्र ...	११८४–८५
११९७	यात्रियों को सुविधायें	११८५–८६
११९८	पौधों का बचाव ...	११८६
११९९	गीन क्षेत्र	११८७–८८
१२००	भ्रष्टाचार निरोधक संगठन, पश्चिम रेलवे ...	११८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर	...	११८८–१२२१

तारांकित

प्रश्न संख्या		
११७६	मंगई बाढ़ नियन्त्रण योजना	११८८
११७७	इंजन और डिब्बे ...	११८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
११८२	भाटक दलाल संथा	११८६
११८३	रेलगाड़ियों का देर से आना ...	११८६
११८५	बिहार के फार्म प्रबन्ध गवेषणा केन्द्र	११६०
११८७	रेल के डिब्बों की त्रुटिपूर्ण खिड़कियां	११६०
११८८	परियोजनायें और परियोजना पदाधिकारी	११६०
११६५	हावड़ा-नागपुर सवारी गाड़ी	११६१
१२०१	बीज के गोदाम ...	११६१
१२०२	कृषि प्रशिक्षण के लिये राकफैल्लर अधि-छात्रवृत्तियां	११६१
१२०३	उत्तर प्रदेश में बाढ़ से रक्षा	११६१
१२०४	सुन्दरबन का विकास	११६२
१२०५	भारत सेवक समाज	११६२
१२०६	नागार्जुन सागर परियोजना क्षेत्र में जल-संभरण	११६२
१२०७	रेलवे कर्मचारी और हड़तालें	११६२–६३
१२०८	हिल स्टेशन	११६३
१२०६	बीकानेर-दिल्ली मेल	११६३
१२१०	रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा	११६३–६४
१२११	रेल समुद्र समन्वय समिति	११६४
१२१२	चीन से चावल	११६४
१२१३	रेलवे कंडक्टर गार्डों के लिये वर्दियां	११६४–६५
१२१४	तुंगभद्रा बांध ...	११६५
१२१५	रेलवे यात्री सुविधायें	११६५
१२१६	पंजाब में गव्यशाला (डेरी) विकास योजना ...	११६५
१२१७	लाख का उत्पादन ...	११६५–६६
१२१८	त्रिवेंद्रम मेडिकल कालेज ...	११६६
१२१६	रेलवे स्टेशनों पर फलों की बिक्री	११६६
१२२०	बीकानेर स्टेशन को हटाना	११६६
१२२१	रेलवे यात्री सुविधाएं	११६७
८६५	नौवहन सम्बन्धी लक्ष्य	११६७

अतारांकित प्रश्न संख्या		
६१३	दिल्ली सड़क परिवहन सेवा	११६७–६८
६१४	कृषि तथा पशुपालन बोर्ड	११६६
६१५	रोहतक-पानीपत रेलवे मार्ग	११६६
६१६	रेलवे इंजन	११६६
६१७	आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा की शिक्षा...	...११६६–१२०१
६१८	सहकारी चीनी मिलें	१२०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
९१९	उर्वरक	१२०२–०३
९२०	नगर आयोजन तथा प्रादेशिक योजनायें	१२०३
९२१	परिवार आयोजन	१२०३
९२२	पंजाब में भूमिहीन मजदूर	१२०३
९२३	ढ़ोर तथा गव्यशाला विकास ...	१२०३–०४
९२४	पंजाब को प्रथम योजना में आवंटन	१२०४
९२५	राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम ...	१२०४
९२६	यात्री मार्ग दर्शक ...	१२०५
९२७	राजस्थान में जल-सम्भरण तथा जल निस्सारण योजनायें	१२०५
९२८	ओजकावार में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड	१२०५
९२९	नेय्यातिन्करा में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड व सामुदायिक परियोजना	१२०५–०६
९३०	रेलवे यात्री मार्ग दर्शक	१२०६
९३१	पान की खेती ...	१२०७
९३२	केरल में खाद्यान्नों की दुकानें ...	१२०७
९३३	केरल राज्य के शीत भांडागार संयन्त्र	१२०७
९३४	पेरोटान द्वीप के लिये लाइटहाउस	१२०८
९३५	नरासारावपेट स्टेशन	१२०८
९३६	नागार्जुन सागर परियोजना क्षेत्र में मनोविनोद की सुविधायें	१२०८–०९
९३७	नागार्जुन सागर परियोजना क्षेत्र में उचित मूल्य की दूकानें	१२०९
९३८	विकास आयुक्तों का सम्मेलन	१२०९
९३९	बिहार में भूमिहीन मजदूरों का पुनर्वास	१२१०
९४०	"अवध-तिरहुत मेल" का पुनर्नामकरण	१२१०
९४१	इलाहाबाद और सिलिगुड़ी के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी	१२१०
९४२	रेलवे कर्मचारियों के काम करने के घण्टे	१२१०–११
९४३	रेलों के माल, टिकट और पार्सल लिपिक	१२११
९४४	रेलवे कर्मचारियों के लिये छुट्टियां	१२११
९४५	दक्षिण-पूर्व रेलवे में यात्रियों को सुविधाएं	१२११
९४६	मलाबार के स्टेशनों पर बिजली लगाना	१२१२
९४७	एजहीमलाई का पत्तन	१२१२
९४८	पंतालयिनि पर डाकगाड़ियों का रुकना	१२१२
९४९	रेलों में चिकित्सा-कर्मचारीगण	१२१२
९५०	औषधि अधिनियम	१२१३
९५१	रेलों में भोजन-व्यवस्था ...	१२१३
९५२	गुडारी (उड़ीसा) में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड	१२१४
९५३	सोनपुर मेला	१२१४
९५४	कटिहार जंकशन से गाड़ियों का ेर से चलना	१२१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
६५५	बीकानेर स्टेशन पर यात्री सुविधायें	१२१४–१५
६५६	भटिन्डा और बीकानेर रेलवे लाइन	१२१५
६५७	बीकानेर शहर में रेल के फाटक	१२१५–१६
६५८	मेरता रोड स्टेशन का मन्दिर	१२१६
६५९	दिल्ली के सामुदायिक विस्तार सेवा खण्ड	१२१६–१७
६६०	दिल्ली में सामुदायिक भवन (चौपाल)	१२१७
६६१	उखाड़ी गई रेलवे लाइनें ...	१२१७–१८
६६२	ग्रान्ट रोड स्टेशन	१२१८
६६३	रेलों में खतरे की जंजीर का दुरुपयोग	१२१८
६६४	यात्री सुविधायें ...	१२१९
६६५	मोरवी-टंकारा रेलवे लाइन ..	१२१९
६६६	सड़क दुर्घटनायें ...	१२१९
६६७	लक्ष्मीपुर हाल्ट स्टेशन	१२१९–२०
६६८	रेलवे बोर्ड ...	१२२०
६६९	इंजन तथा डिब्बा शेड, बिलासपुर ...	१२२०
६७०	पठानकोट-अमृतसर ब्रांच लाइन	१२२०
६७१	रानीपत रेलवे स्टेशन	१२२१

M23LSD—190—14-2-58—GIPF

खण्ड ९ — अंक २३
१४ दिसम्बर, १९५६ (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड १०, १९५६
५ दिसम्बर
(~~१४ नवम्बर~~ से २२ दिसम्बर, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

चौदहवां सत्र, १९५६

(खण्ड १० में अंक १६ से ३० हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद खण्ड १०, ५ दिसम्बर से २२ दिसम्बर, १९५६]

पृष्ठ

अंक १६—बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७२५–२६

एक सदस्य के स्थान की रिक्ति ७२६–२९

केन्द्रीय विक्रय कर विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७२९–४५

खण्ड २ से १६ और १ ७३९–४४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७४४

लोक-प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७४५–५१

खण्ड २, ३ और १ ... ७४९–५१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ७५१

वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७५१–५४

३१९ डाउन एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के बारे में रेलवे के सरकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ७५४–७२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन ७७२

राज्य-सभा से सन्देश ७७२

दैनिक संक्षेपिका ७७३–७४

अंक १७—गुरुवार, ६ दिसम्बर १९५६

डा० अम्बेडकर का निधन ७७५–७९

दैनिक संक्षेपिका ७८०

अंक १८—शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७८१

अनुपूरक अनुदानों की मांगें ७८२

राज्य-सभा से सन्देश ७८२

कार्य मंत्रणा समिति—

चवालीसवां प्रतिवेदन ७८२

सभा का कार्य ७८२–८४

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ७८४

वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ... ७८४–८०१

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन ८०१–०२

बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ८०२

प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८०२–११

खण्ड २ और १ ८१०

पारित करने का प्रस्ताव ८११

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ८११–१२

खण्ड २ और १ ८१२

पारित करने का प्रस्ताव ८१२

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८१२–२३

खण्ड २ से १२ और १ ... ८२०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८२०–२३

मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८२३–२५

दैनिक संक्षेपिका ८२६–२७

अंक १९—शनिवार, ८ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ ८२९–३०

सभा का कार्य ८३०–३१, ८७२

बाट तथा माप प्रमापीकरण विधयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८३१–५३

खण्ड २ से १८ और १ तथा अनुसूची १ और २ ८५०–५३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८५३

सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८५३–६३

खण्ड २, ३ और १ ... ८६३

पारित करने का प्रस्ताव ... ८६३

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८६३–७१

खण्ड २ से ६ और १ ... ८७१

पारित करने का प्रस्ताव ८७१

दैनिक संक्षेपिका ८७३

पृष्ठ

अंक २०—सोमवार, १० दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८७५–७६
अनुपूरक अनुदानों की मांगें—रेलवे ८७६
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ८७६
कार्य मंत्रणा समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ... ८७७
लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ८७७
भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में
विचार करने का प्रस्ताव ... ८७७–९२५
खण्ड २ से ३४, खण्ड १ और अनुसूचियां ९०४–२२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ९२२
विद्युत् सम्भरण (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में
विचार करने का प्रस्ताव ९२५–३१
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) अधिनियम, १९४७
के बारे में आधे घंटे की चर्चा ... ९३१–३४
दैनिक संक्षेपिका ९३५–३६

अंक २१—मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९३७–३८
विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ९३८–६६
खण्ड २ से २९ और १ ... ९५९–६६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ९६६
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ९६६–७९
सभा का कार्य ९७९–८०
केन्द्रीय कृषि महाविद्यालय के बारे में आधे घंटे की चर्चा ९८०–८२
दैनिक संक्षेपिका ९८३

अंक २२—बुधवार, १२ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९८५–८६
देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य ९८६–८८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
छियासठवां प्रतिवेदन ९८८
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में याचिका ९८८

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन... ९८८–८९
सभा का कार्य ९८९–९०
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ९९०–१०३७
वित्त (संख्या २) विधेयक ... १०२३–२७
खण्ड २ से ४ और १, अनुसूची १ और २ ... १०२३–२६
पारित करने का प्रस्ताव १०२६
वित्त (संख्या ३) विधेयक १०२८–३७
खण्ड २ से ८ और १ ... १०२७–३७
संशोधित रूप से पारित करने का प्रस्ताव १०३७
रूस और पूर्वी यूरोप को भेजे गये सांस्कृतिक शिल्पमण्डल के बारे में आधे घण्टे की चर्चा १०३७–४३
दैनिक संक्षेपिका १०४४–४५

अंक २३—गुरुवार, १३ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०४७–४८
जानकारी के बारे में प्रश्न १०४८
जीवन बीमा निगम नियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव १०४९–६३, १०७०
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०५३–९८
सभा का कार्य ... १०८८
कार्य मंत्रणा समिति—
छियालीसवां प्रतिवेदन १०९८
दैनिक संक्षेपिका ... १०९९–११००

अंक २४—शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९५६

सभा का कार्य ११०१, ११४७–४८
राज्य-सभा से सन्देश ... ११०१
प्रेस परिषद् विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ११०१
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में याचिका ११०२
प्राक्कलन समिति
चौतीसवां प्रतिवेदन ११०२
केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ११०२
प्रादेशिक परिषद् विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... ११०२
संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... ११०३
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ११०३–३८
खण्ड २ से ३० और १ १११७–३७
पारित करने का प्रस्ताव ११३८

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
छियासठवां प्रतिवेदन ११३८
राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृतियां देने सम्बन्धी संकल्प ११३८–६०
नियम समिति—
छठा प्रतिवेदन ... ११५९
चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी संकल्प ११६०–६१
दैनिक संक्षेपिका ११६२–६३

अंक २५—सोमवार, १७ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११६५–६७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ११६७
राज्य-सभा से संदेश ११६८
कार्य मंत्रणा समिति—
छियालीसवां प्रतिवेदन ... ११६७–६८
केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ११६८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६-५७ ... ... ११६९–१२१०
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतनक्रम तथा अन्य सेवा की शर्तों के
निर्धारण के बारे में चर्चा १२१०–३४
दैनिक संक्षेपिका १२३५–३७

अंक २६—मंगलवार, १८ दिसम्बर, १९५६

आसाम में रुपया तेल समवाय की स्थापना के बारे में वक्तव्य १२३९–४०
सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२४०–४१
राज्य-सभा से सन्देश १२४१–४२
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
संशोधन सहित राज्य-सभा द्वारा वापस भेजे गये रूप में सभा-पटल
पर रखा गया १२४२
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
उन्नीसवां प्रतिवेदन ... १२४२
अनुपूरक अनुदानों की मांगें १९५६-५७ १२४२–५९
सभा का कार्य १२५१
विनियोग (संख्या ५) विधेयक–पुरःस्थापित किया गया १२५९
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेलवे) १९५६-५७ और
आधिक्य अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५३-५४ १२५९–८६
विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक–पुरःस्थापित किया गया १२८६

पृष्ठ

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १२८६

लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १२८६–९६

खण्ड २ से ५ और १ ... १२९३–९५

पारित करने का प्रस्ताव १२९५

लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिकायें) नियमों सम्बन्धी प्रस्ताव १२९६–१३०४

दैनिक संक्षेपिका १३०५–०६

अंक २७—बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६

अरियालूर ट्रेन दुर्घटना के सम्बन्ध में घोर उपेक्षा के आरोपों के बारे में वक्तव्य १३०७–०९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १३०९

राज्य-सभा से सन्देश १३०९–१०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सड़सठवां प्रतिवेदन १३१०

प्राक्कलन समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन ... १३१०

अनुपस्थिति की अनुमति १३१०–११

राजनीतिक दलों के लिये प्रसारण सुविधाओं के बारे में वक्तव्य १३१२–१३

विनियोग (संख्या ५) विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१३

विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१४

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१४

केरल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३१५–२८

खण्ड २, ३ और १ ... ... १३२७–२८

पारित करने का प्रस्ताव ... १३२८

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३२८–३०

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३३०–५३

खण्ड २ और १ ... ... १३४६–५१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३५१

कार्य मंत्रणा समिति—

सैंतालीसवां प्रतिवेदन १३५२–५३

भारतीय रुई के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों के बारे में चर्चा १३५३–६०

दैनिक संक्षेपिका ... १३६१–६२

पृष्ठ

अंक २८---गुरुवार, २० दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १३६३–६४

राज्य-सभा से सन्देश १३६४

दिल्ली (भवन निर्माण नियंत्रण) जारी रखना विधेयक—राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया १३६४

गन्दी बस्तियां (सुधार तथा हटाना) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया १४६४

दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ... १३६४

याचिका समिति
ग्यारहवां प्रतिवेदन १३६४

अन्य मंत्रियों की ओर से प्रश्नों के उत्तर देने की प्रक्रिया १३६५

बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ के बारे में वक्तव्य ... १३६५

कार्य मंत्रणा समिति—
सैंतालीसवां प्रतिवेदन ... १३६६

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३६६–७२
खण्ड २ और १ ... ... १३७०–७१
पारित करने का प्रस्ताव ... १३७२

प्रादेशिक परिषद् विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३७२–१४०९
खण्ड २ से ६६, अनुसूची और खण्ड १ ... १३८६–१४०८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... १४०८

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १४०९–२०

कोयला खानों में सुरक्षा सम्बन्धी उच्च शक्ति आयोग नियुक्त करने के बारे में प्रस्ताव १४२०–२८

दैनिक संक्षेपिका १४२९–३०

अंक २९—शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायता कार्य १४३१–३२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १४३२–३३

राज्य-सभा से सन्देश ... १४३३

अरियालूर ट्रेन दुर्घटना ... १४३३–३४

प्राक्कलन समिति—
पैंतीस से सैंतीस और चालीसवां प्रतिवेदन ... १४३४–३५

सभा का कार्य ... १४३५

	पृष्ठ
अनुपस्थिति की अनुमति	१४३५–३६
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१४३६–७२
खण्ड २ से १४, अनुसूची और खण्ड १	१४५३–७१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	१४७१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सड़सठवां प्रतिवेदन	१४७२
वृद्ध और दुर्बल व्यक्तियों के गृह विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	
मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१४७२–८०
नियम समिति	
सातवां प्रतिवेदन	१४८०
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—(धारा ८७ख को निकालना)	
विचार करने का प्रस्ताव ...	१४८०–९१
दैनिक संक्षेपिका	१४९२–९३

अंक ३०—शनिवार, २२ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—	
द्वितीय वेतन आयोग की नियुक्ति	१४९५–९६
केरल में काजू के कारखानों का बन्द होना	१४९६–९८
सभा-पटल पर रखे गय पत्र ...	१४९८–९९
राज्य-सभा से सन्देश ...	१४९९–१५०३, १५८१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१५०३, १५८१
प्राक्कलन समिति	
उन्तालीसवीं और इकतालीसवें से तैंतालीसवां प्रतिवेदन	१५०४
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
छठा प्रतिवेदन	१५०४
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
केरल में उचित मूल्य की दुकानें	१५०४–०५
नियम समिति—	
सातवां प्रतिवेदन ...	१५०५
एक सदस्य द्वारा निजी स्पष्टीकरण ...	१५०५–०६
सभा-पटल पर रखे गये पत्र के सम्बन्ध में	१५०६
सभा का कार्य ...	१५०६
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किया गया संशोधन स्वीकृत हुआ ...	१५०६–१५
दिल्ली (भवन-निर्माण-कार्य का नियंत्रण) जारी रखना विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ...	१५१५–२३
खण्ड २ और १ ...	१५२३
पारित करने का प्रस्ताव	१५२३

पृष्ठ

गन्दी बस्तियां (सुधार और सफाई) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १५२३–५८
खण्ड २ से ४०, अनुसूची और खण्ड १ १५५७–५८
पारित करने का प्रस्ताव ... १५५८
दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... १५५८–७९
खण्ड २ से ५ और १ १५७९
पारित करने का प्रस्ताव १५७९
आश्वासन समिति—
तीसरा प्रतिवेदन ... १५६२
एक सदस्य का त्यागपत्र १५६२
पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक—
विचार करने और पारित करने का प्रस्ताव ... १५७९–८१
संघ लोक-सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १५८१–९०
दैनिक संक्षेपिका ... १५९१–९४
चौदहवें सत्र का संक्षिप्त वृत्तान्त ... १५९५–९६

लोक-सभा

शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ मध्याह्न

सभा का कार्य

†**श्री गाडगील** (पूना मध्य) : मैं यह जानना चाहता हूं कि जीवन बीमा निगम कर्मचारियों की शिकायतों पर की जाने वाली २½ घंटे की चर्चा कब होगी ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : यह सब अध्यक्ष महोदय के हाथ में है वे जब चाहें मेरी सेवायें उपस्थित हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय संसद्-कार्य मंत्री ने कहा था कि अगामी सप्ताह इसके लिये कोई दिन निश्चित किया जायेगा । इसके लिये सोमवार रख लिया जाये । मैं इसके सम्बन्ध में संसद्-कार्य मंत्री से भी परामर्श करूंगा ।

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव :** मुझे सभा को राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्न सन्देशों की सूचना देनी है :

(१) "कि राज्य सभा अपनी १२ दिसम्बर, १९५६ की बैठक में मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक, १९५६ से, जिसे लोक-सभा ने २९ नवम्बर, १९५६ को पारित किया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है ।"

(२) "कि राज्य सभा ने अपनी ११ दिसम्बर, १९५६ की बैठक में प्रेस परिषद् विधेयक, १९५६ को पारित कर दिया ।"

प्रेस परिषद् विधेयक

†**सचिव** : श्रीमान, मैं प्रेस परिषद् विधेयक, १९५६ को राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखता हूं ।

†मूल अंग्रेजी में ।

साधु तथा सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक सम्बन्धी याचिका

†**सचिव** : मुझे यह सूचना देनी है कि श्री राधा रमण के साधु तथा सन्यासी (रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग) विधेयक, १९५६ के बारे में, जो २७ जुलाई, १९५६ को प्रस्तुत किया गया था एक हस्ताक्षर वाली याचिका प्राप्त हुई है ।

विवरण

साधु तथा सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक के सम्बन्ध में याचिका :

याचिका संख्या	हस्ताक्षर करने वाले	जिला या नगर	राज्य
७८	१	तिरुनेलवेला जिला	मद्रास

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

चौंतीसवां प्रतिवेदन

श्री ब० गो० मेहता (गोहिलवाड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन मंत्रालय के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का चौंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक*

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पंत)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केरल राज्य विधान मण्डल की विधान बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि केरल राज्य विधान मण्डल की विधान बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**पंडित गो० ब० पंत** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

प्रादेशिक परिषद् विधेयक*

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पंत)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ संघीय क्षेत्रों में प्रादेशिक परिषदों की स्थापना करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कुछ संघीय क्षेत्रों में प्रादेशिक परिषदों की स्थापना करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**पंडित गो० ब० पंत** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*भारत के असाधारण गजट, दिनांक १४-१२-५६, भाग २, अनुभाग २, पृष्ठ.....पर प्रकाशित ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित किया गया ।

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक*

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) अधिनियम, १९५३ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) अधिनियम, १९५३ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं ।

हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा भरण-पोषण विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा १३ दिसम्बर, १९५६ को श्री ह० व० पाटस्कर द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :

"कि हिन्दुओं में दत्तक-ग्रहण तथा भरण-पोषण सम्बन्धी विधि का संशोधन और समेकन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाय ।"

इसके लिये पहले ६ घंटे निश्चित थे, ३ घंटे ४५ मिनिट का समय लिया जा चुका है । एक घंटे का समय उपाध्यक्ष द्वारा दिया जा चुका है । इसलिये चर्चा के लिये ३ घंटे १५ मिनिट होंगे । और विवाद ३·३० पर समाप्त कर देगें । मंत्री महोदय उत्तर के लिये कितना समय लेंगे ?

†**विधि-कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)** : केवल २० मिनिट ।

†**अध्यक्ष महोदय** : १$\frac{1}{4}$ घंटा सामान्य चर्चा कर लें । मंत्री महोदय के उत्तर देने का समय इसके अतिरिक्त होगा । और लगभग १$\frac{1}{2}$ घंटा विधेयक के अन्य वाचनों के लिये रहेगा ।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : जब यह घोषणा हुई कि श्री पाटस्कर असैनिक उड्डयन मंत्री भी होंगे तो विचार था कि वह अब हिन्दुओं का लिहाज करेंगे, परन्तु निराशा हुई, विचार था कि विमानों में उड़ कर उनका दृष्टिकोण विशाल हो जायेगा परन्तु यह तो डाक्टर अम्बेदकर से भी बढ़ गये । इस प्रकार का दत्तक-ग्रहण विधेयक तो उन्होंने भी प्रस्तुत नहीं किया था । और मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव तथा दूसरे मित्रों से सहमत हूं कि यह समय के अनुकूल है । स्वयं मंत्री महोदय ने राज्य सभा में कहा है कि इस उत्तराधिकार अधिनियम के पारित होने पर लड़की को गोद लेना उतना आम नहीं होगा जितना रहा है । महामहोपाध्याय कोणे ने 'धर्मशास्त्र के इतिहास' में 'दत्तक-ग्रहण' के सम्बन्ध में निबन्धकारों की समालोचनाएं दी हैं । इस सम्बन्ध में बम्बई और बंगाल के रीति-रिवाज में भी भेद है । विधवा दत्तक-ग्रहण नहीं कर सकती । महाराष्ट्र और बंगाल के रीति रिवाज में भी अन्तर है । इसके बावजूद कोई अधिक अनिश्चितता नहीं रही । मैं पुनः कहता हूं कि धर्म निरपेक्ष राज्य में केवल हिन्दुओं के लिये ही कानून ठीक बात नहीं कही जा सकती । यदि आप समाज के हित में पुत्र-पुत्रियों का दत्तक-ग्रहण चाहते

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*भारत के असाधारण गजट, दिनांक १४-१२-५६, भाग २, अनुभाग २, में प्रकाशित ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित किया गया ।

[श्री नि० चं० चटर्जी]

हैं तो इसके लिये सभी साम्प्रदायों पर लागू होने वाला एकरूप कानून बनाइये। आप अपने संविधान और निदेशक तत्त्वों के विरुद्ध हैं। केवल हिन्दुओं के लिये ही क्यों कानून बनाया जा रहा है। इस प्रकार की कोई मांग भी तो नहीं थी। वैदिक काल से लेकर आज तक किसी ने भी लड़कियों को गोद लेने की बात न कही और सुनी है और न इस प्रकार की व्यवस्था की कभी मांग ही हुई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : हिन्दू विधि के अन्तर्गत गणिका पुत्री को गोद ले सकती है।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : मैं सामान्य हिन्दू समाज की चर्चा कर रहा हूं। यह प्रथा गणिकाओं में ही थी, और आमतौर पर इसे ठीक नहीं समझा जाता था। प्रगतिशील समाज और उच्च न्यायालयों ने इसकी निन्दा ही की है। दत्तक-ग्रहण अब कोई आवश्यक भी नहीं था परन्तु शायद वह अपने मतदाताओं को बताना चाहते हैं कि हिन्दू संहिता की अन्तिम कड़ी भी पूरी कर दी गयी है। यदि आप धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करते हैं तो आपको सभी नागरिकों के लिये संहिता बनानी चाहिये न कि केवल हिन्दुओं के लिये ही। और यदि हिन्दुओं की एकरूपता आपका लक्ष्य है तो परस्पर विरोधी रीति रवाजों को समाप्त करिये। यदि पुराने रीति रवाज चालू रहे तो इस संहिता का क्या लाभ ?

दत्तक-ग्रहण के खण्ड ७ में कुछ नवीनता भी है :

> "कि कोई भी हिन्दू पुरुष, जो नाबालिग नहीं, पुत्र और पुत्री को गोद ले सकता है। परन्तु यदि उसकी पत्नी जीवित है और वह संसार को त्याग कर सन्यासिन नहीं हो गयी, उसने हिन्दू धर्म नहीं त्यागा अथवा किसी साधिकार अदालत द्वारा पागल घोषित न की गयी हो तो उसकी राय आवश्यक है।"

मैं संसद् से पूछता हूं, क्या इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है ? इससे मुकदमेबाजी होगी और परिवारों के झगड़े बढ़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड ८ मेरी समझ में नहीं आया।

†**श्री पाटस्कर** : अधिनियम की योजना यह है। खण्ड ७ के साथ खण्ड ८ है, उसमें कहा गया है कि हिन्दू पुरुष किसी को गोद ले सकता है, परन्तु यदि उसकी पत्नी है तो इस दत्तक-ग्रहण में उसकी सहमति होनी भी आवश्यक है। अर्थात खण्ड ७ का सम्बन्ध इस बात से है कि क्या कोई हिन्दू पुरुष दत्तक-ग्रहण कर सकता है। इस सम्बन्ध में तो उपबन्ध रखा जा चुका है। अब हम हिन्दू स्त्रियों द्वारा दत्तक-ग्रहण करने की बात को लेते हैं। स्वाभाविक है कि जिस स्त्री का पति जीवित है, उसके मामले को छोड़ना पड़ेगा। यदि पति जीवित है, तो जब तक कि उसका विवाह सम्बन्ध समाप्त न हो जाये पत्नी कदापि दत्तक-ग्रहण नहीं कर सकती। अतः केवल ऐसी स्त्री को दत्तक-ग्रहण करने की अनुमति होगी जो स्वस्थ मस्तिष्क की है, अवयस्क नहीं है, अविवाहित है; अथवा यदि वह विवाहित है तो उसका विवाह सम्बन्ध समाप्त हो गया है या उसके पति का देहान्त हो चुका है, या पति ने पूर्णरूपेण संसार को त्याग दिया है या उसने धर्मपरिवर्तन कर लिया है, या वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत मन वाला घोषित किया जा चुका हो। अतः खण्ड ८ को खण्ड ७ के साथ ही पढ़ा जाये। तब मुझे विश्वास है कि मेरे विधि जीवि मित्र इस बात को अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : जी हां, हमने समझ लिया है। यदि उस विधि के अधीन एक विवाहित स्त्री को भी, जिसके पति ने अन्य धर्म स्वीकार कर लिया है, दत्तक-ग्रहण करने का अधिकार दिया गया है, तो यह ठीक ही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री पाटस्कर** : कभी-कभी कोई पति धर्म परिवर्तन कर लेता है। उसकी कोई सन्तान नहीं होती। ऐसी स्थिति में यदि उसकी पत्नी दत्तक-ग्रहण करना चाहे तो उसे वैसा करने की अनुमति है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यदि कोई विधवा दत्तक-ग्रहण कर सकती है तो विवाहित स्त्री क्यों नहीं कर सकती ?

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : एक विधवा स्त्री तो दत्तक-ग्रहण कर सकती है। एक विवाहित स्त्री जिसके पति जीवित हैं, वह भी दत्तक-ग्रहण कर सकती है परन्तु किन्ही विशेष शर्तों के अधीन। मैं यह पूछना चाहता हूं कि शर्तें लगाने की क्या आवश्यकता है ? ये सभी शर्तें विधेयक के खण्ड ७ में निहित हैं। जहां तक मैं समझता हूं इन शर्तों से तो कठिनाइयां बढ़ जायेंगी। मैं समझ नहीं सका कि यह खण्ड रखा क्यों गया है ? मुझे तो यह प्रतीत होता है कि सरकार दत्तक-ग्रहण करने के पीछे जो धार्मिक भावना है उसे मिटा कर धर्म निरपेक्ष भावना को प्रचारित करना चाहती है। यदि यही बात है तो दत्तक-ग्रहण करने का निर्णय करने का काम पति को ही सौंप दिया जाये। वह दत्तक-ग्रहण करने से पहले स्वाभाविक रूप से अपनी पत्नी से परामर्श तो लेगा ही। परन्तु यदि इस बात को एक शर्त के रूप में बना दिया जायेगा, तो उससे कई कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी।

मंत्री जी यदि इस रीति को धर्म निरपेक्ष बनाना चाहते हैं तो वे उसे पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष बनायें और खण्ड ११ के उपबन्ध को छोड़ दें, अन्यथा उससे कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी; उससे मुकदमे बाज़ी के मामले बढ़ जायेंगे। मैं कई प्रकार के उदाहरण दे कर यह सिद्ध कर सकता हूं कि इसके कारण से कई बार मुकदमे चले हैं, और अनेकों कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। वैसे तो हमारी धार्मिक दृष्टि से दत्तक-ग्रहण करने की तह में बड़े पवित्र तथा आध्यात्मिक विचार हैं, परन्तु यदि आप उस भावना से सहमत नहीं हैं, तो फिर 'लेने और देने' से सम्बन्ध रखने वाला इतना व्यापक उपबन्ध बनाने की आवश्यकता ही क्या है ? तब तो पण्डित ठाकुर दास भार्गव के सुझाव को मान लेना ही अच्छा है। आप इसके लिये एक पंजीबद्ध विलेख[1] करा लें और मामला खत्म है।

खण्ड १६ दत्तक-ग्रहण करने से सम्बन्ध रखने वाले पंजीबद्ध दस्तावेजों सम्बन्धी धारणा से है, परन्तु उन कागज़ों को प्रमाणित सिद्ध करने के लिये कई गवाहों की आवश्यकता होगी और फिर उसके परिणामस्वरूप कई प्रकार की उलझनें उत्पन्न हो जायेंगी। इसलिये यदि आप इस उपबन्ध के धार्मिक पहलू पर ही कुठाराघात कर देना चाहते हैं तो 'दत्त होमम्' को ही समाप्त कर दीजिये, सारी प्रक्रिया को धर्मनिरपेक्ष बना दीजिये और इस उद्देश्य के लिये एक रजिस्टर रख दीजिये।

जब भी किसी को गोद लिया जाता है तो उस समय सम्पत्ति देने का विचार तो होता ही है। इसके लिये एक पंजीकृत विलेख का कोई महत्त्व नहीं है, और साथ ही इस पर कोई अधिक व्यय नहीं आता परन्तु इस पर यह शर्त होनी चाहिये कि इसे तीन मास के अन्दर-अन्दर दरज करा दिया जाये।

लड़कियों के गोद लेने से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध से मेरा मौलिक मतभेद है। विवाह के पश्चात् तो लड़की का गोत्र बदल जाता है। वह पूर्णरूपेण दूसरे परिवार से सम्बद्ध हो जाती है, और उसका मूल गोत्र से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। यह बात हिन्दू समाज में आज तक नहीं सुनी गई। गोद लिया हुआ लड़का तो परिवार को निरन्तर चलाये रखने के लिये होता है, जबकि गोद ली गई लड़की विवाह के बाद दूसरे परिवार में चली जाती है तथा प्रत्येक विचार से उस परिवार की एकांगी हो जाती है।

जैसा श्री टेक चन्द्र जी ने कहा है, मैं इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गोद लने वाले पुरुष और दत्तक-ग्रहण की गई लड़की की आयु में काफ़ी अन्तर होना चहिये। यदि आयु का

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Registered deed.

[श्री नि० चं० चटर्जी]

अधिक अन्तर न हुआ तो उससे कई प्रकार की बुराइयों के पैदा हो जाने का डर है। अतः मेरा यह सुझाव है कि पहले तो लड़की को दत्तक-ग्रहण करने की व्यवस्था ही न हो, और यदि आपने करना ही है तो पुरुष और लड़की की आयु में अधिक अन्तर होना चाहिये। नहीं तो उससे कई बुराइयां उत्पन्न हो जायेंगी अतः इस सभा से प्रार्थना है कि वह इस बात पर गम्भीरता से विचार करे।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बात के परित्राण की भी तो कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे लड़कियां अनैतिक कार्यों के लिये खरीदी न जा सकें।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : मेरा कहना तो यह है कि दत्तक-ग्रहण करने वाले पुरुष और दत्तक-ग्रहण की गई लड़की की आयु में काफ़ी अन्तर होना चाहिये।

†**एक माननीय सदस्य** : उदाहरणार्थ ५१ और ३६ वर्ष की आयु।

†**अध्यक्ष महोदय** : पुरुष किसी भी आयु में बूढ़ा नहीं होता।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : इन सन्तति निरोधक उपचारों के दिनों में आपको चिन्ता क्यों है ?

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : जहां तक 'भरण-पोषण' सम्बन्धी अध्याय का सम्बन्ध है, इसमें ऐसी कई त्रुटियां हैं जिनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। खण्ड १८ के उपखण्ड (२) में लिखा हुआ है कि किसी भी हिन्दू पत्नी को अपने भरण-पोषण के सम्बन्ध में उस समय तक अधिकार रहेगा, जब तक कि उसका पति उसे जानबूझ कर उसकी इच्छा के विरुद्ध छोड़ देता है, या वह उस स्त्री के साथ अत्याचार-पूर्ण व्यवहार करता है जिससे वह अपने आपको असुरक्षित समझ कर छोड़ देती है।

अब ये बातें ऐसी हैं जिनका निर्णय करना बड़ा कठिन कार्य है। इसमें कई प्रकार की उलझनें उत्पन्न हो जायेंगी। अत्याचार होता है तो उसे यदि कोई हिन्दू स्त्री ऐसा अनुभव करती है कि उसे अपने पति से पृथक् रहने का अधिकार होना चाहिये तथा साथ ही उसे पोषण भत्ता भी मिलना चाहिये और यदि उसके पति की आय ३,००० रुपये या ४,००० रुपये प्रति मास हो तो उसके अपने विचारानुसार उसे अधिकार है कि वह कुछ अन्य बातों की भी माँग करे जिनका उसे अधिकार है। उनके पूरा न होने की अवस्था में उसे अपने पति से अलग होने तथा भरण-पोषण भत्ता मांगने का अधिकार है।

अब मैं आपका ध्यान खण्ड १८ (२) के उपखण्ड (घ) की ओर आकर्षित करूंगा, जिसमें लिखा गया है कि "यदि कोई ऐसा कारण हो जिससे उसका पृथक् रहना न्यायोचित सिद्ध हो"। मेरे विचार से इस खण्ड को हटा दिया जाय अथवा यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी जाय कि 'सजातीय' शब्द से क्या तात्पर्य है। वस्तुतः पत्नी को संभावित अत्याचारों से बचाने की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। इसलिये इस पोषण अध्याय पर अधिक ध्यान दिया जाय।

वस्तुतः आपने हिन्दू संहिता के अन्य भागों को भी भूतलक्षी नहीं बनाया है। इसीलिये आज भी एक से अधिक विवाहों को मान्यता प्राप्त है। अब यदि इनमें से कोई पत्नी अपने पति का परित्याग कर देवे और कहे कि खण्ड १८ (२) (घ) के अधीन वह पृथक् रहना चाहती है तो बेचारे पति को उसे पोषण भत्ता देना होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह भी संभव है कि वह जानबूझ कर एक विवाहित व्यक्ति से विवाह कर ले और अन्त में उसे त्याग कर निर्वाह भत्ते की मांग करे।

श्रीमती सुषमा सेन (भागलपुर—दक्षिण) : परन्तु भविष्य में ऐसा नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : आप ठीक कहते हैं। यदि एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी मौजूद है, किसी अन्य स्त्री से विवाह करना चाहता है, तो उसे अनुचित दण्ड दिया जायेगा। मेरे विचार से यह उपयुक्त नहीं है।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू ने भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि गोद लेते समय अधिकतम आयु क्या हो सकती है ? आपने यह आयु १५ वर्ष रखी है। ऐसे भी मामले हैं, जहां पन्द्रह वर्ष के पश्चात् भी गोद लिये जाने पर बड़े अच्छे सम्बन्ध स्थापित हुए हैं। इसलिये आपने इस प्रश्न पर विचार करना है कि गोद लेने के लिये कोई अधिकतम आयु निश्चित की जाय या नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्ड १० (४) में यह लिखा हुआ है 'कि जब तक ऐसी रीति या रिवाज न हों कि १५ वर्ष बीतने के बाद ही गोद लिया जाय' मेरे विचार से इस खण्ड के रहते हुए कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : मैं सभा से यह निवेदन करता हूं कि यदि आप हिन्दू संहिता लागू करना चाहते हैं तो रीतियों को एक ओर रख दें। वस्तुतः हिन्दू विधि परम्परागत रीतियों का ही संकलन और विकास है। रीतियां तथा रीवाजों के प्रचलन से भिन्नता पैदा हो जाती है। अतः इन्हें हटा देना ही उचित होगा और विधि को संहिताबद्ध करके उसमें एकरूपता लानी चाहिये। अन्यथा हमारा मुख्य उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा तथा इस प्रकार का विधान व्यर्थ होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्ड ११ (५) में कहा गया है :

"उसी बच्चे को दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक ही समय में गोद नहीं लिया जा सकेगा।"

इसका अर्थ क्या है ? क्या इसका यह अर्थ है कि उसी बच्चे को एक दूसरे के बाद क्रमवार गोद लिया जा सकता है ? उदाहरण के लिये, यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेता है तो उस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को सम्पत्ति देने का अधिकार है। इस स्थिति में क्या इस खण्ड के अन्तर्गत इस बच्चे को अधिकार होगा कि वह किसी अन्य पिता द्वारा दत्तक रूप में स्वीकार किया जाय ? मैं इस बात पर माननीय मंत्री के विचार सुनना चाहूंगा।

†**श्री पाटस्कर** : "दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा उसी बच्चे को एक ही समय में गोद नहीं लिया जा सकेगा" यह खण्ड इसलिये रखा गया है कि देश के कुछ भागों में **द्विमुष्यायन** नामक एक रीति-रिवाज प्रचलित है जिसके द्वारा उसी बच्चे को दो व्यक्तियों द्वारा गोद में लिया जा सकता है। हम इन सब उलझावों को दूर करना चाहते थे।

†**श्रीमती सुषमा सेन** : हमने अभी श्री चटर्जी के भाषण को सुना है। वह एक सुविख्यात वकील हैं और स्याह को सफ़ैद तथा सफ़ैद को स्याह सिद्ध कर सकते हैं।

श्री चटर्जी ने कहा है कि गोद ली जाने वाली कन्या तथा जो व्यक्ति उसे गोद लेता है, इन दोनों की आयु में असमानता होनी चाहिये। जहां तक मुझे मालूम है केवल जीवन के अन्तिम प्रक्रम में ही कोई बच्चा न होने पर कोई पुरुष बेटे या बेटी को गोद लेता है। इसलिये मेरे विचार में इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं। मैं श्री चटर्जी के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि यह विधान संविधान के विरुद्ध है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम और हिन्दू विवाह अधिनियम को जब हम पारित कर चुके हैं तो दत्तक-ग्रहण और पालन-पोषण सम्बन्धी इस विधेयक के सम्बन्ध में ही क्यों

†मूल अंग्रेजी में।

[श्रीमती सुषमा सेन]

आपत्ति की जाती है । यदि इसमें कोई त्रुटि होती तो मुझे विश्वास है श्री चटर्जी जैसे विशेषज्ञ उसे अवश्य ही बता देते ।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : यदि वह समानता चाहती हैं तो उन्हें विवाहित स्त्रियों के अधिकार की भी मांग करनी चाहिये । इसमें एक विवाहिता स्त्री के बारे में विभेद किया गया है । एक विवाहिता स्त्री जिसका पति जीवित है और जो अभी तक हिन्दू है, गोद नहीं ले सकती है ।

†**श्रीमती सुषमा सेन** : मैं श्री चटर्जी से सहमत हूं । यदि संभव हो तो विधेयक में उसी प्रकार संशोधन करना चाहिये । प्रवर समिति में २४ सदस्य थे और उसके प्रतिवेदन में केवल एक विमति टिप्पण है । फिर भी मैं नहीं जानती कि इतना विरोध किस लिये किया जा रहा है । मेरे विचार से केवल श्री चटर्जी के द्वारा आयु के बारे में बताई गई असमानता पर विचार किया जाना चाहिये ।

श्री टेक चन्द ने कल कहा कि हम हिन्दू विधि तथा रस्मोरिवाज पर कुठाराघात कर रहे हैं । मेरे विचार से यह तर्क उचित नहीं है । मेरे विचार से इस विधेयक को पारित करने का यह सर्वोत्तम समय है । गुज़ारे के सम्बन्ध में जो खण्ड है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है । चीन में भी, जो इतना पिछड़ा हुआ है, स्त्रियों को समान अधिकार दे दिये गये हैं । इसलिये अब यह असमानता दूर कर देनी चाहिये जिससे स्त्रियां देश की प्रगति में अपना पूर्ण सहयोग दे सकें ।

श्रीमती उमा नेहरू (जिला सीतापुर व जिला खेरी पश्चिम) : मिनिस्टर साहब ने इस बिल को पेश करते हुए ऐडाप्शन (गोद लेने) के हर पहलू को हमें समझाया और आपने यह भी बतलाया कि यह कोई नई बात नहीं है । प्राचीन भारत के इतिहास में ऐसी मिसालें (उदाहरण) पाई जाती हैं जहां लड़कियां गोद ली गई हैं । हमने हाउस में आनरेबल मेम्बर्स की तकरीरें सुनीं, ज्यादातर कानूनी और कुछ गुस्से से भरी हुई । बात यह है कि जब कभी भी समाज में परिवर्तन इतना जबर्दस्त होता है जो सारे हिन्दू धर्म की जड़ों को हिला दे, तो एक जलजला सा आ जाता है । असल में जो कुछ भी समाज में परिवर्तन होना चाहिये था वह धार्मिक बेसिस से अलग होना चाहिये था । कानून समय के अनुसार बदलना मुनासिब होता है । अभी हाल में हमने सक्सेशन ला (उत्तराधिकार विधि) पास किया है । और भी मैरेज व डाइवोर्स (विवाह व तलाक) के कानून पास किये हैं । हमें चाहिये कि हम इस सामाजिक उलट फेर को प्रैक्टिकल और रिअलिस्टिक नजर से देखें । कानून बनाने व बरतने में जोश से काम नहीं लेना चाहिये बल्कि होश से हमें हर पहलू को देखना और समझना है ।

स्त्री का सामाजिक इतिहास कुछ दुःखदायी है । स्त्री की स्थिति समाज में, इसमें कोई शक नहीं है, कि बहुत गिरी हुई है और उसे हमको बदलना है । समाज की उन्नति तभी हो सकेगी जब स्त्री की उन्नति होगी । जिस देश के स्त्री और पुरुष एक समान होते हैं, एक कानून उन पर लागू होता है, वही देश फलता और फूलता है और आगे बढ़ता है । जब तक स्त्री व पुरुष की सामाजिक व आर्थिक स्थिति एक जैसी न होगी यह सब झगड़े बराबर लगे रहेंगे ।

इस बिल के क्लाजेज (खण्ड) मैंने पढ़े । पढ़ते समय कुछ कंफ्यूजन इसमें जरूर दिखाई देता है, खास तौर पर जहां कहा गया है कि पंद्रह साल की उम्र तक लड़का या लड़की गोद ली जा सकती है और २१ साल की उम्र रखी गई है गोद लेने वाले की । इस पर जो दलीलें हुईं वह परेशानी की थीं क्योंकि यह डर है कि कहीं इस का एब्यूज (ग़लत प्रयोग) न किया जाये । यह डर जा (ठीक) है, लेकिन समाज की दशा तो आज भी इतनी गिरी हुई है कि बगर इस कानून को लागू हुए समाज में हम बहुत सी बुराइयां देख रहे हैं । मैं समझती हूं कि अगर हम पन्द्रह और इक्कीस साल का जिक्र न लाते तो ज्यादा बेहतर होता । गालिबन पन्द्रह साल इसलिये रखे गये कि अक्सर शादीशुदा लोगों के बच्चे ही गोद लिये जाते हैं । लड़की गोद

†मूल अंग्रेजी में ।

लेना कोई पाप नहीं है लेकिन जो औरतें बिना व्याही गोद लेंगी, फिर शादी करेंगी तब जरूर गोद लिये हुए बच्चे की मुश्किल दिखाई देती है, और शादी के बाद कहीं अपना बच्चा हुआ तो कुदरती तौर पर गोद लिये हुए बच्चे का प्यार कुछ कम हो जायगा। इसी तरह की और बातें भी होंगी जो हमें हल करनी चाहियें।

मेंटिनेंस (पालन-पोषण) के बारे में विडोड डाटर इन ला (विधवा पुत्रवधु) की पोजीशन इस बिल में कुछ अजीब है। बदकिस्मती से अगर कहीं बहू विधवा होती है तो बिल कहता है कि अगर उसके पास मेंटिनेंस का कोई जरिया नहीं है तो उसका फादर इन ला (ससुर) उसके मेंटिनेंस का जिम्मेदार नहीं है। यह चीज जरा मेरी समझ के बाहर है क्योंकि इन बातों में हम ज्यादातर अपने देश में मारल लाज (सामाजिक विधि) बरतते हैं। मेरी राय में विधवा को हक होना चाहिये अपने फादर इन ला (ससुर) की प्रापर्टी (सम्पत्ति) में भी।

सक्सेशन ला का नक्शा जब हमारे सामने आता है तब हम देखते हैं इस बिल को और सक्सेशन ला को साथ रख कर एक अजीब कंफ्यूजन सा होता है।

इस बिल में दो चीजें दिखाई देती हैं। एक तो स्त्री को गोद लेने का कानूनी हक मिला है और दूसरे लड़की का गोद लिया जाना। यह दोनों परिवर्तन समाज के लिये फायदेमंद हैं। लेकिन अभी तक मासेज (जनता) में हिन्दू धर्म कायम है, पुत्र की चाह ज्यादा है क्योंकि मरने के बाद उसी को पिंड देने का अधिकार है। यह धार्मिक विचार हमारी नस-नस में भरा हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे समाज में बहुत जल्द परिवर्तन होंगे जो कि मिनिस्टर साहब चाहते हैं। अगर एक यूनिफार्म सिविल कोड होता तो यह सारी मुश्किलें आसान हो जातीं।

मैं मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देती हूं और आशा करती हूं कि वह हमारे सारे संकट को दूर करेंगे और अगर मुमकिन हो तो इस बिल को रिकास्ट भी करेंगे ताकि हमारी परेशानियां दूर हों। यह बिल हिन्दू कोड का आखिरी हिस्सा है। मैं चाहती हूं कि जिस खूबसूरती से और बिल हिन्दू कोड के हमारे इस हाउस में पास हुए उसी तरह से यह बिल भी पास हो क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है।

†**श्री कु० पे० गौंडर** (ईरोड) : यह विधेयक हिन्दू विधि को संहिताबद्ध करने के लिये अन्तिम विधेयक है। इसके अधीन लड़की को गोद लेने का नया सिद्धान्त लागू किया गया है। इसके सभी खण्डों में दत्तक-ग्रहण की विभिन्न बातों को बताया गया है परन्तु यह कहीं भी नहीं दिया गया है कि दत्तक-ग्रहण का क्या अर्थ है। किसी भी खण्ड में यह नहीं दिया गया है कि गोद लेने का अधिकार किसको होगा। इसलिये हमें यह जानने के लिये एक विधवा गोद ले सकती है अथवा नहीं पुरानी हिन्दू विधि को ही टटोलना पड़ेगा।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जब एक विधवा अथवा विधुर किसी को गोद ले लेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी। पुरानी हिन्दू विधि में जब एक विधवा किसी को गोद लेती थी तो वह लड़का उस विधवा के पति का लड़का ही मान लिया जाता था क्योंकि यदि पति जीवित होता तो उसकी इच्छा से ही वह उसको गोद ले सकती थी। परन्तु अब ऐसी व्यवस्था की गई है कि विधवा पति द्वारा अपनी वसीयत में प्रकट की गई इच्छा के विरुद्ध भी किसी को गोद ले सकती है। परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि विधवा पति की इच्छा के विरुद्ध जिसको उसने किसी वसीयतनामे में व्यक्त किया है तो वह लड़का पिता का पुत्र माना जायेगा अथवा नहीं।

एक समांशी परिवार में दत्तक लड़का भी समांशी हो जाता है परन्तु खण्ड १३ में कहा गया है कि गोद लेने पर गोद लेने वाले व्यक्ति का सम्पत्ति को बेचने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैंने कुछ संशोधन प्रस्तुत किए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री तेलकीकर** (नान्देड़) : सर्वप्रथम मैं माननीय विधि मंत्री को इस विधेयक के प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं। कुछ सदस्यों को लड़की को गोद लेना कुछ अजीब लगेगा। भारत में कुछ भागों में पुरुषों को अधिक महत्ता है तथा कुछ भागों में स्त्रियों को। जैसे मुझे बताया गया है कि मलाबार में जमाई को अपनी सास के घर जाकर रहना पड़ता है जबकि अन्य भागों में वधु को अपने पति के घर जाकर रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त लड़कियों को गोद लेने की प्रथा नई नहीं है क्योंकि देवदासी लड़कियों को गोद लेती थीं। इसलिये हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक को पारित कर देने पर कोई नई चीज नहीं हो जायेगी। परन्तु फिर भी कुछ कठिनाईयाँ अवश्य उत्पन्न हो सकती हैं।

श्री नन्द लाल शर्मा तथा पंडित ठाकुर दास भार्गव लड़कियों को गोद लेने के विरोधी हैं। प्रवर समिति ने इस विधेयक के नए उपबन्धों पर विचार किया था तथा संक्षेप में उन्होंने यह निर्णय किया कि गोद लेने वाले पिता अथवा माता तथा गोद लिये जाने वाले पुत्र अथवा पुत्री की आयु में २१ वर्ष का अन्तर होना चाहिये। परन्तु मेरे विचार से यह एक परामर्श के रूप में होना चाहिये तथा अनिवार्यतः नहीं होना चाहिये।

मैंने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं। खण्ड ६ में 'गोद लेने का अधिकार' शब्द हैं। मेरे विचार से यदि इन शब्दों का निर्वचन किया गया तो हमें फिर धर्मशास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा जिससे विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा।

फिर एक और कठिनाई है। खण्ड ७ के अनुसार कोई हिन्दू पुरुष जो अवयस्क न हो लड़का या लड़की गोद ले सकता है। अतः यह शर्त "जो अवयस्क न हो" पर्याप्त नहीं है। फिर खण्ड ११ में एक उपबन्ध है कि यदि गोद लेने वाला पुरुष हो और जिसे गोद लिया जाये, वह स्त्री हो तो गोद लेने वाला पुरुष गोद ली जाने वाली स्त्री से कम से कम २१ वर्ष बड़ा हो। अतः खण्ड ७ में भी कुछ संशोधन जरूरी हैं।

मेरे दो संशोधन और हैं। एक खण्ड ८ के सम्बन्ध में है। उसमें भी ये शब्द "कोई हिन्दू स्त्री जो स्वस्थ चित्त की हो और अवयस्क नहीं हो" पर्याप्त नहीं हैं। यदि वह कोई लड़का गोद लेना चाहे, तो एक और शर्त यह जरूरी है कि गोद लेने वाली माता और गोद लिये जाने वाले पुत्र में २१ वर्ष का अन्तर होना चाहिये। यदि ये संशोधन किये जायें तो सम्पूर्ण विधेयक प्रगतिशील होगा और वर्तमान युग के अनुरूप होगा। अतः मैं इसका समर्थन करता हूं।

†**श्री बर्मन** (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं इस विधेयक का मुख्यतः इस कारण स्वागत करता हूं कि इससे स्मृतियों, हिन्दू विधि की पुस्तकों और अनेक न्यायिक निर्णयों को सरल बना दिया जा रहा है। हिन्दू विधि को संहिताबद्ध करने की यह अंतिम कड़ी होने से इसका विशेष स्वागत है।

पुत्रियों के सम्बन्ध में, हमने पहले के अधिनियमों में उनका स्थान पुत्र के बराबर मान लिया है और इसलिये यहां कोई आपत्ति नहीं होनी चहिये।

आगे विशेषकर खण्ड ७ की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उपखण्ड (१) और (२) के उपबन्धों के अनुसार यदि किसी का लड़का हो भी तब भी वह लड़की गोद ले सकता है। मेरी आपत्ति यह है कि हिन्दू शास्त्रों के अधीन पुत्र गोद लेने की विधि कुछ धार्मिक विश्वासों के आधार पर हिन्दू प्रथा में प्रचलित की गयी है। हिन्दू शास्त्र और हिन्दू विधि के अनुसार वह धार्मिक आधार यह है कि पुत्र पिता की मृत्यु के बाद श्राद्ध, पिंडदान आदि धार्मिक संस्कार करेगा और इसी कारण यदि उसका कोई पुत्र हो तो उसे दूसरा पुत्र या पुत्री गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। किन्तु जब पुत्र और पुत्री का स्थान बराबरी का मान लिया गया है, तब हमें यह उपबन्ध अवश्य ही मान लेना चाहिये कि एक

†मूल अंग्रेजी में।

व्यक्ति को पुत्र या पुत्री में से किसी को भी गोद लेने का अधिकार है। किन्तु जब उसे कोई लड़का या लड़की हो तब दत्तक-ग्रहण की आवश्यकता मैं नहीं समझ पाता। इस दत्तक-ग्रहण से यह लाभ बताया जाता है कि एक उसका प्रत्यक्ष वंशज होगा जिसे वह अधिक से अधिक प्यार कर सकता है। वह उद्देश्य तो तब पूरा हो जाता है जब वह लड़का या लड़की किसी को गोद लेता है। उसके लिये उपबन्ध भी किया गया है। किन्तु वर्तमान विधेयक के अनुसार वही व्यक्ति फिर एक लड़का फिर एक लड़की गोद ले सकता है। यह न केवल अनावश्यक है बल्कि उससे कुछ गड़बड़ी भी पैदा होगी। अतः मेरा एक संशोधन है कि उपखण्ड (१) और (२) द्वारा दिये गये अधिकार गोद लेने वाले पिता या माता केवल लड़का या लड़की गोद लेकर ही कार्यान्वित करें। यदि उसे पहले से कोई लड़का हो या उसने गोद लिया हो, तो उसे लड़की गोद लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि इसमें सभी मामले आ जायेंगे और साथ ही हम अपनी प्राचीन प्रथायें कायम रखेंगे और पुत्र तथा पुत्री को समान अधिकार देंगे। अभी तक दाय भाग में कोई लड़की गोद नहीं ली जा सकती थी किन्तु अब वह गोद ली जा सकेगी। आशा है कि माननीय मंत्री इस विषय पर विचार करेंगे। हम उसे बहुत अधिक विस्तृत न बनायें बल्कि इस प्रकार सीमित रखें कि वह केवल लड़का या लड़की, किसी एक को ही गोद ले सके।

†**श्री पाटस्कर** : कल प्रस्ताव रखते समय मैंने विधयक के अनेक उपबन्धों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था। मुझे प्रसन्नता है कि पोषण सम्बन्धी उपबन्धों के सम्बन्ध में, विद्यमान विधि में बहुत कम परिवर्तन किया गया है और उसकी बहुत अधिक आलोचना नहीं हुई है।

दत्तक-ग्रहण की विधि के विषय में कई प्रकार की शिकायतें या आलोचना हुई। आधुनिक युग में दत्तक-ग्रहण सामाजिक आवश्यकता का एक विषय बन गया है और इसलिये हमने ऐसा कोई उपबन्ध न रखने का प्रयत्न किया है जिससे धार्मिक उद्देश्य से गोद लेने वाले व्यक्ति को गोद लेने में बाधा हो। मैं उनकी धार्मिक भावनाओं का आदर करता हूं। और कोई भी माननीय सदस्य मुझे ऐसी कोई भी बात दिखा सकते हैं जिससे कि उस अधिकार में हस्तक्षेप होता हो। मैंने उनके भाषण ध्यान से सुने हैं और मैं यह कहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति धार्मिक विश्वास के अनुसार गोद लेना चाहे तो यह विधेयक बाधक न होगा। परन्तु जैसा कि मैंने बताया है, दत्तक-ग्रहण के दो पहलू हैं। दत्तक-ग्रहण केवल धार्मिक चीज ही नहीं है। इस पर विचार करना उचित है कि आजकल दत्तक-ग्रहण बहुत अधिक प्रचलित क्यों है ? आप देखेंगे कि अधिकतर मामलों में विधवायें दत्तक पुत्रों को गोद लेती हैं। कम से कम पिछले कई वर्ष से मेरा तो यही अनुभव रहा है। इसका कारण यह है कि विधवाओं के पास थोड़ी सी सम्पत्ति रहती है जो उनकी मृत्यु के पश्चात् दूसरे लोगों को मिल जाती है। किसी स्त्री के विधवा होते ही उसे यह बताया जाता है कि वह किसी को गोद ले ले। इसलिये जब कभी ऐसा होता है, वे लोग इसका विरोध करने लगते हैं, जिन्हें विधवा की मृत्यु के पश्चात् उसका धन मिलता। दुर्भाग्यवश विधवा पर इतना दबाव डाला जाता है कि वह किसी को गोद ले लेती है और फिर आयु पर्यन्त पछताती है। मेरे वकील मित्र जानते हैं कि विचारों या परिस्थितियों के बदल जाने के फलस्वरूप ९९ प्रतिशत मामलों में मुकद्दमेबाजी होती है। जब किसी लड़के के माता पिता उसे किसी विधवा द्वारा गोद लिये जाने देते हैं तो उन्हें यह आशा रहती है कि उनका लड़का सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होगा यद्यपि वह सम्पत्ति के स्वामी का बेटा नहीं है। विधवा यह सोचती है कि वह सम्पत्ति की मालिक होने की बजाय, किसी को गोद ले ले तो उस सम्पत्ति पर और अच्छे अधिकार मिल जायेंगे।

तो ऐसी परिस्थितियों में दत्तक-ग्रहण होता है। तो यह तो स्पष्ट है कि अधिकतर मामलों में यह दत्तक-ग्रहण धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सर्वथा अलौकिक दृष्टिकोण से किया गया है। हुआ

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पाटस्कर]

यह कि अदालतों में मुकदमेबाजी बढ़ी और दूसरी कठिनाइयां भी पैदा हुईं। इसलिये विधान बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है।

धार्मिक हेतु के अतिरिक्त भी, जिन देशों में दत्तक-ग्रहण का कोई कानून नहीं, वहां इसे सामाजिक समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिये यह एक मनोरंजक पुस्तक है जो कि संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक कार्य विभाग की ओर से प्रकाशित की गयी है। इसमें विभिन्न देशों के दत्तक-ग्रहण सम्बन्धी कानूनों का तुलनात्मक विश्लेषण है। पुस्तक में इस बात को काफी स्पष्ट किया गया है कि धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं प्रत्युत कुछ सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिये दत्तक-ग्रहण आवश्यक है। तो वे समस्यायें क्या हैं?

दुर्भाग्यवश ऐसे लोग संसार में हैं जिनके कोई सन्तान नहीं और दत्तक-ग्रहण कर अपना वंश चलाये रखना चाहते हैं। उनमें किसी पुत्र या पुत्री को पालने की तीव्र इच्छा रहती है। इसके विपरीत, कुछ देशों में जहां दत्तक-ग्रहण सम्बन्धी कानून नहीं, वहां आर्थिक तथा दूसरी परिस्थितियों के कारण अनाथ और परित्यक्त बच्चों की संख्या काफी है, जिनकी देखभाल करना बड़ा आवश्यक है। क्या हमने भी अभी हाल ही में अपने देश के कई भागों में शिशु-गृहों की स्थापना नहीं की जहां पर इस प्रकार के बच्चों की देखभाल की जाती है? इस प्रकार के बच्चों की देखभाल एक समस्या है जिसका हल बड़ा आवश्यक है। इस प्रकार की बम्बई में एक संस्था श्रद्धानन्द अनाथ आश्रम है। वहां पर सैकड़ों बच्चों की देखभाल की जाती है। मुझे बताया गया कि यह मांग थी कि जो मां-बाप निःसन्तान हैं, वे वहां से बच्चे लेकर पाल सकते हैं। इसलिये यहां ही नहीं दूसरे देशों में भी यह सामाजिक समस्या है। जैसा कि इस पुस्तक में उल्लेख है। इसमें केवल पश्चिमी देशों का ही उल्लेख है जैसा कि डेनमार्क, फ्रांस, यूनान, पोलैंड, स्वीट्जरलैंड, सोवियत संघ, ब्रिटेन, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी आयरलैंड, युगोस्लाविया, कैनेडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अन्य कई देश। प्रथम युद्ध के पश्चात् अगले युद्ध तक के समय में युद्धकालीन स्थिति के कारण कुछ बच्चों की देखभाल की आवश्यकता थी। उनके मां-बाप नहीं थे, और उन्हें मां-बाप का स्नेह चाहिये था। ऐसे मां-बाप भी थे जो उनकी देखभाल कर सकते थे। ऐसे बच्चों की संख्या बहुत थी और जिन देशों में दत्तक-ग्रहण सम्बन्धी कानून नहीं थे, उन्हें बनाने पड़े।

यह ठीक है कि यह धर्मनिरपेक्ष कार्य है। और यह क्यों किया गया, उसके सम्बन्ध में मेरी बहिन श्रीमती जयश्री ने ठीक कहा है कि जो लोग पालने के लिये बच्चा लेना चाहते हों उन्हें दत्तक-ग्रहण द्वारा बच्चा मिल जाना चाहिये। परन्तु यदि वह विधिवत दत्तक-ग्रहण न कर सकें तो और कई कठिनाइयां खड़ी हो सकती हैं। इसलिये वह चाहते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि दत्तक-ग्रहण को विधि अनुसार स्थापित किया जाये।

अब मैं इस संयुक्त राष्ट्र वाली पुस्तक से कवल एक कंडिका पढ़ता हूं:

> "प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् जनमत के दबाव से कई एक यथार्थ स्थितियों को नियमित रूप देने के लिये कुछ देशों ने दत्तक-ग्रहण विधियों को प्रथम बार लागू किया और उन कानूनों का पुनरीक्षण किया गया जो समय क अनुकूल नहीं रहे थे। जहां मूल रूप में दत्तक-ग्रहण की व्यवस्था इसलिये की गयी थी कि सन्तानहीन लोगों को पुत्र और पुत्री प्राप्त हो सकें, परन्तु अब अधिकतर यह समझा जाता है कि जो लोग अपने वास्तविक माता-पिता से वंचित हैं, उनके लिये यह पैतृक स्नेह की व्यवस्था करने का महान् साधन है।"

मेरा कहन का यह अर्थ कदापि नहीं कि हम केवल इसी दृष्टि से ही यह अधिनियम बना रहे हैं। इस युक्ति में बल है कि हमें सारे दश के लिये दत्तक-ग्रहण सामान्य विधि बनानी चाहिये।

शायद वह समय भी आ सकता है जब कि ऐसा करना ही पड़े। परन्तु अब जब कि हम हिन्दुओं के लिये कानून बना रहे हैं, जो कि देश की जनसंख्या के ८० प्रतिशत हैं, तो क्या यह गलत होगा कि उन व्यक्तियों को जो कि धार्मिक विचारों के कारण गोद लेना चाहते हैं, तथा अपने धार्मिक विचारों को सन्तुष्ट करते हैं, हम उन लोगों के लिये भी व्यवस्था करते हैं जो अन्य विचारों से बच्चों को चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की, गोद लेना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के ही कुछ हिन्दू होंगे जो केवल पिंड देने के लिये ही बच्चों को गोद लेना नहीं चाहते अपितु कुछ विचारों के कारण गोद लेना चाहते हैं। इसमें क्या बुराई है ? उन लोगों की आपत्ति तो समझ में आती है जो कि धार्मिक विचारों के कारण दत्तक-ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि यह धर्म का सार है और स्वर्ग में जाने के लिये यह आवश्यक है कि उनको पीछे कोई पिंड दे सके, और हम इस विश्वास का सम्मान करते हैं। परन्तु इस विधान में ऐसी कोई बात नहीं जो उन्हें इस उद्देश्य से दत्तक-ग्रहण करने से रोके।

इसलिये दोनों दृष्टियों से इस विधान को देखना चाहिये। जैसा कि इससे पूर्व विस्तार से विधेयक के विभिन्न उपबन्धों की मैंने व्याख्या की थी कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं जो ऐसे लोगों के विरुद्ध जाती हो।

मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने पंजाब की उत्तराधिकारी नियुक्त करने सम्बन्धी विधि का उल्लेख किया। मैं जानता हूं कि वह बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, और इस सम्बन्ध में मैं पंजाब की विधि से भी परिचित हूं। वह बहुत बड़ा है और इसके अन्तर्गत नहीं आता। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं, और जितना मुझ से हो सका है मैंने इसका परीक्षण भी करवाया है। जहां तक उत्तराधिकारी नियुक्त करने का प्रश्न है, इससे पंजाब की बात पर कोई प्रभाव नहीं होगा। और वहां जो कोई भी अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहेगा वह अब भी बना लेगा। इस मामले पर मैंने कल ही विचार किया है, और इस सम्बन्ध में मैं अपने माननीय मित्र से बातचीत करने को तैयार हूं। यह दत्तक-ग्रहण का विधान पंजाब के लोगों के उत्तराधिकारी नियुक्त करने के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर भी यह छोटी ही बात है।

अब, इस विधेयक की आलोचना का आधार क्या है ? पहले तो यह सामान्य युक्ति दी गयी है कि हम सारे देश के लिये एकरूप विधान क्यों नहीं प्रस्तुत करते। जैसा कि मैं पहले ही कई बार बड़ी नम्रता से स्पष्ट कर चुका हूं कि इसे करना ही पड़ेगा। हमारे संविधान में 'राज्य नीति के निदेशक तत्त्वों' का जो अध्याय है, उसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते। परन्तु क्या यह सरल बात नहीं होगी कि पहले हम इस विधान के सम्बन्ध में देश की ८० प्रतिशत जनसंख्या में तो एकरूपता उत्पन्न कर दें ? और क्या संविधान की व्यवस्था के अनुसार जिस ओर हम जाना चाहते हैं उस ओर यह विधान हमें काफी आगे नहीं ले जायेगा ? इसलिये इस युक्ति के उत्तर देने में मैं सभा का समय नष्ट नहीं करूंगा।

फिर, मेरे माननीय मित्र श्री नन्दलाल शर्मा ने मुझ से एक प्रश्न पूछा है जो वे सदा पूछते हैं कि जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है ? इस सम्बन्ध में यह है कि जो भी हिन्दू विधान हमने पारित किये हैं, वे जम्मू और काश्मीर विधान सभा ने भी पास किये हैं। और मुझे विश्वास है कि इस विधेयक के पास होते ही, वहां भी यह पास हो जायेगा। इसलिये जम्मू और काश्मीर के हिन्दुओं के लिये अलग विधान का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि जहां तक मुझे वर्तमान स्थिति का पता है हमारे सभी विधान उन्होंने पारित कर दिये हुए हैं।

खण्ड ७ और ८ के सम्बन्ध में आलोचना की गयी है। खण्ड ७ में पुत्री को गोद लेने की व्यवस्था है। मुझे एक मामले का पता है, मैं नाम नहीं लूंगा। परन्तु उस महानुभाव ने दूसरे सदन में यह बात कही। दूसरे सदन के एक माननीय सदस्य हैं जिनके लड़के हैं, और उन्होंने कहा कि इसके बावजूद

[श्री पाटस्कर]

वह लड़की गोद लेना चाहते हैं। इसमें क्या बुराई है ? यदि कोई ऐसी बात होती जो कि लड़की को गोद लेने के रास्ते में रुकावट डालती तो और बात थी। परन्तु जहां तक इन लोगों के धार्मिक विश्वासों के अनुसार इनके अधिकारों का प्रश्न है, मेरे विचार में वे बिलकुल सुरक्षित हैं।

मैंने यह भी विद्वान् पंडित जी को बताया था कि पूना के एक शास्त्री ने १८८० में एक लड़की को गोद लिया था। दत्तक मीमांसा इसकी अनुमित देती है। शायद कुछ भागों में कुछ विरोधी निर्णय हुए हैं। मैं इसे केवल उसी आधार पर ही नहीं लेता। परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था करने में कोई बुराई नहीं। मैं यह नहीं समझ सका कि लड़की के गोद लेने से अनैतिक बातें होने लगेंगी। यदि कोई ऐसे धूर्त हैं जो लड़की को गोद लेकर बुराई करेंगे, तो वे वैसे भी ऐसा कर सकते हैं। यह कैसे हो सकता है कि क्योंकि अब गोद लेने की अनुमति होगी, इसलिये बुरी बातें बढ़ जायेंगी ? इससे नर-नारी के पवित्र सम्बन्धों पर कैसे प्रभाव पड़ेगा ? तो क्या हम इस विचार से आरम्भ करेंगे कि जो कोई भी लड़की को गोद लेगा, बुराई करेगा ? क्या इस भावना से हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे ? मैं अपने माननीय मित्रों से यही प्रश्न करूंगा। बुरे आदमी भी हैं और अच्छे भी हैं।

फिर यह आपत्ति उठाई गयी कि अविवाहित को दत्तक-ग्रहण की अनुमति क्यों ? मैं उदाहरण देता हूं, भारत सरकार की सेवा में एक सुशिक्षित महिला है, वह एक बार मेरे पास आई। उसकी बहिन मर गयी और उसके माता-पिता वहां नहीं थे, इसलिये उसे अपने बहिन बच्चों को पालना पड़ा। उसने उनका पालन-पोषण किया। अब वे उन्हें गोद लेना चाहती है। उसने मुझे बताया कि यदि वह इसे विधिवत कर सके तो वह बहुत सुखी होगी। मैं पूछता हूं, इसमें क्या बुराई है ?

मान लीजिये एक महिला किसी को गोद लेना चाहती है, इसमें क्या बुराई है, जब कि आप आदमी को यह अधिकार दे रहे हैं ? फिर यह युक्ति दी गयी कि अविवाहिता का विवाह हो सकता है, उस हालत में गोद लिये हुए बच्चों का क्या होगा। यदि जिस महिला ने किसी को गोद में लिया हुआ हो, और उसका विवाह हो जाये तो वह बच्चे की कुछ व्यवस्था कर देगी। आप यह क्यों मान लेते हैं कि एक गोद लेने के बाद यदि किसी महिला का विवाह हो जाता है तो वह गोद लिये बच्चे की बिलकुल चिन्ता नहीं करेगी, और उस दुर्भाग्यशाली बच्चे की कोई व्यवस्था नहीं करेगी ?

अतएव यह सब प्रश्न इस बात के सम्बन्ध में नहीं कि हम उन्हें क्या करने की अनुमति देते हैं, वरन् सम्बन्धित व्यक्तियों के आचार का प्रश्न है। अधिक उसी पर निर्भर करेगा।

हमारी बहन श्रीमती शिवराजवती नेहरू ने एक विशेष उदाहरण दिया था। अनुमान कीजिये कि एक १५ वर्ष की लड़की है। हमने उपबन्ध किया है कि आयु का अन्तर २१ वर्ष होना चाहिये। अतः पुरुष की आयु ३६ वर्ष होनी चाहिये। वे कहती हैं कि यह बहुत गलत है। मैं नहीं कह सकता कि यह सम्भव नहीं कि वे गलती करें। परन्तु यह विचार ही घृणास्पद है कि कोई व्यक्ति चाहे उसकी आयु कितनी भी हो यदि वह एक लड़की को गोद लेता है तो उससे दुर्व्यवहार करेगा। यदि वह वस्तुतः दुर्व्यवहार के प्रलोभन को नहीं रोक सकता, तो मैं समझता हूं कि ऐसी विधि के बिना भी वह ऐसा करेगा।

†**श्री टेक चन्द** : प्रलोभन उसके रास्ते में क्यों डालते हैं ?

†**श्री पाटस्कर** : प्रलोभन का प्रश्न नहीं, क्योंकि वर्तमान विधि के अधीन जिसके विषय में किसी ने आवाज नहीं उठाई क्या ऐसे उदाहरण नहीं हैं ? १६ वर्ष की नवयुवती विधवाएं हैं जिन्होंने ३५, ३४ अथवा ३० वर्ष के लोगों को गोद लिया है। क्या आज भी विधि अधीन इस प्रकार की आपत्ति

†मूल अंग्रेजी में।

की जा सकती है कि पुरुष और स्त्री दुर्व्यवहार कर सकते हैं। यदि आप आरम्भ में ही यह कल्पना कर लें कि लोग दुर्व्यवहार करने वाले हैं, अतः स्त्री और पुरुष को अलग रखना चाहिये। प्रलोभन क्या है? क्या बेटी प्रलोभन है? यदि कोई व्यक्ति दत्तक बेटी के पवित्र नाम पर ऐसी बातें कर सकता है, तो हम जानते हैं कि वह इस से बुरी बातें विधि से पूर्व भी कर सकता था।

इंगलैंड में प्रचलित विधि के अधीन भी जब पहले पहल विधेयक लाया गया था तो आयु सम्बन्धी कोई अन्तर नहीं था। परन्तु हमने सोचा कि चूंकि हम लड़कियों को गोद देने की अनुमति दे रहे हैं, यह विचार करना लाभदायक है कि आयु में कुछ अन्तर होना चाहिये। स्वभावतः हमने इंगलैंड में प्रचलित अधिनियम के उपबन्ध को इस अन्तरसहित लिया। स्वभावतः गोद लेने वाले व्यक्ति तथा गोद लिये जाने वाले व्यक्ति की आयु में कुछ अन्तर होना चाहिये। पुरुष अथवा स्त्री में कुछ विभेद नहीं होना चाहिये। दोनों समान रूप से सुव्यवहार अथवा दुर्व्यवहार कर सकते हैं।

अतः हमने कहा है कि यदि पुरुष लड़की को गोद ले तो आयु में २१ वर्ष का अन्तर होना चाहिये। स्त्री के विषय में भी यही शर्त रखी गई है। हमें तो सौदा करना है। कुछ भी आयु निर्धारित की जाये बहुत से लोग दुर्व्यवहार कर सकते हैं। परन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि कोई सूत्र निकालना चाहिये। हमने सोचा कि इंगलैंड में इस प्रकार का एक सूत्र लागू है। संभवतः उन्होंने बहुत अनुभव प्राप्त किया हो, क्योंकि दत्तक-ग्रहण न्यायालय में होता है। यही आपत्ति जो यहां उठाई गई है उस समय उठाई जा सकती थी जब आयु का अन्तर २५ वर्ष निर्धारित किया जाता। मैं समझता हूं कि एक संशोधन रखा गया है कि आयु का अन्तर ५० वर्ष हो। माननीय सदस्या इस पर विचार करें कि यदि इसे स्वीकार किया जाये, तो क्या परिणाम होगा।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (जिला लखनऊ—मध्य) : एडाप्शन (दत्तक-ग्रहण) की उम्र कम होनी चाहिये।

†**श्री पाटस्कर** : सामान्यतः दत्तक-ग्रहण बच्चे का होता है। परन्तु कुछ भागों में बड़े लोगों को गोद लेने की भी प्रथा है। उस प्रथा का भी उपबन्ध करने के लिये मुझे समझौता करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि एक जाति है जिसकी यह धारणा है कि उसे केवल एक विशेष आयु के ही नहीं वरन् विवाहित व्यक्तियों को भी गोद लेने का अधिकार है। दूसरी सभा में मुझे एक सदस्य ने बताया था कि तुम्हें विवाहित व्यक्ति के दत्तक-ग्रहण की भी अनुमति देनी चाहिये।

अतः कुछ समझौता करना पड़ा। हमें कुछ आंकड़े निश्चित करने पड़े। यह विचार किया गया कि आखिर कुछ प्रतिबन्ध होना चाहिये, हम लोगों को सारा परिवार गोद लेने की अनुमति नहीं दे सकते। अतः १५ वर्ष से कम आयु का उपबन्ध किया गया है। हम इसे १६, १८ या १४ में परिवर्तित कर सकते हैं। परन्तु मुझे विश्वास है कि फिर भी यही आपत्ति उठाई जायेगी। परन्तु आखिर इन सब मामलों में हमें कोई मध्य मार्ग ढूंढ़ना चाहिये। प्रवर समिति और प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति ने यह विचार किया कि १५ वर्ष उपयुक्त आयु है।

मेरे माननीय मित्र श्री टेक चन्द ने प्रारूप सम्बन्धी आपत्ति उठाई है। वह विशेषज्ञ प्रारूप लेखक हैं। दुर्भाग्यवश मेरे प्रारूप लेखक बस ऐसे ही हैं। निस्संदेह जो विधेयक भी यहां लाया जाता है वे उसकी पूरी जांच करते हैं, परन्तु हमने भरसक प्रयत्न किया है कि प्रारूप यथासंभव पूर्ण हो और हमारे अभिप्राय को व्यक्त करे। परन्तु आखिर सभी कुछ पूर्णतः त्रुटिहीन नहीं हो सकता। आप इसे किसी रूप में रखें, वकील उसकी आलोचना करेंगे ही। मैं स्वयं वकील रहा हूं, अतः मैं उनकी आपत्ति

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पाटस्कर]

को केवल इस संकेत के रूप में लेता हूं कि इस पर विचार किया जाये कि परिवर्तन की आवश्यकता है अथवा नहीं ।

खण्डों के सम्बन्ध में अन्य आक्षेपों पर स्वभावत: उस समय विचार किया जायेगा जब उन पर खण्डश: विचार होगा । जैसा मैंने पहले कहा है, दत्तक-ग्रहण के सम्बन्ध में भी मैं फिर यही कहूंगा कि जहां तक मैं इस समस्या पर विचार कर सका हूं इसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई जिससे धार्मिक विचारों में बाधा पैदा हो या ऐसे व्यक्ति की भावना में बाधा पैदा हो जो अपने धर्म के अधीन दत्तक-ग्रहण करना चाहता है । परन्तु यह अवश्य स्मरण करना चाहिये कि बहुत से हिन्दू ऐसे भी हैं जो पुत्र से तर्पण लेने की इच्छा से दत्तक-ग्रहण नहीं करते क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि वास्तविक पुत्र भी तर्पण नहीं देते । यह एक भिन्न बात है । हम अधिकाधिक धर्मनिरपेक्ष होते जाते हैं ।

लोग कहते हैं कि यदि पुत्र अथवा पोता हो, तो और पुत्र गोद नहीं लेना चाहिये । मैं समझता हूं कि यह ठीक है । यह उस विचार के अनुकूल है जो प्राय: सभी हिन्दुओं का है । यदि पहले ही पुत्र है तो क्यों किसी व्यक्ति को और पुत्र गोद लेने की अनुमति दी जाये ? कहा गया कि क्यों नहीं ? अनुमान कीजिये कि एक पुत्र बुरा व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को और पुत्र गोद लेने की अनुमति क्यों न दी जाये । मुझे विश्वास है कि यदि प्राकृतिक पुत्र ने उसे इतना कष्ट दिया हो, तो संभवत: वह व्यक्ति किसी और को पुत्र के रूप में गोद लेने का प्रयोग नहीं करेगा । ऐसी स्थिति को सुधारने के कई ढंग हैं । प्राकृतिक पुत्र पाने के पश्चात् मैं समझता हूं कोई किसी और के पुत्र को गोद लेने का कार्य नहीं करेगा । मैं यह नहीं कहता कि यह संभव नहीं । ये अपवाद के मामले हैं । सामान्यत: हम नियम के ही अनुयायी हैं । अतएव मेरा विश्वास है कि जहां तक दत्तक-ग्रहण की विधि का सम्बन्ध है, सिवाय इसके कि जो हिन्दू पुत्री को गोद लेना चाहते हैं उनको अनुमति दी गई है और कोई नई बात नहीं । मैं समझता हूं कि इससे कोई कठिनाई नहीं होगी ।

मुझे नित्य प्रति की धमकियां दी गई हैं कि मैं हिन्दू धर्म को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूं । मेरे मित्रों का अब भी यह विश्वास है कि दत्तक मीमांसा शास्त्र नहीं है क्योंकि इसमें पुत्री को गोद लेने की अनुमति दी गई है । मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया । फिर मैंने महाराज दशरथ का उदाहरण दिया जिन्होंने अपनी पुत्री अपने मित्र को दत्तक दे दी थी । इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया । पर फिर भी यदि महाराज दशरथ नरक में नहीं गये तो मैं भी नहीं जाऊंगा । यदि इस विधेयक को पारित करने के कारण मैं नरक में जाऊंगा तो मुझे चिंता नहीं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : वह तो लाखों वर्ष पूर्व हुआ था ।

†**श्री पाटस्कर** : यदि इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में मुझे यातना सहनी पड़ेगी । मैं परिणाम भुगतने के लिये तैयार हूं । वहां मेरे साथी अच्छे होंगे क्योंकि वहां प्राचीन महर्षि और लेखक गये हैं क्योंकि दत्तक मीमांसा का लेखक मेरी तरह अपूर्ण व्यक्ति नहीं था । मैं प्रसन्न सहचर्य में रहूंगा और मुझे उस परिणाम का कोई भय नहीं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : वर्तमान विधि के अनुसार यदि एक व्यक्ति एक पुत्र गोद लेता है और तत्पश्चात् उसका अपना पुत्र हो जाता है तो सम्पत्ति में दत्तक पुत्र का भाग प्राकृतिक पुत्र से कम होता है । लड़कियों के विषय में ऐसी कोई विधि नहीं है क्योंकि उनको दत्तक-ग्रहण की अनुमति नहीं दी जाती थी । इस सम्बन्ध में कोई उपबन्ध नहीं रखा गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री पाटस्कर** : जब हम खण्ड की शब्दावलि को लेंगे तो इसकी जांच करेंगे । मुझे ज्ञात है कि विधि अधीन, निजी पुत्र उत्पन्न हो जाने पर दत्तक पुत्र का भाग कम हो जाता है। सामान्यतः किसी बच्चे को गोद लेने के पश्चात् किसी के पुत्र नहीं होता । कोई भी दत्तक-ग्रहण इतनी लापरवाही से नहीं करेगा ।

परन्तु पुरुष की बात छोड़ कर स्त्री को लीजिये । अनुमान कीजिये कि एक अविवाहित स्त्री आज एक पुत्र गोद लेती है और बाद में विवाह कर लेती है और उसके और पुत्र होते हैं। उस पति के उन अन्य पुत्रों को पिता के भाग में कुछ भी मिले यह भिन्न बात है क्योंकि वे पिता के हैं उत्तराधिकारी होंगे। परन्तु जहां तक स्त्री की सम्पत्ति में उनके अधिकार का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि वह दत्तक पुत्र अन्य बाद में पैदा हुए पुत्रों के समान भाग पायेगा ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : वर्तमान विधि तो यह नहीं है ।

†**श्री पाटस्कर** : इस विधि का यह प्रभाव होगा ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यदि एक ही माता पिता के प्राकृतिक पुत्र बाद में हों तो दत्तक पुत्र को प्राकृतिक के समान भाग नहीं मिलेगा । अतः मेरा सुझाव था कि नई विधि में ऐसा उपबन्ध होना चाहिये कि जिससे दत्तक पुत्र और दत्तक पुत्री के भागों में विभेद न रहे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

खण्ड २—(अधिनियम का प्रवर्तन)

†**श्री टेक चन्द** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पष्ठ १, पंक्ति १८ में निम्नलिखित शब्द हटा दिये जायें :

"as part of that law" ["उस विधि के भाग स्वरूप"]

खण्ड २ में ये शब्द आपत्तिजनक हैं क्योंकि इनसे अस्पष्टता पैदा होगी । पंजाब में प्रथा अधिक मान्य है । आप केवल उस प्रथा को सम्मिलित कर रहे हैं जोकि हिन्दू विधि का भाग हो । यदि इन शब्दों को हटा दिया जाये तो इस विधि के प्रभाव में अधिकाधिक लोग आ जायेंगे । अन्यथा न्यायालय में प्रश्न उत्पन्न होगा कि पंजाब के हिन्दुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों पर एक रूप से लागू होने वाली प्रथा हिन्दू विधि का भाग है अथवा नहीं ।

हिन्दू, मुस्लिम और ईसाई कृषि प्रधान जातियों में प्रथा ही प्रधान है । वहां दत्तक-ग्रहण एक धर्म निरपेक्ष संस्था है । या तो आप स्पष्ट उपबन्ध रखें कि दत्तक-ग्रहण के सम्बन्ध में प्रथा का निराकरण किया जाता है । इससे विधि में स्पष्टता आ जायेगी । परन्तु इससे खण्ड ५ में बाधा आयेगी । पंजाब के क्षत्रिय, ब्राह्मण अथवा राजपूत सभी हिन्दू हैं । दत्तक-ग्रहण के सम्बन्ध में उन पर प्रथा सम्बन्धी विधि लागू होती है जिसका उद्गम हिन्दू विधि से नहीं । इस प्रकार आप पंजाब की प्रथा सम्बन्धी विधि को हानि पहुंचा रहे हैं । या तो इसे हिन्दू विधि से भिन्न रूप में स्वीकार कीजिए या इसे मान्यता न दीजिये ।

अभी थोड़ी देर हुई माननीय मंत्री ने कहा है कि इस विधि से पंजाब की प्रथा सम्बन्धी विधि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा । परन्तु खण्ड ५ में उपबन्ध है कि इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् कोई भी हिन्दू सिवाय इन उपबन्धों के अनुसार, न कोई दत्तक दे सकेगा और न ले सकेगा । इसलिये यह प्रश्न

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री टेक चन्द]

उत्पन्न होगा कि दत्तक-ग्रहण करने वाला व्यक्ति हिन्दू है ? तब उस पर इस अधिनियम का प्रभाव पड़ेगा ।

इस विषय की जांच करनी चाहिये और इन शब्दों को हटाने से स्पष्टता आयेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री बर्मन** : मैं समझता हूं कि श्री टेकचन्द के संशोधन से उनकी बात पूरी नहीं होती । दूसरी ओर माननीय मंत्री ने कहा है कि उत्तराधिकारियों की नियुक्ति दत्तक-ग्रहण का विषय नहीं । श्री टेक चन्द के संशोधन से सहायता नहीं मिलती ।

†**श्री मूलचन्द दुबे** (ज़िला फ़र्रुखाबाद—उत्तर) : श्री टेक चन्द ने जो बात कही है, वह तो खण्ड ४ के अन्तिम शब्द से पूरी हो जाती है, इसलिये उनका संशोधन अनावश्यक है । खण्ड ५ में दत्तक-ग्रहण की व्यवस्था की जा चुकी है, इसलिये रीति-रिवाज या प्रथा अब प्रचलित नहीं रहेगी ।

†**श्री पाटस्कर** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह खण्ड २ ठीक उसी प्रकार का है जैसा कि अन्य सभी पारित अधिनियमों के सम्बन्ध में होता है । उसका अर्थ केवल यही है कि यह उन व्यक्तियों पर ही लागू होगा, जिन्हें आवेदन-पत्र देना होगा ? लेकिन खण्ड २ के सम्बन्ध में यह संशोधन प्रस्तावित करने वाले सदस्य शायद इस बात से चिन्तित मालूम पड़ते हैं कि पंजाब के उन कुछ लोगों का क्या होगा जिन्हें अभी अपने उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार मिला हुआ है । मैं आपको एक निर्णय पढ़कर सुनाता हूं ।

यह निर्णय १९३१ में लाहौर के न्यायाधीश, जयलाल ने किया था :

> "अब इस बात को भली भांति मान्यता मिल चुकी है कि इस प्रान्त में कृषक जाति का कोई एक सदस्य, औपचारिक रूप में एक पुत्र का दत्तक-ग्रहण करने की बजाय रीति-रिवाज द्वारा अपना एक उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता है, और यह कि ऐसे एक उत्तराधिकारी को एक दत्तक पुत्र के अधिकार नहीं रहेंगे बल्कि वह केवल अपने को नियुक्त करने वाले व्यक्ति की सम्पदा का उत्तराधिकारी ही होगा; उसे नियुक्तिकर्त्ता के परिवार में प्रतिरोपित हुआ नहीं माना जायेगा और न वह अपने प्राकृतिक परिवार के अधिकारों से वंचित ही किया जायेगा....."

मैं इसे जहां तक समझ सका हूं, वह यह है कि उत्तराधिकारी की नियुक्ति एक ऐसी बात है जो बिलकुल स्पष्ट है, और मैं नहीं समझता कि दत्तक-ग्रहण की विधि का उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में उसमें इसका भी उल्लेख किया गया है कि उत्तराधिकारी को दूसरे परिवार में प्रतिरोपित नहीं माना जायेगा । व्यवहारिक तौर पर तो इसमें कोई कठिनाई ही नहीं है । वह तो बिलकुल दूसरी ही बात है । उत्तराधिकारी की नियुक्ति करना और किसी लड़के का दत्तक-ग्रहण करना दो अलग-अलग बातें हैं ।

इसलिये, खेद है कि मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता ।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** : मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं ।

मैं यहां "जड़ात्मवाद" शब्द जोड़ना चाहता हूं । यह इसलिये आवश्यक है कि भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा भाग आदिम जाति के लोगों का भी है । ये आदिम जाति के लोग लगभग हिन्दू ही हैं, लेकिन उनकी अपनी विशेष रीति-रिवाज और प्रथायें हैं । वे इसाई धर्म को नहीं मानते । उनके अधिकतर रीति-रीवाज़ हिन्दुओं जैसे ही हैं । वे जड़ात्मवादी होते हैं, इसलिये यदि इसमें यह शब्द नहीं जोड़ा जायेगा, तो

†मूल अंग्रेजी में ।

वे इसके अन्तर्गत नहीं आ सकेंगे । इसलिये इस विधेयक में उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये भी उपयुक्त व्यवस्था रहनी चाहिये ।

†**श्री पाटस्कर** : मैं समझता हूं कि जड़ात्मवादियों को भी इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करना कोई कठिन नहीं होगा । यह विधेयक तो हिन्दू धर्म के हर प्रकार के अनुयायियों पर लागू होता है । बौद्धों, जैनियों या सिखों पर भी यह लागू होता है । यह उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं । मैं समझता हूं कि जड़ात्मवादियों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, वे उपखण्ड (ग) के अन्तर्गत आ ही जाते हैं । उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी ।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** : श्रीमान्, मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता ।

†**श्री टेक चन्द** : श्रीमान्, मैं अपना संशोधन संख्या २५ वापस लेना चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

खण्ड ३—(परिभाषायें)

†**श्री टेक चन्द** : मैं अपने संशोधन संख्या २७, २८ और २९ प्रस्तुत करता हूं ।

मैंने यह संशोधन संख्या २७ परिभाषाओं को पूर्ण और व्यापक बनाने के उद्देश्य से ही प्रस्तुत किया है । ऐसा 'इसका अर्थ है' शब्दों या "इसमें सम्मिलित है", शब्दों के प्रयोग से किया जा सकता है ।

जब 'इसका अर्थ है' शब्द प्रयुक्त हों तो तात्पर्य सामान्यतः मानी गई परिभाषा से होता है जबकि इसमें सम्मिलित है' शब्दों का प्रयोग यह ज़ाहिर करता है कि मानी गई परिभाषा के आन्तरिक इसमें कुछ और अर्थ भी शामिल किये गये हैं । ये शब्द अधिक निश्चियात्मक रहेंगे । उपखण्ड (क) में 'प्रकट करता है' शब्दों के स्थान पर 'सम्मिलित है' शब्द रखे जाने चाहियें ।

मेरे संशोधन संख्या २८ और उसके आनुषंगिक संशोधन संख्या २९ में आदिम जाति समुदायों या समूहों के रीति-रिवाज़ों को भी मान्यता देने का प्रयास किया गया है । आप परिवार के रीति-रिवाज़ के अतिरिक्त अन्य रीति-रिवाज़ों को छोड़े दे रहे हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या २७, २८ और २९ प्रस्तुत हुए ।

†**श्री पाटस्कर** : इस विधेयक में व्यवस्था की गई है कि 'रीति-रिवाज' और 'प्रथा' पदावलियां किसी नियम को प्रकट करती हैं·····। अपने पारित किये हुए अन्य अधिनियमों में भी, हम 'रीति-रिवाज' और 'प्रथा' की इसी प्रकार की परिभाषा कर चुके हैं । इसके अतिरिक्त, 'प्रकट करना' शब्द भी 'सम्मिलित करना' शब्द से अधिक अच्छा है । 'सम्मिलित करना' शब्द रीति-रिवाज और प्रथा के क्षेत्र को अधिक विस्तृत कर देता है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की मंशा यह नहीं है । परिवार के सम्बन्ध में स्थिति

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री पाटस्कर]

दूसरी ही है । इस सम्बन्ध में, मैं मेन का एक उद्धरण प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि मैं अन्य सभी विनिर्णयों को उद्धत नहीं करना चाहता । मेन ने कहा है :

"रीति-रिवाजों की मान्यता के लिये निरन्तरता भी उतनी ही अत्यावश्यक है जितनी कि प्राचीनता । बहुत ही व्यापक रूप से प्रचलित किसी भी स्थानीय रीति-रिवाज के मामले में निरन्तरता का अभाव यह प्रमाणित कर देगा कि इस रीति-रिवाज का कभी भी वैध अस्तित्व नहीं था । लेकिन यह भी कल्पना कर लेना कठिन है कि एक रीति-रिवाज जो एक बार पूरे तौर पर इतना अधिक स्थापित हो चुका हो, वह एकाएक समाप्त हो जायेगा ।"

रीति-रिवाज के सम्बन्ध में, मैं यही बताना चाहता था । **मेन की हिन्दू विधि** में आगे कहा गया है कि जब भी यह लगता है कि किसी एक परिवार के सदस्यों की कुछ वर्षों तक के लिये कुछ कर्त्तव्य सौंपे जाते रहे हैं, तो उनको उत्तराधिकार विधि और अन्य विधियों के अधीन मान लिया जायेगा ।

मैं कहना यही चाहता हूं कि जहां तक परिवार का सम्बन्ध है, इसमें कुछ भिन्नता है । उसके मामले में स्थिति दूसरी ही हो जाती है । इसीलिये, हमने उस प्रकार की व्यवस्था की है । मैं नहीं समझता कि परिवार की निरन्तरता समाप्त हो जाने पर भी माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात को कार्यान्वित करना आवश्यक होगा । फिर भी, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि हिन्दू संहिता के इन सभी भागों को एक ही साथ रखने पर शायद एक समय ऐसा भी आयेगा जब हम इन सभी बातों पर विचार करके यह देखेंगे कि इनका क्या प्रभाव पड़ता है ।

मैं माननीय सदस्य को सुझाव देता हूं कि वे अपने संशोधन वापिस ले लें । हम यहां इसी का प्रयास कर रहे हैं कि इसी प्रकार की अन्य विधियों में हमने जिस ढंग से कार्य किया है, वही ढंग इसके लिये भी अपनायें । इसलिये, हमें न तो इसके क्षेत्र को और अधिक व्यापक करने का और न इसमें हस्तक्षेप ही करने का प्रयास करना चाहिये ।

†**श्री टेक चन्द** : मैं अपने संशोधनों को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ५—(दत्तक-ग्रहण इस अध्याय द्वारा विनियमित होंगे)

†**श्री टेक चन्द** : मैं अपने संशोधन संख्या ३२, ३३, ३४ और ३५ प्रस्तुत करता हूं ।

पहले संशोधन द्वारा मैं माननीय मंत्री के उद्देश्य को अधिक स्पष्ट करना चाहता हूं । उन्होंने कहा है कि वे इस विधान द्वारा उत्तराधिकारी की नियुक्ति के रूप में होने वाले दत्तक-ग्रहण में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते ।

†**श्री पाटस्कर** : मैंने यह नहीं कहा था । मैंने केवल यही कहा था कि वह तो दत्तक-ग्रहण का कोई रूप ही नहीं है । उत्तराधिकारी की नियुक्ति एक बिलकुल दूसरी ही चीज है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री टेक चन्द** : "दत्तक-ग्रहण" शब्द की इतनी अधिक स्पष्ट परिभाषा नहीं की गई है कि उसे दत्तक को अन्य परिवार में प्रतिरोपित करने वाले दत्तक-ग्रहण या उत्तराधिकारी की नियुक्ति के रूप में होने वाले दत्तक-ग्रहण में से किसी एक रूप के लिये भी मान लिया जाये । इसीलिये, मैंने संशोधन संख्या ३२ रखा है ।

संशोधन संख्या ३३ द्वारा खण्ड ५ (२) में संशोधन किया गया है । इस खण्ड में नये उत्तराधिकारी के अधिकारों पर ही जोर दिया गया है । मैं चाहता हूं कि नये उत्तराधिकारी के नये दायित्वों का भी उल्लेख किया जाये ।

हमें अधिकारों और दायित्वों दोनों ही के बारे में एकरूप विधि बनानी चाहिये । संशोधन संख्या ३४ भी इसी के लिये रखा गया है ।

संशोधन संख्या ३५ में कहा गया है कि "acquired" ["अर्जित किये गये"] शब्दों के स्थान पर "or incurred" ["दायित्वों का भार सम्भाला गया"] शब्द रखे जायें । इस प्रकार, इन दोनों में विभेद किया गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या ३२, ३३, ३४ और ३५ प्रस्तुत हुए ।

†**श्री बर्मन** : यदि संशोधन संख्या ३२ को मान लिया जाये तो उसके अनुसार पृष्ठ ३ पर पंक्ति १३ में शब्द "Chapter" ["अध्याय"] के पश्चात् "or in accordance with any rule or custom or usage" ["किसी नियम अथवा रीति या प्रथा के अनुसार"] शब्द जोड़ने होंगे । इससे अध्याय में किये गये उपबन्ध बिलकुल ही निरर्थक हो जायेंगे । फिर तो, इन उपबन्धों की व्याख्या करना ही कठिन हो जायेगा । उन्हें संहिताबद्ध करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि दत्तक-ग्रहण के बारे में प्रचलित भ्रांतियों को दूर किया जाये और यह निश्चित कर दिया जाये कि किस व्यक्ति को दत्तक-ग्रहण का अधिकार है और किसे दत्तक में किस प्रकार ग्रहण किया जा सकता है । इसकी स्पष्टता के लिये रीति-रिवाजों के रूप में भेद तो करना ही पड़ेगा ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : माननीय मंत्री ने कहा है कि उत्तराधिकारियों की नियुक्ति पर यह दत्तक-ग्रहण विधि लागू नहीं होगी, लेकिन न्यायालय तो इसे नहीं मानेंगे । वे तो इसे दत्तक-ग्रहण के तुल्य ही मानेंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री इस धारणा के अनुसार चल रहे हैं कि हम यहां जिस दत्तक-ग्रहण की बात कर रहे हैं वह पंजाब में प्रचलित उत्तराधिकारियों की नियुक्ति से भिन्न है । लेकिन, इसकी क्या गारंटी है कि न्यायालय भी इसकी इसी प्रकार व्याख्या करेंगे ? दत्तक-ग्रहण में तो यह दोनों ही रूप सम्मिलित हैं । पंजाब के माननीय सदस्य यही कठिनाई महसूस कर रहे हैं । क्या इसे कहीं स्पष्ट कर देना आवश्यक नहीं है ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि न्यायालय भी उत्तराधिकारी की नियुक्ति को दत्तक-ग्रहण से भिन्न मानेंगे । स्थिति स्पष्ट करने के लिये माननीय मंत्री को ऐसा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये । पंजाब में उत्तराधिकारी की नियुक्ति और दूसरी प्रकार के दत्तक-ग्रहण में विभेद नहीं किया जाता तथा इस सम्बन्ध में भ्रांति रह जायगी । विधेयक में कहीं इसका स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[पंडित ठाकुर दास भागव]

खण्ड ५ के उपखण्ड (२) के बारे में, मुझे यह कहना है कि इसे स्वीकार करके हम हिन्दू विधि का सिद्धान्त 'कार्यपूर्ति पर मान्यीकरण' की उपेक्षा कर देंगे। मान लीजिये कि दत्तक-ग्रहण को बहुत अधिक काल के बाद अवैध घोषित किया जाता है, तो फिर पुत्र अपने प्राकृतिक परिवार का उत्तराधिकार ग्रहण नहीं कर सकेगा। हिन्दू विवाह प्रतिबन्ध अधिनियम, १९२९ में भी ऐसी ही व्यवस्था की है। उसमें इस सिद्धान्त को माना गया है। मान लीजिये कि ५० वर्षों के बाद किसी दत्तक-ग्रहण को अवैध घोषित किया जाता है, तो उस परिस्थिति में उन परिवारों के लिये बड़ी कठिनाई हो जायेगी। वे उस नयी परिस्थिति में अपने आपको किस प्रकार उसके उपयुक्त बनायेंगे ?

मेरे विचार से खण्ड ५ (२) के सामान्य उपबन्ध से कई मामलों में कठिनाई पैदा हो जायेगी। कई मामलों में यह विधेयक हिन्दू विधि के स्वीकृत सिद्धान्तों के विरुद्ध है। कई मामलों में केवल गोद लिये जाने के कारण उत्तराधिकारी व्यक्ति को सम्पत्ति से च्युत नहीं किया गया। यद्यपि ऐसे मामलों की संख्या अधिक नहीं है, तथापि ऐसा होता अवश्य है। वस्तुतः यह मामला व्यक्तिगत सम्बन्धों का है। मान लीजिये कि एक व्यक्ति का एक पुत्र है। वह एक पुत्री को गोद लेता है। इसका तात्पर्य है कि पुत्र के उत्तराधिकार पर अवश्य इसका प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार पुत्री के होते हुए किसी लड़के को गोद लेने से पुत्री के अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा। इन सभी बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

†**श्री पाटस्कर** : जहां तक उत्तराधिकारी नियुक्त करने का प्रश्न है, मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मैं पंजाब की विधि के बारे में आपके तथा अन्य माननीय सदस्यों के समान नहीं जानता हूं। तथापि मेरा विचार यह है कि उत्तराधिकारी की नियुक्ति, पुत्र के गोद लेने से, जिसके हेतु यह विधि अधिनियमित हो रही है, बिल्कुल भिन्न है।

माननीय मित्र के रीति-रिवाजों से सम्बन्धित पहले संशोधन को ग्रहण करने से, खण्ड का प्रयोजन ही पूरा नहीं होगा। मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं क्योंकि यह बिल्कुल ही दूसरा मामला है।

खण्ड ५ के उपखण्ड (२) के सम्बन्ध में 'मेन' ने जो कुछ कहा है मैं उसे पढ़ता हूं। मैं मेन लिखित हिन्दू विधि के पृष्ठ २६९ का जिक्र कर रहा हूं। उसमें लिखा है :

> "१८६३ में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया था कि एक प्राकृत परिवार में किसी व्यक्ति के अमान्य गोद लेने से भी उसके अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न उसे गोद लिये गये परिवार में पोषण सम्बन्धी कोई अधिकार होगा।"

यह एक पोषण का मामला था।

> "उसे कोई हानि नहीं होती है न ही उसे कुछ प्राप्त होता है। यह ऐसे हैं जैसे गोद लेने का कार्य कभी नहीं हुआ हो। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत दृष्टिकोण कि 'गोद लिया जाना या तो सभी प्रयोजनों के लिये प्रभावकारी हो अथवा शून्य हो' में व्यवहारिकता तथा सहज गम्यता है तथा इससे सभी पक्षों के लिये ठोस न्याय भी हो जाता है।"

इस दृष्टिकोण से यह व्यवस्था रखी गई है। जहां तक दायित्वों का प्रश्न है वह मामला बिल्कुल दूसरा है।

मेरे विचार से मेरे माननीय मित्र इस बात को समझेंगे कि हम यहां पर जो बात रखना चाहते हैं वह यह है कि :

> "शून्य हुए दत्तक-ग्रहण से, दत्तक-ग्रहण करने वाले परिवार में, ऐसे व्यक्तियों के हित में कोई अधिकार नहीं होंगे, जो केवल दत्तक-ग्रहण की अवस्था में उन्हें प्राप्त हो सकते हों। उससे उसके जन्मगत परिवार में किसी व्यक्ति के अधिकार समाप्त होंगे।"

---

†मूल अंग्रेजी में।

जहां तक दायित्वों का प्रश्न है यह बिल्कुल दूसरा मामला है। मान लीजिये कि एक लड़का के परिवार में गोद लिया गया और इस प्रकार उसके कुछ दायित्व हो गये हैं। मान लीजिये कि लड़का कोई ठेका करता है। चाहे दत्तक-ग्रहण मान्य हो अथवा अमान्य, उसका दायित्व रहेगा। अधिकार दायित्व से भिन्न हैं। मैं प्राप्त किये गये अधिकारों के सम्बन्ध में वर्तमान विधि को संक्षिप्त कर रहा हूं चाहे दत्तक-ग्रहण मान्य हो या अमान्य। मैं आशा करता हूं कि माननीय मित्र इससे सहमत होंगे तथा अपने संशोधन वापस ले लेंगे।

†**श्री लक्ष्मय्या** (अनन्तपुर) : क्या इस विधेयक में "illatom" ["इलाटम"] दत्तक-ग्रहण भी शामिल है ?

†**श्री पाटस्कर** : सभी प्रकार के दत्तक-ग्रहण इस विधेयक में शामिल कर लिये गये हैं।

†**श्री टेक चन्द** : मैं वस्तुतः माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता था किन्तु यदि वे संतुष्ट नहीं हैं तो मैं यह संशोधन सभा की अनुमति से वापस लेता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ६—(मान्य दत्तक-ग्रहण सम्बन्धी आवश्यक बातें।

†**श्री कु० पे० गौंडर** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ६ से "and also the right" ["और अधिकार भी"] शब्द हटा दिये जायें। मेरे विचार से इन शब्दों से इस विधि का प्रयोजन ही शून्य हो जाता है। वस्तुतः मेरे विचार से इस विधेयक का उद्देश्य स्त्री को, पति अथवा सपिंडों की अनुमति या सहमति से गोद लेने का अधिकार देना है। तब "and also the right" ["और अधिकार भी"] शब्दों का रखना बिल्कुल व्यर्थ है। इन शब्दों से स्थिति बड़ी द्विविधापूर्ण हो जाती है तथा जटिलता पैदा हो जाती है। मेरे संशोधन को स्वीकार करने से किसी को हानि भी नहीं होगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

†**श्री टेक चन्द** : मैं अपने मित्र श्री कु० पे० गौंडर के संशोधन का समर्थन करता हूं। वस्तुतः 'अधिकार' शब्द सापेक्षित है, वह कर्त्तव्य से सम्बन्धित है। अतः इस शब्द को हटा देना ही उचित है। इससे कोई कठिनाई भी पैदा नहीं होगी। 'क्षमता' शब्द जो पहिले ही खण्ड में मौजूद है, उसमें सभी बात आ जाती हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं भी अधिकार शब्द का तात्पर्य भली भांति नहीं समझ सका हूं। आनुषंगिक खण्डों में भी 'क्षमता' शब्द का ही प्रयोग किया गया है। क्षमता और अधिकार शब्द डाक्टर अम्बेडकर के विधेयक में मौजूद थे जिसमें यहां कभी विचार नहीं किया गया। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या अधिकार शब्द का उपयोग विधेयक में अन्यत्र भी किया गया है जिससे इसका अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री पाटस्कर** : मैं माननीय मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि खण्ड ६ में मान्य दत्तक-ग्रहण की आवश्यकतायें उल्लिखित हैं । इसमें लिखा है कि :

"दत्तक ग्रहण करने वाले व्यक्ति को दत्तक-ग्रहण की क्षमता और अधिकार भी होना चाहिये ।"

खण्ड ७ के सम्बन्ध में यह कहता है कि :

"प्रत्येक हिन्दू पुरुष को पुत्र अथवा पुत्री को गोद लेने की क्षमता है ।"

यह क्षमता है । माननीय मित्रों को ज्ञात होगा कि हिन्दू स्त्री को भी दत्तक-ग्रहण का अधिकार प्राप्त है । क्षमता एक बात है । उदाहरणार्थ एक वयस्क व्यक्ति गोद ले सकता है । उसे गोद लेने की क्षमता है । खण्ड ११ में कहा गया है कि एक पुत्र के रहते हुए वह दूसरे पुत्र को गोद नहीं ले सकता है । क्षमता होने पर भी उसे अधिकार नहीं है तत्पश्चात् विवाद का आधार समाप्त करने के लिये हमने कहा है कि दत्तक-ग्रहण तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि गोद लेने वाले व्यक्ति को दत्तक-ग्रहण की क्षमता और अधिकार न हो, क्योंकि क्षमता अधिकार से भिन्न है । क्षमता वहां पैतृक है । किन्तु उसे अधिकार नहीं है क्योंकि उसका एक पुत्र जीवित है । तत्पश्चात् इसकी व्यवस्था कर दी गई है । मेरे माननीय मित्रों को ज्ञात होगा कि यह व्यर्थ नहीं है । यह मूल विधि में भी था, इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है । हमें तदुपरांत विवाद के लिये कोई गुंजाइश नहीं रहने देनी चाहिये ।

†**श्री कु० पे० गौंडर** : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता हूं तथा सभा की अनुमति से इसे वापस लेता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ७—(हिन्दू पुरुष की दत्तक-ग्रहण सम्बन्धी क्षमता)

†**श्री टेक चन्द** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ ३, पंक्ति २९ में शब्द "living" ["जीवित"] के पश्चात् "with him" ["उसके साथ"] शब्द रखे जायें । खण्ड ७ का आशय हिन्दू पुरुष की दत्तक-ग्रहण सम्बन्धी क्षमता का उल्लेख करना है । अब उसे दत्तक-ग्रहण के लिये अपनी पत्नी की सम्मति लेनी होगी, किन्तु पत्नी को सन्यासन और विकृत मष्तिष्क वाली नहीं होना चाहिये । मुझे इस पर एक आधारभूत आपत्ति है कि दत्तक-ग्रहण पिता की व्यक्तिगत इच्छा से हो रहा है अतः पत्नी की अनुमति आवश्यक नहीं है । आपने इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि सम्मति लिखित होनी चाहिये । ऐसी व्यवस्था न होने से बहुत से झगड़े उठ खड़े होंगे । तोसरी आपत्ति यह है कि संभव है कि पत्नी पति से पृथक् दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही हो और उनके सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण नहीं हों । इसलिये मेरा संशोधन है कि पत्नी का उसके साथ रहना आवश्यक है । अन्य स्थितियों में पत्नी की सम्मति आवश्यक नहीं है । पत्नी की सम्मति तभी आवश्यक होनी चाहिये जब वह पति के साथ रह रही हो ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : इस संशोधन के सम्बन्ध में मेरा निवदन यह है कि पत्नी की सम्मति लेने का नियम आवश्यक नहीं है । जहां तक पति से पृथक् रहने वाली पत्नियों का सम्बन्ध है, उनकी

†मूल अंग्रेजी में ।

सम्मति कभी प्राप्त ही नहीं हो सकती है। इस प्रकार विधेयक का सारा प्रयोजन ही निरर्थक हो जाता है। वस्तुतः मेरा मत तो यह है कि लाखों पत्नियां दत्तक-ग्रहण की सम्मति देने को तैयार नहीं होंगी, और आज भी लाखों विवाहित स्त्रियां ऐसी होंगी जो पुत्री को गोद लेना चाहती हैं तथापि उन्हें यह अधिकार नहीं है। इस प्रकार विवाहिता स्त्रियों, विधवाओं तथा अविवाहित स्त्रियों के बीच विभेद किया गया है।

मेरे विचार से विवाहित पत्नियों अथवा पतियों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना बिलकुल अनुचित है, क्योंकि अब पति तथा पत्नी की सम्पत्ति पृथक्-पृथक् होगी। वस्तुतः ऐसी स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक होगी जो पुत्रों को गोद लेना चाहती हैं। इसी प्रकार ऐसे पतियों की संख्या भी बहुत बड़ी है जो पुत्रों को गोद लेना चाहते हैं। उनके मतभेद होते हुए भी वे पृथक् नहीं रहते हैं तथा उन्होंने विवाह विच्छेद नहीं किया हुआ है। उनमें से किसी को भी दत्तक-ग्रहण के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिये। वस्तुतः हम इस प्रकार विभेद करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।

दत्तक-ग्रहण व्यक्तिगत सम्बन्ध है तब आध्यात्मिक और धर्म-निरपेक्ष दत्तक-ग्रहण में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। दत्तक-ग्रहण होने के पश्चात्, प्राकृतिक परिवार में उसका कोई अधिकार नहीं रहता है। और वह भविष्य में अपने प्राकृतिक पिता का पुत्र नहीं रहता है। तथापि इस विधेयक के अनुसार गोद लेने वाले व्यक्ति को पूरा अधिकार होगा कि वह गोद लिये हुए व्यक्ति को दायच्युत कर सकता है तथा एक से अधिक व्यक्तियों को परिवार में शामिल कर सकता है। अब भाई ५० वर्ष का हो सकता है और पिता की आयु ७० वर्ष हो सकती है; और उसका अपने बेटे से कुछ झगड़ा होने की स्थिति में वह एक लड़की को गोद लेकर वर्तमान परिवार की सम्मति के बिना उस पर एक नया सम्बन्ध आरोपित कर देगा और इस प्रकार जहां पहिले कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था एक नया उत्तराधिकारी बीच में आ जायेगा।

इसलिये वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि आप पत्नी का यह 'वीटो' ले लें और पत्नी को स्वतन्त्र रूप से गोद लेने का अधिकार दें ताकि पति और पत्नी दोनों में से जो चाहे, कर सकें और लड़के या लड़कियाँ गोद ले सकें। इस धारणा को छोड़ना होगा कि गोद लिया गया लड़का पति तथा पत्नी की संयुक्त उत्पत्ति होता है।

†**श्रीमती जयश्री** (बम्बई—उपनगर) : पति तथा पत्नी के अलग होने से परिवार से सम्बन्ध समाप्त नहीं हो जाता है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं समझ नहीं पाया कि माननीय सदस्य ने क्या कहा है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** (शाहाबाद—दक्षिण) : उन्होंने कहा है कि अलग होना परिवार से नाता तोड़ने के तुल्य नहीं है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : हमने उत्तराधिकार से सम्बन्धित विधि में कहा है कि कोई व्यक्ति जो किसी लड़के या लड़की का वस्तुतः पिता नहीं है, उस पर पितृत्व आरोपित किया जा सकता है। उस समय मैंने कहा था कि हम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं। और आज हम क्या देखते हैं ? एक अविवाहित कन्या एक माता भी हो सकती है। या तो हिन्दू विधि को ही रखें और मूल बात को ही रखिये या जिस प्रकार से मैं सुझाव दे रहा हूं, वैसा परिवर्तन कीजिये। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रयोजन के लिये पुरुष तथा स्त्री, पति तथा पत्नी का पृथक् अस्तित्व होना चाहिये। अन्यथा आप उन व्यक्तियों

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

के साथ अन्याय करेंगे जिनसे उनकी पत्नियां अलग हो गई हैं या जिन पत्नियों से उनके पति अलग हो गए हैं और जिन्हें लड़कों को गोद लेने का अधिकार या क्षमता नहीं प्रदान की गई है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि पत्नी तथा पति अलग-अलग रूप से गोद लेते हैं तब गोद लिए गए दोनों लड़के आपस में भाई होंगे।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यह तो दामाद की नियुक्ति की भांति एक निजी सम्बन्ध होगा। परन्तु हिन्दू विधि के अनुसार हस्तांतरण नहीं होता है। अब मान लीजिये एक अहीर लड़की और एक जाट लड़का एक ही माता-पिता द्वारा गोद लिये जाते हैं तो क्या वे आपस में बहन भाई नहीं होंगे ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस विधि के अन्तर्गत वे भाई बहन हो सकते हैं। परन्तु कम से कम दोनों की सम्मति तो है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : परन्तु किस की सम्मति ? निश्चित रूप से भाई और बहन की नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पति तथा पत्नी की सम्मति।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** । पत्नी की सम्मति कहां है ? पत्नी की पृथक् सम्मति नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कम से कम माता-पिता ने उस सम्बन्ध में सम्मति तो दी है। परन्तु माननीय सदस्य की धारणा के अनुसार सम्मति के बिना भी जाट लड़का तथा अहीर लड़की भाई बहन बनाये जा सकते हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : पहिले केवल एक ही जाति या एक ही धर्म के व्यक्तियों को गोद लिया जा सकता था। परन्तु हमने इसे स्वीकार नहीं किया है। मैं इसके पक्ष में हूं। मेरा कहना केवल इतना है कि विधि को विस्तृत किया जाय ताकि पति तथा पत्नी पृथक रूप से गोद ले सकें। पत्नी को 'वीटो' का अधिकार नहीं देना चाहिये। पत्नी यदि इंगलैंड में रह रही है और पति यहां रह रहा है तो पत्नी को यह अधिकार नहीं देना चाहिये कि वह पति को अपने नियन्त्रण में रखे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : महिला सदस्याओं को माननीय सदस्य के शब्दों पर घोर आपत्ति है .....

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यह अच्छा है कि हमने उनके दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया है।

†**श्री अ० म० थामस** (एरणाकुलम्) : यह कलियुग है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : वे सब माननीय मंत्री की आभारी हैं कि लड़कियों के दत्तक-ग्रहण के लिये अधिकार दिए गए हैं, परन्तु वे यह नहीं समझती हैं कि मंत्री महोदय ने स्त्रियों से समानता का अधिकार छीन लिया है। उन्होंने पति तथा पत्नी में विभेद किया है। पति को गोद लेने का अधिकार दिया गया है परन्तु पत्नी को इस अधिकार से वंचित रखा गया है। पत्नी को केवल 'वोटो' का अधिकार दिया गया है। यहां समानता समाप्त हो जाती है। न केवल इस मामले में बल्कि अन्य कई मामलों में भी इस प्रकार का विभेद किया गया है। विधेयक में और आगे चल कर मैं इस बात पर प्रकाश डालूंगा।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में यह जो नियम बनाया गया है कि अगर पिता किसी बच्चे को गोद ले, तो वह अपनी बीबी की इजाजत से ले, वही इसमें एक अच्छी चीज है—उत्तम चीज है, क्योंकि स्त्री पुरुष की अर्द्धांगिनी होती है और घर की मालकिन होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

आप जानते हैं कि यदि उसकी इच्छा के बिना घर में कोई काम होता है, तो घर में कितनी बिटरनैस और अशांति फैल जाती है। पिता बच्चे को गोद लेगा, लेकिन उस बच्चे को पालें पोसेगी तो माता ही।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब यह कहा जा रहा है कि जब अशान्ति पहले ही मौजूद हो और दोनों अलाहिदा-अलाहिदा रहते हों.....

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : मुझे मंजूर है कि तब कन्सेन्ट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वे इकठ्ठे रहते हों, तो वाइफ़ (पत्नी) की रिटन कनसेन्ट (लिखित सम्मति) ली जानी चाहिये। मेरा मत तो यह है कि स्त्री को गोद लेने का अख्तियार पति की आज्ञा से हो और पुरुष को स्त्री की आज्ञा से।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : लेकिन अगर दोनों अलहिदा रहते हों, तो ?

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : तब तो बात ही दूसरी है। तब तो पुरुष और स्त्री अपनी-अपनी पसन्द से गोद ले सकते हैं और उस अवस्था में आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह मेरा समर्थन करती हैं।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : इस विधेयक में जो कनसेन्ट (सम्मति) की बात कही गई है, वह तो उस अवस्था के लिये है, जब कि पति और पत्नी इकट्ठे एक कुटुम्ब में रहते हों और उन दोनों में मेल हो। अगर वे अलग हो गए, खाविन्द ने बीवी को छोड़ दिया या बीवी ने खाविन्द को छोड़ दिया, तब तो बात दूसरी है। लेकिन अगर वे इकट्ठे एक कुटुम्ब में रहते हैं, तो दोनों की कनसेन्ट से जो बात हो, वह ज्यादा अच्छी और उत्तम है और उसी में उनका और कुटुम्ब का हित है। अगर स्त्री की कनसेन्ट के बिना कोई बात की जाये, तो वह उस कुटुम्ब के लिये दुखदायी ही हो सकती है, सुखदायी नहीं।

†**श्री पाटस्कर** : यह एक बहुत सीधा सा खण्ड है जिसकी केवल इस कारण इतनी अनावश्यक आलोचना की गयी है कि जिस रूप में विधि है, इसके अधीन जब पति और पत्नी दोनो विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे हों तो केवल पति को ही लड़के को गोद लेने का अधिकार है। पारिवारिक जीवन निर्विघ्न रूप से बना रहे, इस प्रयोजन के लिये केवल एक यह परिवर्तन किया गया है कि यदि पति को गोद लेना है तो उसे पत्नी की सम्मति लेनी चाहिये।

किन्तु मुझ से पूछा गया है कि 'पति के जीवित रहते हुए आप पत्नी को भी दत्तक-ग्रहण करने के अधिकार से क्यों वंचित कर रहे हैं ?' मेरा उत्तर केवल यह है। जहां तक हमारे समाज का सम्बन्ध है, जिस रूप में आज वह है, मेरे विचार में जब दोनों जीवित हों, तब साधारणतया दत्तक-ग्रहण किया जाता है; यदि दोनों सहमत हों तो सहजतः कोई झगड़े की बात न होगी। यदि किसी को गोद लिया जाना है तो जैसा कि सुझाव दिया गया है मेरे विचार में ऐसा नहीं होगा कि पति द्वारा तो किसी को गोद लिया जायेगा और पत्नी किसी अन्य को गोद लेगी। क्योंकि किसी व्यक्ति को विधान पसन्द नहीं। इसलिये यह केवल इस विधान की हंसी उड़ाना है। उपबन्ध की हंसी उड़ाने की बात छोड़ कर यदि हम गम्भीरता से यह समझने का प्रयत्न करें कि इसका आधार क्या है तो हम देखेंगे कि इसका आधार इस प्रकार का है। मान लीजिये, कि विवाहित पति तथा पत्नी के दुर्भाग्य से कोई लड़का या लड़की नहीं है और वे गोद लेना चाहते हैं तब क्या यह दोनों के हित में न होगा कि वे एक दूसरे की सम्मति से ही किसी को गोद लें ? अन्यथा सभी प्रकार के झगड़े खड़े हो जायेंगे। इसीलिये यहां यह उपबन्ध किया गया है कि यदि पत्नी जीवित हो तो पति को उसकी सम्मति लेनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पाटस्कर]

मैंने धैर्यपूर्वक माननीय सदस्य को सुना है। हमें सरलता को अपनाना चाहिये। पति तथा पत्नी दोनों के मामले में यदि वे गोद लेना चाहते हैं तो पति को गोद लेने दीजिये। पत्नी को अधिकार नहीं दिया गया है। इस सीमा तक यह सच है कि मैं इसे काफी विस्तार से नहीं ले रहा हूं। मैं ऐसा करना नहीं चाहता न ही ऐसा करने से समाज के हित में उचित ही होगा। मैं यह चाहता हूं कि लड़के या लड़की को गोद लेना मुख्यतः पति का काम है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आपत्ति यह थी कि जब पत्नी अलग रह रही हो तब क्या ऐसा अनुमान करना सम्भव है कि सम्मति मिल जायेगी ?

†**श्री पाटस्कर** : मेरे माननीय मित्र श्री टेक चन्द द्वारा यह प्रश्न पूछा गया था, यदि पत्नी पति के साथ रह रही है और साधारणतया १०० में से ९९ मामलों में पत्नी को तलाक नहीं दिया जाता, तब वह पत्नी नहीं होगी; विरोध हो सकता है और वह छोड़ कर चली जायेगी। ऐसे भी उदाहरण हो सकते हैं जिनमें पति ने न्यायिक पार्थक्य या तलाक लिया हो और पत्नी यह कहे कि वह अपने पति से सहमत नहीं है तथा इस कारण वह छोड़ कर जा रही है। इस प्रकार के मामलों में हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते कि जिस से स्थायी रूप से यह फूट पैदा हो जाये। साधारणतया हमें यह आशा नहीं है कि यह बात न्यायिक पार्थक्य या विवाह विच्छेद के स्तर तक पहुंचेगी। इस प्रकार के बहुत कम मामले हो सकते हैं। तब मेरे माननीय मित्र यह कहेंगे कि पत्नी ने निर्वाह का दावा किया है। उसका उत्तर मैं यह दूंगा कि यदि हम रहने की इस शर्त को आरोपित करते हैं तो मैं कह नहीं सकता कि समाज पर, जिस रूप में अब वह गठित है, इसके क्या परिणाम होंगे। पति यह कहेगा कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहती है—वह कहीं चली गई होगी—और इसलिये मैं गोद ल रहा हूं।

हमें सामान्य ढंग से बातों को देखना चाहिये। मेरे विचार में यहां जो उपबन्ध किया गया है, कि यदि पत्नी छोड़ रही हो तो कठिनाई होगी, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मान लीजिये कि वह अलग रह रही है और उसे निर्वाह के लिये खर्च मिल रहा है तो हो सकता है कि वह लड़के को गोद लेने के लिये सहमत न हो और इस प्रकार दत्तक-ग्रहण की कार्यवाही रुक जायेगी और इस से अधिक कुछ न होगा। यदि हम इस प्रकार का उपबन्ध रखना चाहते हैं कि किसी विशिष्ट अवसर पर वह अपने पति के साथ अवश्य ही रहती हो तो मैं कह नहीं सकता कि इससे कितनी अड़चनें पैदा हो जायेंगी। हमें उपबन्ध पर इस दृष्टि से देखना चाहिये। हम विधि बना रहे हैं और हम अपवादस्वरूप मामलों को नहीं ढूंढ रहे हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री उस परिस्थिति की उपेक्षा कर रहे हैं जहां सभा के सभी सदस्य पत्नी तथा पति के अलग रहने के सम्बन्ध में सहमत हैं।

†**श्री पाटस्कर** : वे सहमत नहीं हैं। वहां पर बैठीं मेरी माननीय बहन कई बार असम्भव दृष्टिकोण अपनाती हैं या किसी न किसी बात पर जोर देने लगती हैं। अन्यथा वह इस सामान्य सिद्धान्त पर पूर्णतः सहमत हैं कि हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिये कि जिससे 'दत्तक-ग्रहण' के प्रश्न पर परिवारों में फूट पड़ सके।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में माननीय सदस्य अपने संशोधन पर जोर नहीं दे रहे हैं।

†**श्री टक चन्द** : मैं अपने संशोधन को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ८—(दत्तक-ग्रहण के लिये हिन्दू स्त्री की क्षमता)

†**श्री कु० पे० गौंडर** : इस खण्ड के सम्बन्ध में कुछ व्याकरण सम्बन्धी त्रुटियों को ठीक करने के लिये मैंने संशोधन संख्या १५ का प्रस्ताव किया है। मेरे विचार में शब्द 'who' (जो) '(क)', '(ख)' '(ग)' के बाद आना चाहिये और "the marriage" (विवाह) तथा "the husband" (पति) के स्थान पर "whose marriage" (जिसका विवाह) तथा "whose husband" (जिसका पति) होना चाहिये ।

†**श्री पाटस्कर** : यह खण्ड जिस रूप में है ठीक है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : व्याकरण की दृष्टि से यदि इसमें कुछ त्रुटियां हैं तो उसे ठीक किया जा सकता है ।

†**श्री टेक चन्द** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ४, पंक्ति १ में "female Hindu" ("स्त्री हिन्दू") शब्द के स्थान पर "Hindu female" ("हिन्दू स्त्री") शब्द रख दिया जाय ।

"स्त्री" शब्द विशेषण है। इसलिये "female Hindu" के स्थान पर "Hindu female" शब्द होना चाहिये, अन्यथा इसका अर्थ यह होगा कि सारा हिन्दू समाज स्त्रियों पर ही सम्मिलित है तथा उसमें कोई पुरुष नहीं ।

खण्ड ८ (ग) में "finally renounced the world or" (अन्ततः संसार को त्याग दिया हो) शब्दों पर मुझे आपत्ति है। उदाहरण के लिये धर्म-परिवर्तन को ही लीजिये। कोई हिन्दू व्यक्ति यदि ईसाई या इस्लाम धर्म ग्रहण करता है तो क्या यह अन्तिम नहीं है । कोई व्यक्ति सन्यासी बन गया है तो वह अपना विचार बदल कर 'सन्यास' का परित्याग भी तो कर सकता है । इसलिये "finally" (अन्ततः) शब्द अनावश्यक है । मुझे "completely" (पूर्णतः) शब्द पर कोई आपत्ति नहीं है ।

†**श्रीमती सुषमा सेन** : संसार का परित्याग करने के बाद वह वापिस आ सकता है । इसीलिये "finally" (अन्ततः) शब्द रखा गया था ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस बात की क्या गारंटी है कि वह वापिस नहीं आयेगा ? "completely" (पूर्णतः) शब्द काफी है, परन्तु माननीय मंत्री को स्वयं शब्द चुनने दीजिये ।

†**श्री पाटस्कर** : मेरे माननीय मित्र ने "male Hindu" ("पुरुष हिन्दू") शब्द के प्रयोग के समय कोई आपत्ति नहीं की थी । इसलिये मैंने सोचा कि यदि व्याकरण की एक गलती हो ही गई है तो यदि यह गलती भी है तब भी हम इसे जारी रखें ।

जहां तक व्याकरण का सम्बन्ध है, मैं नहीं मानता कि मेरे माननीय मित्र का फैसला इस सम्बन्ध में आखिरी फैसला है और 'स्त्री' शब्द विशेषण है जिसका प्रयोग किया जा सकता है ।

अन्त में किसी स्त्री द्वारा लड़के अथवा लड़की के दत्तक-ग्रहण के सम्बन्ध में आप राव समिति के प्रतिवेदन में देखेंगे कि लोगों ने अस्थायी रूप से अर्थात् ३ या ६ वर्ष के लिये संसार का परित्याग किया

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री पाटस्कर]

था। मेरे जिन माननीय मित्रों की इस विषय में अभिरुचि है, वे प्रतिवेदन में बताया गया ब्योरा देख सकते हैं। हमने इसलिये शब्द का उपयोग किया है कि इस बात को एक बहाना न बना लिया जाये। मुझे एक **त्रिगन्दा सन्यासी** की बात मालूम है जिसने संसार का परित्याग किया था और कुछ समय बाद वापिस आ गया था, परन्तु उसकी पत्नी ने इस दौरान में किसी को गोद ले लिया था; 'finally' (अन्ततः) शब्द इसी अभिप्राय से प्रयोग किया गया है। अन्यथा मेरे विचार में समस्त खण्ड जिस रूप में है वैसा ही रहना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा अब अपने संशोधन पर जोर नहीं दिया जा रहा और मुझे उस पर मत लेने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री टेक चन्द** : जी, हां मैं इस पर जोर नहीं देता।

†**श्री बंसीलाल** (जयपुर) : मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यदि खण्ड ८, १० (२) तथा १४ (४) को एक साथ पढ़ा जाये तो हम देखते हैं कि यदि कोई स्त्री दत्तक ग्रहण करती है और बाद में विवाह कर लेती है, तब स्थिति यह है कि पत्नी ने लड़के या लड़की को, जैसी भी स्थिति हो, गोद ले लिया है। परन्तु पिता की क्या स्थिति होगी ? वह एक भूला भटका पिता हो जाता है। उसे दत्तक ग्रहीता होना चाहिये।

खण्ड १५ को देखने से एक और कठिनाई हमारे सामने आती है। इसमें "दत्तक ग्रहीता या दत्तक-ग्रहीत्रीया अन्य कोई व्यक्ति" शब्दों का प्रयोग किया गया है। यदि कोई स्त्री किसी लड़के या लड़की को गोद लेती है और फिर विवाह कर लेती है तो दत्तक बच्चे की क्या स्थिति होगी ? जो सौतेला पिता है वह अनंगीकार कर सकता है। इसलिये कई कठिनाइयां उत्पन्न होंगी।

इसलिये मेरा यह सुझाव है कि खण्ड १० में यह उपबन्धित किया जाना चाहिये कि पत्नी अथवा किसी स्त्री के किसी बच्चे को गोद लेने पर पति को उसी बच्चे को गोद लेने के सम्बन्ध में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : परन्तु हम खण्ड ८ पर विचार कर रहे हैं। इस बात का इससे क्या सम्बन्ध है ?

†**श्री बंसीलाल** : खण्ड ८ खण्ड संख्या १० और १४ से सम्बन्धित है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पहले खण्ड ८ स्वीकृत होने दीजिये; खण्ड १० पर हम बाद में विचार करेंगे।

†**श्री बंसीलाल** : तो फिर मैं उसी समय बोलूंगा, जब कि खण्ड १० पर चर्चा होगी।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : इस सम्बन्ध में मैं भी कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। मान लो कि कोई अविवाहित पुरुष एक लड़के और एक लड़की को गोद ले लेता है, और एक अविवाहित स्त्री भी एक लड़के और एक लड़की को गोद ले लेती है, और भाग्यवश उस स्त्री और उस पुरुष का बाद में विवाह हो जाता है, तो क्या वे चारों बच्चे उस परिवार में चले जायेंगे, और अब प्रश्न है कि उन बच्चों की जात-पांत अलग होने पर उनके परस्पर क्या सम्बन्ध होंगे ? और फिर क्या उनमें पैतृक सम्पत्ति के बारे में झगड़ा तो उत्पन्न नहीं हो जायेगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस पर उस समय विचार किया जायेगा जबकि हम खण्ड १० पर चर्चा करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यह बात तो खण्ड ८ पर आधारित है। अतः इसे स्वीकार न किया जाये, नहीं तो उससे बड़ी भ्रांति फैल जायेगी।

†**श्री पाटस्कर** : जी, नहीं; उससे कोई भ्रांति नहीं फैलेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ८* विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ९—(वे व्यक्ति जो दत्तक दे सकते हैं)

श्री टेक चन्द द्वारा संशोधन संख्या ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७ तथा ४८ प्रस्तुत किये गये।

†**श्री टेक चन्द** : खण्ड ९ एक अत्यन्त महत्वपूर्ण खण्ड है। इसमें एक बच्चे का उसके वास्तविक परिवार से नाता तोड़ कर दूसरे परिवार से जोड़ देने की चर्चा की गयी है, परन्तु प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि अपने बच्चे को दूसरे की गोद में दे सकने का उत्तरदायित्व किस को दिया जाये। इसमें तो आपने माता और पिता के अतिरिक्त संरक्षक को भी यह उत्तरदायित्व दे दिया है। परन्तु वैसा करना उचित नहीं है; वैसा करना खतरे से खाली नहीं है। सम्भवतः मंत्री जो यह कहेंगे कि इसके लिये न्यायालय से अनुमति लेना आवश्यक होगा। परन्तु यह कोई परित्राण नहीं है।

मान लो कि कोई अनाथ बालक अपने सगे भाई-बहनों के साथ ही रह रहा है। उनका अभिभावक उस बालक विशेष को उस के भाई-बहनों से अलग करके किसी और निर्धन व्यक्ति को सौंप देता है। दूसरे स्थान पर जाकर वह बालक बेचारा निर्धनता में, बड़ी कठिनाइयों से जीवन व्यतीत करता है; परन्तु वह अपने भाग्य को बदल नहीं सकता। माननीय सदस्या का यह कहना है कि गोद देते समय न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता है, परन्तु न्यायालय गलत अनुमति भी तो दे सकता है।

एक और उदाहरण लीजिये। मान लो कि कोई अनाथ बच्चा है जिसका चचा बड़ा धनवान है। परन्तु यदि उसका संरक्षक उसे किसी और व्यक्ति को सौंप देगा तो वह बेचारा अपने चचा की सम्पत्ति से बंचित रह जायेगा। वह रोता रहेगा परन्तु कोई भी उसकी सहायता न कर सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

*खण्ड ८ में अध्यक्ष महोदय के निदेश के अधीन निम्नलिखित को प्रत्यक्ष गलतियां मान कर शुद्धियां की गयीं :

(१) "Hindu" ("हिन्दू") शब्द के बाद "who" ("जोकि") शब्द छोड़ दिया गया;

(२) क्रमशः ("a") ["(क)"], ("b") ["(ख)"] तथा ("c") ["(ग)"] के बाद "who" ("जोकि") शब्द जोड़ दिया गया;

(३) "the marriage" ("विवाह") तथा "the husband" ("पति") के स्थान पर क्रमशः "whose marriage" ("जिसका विवाह") तथा "whose husband" ("जिसका पति") रख दिये गये।

[श्री टेक चन्द]

दत्तक-ग्रहण करने के सम्बन्ध में तो यथासम्भव उदार व्यवस्था बनाइये। परन्तु जहां तक गोद देने का सम्बन्ध है, हमें अधिक सावधान होने की आवश्यकता है। इसका अधिकार केवल पिता को, या माता को ही दीजिये। संरक्षक को इस बात का अधिकार देना बच्चे के प्रति अन्याय करना है।

जहां तक मेरे अगले संशोधन का सम्बन्ध है, उसमें मैंने यह निवेदन किया है कि यदि कोई पति और पत्नी एक दूसरे से सम्बन्ध विच्छेद कर लेते हैं तो उस समय बच्चे को गोद देते समय उस बिछड़ी हुई स्त्री से (जिसने किसी अन्य पुरुष से विवाह कर लिया है) सम्मति लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं चाहता हूं कि इस बात पर अच्छी प्रकार से विचार किया जाये।

यदि सम्मति लेनी ही है तो वह लिखित रूप में ली जाये, नहीं तो बाद में कई प्रकार की उलझनें उत्पन्न हो जायेंगी। हो सकता है कि १५ या २० वर्ष उपरान्त कोई विवाद उत्पन्न हो जाये, तो उस समय उस बच्चे बेचारे की क्या दशा होगी? इसलिये मेरा यही निवेदन है कि यदि आप सम्मति लेना ही चाहते हैं तो वह लिखित रूप में ली जाये, और अच्छा यही है कि किसी पंजीबद्ध पत्र पर ली जाये।

एक अन्य संशोधन में मैंने कहा था कि गोद देने के सम्बन्ध में उसी स्त्री को अधिकार दिया जाये जो कि अपने पति के साथ रह रही है। अतः मेरा यह संशोधन विचारणीय है। उसी स्त्री को यह अधिकार दिया जाये जो कि अपने पति के साथ रह रही है।

यहां पर मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि कार्य पूर्ति पर मान्यीकरण के सिद्धान्त को अवश्य लागू किया जाये। मंत्री जी ने उसके महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया है। उन्होंने हमारा ध्यान मायनी की पुस्तक के पृष्ठ २६९ की ओर आकर्षित किया था, मैं भी उनका ध्यान उसी पुस्तक के पृष्ठ २४०, २४२ की ओर आकर्षित करता हूं जिसमें इस सिद्धान्त की व्यवस्था है। अतः इस सिद्धान्त को अवश्य अपनाया जाये।

अन्त में मैं आपका ध्यान खण्ड ९ की व्याख्या (१) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो बहुत निर्दयतापूर्ण है। उसमें गोद देने का अधिकार 'पिता और माता' को दिया गया है। मुझे इसमें कोई अपत्ति नहीं, परन्तु यह स्पष्ट कर दिया जाये कि यह अधिकार केवल सगे माता-पिता को होगा, सौतेले माता-पिता को नहीं। नहीं तो सौतेले माता-पिता उसे किसी और व्यक्ति के हवाले कर देंगे, और वह अभागा व्यक्ति दुःखमय जीवन व्यतीत करता रहेगा, वह पित्री अथवा मात्री स्नेह से वंचित रह जायेगा। अतः सौतेले माता-पिता को ऐसा अधिकार न दिया जाये। मुझे आशा है कि मंत्री जी मेरे इन विचारों की ओर अच्छी प्रकार से ध्यान देंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुए।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जहां तक माता से सम्मति प्राप्त करने का सम्बन्ध है, मैं इसके पक्ष में हूं कि क्योंकि बच्चे पर माता का उतना ही अधिकार है जितना कि पिता का, परन्तु दूसरी ओर आप प्रचलित प्रथाओं को भी मान रहे हैं। उससे तो आपके अपने कथन का विरोध होने का भय है। उदाहरणार्थ, यदि कोई प्रचलित प्रथा इस बात की अनुमति देती है कि १८ वर्ष का कोई बच्चा गोद दिया जा सकता है तो क्या उस स्थिति में भी माता-पिता से सम्मति लेने की आवश्यकता होगी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के मामलों में सम्मति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्योंकि आपने प्रचलित रूढ़ियों को स्वीकार कर लिया है, इसलिये अब इसमें ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि १८ वर्ष से अधिक आयु वाले लड़के या लड़की के सम्बन्ध में सम्मति लेने की कोई आवश्यकता न होगी।

जब विधेयक पर विचार किया जा रहा था उस समय मैंने मंत्री जी से निवेदन किया था कि 'लाडले बच्चों' के सम्बन्ध में भी व्यवस्था कर दी जाये। अब खण्ड ९ में संरक्षकों के सम्बन्ध में एक

†मूल अंग्रेजी में।

उपबन्ध है, अतः इस समय मेरी इस बात पर अच्छी प्रकार से विचार किया जाये। देश में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि किसी बच्चे को अनाथ जानकर ही आश्रय देते हैं। अधिकतर लोग किसी बच्चे को देख कर प्यार करने लगते हैं, और फिर बाद में उसे अपना लेते हैं। अतः इस बारे में विधेयक में व्यवस्था की जाये, और ऐसे ही लोगों को उन बच्चों का संरक्षक माना जाये। यह कहना गलत है कि केवल उन्हीं बच्चों को गोद लिया जा सकता है जो कि अनाथ हैं। ऐसे लाड़ले बच्चों को भी गोद लिया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में उनसे लाड़ प्यार करके अपने पास रखने वाले व्यक्तियों को ही उनका संरक्षक माना जाये। अनाथों को भी गोद लिया जा सके ....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हमने यह निश्चित किया था कि हम ३–३० तक इस विधेयक पर चर्चा समाप्त कर देंगे। परन्तु अभी तक हुई नहीं; क्या आप इसे १५ या २० मिनट में समाप्त कर देंगे ?

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (विलासपुर) : हम इस पर सोमवार को चर्चा जारी कर सकते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उस दिन के लिये कार्यक्रम निश्चित हो चुका है। अतः यदि सभा आज ६–३० बजे तक बैठने के लिये तैयार है तो हम इस चर्चा को आज ही पूरा कर सकते हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जी हां, हम वैसा कर सकते हैं। उस पर आज ही चर्चा पूरी हो जानी चाहिये क्योंकि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने सदस्यों को अपनी बात कहने का पूरा-पूरा अवसर दिया है। अब यह सभा पर निर्भर करता है कि क्या हम ४ बजे तक वाद-विवाद को जारी रखें ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : इसके बाद नहीं।

†**श्री डाभी** (कैरा—उत्तर) : जिन खण्डों को निबटाया जाना है उनके सम्बन्ध में समय बांट लेना चाहिये। अन्यथा यदि इसी प्रकार केवल एक ही खण्ड पर वाद-विवाद होता रहा तो हम शेष खण्डों पर वाद-विवाद न कर सकेंगे।

†**श्री पाटस्कर** : मैं यह कहूंगा कि यदि हम प्राप्य समय को विभिन्न खण्डों में बांट सकें तो हम उनके प्रति कुछ न्याय कर सकेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पंडित ठाकुर दास भार्गव अब जल्दी से अपना भाषण समाप्त कर लें।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : इस धारा में सौतेले माता-पिता को भी शामिल किया जाना चाहिये। "पिता" तथा "माता" शब्दों में दत्तक ग्रहीता तथा दत्तक-ग्रहीत्री का भाव सन्निहित नहीं है। जब तक सौतेले माता-पिता को शामिल नहीं किया जाता तब तक यह व्याख्या अत्यन्त कठिन है क्योंकि इस से मामला भ्रांति-उत्पादक हो जाता है।

†**श्री पाटस्कर** : जहां तक इस खण्ड का सम्बन्ध है वह इस विषय सम्बन्धी कानून के अनुकूल है कि पिता पुत्र को गोद दे सकता है और यही बात उपखण्ड (२) में रखी गई है। प्रयुक्त शब्द यह है "यदि जीवित है तो गोद देने का अधिकार केवल उसी को है कन्तु ऐसा अधिकार माता की सहमति के बिना प्रयुक्त नहीं किया जायगा।" मैं समझता हूं कि जो कुछ हमने किया है यह उसक प्रतिकूल नहीं है। इसके बाद प्रश्न यह आता है कि इस समय केवल माता-पिता ही बच्चे को गोद दे सकते हैं।

मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव से पूर्णतया सहमत हूं कि जहां तक विद्यमान अधिनियम का सम्बन्ध है—इसके बारे में तो अनाश्रितों के बारे में शिकायत है और वास्तव में अनाथ बच्चों को पैतृक प्रेम की

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पाटस्कर]

जरूरत है। इस समय कठिनाई यह है कि किसी अनाथ को वैध रूप में गोद नहीं लिया जा सकता क्योंकि केवल माता तथा पिता ही बच्चे को गोद दे सकते हैं। इसलिये इस मामले पर विचार किया गया। उसी समय यह भी देखने की बात है कि अनाथ कई प्रकार के होते हैं। माननीय मित्र तथा मैंने, बच्चों तथा स्त्रियों सम्बन्धी विधेयकों के बारे में, जहां ऐसी बहुत सी शिकायतें थीं, इन बातों पर चर्चा की थी। इसलिये यह देखने के लिये कुछ न कुछ करना था कि ऐसे अनाथों को, जिनको पैतृक प्यार की जरूरत है गोद लिये जाने योग्य बनाया जाये। सब कठिनाइयों को देखते हुए जो उपबन्ध किया गया है वह यह है "न्यायालय द्वारा घोषित या नियुक्त अभिभावक"। अन्यथा जो परिणाम होगा वह यह होगा। कोई भी व्यक्ति जो बच्चे का पालन करता है, वही वस्तुतः उसका अभिभावक होगा। यदि हम किसी को गोद लेने का अधिकार देते हैं तो हम जानते हैं कि लोग बच्चों को अर्थात लड़के तथा लड़कियों को भेज सकते हैं। इसीलिये हमने कहा है "न्यायालय द्वारा घोषित या नियुक्त अभिभावक"। अभिभावक तथा संरक्षक अधिनियम के अधीन न्यायालय द्वारा नियुक्त तथा न्यायालय द्वारा घोषित शब्दों में अन्तर है। आप अवयस्कों के मामले में देखिये, यदि माता विधवा हो और अभिभावक है तो वह न्यायालय से यह घोषणा ले सकती है कि वह अभिभावक है। किन्तु अनाथों के बारे में यह कठिन है। हमें दोनों बातों पर विचार करना पड़ता है। साथ ही यदि हम अनाथों को गोद लिये जाने का अधिकार देते हैं तो हम विधि को इस प्रकार ढीला नहीं बना सकते कि लोग दोबारा इसका दुष्प्रयोग करें और हमें दोबारा एक नई समस्या का सामना करना पड़े। इस विचार से हमें अभिभावक न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित कराना चाहिये। हमने निम्न व्यवस्था की है :

> "उपधारा (४) के अधीन अभिभावक को अनुमति देने से पूर्व न्यायालय स्वतः यह देखेगा कि दत्तक-ग्रहण बच्चे के कल्याण के लिये है और इस प्रयोजन के लिये बच्चे की आयु पर ध्यान रखते हुए उसकी इच्छा पर पूरा ध्यान दिया जायेगा.....।"

इसके बाद आयु के बारे में यह कहा गया है कि हमने खण्ड १० में यह उपबन्ध किया है कि एक व्यक्ति १५ वर्ष की आयु में अवयस्क होता है। किन्तु कई मामलों में इस आयु से भी अधिक के लोगों को गोद लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मैं स्पष्टतया बताना चाहता हूं कि यह उपबन्ध जैनियों के लिये किया गया है जिनके बारे में न्यायालयों ने यह कहा है उनमें विवाहितों को भी गोद लिया जा सकता है। इस बात पर जोर दिया गया कि उनका यह रिवाज रखा जाये। मुझे किसी और जाति के ऐसे रिवाज का पता नहीं है जहां इस प्रकार गोद लिया जा सके। इसी कारण यह अपवाद किया गया है। मैं नहीं चाहता कि वह रिवाज नियम ही बना दिया जाये। उसी छोटी सी जाति में यह रिवाज रहना ठीक है क्योंकि वे लोग इसे चाहते हैं। मुझे यह भी पता नहीं कि अन्त में क्या होगा। जहां तक खण्ड ९ का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यह विद्यमान विधि के अनुकूल है और किसी भी व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है।

†**श्री टेक चंद** : मैं अपने संशोधनों पर आग्रह नहीं करता और उन्हें वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ९ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ९, विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करती हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने यह कहा था कि इस बिल का धर्म-शास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह तो ह्युमैनिटेरियन दृष्टिकोण (मानवीय दृष्टिकोण) से लाया गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि एडाप्शन (दत्तक-ग्रहण) के समय हर शख्स के सामने दो मुख्य विचार होते हैं—धर्म और धन। एडाप्शन के कोई खिलाफ़ नहीं है और न ही कोई यह कहता है कि परलोक में सद्गति प्राप्त करने के लिए जिन बातों की ज़रूरत होती है, इस एडाप्शन से उनमें कोई विघ्न बाधा पड़ती है। लेकिन एडाप्ट करने के जो नियम बनाये गये हैं, हम चाहते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन किया जाय।

यहां पर यह कहा गया है कि ह्यमैनिटेरियन विचार से यह व्यवस्था की गई है कि सभी आयु के बच्चों को गोद लिया जा सके। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूं कि अनाथालयों में जो आरफ़न (अनाथ) बच्चे रहते हैं, बहुत से लोग उनको गोद लेना पसन्द नहीं करते हैं, इसलिए कि उनके-माता पिता का पता नहीं होता है। आजकल सरकार इतने आरफ़नेज (अनाथालय) बना रही है, अगर उनको सहायता देनी है, तो क्या उनमें उन बच्चों का पालन-पोषण नहीं हो सकता है कि इस प्रकार का नियम बनाया जाय कि पन्द्रह वर्ष के बालक को गोद में लिया जा सकता है? मैं यह चाहती हूं कि गोद लिये जाने वाले बालक की आयु पन्द्रह वर्ष के बजाय सात साल की रखी जाय। ऐसा करने से एडाप्ट करने वाले और किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु में इक्कीस वर्ष का अन्तर होने की जो शर्त रखी गई है, वह भी दुरुस्त हो सकती है। माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि वर्तमान कानून के अनुसार बीस वर्ष की औरत पच्चीस, तीस वर्ष के पुरुष को गोद ले सकती है। शायद ऐसा होता होगा, लेकिन कम से कम हमने अपनी आंखों से तो कोई बीस वर्ष की ऐसी औरत नहीं देखी है, जिसने पच्चीस, तीस वर्ष के पुरुष को एडाप्ट किया हो। मेरा कहना यह है कि रिवाज भी एक किस्म का कानून ही होता है। यह कहा जाता है कि इस प्रकार के केसिज़ में लोगों के विचार शुद्ध नहीं होते हैं। मैं ऐसा विचार क्यों करूं कि कोई भी पुरुष ऐसा होगा, जो लड़की को गोद लेकर उसके साथ अन्याय करे? मैं यह नहीं कहती कि हेर एक पुरुष खराब होता है, लेकिन माननीय मंत्री जी को यह सोचना चाहिये कि संसार में ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं।

श्री पाटस्कर : वही तो मैं भी सोचता हूं।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : बहुत थोड़े लोग खराब और दुष्ट होते हैं, क्रिमिनल्ज़ (अपराधी) बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन उन्हीं थोड़े से क्रिमिनल्ज़ को दृष्टि में रख कर कानून बनाये जाते हैं। संसार में सभी चोर थोड़े ही होते हैं, लेकिन थोड़े ही चोरों के लिये चोरी का कानून बनाया जाता है। दुनिया में, हिन्दुस्तान में पहले ही कई प्रकार के व्यभिचार हो रहे हैं, तो फिर माननीय मंत्री जी ऐसा कानून क्यों बनाते हैं, जिससे लोगों को एक और लालच व्यभिचार करने को दिया जाय और उनको सुझाया जाय कि ऐसा भी किया जा सकता है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक की वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कहा, वह बहस तो जनरल डिस्कशन (सामान्य चर्चा) में ही खत्म हो गई। माननीय सदस्या अपनी अमेंडमेंट (संशोधन) के बारे में कुछ कहें।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : उन्होंने कहा कि एडाप्शन से हमारी नैचरुल अर्ज सैटिसफ़ाई (सहज-वृत्ति सन्तुष्ट) होती है। मेरा कहना यह है कि वह अर्ज तो छोटे बालक को गोद लेने से ज्यादा सैटिसफ़ाई होती है बनिस्बत किसी बड़े बालक को गोद लेने के। उन्होंन यह भी कहा कि पन्द्रह वर्ष का बालक

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

इसलिये गोद लिया जा सके कि फ़र्ज़ करें किसी का पुत्र नालायक निकले, तो वह उसकी जगह दूसरे बालक को एडाप्ट कर सके। मेरा कहना यह है कि बच्चे का पालन करने की ज़िम्मेदारी माता-पिता की है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीया सदस्या और बातों में जा रही हैं, जिनका उनके संशोधन से ताल्लुक नहीं है। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने जो कुछ कहा है, वह उसका जवाब देने लग गई हैं।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : अगर वह बच्चा नहीं निकला और वे उसको अच्छा नहीं बना सके, तो दूसरे को कैसे अच्छा बनाये रख सकते हैं---वे तो उसको भी तबाह कर देंगे।

†**श्री पाटस्कर** : श्रीमान्, १५ वर्ष की आयु सभी बातों को ध्यान में रखकर रखी गई है। मैं इस संशोधन से सहमत नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १, सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १० विधयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १०, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ११---(वैध दत्तक) ग्रहण के लिये अन्य शर्तें

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य बतायें क्या इस खण्ड पर कोई संशोधन है।

†**श्री डाभी** : मैं अपना संशोधन संख्या १८ प्रस्तुत करता हूं।

खण्ड २ (१) के अनुसार यदि गोद लेने वाले के हिन्दू पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र हों तो वह लड़के को गोद नहीं ले सकता। इसका अर्थ यह हुआ यदि वह लड़की गोद लेना चाहे तो पुत्र की उपस्थिति में लड़की को गोद ले सकता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। जब एक व्यक्ति के पुत्र है तब उसे लड़की गोद लेने की अनुमति क्यों दी गई है। गोद लेने का अभिप्राय यही है कि जब किसी व्यक्ति के संतान न हो तब वह गोद ले सक---किन्तु यह बात तो बिल्कुल व्यर्थ है।

खण्ड २ का उपखण्ड (२) भी उपखण्ड (१) के समान ही है। यदि किसी व्यक्ति के लड़की है या पुत्र की लड़की है तो उसे लड़के को गोद लेने के लिये क्यों अधिकार नहीं दिया गया। सामान्यतया जिस व्यक्ति के पुत्र है या दौहित्र है वह किसी और बच्चे को गोद नहीं लेगा। यह दोनों उपखण्ड व्यर्थ हैं। प्रयोजन यही है कि स्त्रियों को बराबर का हक मिले किन्तु यह उपखण्ड यह प्रयोजन सिद्ध नहीं करते। यदि आप कोई रुकावटें रखना चाहते हैं तो वह युक्ति युक्त होनी चाहियें। यदि किसी व्यक्ति के लड़की है तो उसे लड़का गोद लेने का अधिकार क्यों दिया जाये। इस कारण मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

†**श्री टेक चन्द** : मैं खण्ड ११ (१) के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। हिन्दू पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र की उपस्थिति में एक व्यक्ति हिन्दू बच्चे को गोद नहीं ले सकता। मुस्लिम बच्चे को गोद लिया जा सकता है। प्रपौत्र के बारे में ऐसी कोई रुकावट नहीं है। यदि वह मुसलमान है तो उसे गोद लिया जा सकता है। इसलिये हिन्दू शब्द पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र पर भी लागू होना चाहिये। यदि दौहित्र या भतीजा

†मूल अंग्रेजी में।

जिन्दा हो तो गोद लेने का अधिकार नहीं होना चाहिये । उपखण्ड (१) , (२) तथा (४) में जो अन्तर हैं वे नहीं रहने चाहिये ।

अन्त में मुझे इन शब्दों पर भी आपत्ति है कि बच्चा "वास्तव में दिया जाये ।" विवाहित व्यक्ति भी गोद लिया जा सकता है । यह बात कोई विशेष महत्वपूर्ण तथा लाभदायक नहीं है । इसलिये इस बात को ऐच्छिक बना दिया जाये । इस बात की सिद्धि के लिये लिखित दस्तावेज होना आवश्यक है अन्यथा इस रास्ते में बाधायें आयेंगी ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जहां तक "वास्तव में देन" का प्रश्न है इसे हटा देना चाहिये और लिखित पत्र सिद्धि के लिये आवश्यक होना चाहिये ।

मैं यह नहीं समझ सकता कि उत्तराधिकार अधिनियम के बाद जब लड़के तथा लड़की को एक स्तर पर रखा गया है फिर क्यों अब यह कहा जा रहा है कि पुत्र पौत्र के जीवित होने पर गोद लेने का अधिकारी नहीं है । मैं यह चाहता हूं कि पुत्र तथा पुत्री को एक ही स्तर पर रखा जाये । यदि लड़की का लड़का या लड़की जीवित है तब भी उन्हें ही सम्मान का स्थान मिलना चाहिये । पंजाब में दौहित्र का बहुत सम्मान है । इस कारण दौहित्र या दौहित्री के मौजूद होने पर भी हमें किसी व्यक्ति को गोद लेने का हक नहीं देना चाहिये । इसके बाद मैं यह कहूंगा कि पुत्र या पुत्री की मौजूदगी में भी गोद लेने का अधिकार नहीं होना चाहिये । यह कहना कि चाहे लड़का गोद लिया जाय और लड़की गोद ली जाये और फिर बाधायें भी रखना यह मामला ठीक नहीं है । यह मामला गोद लेने वालों के ऊपर छोड़ देना चाहिये ।

†**श्रीमती सुषमा सेन** : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के सुझाव का समर्थन करती हूं । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री उनका सुझाव स्वीकार करेंगे ।

†**श्री पाटस्कर** : जहां तक उपखण्ड (१) तथा (२) के वर्तमान उपबन्धों का प्रश्न है वे हमारे वर्तमान विचारों के अनुकूल हैं । मैं समझता हूं कि वह ठीक भी हैं तथा वास्तविक हैं । जो सुझाव हमारे सामने रखे गये हैं उन सबसे वर्तमान उपबन्ध ही अच्छे हैं । पुरुष तथा स्त्री में असमानता का भी कोई प्रश्न नहीं है । जहां तक लड़कियों का सम्बन्ध है, उनका दर्जा बराबर का है । प्रपौत्र या दौहित्र में कोई अन्तर नहीं है । खण्ड ११ में इन सब बातों का सामंजस्य है । हमने केवल सिद्धान्ततः ही यह उपबन्ध नहीं किया किन्तु असलियत को भी ध्यान में रखा है । इसलिये मैं समझता हूं कि खण्ड ११ में किसी परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १८ सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ११ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १२ से ३० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री पाटस्कर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

ग़ैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

छियासठवां प्रतिवेदन

†**श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** (हज़ारीबाग़––पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा ग़ैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छियासठवें प्रतिवेदन से, जो १२ दिसम्बर १९५६ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्तियां देने सम्बन्धी संकल्प––जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा में डा० राम सुभग सिंह द्वारा ३० नवम्बर, १९५६ को राजनयिक पीड़ितों के बच्चों के लिये छात्रवृत्तियों के बारे में संकल्प पर और आगे चर्चा होगी ।

संकल्प के लिये निश्चित २ १/२ घटों में से केवल २ घंटे और २३ मिनट बाकी हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** (शाहाबाद––दक्षिण) : मैं उस दिन उन व्यक्तियों के बारे में बतला रहा था जो भारत में ब्रिटिश राज्य के समर्थक थे तथा जिन्होंने उस समय ऐसे आन्दोलन भी किये । उनको पुरस्कार के रूप में उच्च पद दिये गये तथा जब ब्रिटिश सरकार यहां से गई तब भी उनको नई सरकार ने उच्च पदों का आश्वासन दिया तथा आज वे इतने उच्च पदों पर आसीन हैं जितने उनको अंग्रेजों के भारत में रहते हुए नहीं मिल सकते थे ? यह बड़ी खेद की बात है । मेरे विचार से इसी कारणवश उन लोगों की जिन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया था उपेक्षा की गई है । जो व्यक्ति सरकारी पदों पर नियुक्त होते हैं वही दिल्ली जैसे बड़ नगरों में रहते हैं तथा सरकार बड़े नगरों के स्कूलों को ही छात्रवृत्तियां देती है तथा बुनियादी स्कूलों को नहीं । इसलिये यह बात महत्वपूर्ण है ।

मैं स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । मैं उनको निम्न प्रकार से श्रेणीबद्ध करता हूं वह व्यक्ति जो राजनयिक कार्यों के कारण फांसी पर लटका दिये गये, दूसरे वे व्यक्ति जो जेलों में मर गये, तीसरे वे व्यक्ति जो १९०५ से १९४२ तक किसी भी आन्दोलन में जेल गये, चौथे वे व्यक्ति जिनकी राजनयिक आन्दोलन के कारण सम्पत्ति जब्त कर ली गई, पाचवें वे व्यक्ति जो पदच्युत कर दिये गये, छठ आइ० एन० ए० के वे व्यक्ति जो अब बेकार हैं । मैं यह सब इसलिये बतला रहा हूं क्योंकि अचानक मुझे आज एक व्यक्ति मिला जिसने आइ० एन० ए० के व्यक्तियों को फांसी से बचाने के लिये ऐसे गुप्त काग़जात श्री भूलाभाई देसाई को दिये जिनके द्वारा ही वह आज जीवित हैं तथा मंत्री पदों पर सुशोभित हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

यह कहा जा सकता है कि सभी राजनयिक पीड़ितों का पता लगाना संभव नहीं है। हमारे पास सहायता देने को निधि नहीं है तथा यह प्रशासनिक रूप से भी कठिन है। परन्तु यह सभी तर्क बेकार हैं क्योंकि सरकार यदि चाहे तो राजनयिक पीड़ितों की सूची उसी प्रकार बना सकती है जिस प्रकार सरकारी कर्मचारी, शरणार्थी आदि की सूचियां बनाई जाती हैं। मुझे खेद है कि सरकार को इनके बारे में कुछ करने की इच्छा ही नहीं है।

दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। चीन में मुझे ज्ञात हुआ कि सभी को समान अधिकार हैं परन्तु फिर भी भूमि बन्दोबस्त कार्यक्रम में साम्यवादी दल के कर्मचारियों को छूट दे दी थी। और इन कर्मचारियों ने अपनी भूमि स्वयं सरकार को सौंप दी थी। हमें यहां भी ऐसा ही आदर्श उपस्थित करना चाहिये।

१९४२ के सैनिकों को हम निवृत्तिवेतन दे रहे हैं तथा उनकी सहायता के लिये सैनिक बोर्ड तथा अन्य संगठन हैं। मैं इनका विरोधी नहीं हूं। परन्तु मैं चाहता हूं कि स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को सुविधायें मिलनी चाहियें। मैं माननीय मंत्री तथा उपमंत्री, मौलाना आज़ाद तथा डा० म० मो० दास का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि एक कल्याणकारी राज्य में हमें समाज की पीड़ित जनता को छात्रवृत्तियां तथा सहायता देनी चाहिये। इसकी निधियां बनानी चाहियें जिससे उन व्यक्तियों के परिवार के व्यक्ति जान सकें कि नौ अथवा दस वर्ष के पश्चात् सरकार उनके लिये कुछ कर रही है। अन्यथा उनमें से कुछ व्यक्ति अवश्य यह सोचेंगे तथा अब भी सोच रहे हैं कि स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेना बेकार है। इस प्रकार की भावना फैलना देश के लिये बहुत खतरनाक है। हम एक-दो भवन के निर्माण को बन्द करके इन व्यक्तियों के लिये निधि की व्यवस्था कर सकते हैं। तथा सरकार इनको कहीं न कहीं काम दे सकती है। मुझे आशा है कि सरकार इस संकल्प में निहित भावना को समझेगी तथा इसे स्वीकार कर लेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ कि :

"इस सभा की यह राय है कि सरकार को देश के ऐसे राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को, जिनके पास उनकी शिक्षा के लिये आय का पर्याप्त साधन नहीं है, छात्रवृत्तियां देनी चाहिये।"

अब संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

†**श्री थानू पिल्ले** (तिरुनेलवेली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"इस सभा की यह राय है कि केन्द्रीय सरकार को स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने वाले राजनैतिक पीड़ितों, उनके आश्रितों, तथा पुत्र पौत्रों जिनको आवश्यकता हो, को उसी प्रकार की शर्तों पर तथा उसी अवधि के लिये सभी सहायता देनी चाहिये जो जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को दी जा रही हैं।"

†**श्री रघुवीर सहाय** (ज़िला एटा—उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"इस सभा की यह राय है कि देश में अधिकांश राजनैतिक पीड़ितों की आर्थिक दशा बहुत दयनीय होने के कारण सरकार को केवल प्राथमिक से विश्वविद्यालय तक निःशुल्क शिक्षा दिलाने की व्यवस्था ही नहीं करनी चाहिये अपितु उपयुक्त मामलों में छात्रवृत्तियां भी देनी चाहियें।"

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**पण्डित द्वा० ना० तिवारी** (सारन दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"इस सभा की यह राय है कि राजनैतिक पीड़ितों की दशा की जांच के लिये एक समिति स्थापित की जानी चाहिये जो उनके आश्रितों की सहायता करने के तरीकों का सुझाव दे"

श्री भक्त दर्शन (जिला गढवाल––पूर्व व जिला मुरादाबाद––उत्तर-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय मैं अपने संशोधन संख्या ५ और ७ प्रस्तुत करता हूं :

(१) कि "political sufferers" ["राजनैतिक पीड़ितों"] शब्दों के पश्चात् "of all categories" ["सभी श्रेणियों के"] शब्द रखे जायें ।

(२) कि "education" ["शिक्षा"] शब्द के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें :– "and should make education free for all of them at least upto the Higher Secondary stage." ["तथा उन सभी के लिये उच्च माध्यमिक स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा होनी चाहिये"]

†**श्री राम दास** (होशियारपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि "education" ["शिक्षा"] शब्द से पूर्व नम्नलिखित जोड़ा जाये :

"professional, scientific and technical" ["व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा प्रविधिक"]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प तथा सभी संशोधन चर्चा के लिये सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता––उत्तर-पूर्व) : मुझे डा० राम सुभग सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है । तथा मैं आशा करता हूं कि सरकार इसको स्वीकार कर लेगी । मेरा विचार है कि इस प्रकार के संकल्प का सभा में किसी को भी विरोध नहीं करना चाहिये । डा० राम सुभग सिंह ने ठीक ही कहा है कि हमारे देश में राजनैतिक पीड़ितों को भुला दिया जाता है । संभवत: कार्यालयों के कामों के लिये विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की अपेक्षा हो, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें उन व्यक्तियों की उपेक्षा करनी चाहिये जो देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन में पिसे हैं । मैं यह इसलिये कह सकता हूं क्योंकि जिन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया उनको अपने परिवार को भुला देना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप आज उनकी उपेक्षा की जा रही है तथा वह आत्मसम्मान के कारण प्राधिकार प्राप्त व्यक्तियों के पास जाने में हिचकते हैं । मेरा विचार है कि सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह सरकारी संगठनों द्वारा इन राजनैतिक पीड़ितों का पता लगाये तथा उनके आवेदनों की प्रतीक्षा न करे ।

मुझे इसका बड़ा कटु अनुभव है क्योंकि मुझे स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने वाले पश्चिमी बंगाल के शरणार्थियों के बारे में प्रधानमंत्री तथा पुनर्वास मंत्री के पास जाना पड़ा तथा अन्त में उत्तर मिला कि पश्चिमी बंगाल सरकार उनकी सहायता कर सकेगी ।

मुझे यह भी पता लगा है कि सरकार ने कुछ राजनैतिक पीड़ितों को सहायता अवश्य दी परन्तु उन व्यक्तियों में भी भेदभाव रखा गया । मुझे डा० राम सुभग सिंह के इस कथन से प्रसन्नता हुई कि राजनैतिक पीड़ित चाहे किसी भी दल विशेष के क्यों न हो, उनको सहायता मिलनी चाहिये । इन व्यक्तियों में भेदभाव नहीं रखा जाना चाहिये तथा केवल उन्हीं को सहायता नहीं मिलनी चाहिये जो प्राधिकारियों की नज़रों में चढ़े हुए हों । मुझे बताया गया कि मैसूर में एक व्यक्ति को सहायता दी गई परन्तु यह ज्ञात होने पर कि वह व्यक्ति एक साम्यवादी है, सभी सहायता वापस ले ली गई । हमने स्वतंत्रता आन्दोलन

†मूल अंग्रेजी में ।

में कम काम नहीं किया है। गत पालघाट कांग्रेस में हमको गणना करके बताया गया कि साम्यवादी दल के प्रतिनिधियों ने १३४४ वर्ष २ १/२ मास जेल में गुजारे हैं। इसकी कुछ अवधि १९४७ के पश्चात् की भी हो सकती है परन्तु अधिकांश अंग्रेजों के काल की है।

डा० राम सुभग सिंह ने बड़ा सीधा सा संकल्प प्रस्तुत किया है तथा उसमें केवल सरकार को उन व्यक्तियों को सहायता देने के तरीकों का सुझाव दिया गया है। पीड़ित इससे अधिक और कुछ नहीं चाहते कि उनकी सेवाओं को याद रखा जाये तथा उनकी उपेक्षा न की जाये। ऐसे राजनैतिक पीड़ित जो आज की दशा के कारण अपने परिवार का भरण-पोषण नहीं कर पाते हों, उनके परिवारों की सहायता के लिये व्यवस्था करनी चाहिये।

इसीलिये मेरा विचार है कि हम सबको इससे सहमत होना चाहिये तथा सरकार को भी आगे बढ़ना चाहिये। यदि कोई कठिनाई हो तो कम से कम हमें बताना चाहिये। वह बिना किसी भेदभाव के सभी पीड़ितों के लिये सहायता करने के लिये योजना बना रही है।

†**श्री थानू पिल्ले** : मैं डा० राम सुभग सिंह के इस संकल्प का पूरा समर्थन करता हूं, किन्तु उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत नहीं है। मूल संकल्प के सीमित स्वभाव के कारण ही मुझे अपना संशोधन रखना पड़ा।

भारत की प्रथम संसद् को यह प्रश्न सबसे पहले उठाना चाहिये था किन्तु अब आखिर में भी यदि हम यह संकल्प पारित कर दें तो आगामी संसद् के लिये वह एक आदेश हो जायगा कि वह सबसे पहले यह काम करे।

जब हम राजनैतिक पीड़ितों के बारे में बातचीत करते हैं तो राजनैतिक पीड़ा से अनभिज्ञ या राजनैतिक आन्दोलन तथा स्वातंत्र्य आन्दोलन से जिनका किसी प्रकार सम्बन्ध नहीं रहा है, ऐसे व्यक्तियों से साधारण आलोचना सुन कर बड़ा दुख होता है। आज जो लोग सत्तारूढ़ हैं वे राजनैतिक पीड़ितों की ओर घृणा से देखते हैं क्योंकि आज उसकी दशा सबसे खराब है। मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि उस आन्दोलन में लोगों ने कितना कष्ट सहन किया है।

राष्ट्रपिता की पुकार पर सभी समुदायों के लोगों ने आन्दोलन में भाग लिया; अधिकतर वे मध्यम वर्ग के थे। आज वे मध्यमवर्ग ही सामान्यतया सबसे अधिक कष्ट में हैं और उन मध्यम वर्गों के राजनैतिक पीड़ितों की हालत सबसे अधिक खराब है। उन्हें किसी ने सहायता का आश्वासन नहीं दिया था। देश का स्वातंत्र्य ही उनके सामने एकमात्र लक्ष्य था और वही उनके लिये अपना पुरस्कार था। किन्तु १९४७ में स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद सारा रंग बदल गया। जिन लोगों ने आन्दोलन का विरोध किया, पुलिस को खबरें दीं, वे ही लोग स्वाधीनता से आज लाभ उठा रहे हैं और जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग किया, उन्हें कोई भी नहीं पूछता। अतः यह स्वाभाविक है कि वे रुष्ट हों फिर भी पिछले नौ या दस साल में उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया। अब वे यत्र तत्र अनशन कर रहे हैं क्योंकि उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रारम्भ में, स्वातंत्र्य आन्दोलन के इन सेनानियों को कुछ पदक वगैरह दिये गये किन्तु उनमें से कुछ सेनानी तो इतने अधिक गरीब हैं कि उन्हें जिन्दा रहने के लिये अपने पदक तक गिरवी रखने पड़े। इसके विपरीत जिन धनी लोगों ने इस आन्दोलन का विरोध किया, अपने सगे-सम्बन्धियों को इसमें शामिल होने से रोंका, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। जो छात्र अपनी पढ़ाई-लिखाई छोड़कर अपना सब कुछ त्याग कर जेल गये, उनके परिवार आज दयनीय दशा में हैं जब कि उन धनी लड़कों के परिवार बहुत समृद्ध दशा में हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री थानू पिल्ले]

आज नवीन व्यवस्था में अनेक घटनायें और नये-नये सामाजिक सुधार हो रहे हैं किन्तु उनसे लाभ विशिष्ट वर्ग के लोगों को ही मिलता है। भारत का कोई नागरिक अपने पुराने वंश या पैतृक दशा की अनर्हताओं के कारण पीड़ित न रहे, इसलिये हमारी राष्ट्रीय सरकार ने संविधान में अनुसूचित जातियों और पिछड़े लोगों के लिये विशेष उपबन्ध रख कर उन्हें सहायता की। उनमें से अधिकतर लोग जो मध्यम वर्ग के भी नहीं थे और जिन्होंने स्वातंत्र्य संग्राम में भाग नहीं लिया था, आज उतनी बुरी हालत में नहीं है। नयी व्यवस्था में नये कालेज, प्रौद्यौगिक संस्थायें आदि खोली जा रही हैं किन्तु उनमें प्रवेश उन्हीं के लड़कों को मिलता है जिन्होंने इस आन्दोलन में भाग नहीं लिया और उसका विरोध किया। जिन लोगों ने स्वातंत्र्य आन्दोलन में भाग लिया उनके पास तो अपने बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा भी देने के लिये पैसा नहीं है। मैं इसके एक दो प्रत्यक्ष उदाहरण भी दे सकता हूं। ऐसे ही लोगों की यह भावना है कि यह स्वाधीनता और स्वराज्य किसी और के लिये है, न कि उनके या उनके बच्चों के लिये। ऐसे ही लोग आज सबसे अधिक रुष्ट हैं। यदि सरकार इस प्रश्न को हल नहीं करती, तो साबरमती के संत के वे अनुयायी, जिन्होंने आत्मिक बल से पाशविक बल का सामना किया, अब पाशविक बल का आश्रय लेंगे। वह ज्वालामुखी आज नहीं तो कल अवश्य ही फूटेगा। जब शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को इस शांतिपूर्ण विरोध से परास्त किया जा सकता है तो कोई यह न सोचे कि जनता यह उपेक्षा या यह उदासीनता सहन करेगी।

कोई यह पूछता है कि हम राजनैतिक पीड़ितों का किस प्रकार पता लगायें। मैं कहता हूं कि हम शरणार्थियों का, भूतपूर्व सैनिकों का, चोर डाकुओं का पता लगा सकते हैं किन्तु हम उन ईमानदार सेनानियों का पता नहीं लगा सकते यह आश्चर्य है। फिर उनके सहायता मांगने पर भी जब उन्हें सहायता नहीं दी जाती, तब निश्चय ही हममें कुछ कमी है।

मेरा संशोधन यह है कि उन्हें न केवल शैक्षणिक रियायतें बल्कि अन्य रियायतें भी दी जायें जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को दी जा रही हैं। इस प्रयोजन के लिये कोई सूत्र होना चाहिये। उसके लिये इस सूत्र की आवश्यकता है कि सर्वप्रथम विकलांग व्यक्तियों को एक प्रकार की सहायता या सेवानिवृत्ति वेतन दिया जाये। उनके परिवारों के भरण-पोषण के लिये क्या आप उन्हें एक रुपया रोज या तीस रुपये माहवार भी नहीं दे सकते? फिर जब कोई व्यक्ति मर जाये तो क्या उसकी स्त्री रास्ते में भीख मांगती फिरे? अतः मेरा संशोधन यह है कि उनके आश्रितों का भी संरक्षण किया जाये। फिर उनके बच्चों को शैक्षणिक रियायतें दी जायं। एक माननीय सदस्य ने इस आशय के संशोधन की सूचना दी थी कि उच्चतर माध्यमिक स्तर तक रियायत दी जाये। मैं पूछता हूं कि इस प्रकार का निर्बन्धन क्यों हो? उसे तब तक रियायत दी जानी चाहिये जब तक वह पूरी तौर से शिक्षित न हो जाये। मैं यह इसलिये कहता हूं कि उन्होंने ही हमें विधान बनाने की स्वतन्त्रता दिलायी है। इस प्रश्न के प्रति मेरा यही दृष्टिकोण है।

अगला प्रश्न यह है कि वह सहायता कब तक दी जाये। अनुसूचित जातियों को तो हमें तब तक सहायता देनी होगी जब तक कि वह दूसरी जातियों के स्तर तक न पहुंच जाये अतः उन राजनैतिक पीड़ितों को भी उसी समय तक सहायता दी जाये जब तक कि आप पिछड़े या विकलांग लोगों को ऐसी सहायता दें।

मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके पास उपाधियां न होने के कारण उन्हें काम नहीं दिया गया। दस्तकारी तथा कुछ अन्य विभाग ऐसे हैं जहां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये लोग नियुक्त नहीं किये जाते। मुझे विश्वास है कि यदि किसी राजनैतिक पीड़ित को नियुक्त किया जाये तो वह कार्य-

क्षमता म किसी से कम सिद्ध नहीं होगा। जिन्हें सरकारी विभागों में काम करने का अवसर मिला है उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रगति दिखायी है।

अब मद्रास सरकार ने आदेश जारी किये हैं कि विकास योजनाओं में इन लोगों को अवसर दिये जाय। मैं चाहता हूं कि उन सभी स्थानों के लिये जहां सामाजिक तथा आर्थिक विकास के कार्यक्रमों का काम हो, जहां राजनैतिक या राष्ट्रीय दृष्टिकोण आवश्यक हो, केन्द्रीय सरकार इन स्वातंत्र्य सेनानियों और उनके लड़कों को दूसरों की अपेक्षा अधिक योग्य समझे।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (जिला गोरखपुर—उत्तर) : यह संकल्प प्रस्तुत करने के लिये मैं डा० राम सुभग सिंह को धन्यवाद देता हूं।

राजनैतिक पीड़ितों के प्रति सरकार का व्यवहार सबसे अधिक निन्दनीय है। जब हम देहातों में अपने निर्वाचनक्षेत्रों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि १९४२ के आन्दोलन में अपने पुराने साथियों के मकान नष्ट कर दिये गये या जला दिये गये हैं। उनके लड़के मर गये हैं या जला दिये गये हैं। वे आज भिखारी हैं और उनकी हालत देख कर रुलाई आती है। सरकार उनके बारे में सोचती तक नहीं। मैं समझता हूं कि आज सभी एकमत हैं कि इस विषय की सबसे अधिक उपेक्षा की गयी है और सरकार इस विषय में बिलकुल ही असफल रही है।

मैंने चीन में देखा कि स्वातंत्र्य संग्राम के उन सेनानियों के लिये जो बहुत अधिक शिक्षित नहीं हैं, वहां एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। उनके स्तर के अनुसार उनके लिये पांच साल या सात साल के शिक्षाक्रम बनाये गये हैं। इस प्रकार सभी कार्यों के लिये उन्हें योग्य बनाने का प्रयत्न किया गया है।

आज हम प्रत्येक जगह भ्रष्टाचार देखते हैं। उसका कारण यही है कि जो सच्च आदमी हैं, जिन्होंने कष्ट सहन किया है और जिन्होंने अपने सगे-सम्बन्धियों और सम्पत्ति के नष्ट हो जाने की कोई परवाह नहीं की, उन लोगों की उपेक्षा की गयी है।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

जो ब्रिटिश सरकार के सबसे अधिक सहायक रहे हैं और जिन्होंने स्वातंत्र्य आन्दोलन के नेताओं का विरोध किया था वही लोग आज स्वाधीनता से पूरा-पूरा लाभ उठा रहे हैं। अतः सरकार ने उन राजनैतिक पीड़ितों की उपेक्षा कर देश की सबसे अधिक उपयोगी निधि को बरबाद किया है। आज वे चरित्रवान् लोग, राजनैतिक पीड़ित रद्दी के ढेर की तरह फेंक दिये गये हैं।

मेरे विचार से डा० राम सुभग सिंह का संकल्प कुछ संकुचित है किन्तु पण्डित द्वा० ना० तिवारी का संशोधन अधिक व्यापक है जिसमें यह कहा गया है कि राजनैतिक पीड़ितों की दशा की जांच करने और उनके आश्रितों को सहायता करने के उपायों का सुझाव करने के लिये समिति बनायी जाये। मेरे विचार से राजनैतिक पीड़ित एक राष्ट्रीय निधि है। यह समस्या अधिक व्यापक आधार पर हल की जानी चाहिये। उनकी देखभाल करना या देश के विकास के लिये उनका उपयोग करना किसी भी सरकार के लिये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यह नहीं सोचना चाहिये कि उन्हें कुछ थोड़ी सी छात्रवृत्तियां या कुछ धन या कुछ अन्य सहायता देकर हम समस्या हल कर लेंगे। वास्तव में हम अपने पुनर्निर्माण के लिये उनकी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं।

चीन में मैंने यह भी देखा कि जिन्होंने कोरिया में जाकर युद्ध किया, उनका सम्मान किया गया। जिनके लड़के युद्ध में मारे गये, प्रत्येक गांव में उन माता-पिता का समय-समय पर सम्मान किया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री शि० ला० सक्सेना]

आज हमारे गांवों में, उन स्वयंसेवकों पर, जिन्होंने कष्ट सहन किया और अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, ताने कसे जाते हैं। उनका सम्मान करने के बजाय, उनका मजाक उड़ाया जाता है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि अब राष्ट्र के लिये त्याग करने के हेतु कोई तैयार नहीं होगा। अतः उस दृष्टिकोण से हमें इस ओर ध्यान देना होगा कि उनका यथोचित सम्मान किया जाये। यदि ऐसा हो तो भविष्य में भी ऐसे सेनानी होंगे और देश उन्नत होगा।

इन कारणों से यह समस्या अधिक व्यापक आधार पर हल की जानी चाहिये। उन सभी लोगों को ढूंढ निकालने का प्रयत्न किया जाये जिन्होंने कष्ट सहन किया है और देश की स्वाधीनता के लिये बलिदान किया है।

राजनैतिक पीड़ित की कई परिभाषायें दी गयी हैं। मेरे राज्य में उन लोगों को राजनैतिक पीड़ित कहा गया है जिन्होंने किसी राजनैतिक अपराध पर छः महीने जेल में बितायें हों किन्तु ऐसे भी अनेक लोग हैं जो १९४२ आन्दोलन में क्रांतिकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मदद करते रहे हैं। उनके मकान जला दिये गये हैं और वे फरार रहे हैं। अतः मेरे विचार से "राजनैतिक पीड़ित" की परिभाषा अधिक व्यापक होनी चाहिये। वास्तव में वह व्यक्ति भी जिसने स्वातंत्र्य आन्दोलन में सहायता की हो और उस कारण कष्ट सहन किया हो, राजनैतिक पीड़ित की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिये। वह परिभाषा इतनी विस्तृत होनी चाहिये कि उसके अन्तर्गत ऐसे सभी व्यक्त आ सकें।

आगे राजनैतिक पीड़ितों के साथ व्यवहार में भेदभाव किया गया है। यह कहते खेद होता है कि विरोधी दलों के सदस्यों ने जिनकी सिफारिश की है उन्हें कोई सहायता नहीं दी गयी है। मैं जानता हूं कि लगभग ३०० व्यक्तियों ने मुझ से प्रमाणपत्र लिये हैं और मैं जानता हूं कि उन्होंने कष्ट सहन किया है। किन्तु उनमें से किसी को भी कोई सहायता नहीं दी गयी है, केवल इस कारण कि उनके पास मेरे प्रमाण-पत्र थे। दूसरी ओर, जिन्होंने कोई कष्ट नहीं उठाया है, उन्हें सहायता मिली है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो कांग्रेस में आ जाते हैं उन्हें सेवानिवृत्ति वेतन दे दिया जाता है। इस विषय में इस प्रकार का भेद-भाव नहीं होना चाहिये। राजनैतिक पीड़ितों के प्रश्न पर इस प्रकार विचार नहीं करना चाहिये।

आगे मेरा सुझाव है कि जिन व्यक्तियों ने कष्ट सहन किया है, न केवल उन्हें बल्कि उनके आश्रित, लड़के और लड़कियों को, यदि वास्तव में उन्हें आवश्यकता हो तो अवश्य सहायता दी जानी चाहिये। यह सहायता कई प्रकार की हो सकती है। उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाये। यदि उन्हें कुछ शिक्षा मिली हो तो विश्वविद्यालय तथा अन्य स्थानों में अपनी शिक्षा जारी रखने के लिये उन्हें छात्रवृत्ति दी जाये ताकि देहात के लोगों में यह भावना पैदा हो कि सरकार उन पीड़ितों का सम्मान करती है और वे देश के लिये उपयोगी होंगे।

मेरे विचार से यह बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है और पण्डित तिवारी का यह संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये। साथ ही सरकार एक ऐसी समिति नियुक्त करे जो 'राजनैतिक पीड़ित' की व्यापक परिभाषा बनाये और प्रत्येक पीड़ित को सहायता दी जा सके।

श्री भक्त दर्शन : सभापति महोदय, आदरणीय मित्र डा० राम सुभग सिंह ने जो संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं और उन्हें इसके लिये बधाई देता हूं। श्री थानू पिल्ले ने ठीक ही कहा कि हमारे देश की प्रथम संसद् का यह कर्त्तव्य होना चाहिये था कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद ही सबसे पहले हम अपने स्वाधीनता-संग्राम के सैनिकों का आदर करते और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते, लेकिन देर में ही सही आज यह जो संकल्प रखा गया है मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि सरकार की ओर से इसको स्वीकार किया जायगा और इस पर शीघ्र ही अमल किया जायगा।

हमारे देश में, जैसा कि अभी तक कई वक्ताओं ने यहां पर बताया है, हमारे स्वाधीनता-संग्राम के सैनिकों की बहुत ही दुर्दशा है। मैं नहीं समझता कि शायद किसी भी देश ने अपने स्वाधीनता के सैनिकों के प्रति इतनी कृतघ्नता का परिचय दिया होगा। हर एक राष्ट्र ने जिसने कि स्वाधीनता प्राप्त की, अपने सैनिकों का पूरी तरह से सम्मान किया, यहां तक कि उन देशों ने जिनके कि मेरे आदरणीय मित्र श्री हीरेन मुकर्जी बड़े प्रशंसक हैं, रूस और चीन, वहां तो यह हालत हुई कि जब उन देशों को स्वाधीनता मिली या क्रान्ति सफल हुई तो वहां पर संग्राम और क्रांति के सैनिकों के हाथ में ही शासन की बागडोर दे दी गई और आज उन देशों के शासन की बागडोर उनके स्वाधीनता-संग्राम के सैनिकों के हाथ में है। इसमें कोई शक नहीं कि हमने अपने यहां एक बड़े आदर्श लोकतन्त्री राज्य की स्थापना की है और हमारे देश के नेताओं ने बड़ी उदारता का परिचय दिया कि जिस स्वाधीनता को हमने इतने परिश्रम, त्याग और बलिदान के बाद प्राप्त किया उसको हमने फिर से नौकरशाही के हाथों में दे दिया। स्वराज्य-प्राप्ति के बाद सबसे अधिक लाभ अगर किसी वर्ग को इस हमारे देश में हुआ है तो वह हमारे नौकरशाही वर्ग को ही हुआ है। आप सेना में ही ले लीजिये तो पायेंगे कि शायद वे लोग जो मेजर या कर्नल से आगे नहीं बढ़ सकते थे आज वे उनसे ऊंचे पदों पर अर्थात् जनरल आदि के पदों पर विराजमान हैं। इसी तरह यदि आप सिविल साइड में देखेंगे तो पायेंगे कि जो शायद डिप्टी कलक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं हो सकते थे वे आज के दिन कमिश्नर, गवर्नर आदि जैसे ऊंचे पदों पर विराजमान हैं और उनके वेतनों को कोई छू भी नहीं सकता, और इसीलिये मैंने कहा कि देश में जो स्वराज्य स्थापित हुआ है उसका सबसे अच्छा उपभोग यह हमारा नौकरशाही वर्ग रहा है, जब कि वे लोग जिन्होंने कि भारत को स्वाधीनता प्राप्त कराने में कठोर कष्ट झेले और त्याग और बलिदान किये वे अभी तक बहुत बड़ी संख्या में दुखी हैं और इधर उधर मारे-मारे फिरते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार फौरन ऐसे राजनैतिक पीड़ितों को सहायता सुलभ करे और उनके दुखों और कष्टों का निवारण करने का प्रयत्न करे। यह संकल्प इसी उद्देश्य को लेकर सदन के समक्ष रखा गया है और सरकार को इसे स्वीकार करना ही चाहिये।

सभापति महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में दो संशोधनों संख्या ५ और ७ को प्रस्तुत किया है। पहला संशोधन मेरा यह है कि सभी श्रेणियों के राजनैतिक पीड़ितों को इसमें सम्मिलित किया जाय। वैसे तो यह कहा जा सकता है कि जो संकल्प रखा गया है उसकी भाषा में इसकी भावना विद्यमान है, लेकिन इसको और भी स्पष्ट करना मेरी समझ में आवश्यक है। श्री हीरेन मुकर्जी ने और इस संकल्प को प्रस्तुत करने वाले डा० राम सुभग सिंह ने भी बतलाया और एक सूची पेश की कि इन इन श्रेणियों के राजनैतिक पीड़ितों को इसमें सम्मिलित किया जाय। अतः अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है और फिर इसमें संशय की कोई बात नहीं रहती है।

अभी हमारे मित्र श्री शिब्बन लाल सक्सेना ने उदाहरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि वे राजनैतिक पीड़ित जो कि कांग्रेस में नहीं हैं उनको सरकार सुविधा नहीं देती है। हो सकता है कि किन्हीं ज़िलों में या किन्हीं राज्यों के अन्दर इस तरह का पक्षपात किया गया हो। हो सकता है कि जिन प्रान्तों में कांग्रेसी सरकारें हैं वहां एक आध केस (मामले) में ऐसा पक्षपात किया गया हो लेकिन मेरा विश्वास है कि इस तरह का पक्षपात कोई बड़े पैमाने पर नहीं किया जा रहा है या किया गया है और अगर इस तरह का पक्षपात बरता जा रहा है तो उसकी भर्त्सना करनी चाहिये। राजनैतिक पीड़ितों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये, चाहे वे किसी भी विचारधारा के हों।

आज़ाद हिन्द फौज़ का जिक्र हम अक्सर सुनते रहते हैं। अतः मैं उसके सम्बन्ध में इस अवसर पर अधिक नहीं कहना चाहता, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत से आज़ाद हिन्द फौज के

[श्री भक्त दर्शन]

भाई बड़ी दयनीय और दुखी अवस्था में हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जैसा कि डा० राम सुभग सिंह जी ने बतलाया कि आज़ाद हिन्द फौज़ के दो बड़े अफ़सर तो ज़रूर आज केन्द्रीय सरकार में उपमंत्रियों के पदों पर विराजमान हैं लेकिन जो अधिकांश उनमें से हैं उनकी हालत बहुत खराब है और मेरा यह निवेदन है कि राजनैतिक पीड़ितों को सुविधा देते समय उनका विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिये।

इसी तरह से मैं आपको बतलाऊं कि सन् १९३० में जो पेशावर-कांड हुआ था और जिसमें हमारे भारतीय सैनिकों ने बड़ी बहादुरी और देशभक्ति का परिचय दिया था और जिसके लिये उनको अपार कष्ट भोगना पड़ा था, उनमें से श्री चन्द्र सिंह गढ़वाली का मैं विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहता हूं। वे पेशावर कांड के नेता थे और उनके त्याग और बलिदान की स्मृति में सारे देश ने सन् १९३० में कांग्रेस-अध्यक्ष-स्वर्गीय श्री मोतीलाल नेहरू जी के आदेश से "गढ़वाली-दिवस" मनाया था और श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसमें उसका बहुत अच्छी तरह से स्मरण किया है, उस वीर सेनानी की आज क्या हालत है ? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ी कृपा करके उनको १४ रुपये मासिक पेंशन देने का संकल्प किया है।

एक माननीय सदस्य : शेम !

श्री भक्त दर्शन : मैं समझता हूं कि उन्होंने उस अपमानपूर्ण चीज़ को लौटा कर बहुत अच्छा किया। १४ रुपये की मासिक पेंशन देने का प्रस्ताव करना उनके साथ मज़ाक करना है। उत्तर प्रदेश में स्वयं मेरे ज़िले में, मैं किसी का यहां पर नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत से मोटे-मोटे शरीर वालों को ७५) और १००) रुपये तक की पेंशनें दी गई हैं, जबकि उसके विपरीत एक ऐसे आज़ादी के संग्राम के सिपाही को, जिसने कि इतनी देशभक्ति और त्याग का एक उदाहरण देश के सामने रक्खा, उसको १४ रुपये मासिक पेंशन दी जाये, यह कितना अपमानजनक है। मेरा यह अनुरोध है और मैं समझता हूं कि सदन के सब वर्गों का भी यही मंतव्य है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये, बल्कि जिसकी जितनी कुर्बानी है और जिसका जितना त्याग और तपस्या है और जिसको आज के ज़माने में जितना कष्ट है उसके अनुरूप उसको सरकार की ओर से सहायता मिलनी चाहिये। अर्थात् ऐसा करते समय हमें बिल्कुल निष्पक्षता बरतनी चाहिये।

अब मैं, सभापति महोदय, केवल दो-एक बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह जो मूल प्रस्ताव है इसका मंतव्य बड़ा सुन्दर होते हुए भी जैसा कि श्री थानू पिल्ले ने कहा यह बहुत थोड़ी दूर तक जाता है। इसमें केवल यह व्यवस्था की जा रही है कि जो लोग शिक्षा पा रहे हैं अगर उनकी हालत खराब हो तो उनको छात्रवृत्तियां दी जायें। इस सम्बन्ध में मैंने अपने संशोधन संख्या ७ में यह सुझाव दिया है कि उन सब के लिये कम से कम हायर सेकेंडरी स्टेज तक फ्री एजुकेशन (निःशुल्क शिक्षा) की व्यवस्था होनी चाहिये।

मैं अपने राज्य के बारे में और स्वयं अपने ज़िले के बारे में जानता हूं कि जब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यह निमंत्रण दिया गया कि जो लोग राजनैतिक पेंशन लेना चाहते हैं वे अपने आवेदनपत्र सरकार के पास भेजें, तो बहुत से लोग अपने आत्मसम्मान के कारण आवेदनपत्र नहीं देना चाहते, हालांकि वे पीड़ित और दुखी हैं लेकिन वे आवेदनपत्र देकर अपने सम्मान को मिटाना नहीं चाहते। मैं चाहता हूं कि उनके लिये कोई एक युनिफ़ौर्म फ़ारमूला (एकरूप सूत्र) होना चाहिये कि अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम हायर सेकेंडरी स्टेज तक निःशुल्क शिक्षा दी जाय और इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने वाला नहीं है। हमने अपने हरिजन भाइयों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की हुई है, जनजातियों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की हुई ह और अगर हम सब राजनैतिक पीड़ितों के लिए भी इसकी व्यवस्था करते हैं तो मेरे खयाल में देश भर में आपको १ लाख व्यक्तियों

के लिये और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। उनमें भी बहुत से लोग तो मर गये होंगे और बहुतों के बच्चे पढ़ने वाली अवस्था पार कर गये होंगे और अब तक वे शायद किसी रोज़गार या धंधे पर लग गये होंगे और इस तरह देखा जाय तो १ लाख व्यक्तियों से अधिक के लिये आपको इसकी व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी और अगर उनके लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हाई स्कूल तक कर दी जाती है तो यह एक बहुत सुन्दर कार्य होगा। श्री थानू पिल्ले ने जोश में आकर यह कह दिया कि अगर राजनैतिक पीड़ितों के साथ न्याय नहीं किया गया तो वे ब्रूट फ़ोर्स (पाशविक शक्ति) का इस्तेमाल करेंगे, ब्रूट फ़ोर्स यह शब्द इस्तेमाल कर दिया जो कि मैं समझता हूं कि अवांछनीय है और नहीं किया जाना चाहिये था। हमारे इन स्वाधीनता-संग्राम के साथियों ने देश के सामने एक (आत्मिक शक्ति) का उदाहरण रखा है और उनके द्वारा पाशविक शक्ति का प्रदर्शन करके अपनी मांग को स्वीकार कराने का कार्य कभी नहीं हो सकता है, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है।

मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे प्रधान मंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री महोदय और हमारे उपमंत्री महोदय जिनको कि हमारे डा० राम सुभग सिंह ने 'जनता मंत्री' का टाइटिल (नाम) दे डाला है, मैं तो उनको इससे भी ऊंची पदवी देने के पक्ष में हूं, लेकिन ख़ैर जनता मंत्री आपने उनको कहा है तो मुझे पूरा भरोसा है कि वे अपनी पूरी शक्ति को इस कार्य में लगायेंगे और मैं समझता हूं कि जैसा कि बहुत से मेरे अन्य साथी कह चुके हैं अगली बार जब हम यहां नई पार्लियामेंट (संसद्) में अगर भगवान ने सफलता हमको दी तो हम यहां पर आयेंगे और हो सकता है कि बहुत से लोग दुर्भाग्यवश यहां पर दुबारा न आ सकें। बहुत से लोगों की शक्ल शायद इस सदन में न दिखाई पड़े। बहुत से लोग जो आयेंगे वे सब मिल कर इस बात को देखेंगे कि जो संकल्प हम लोग स्वीकार कर रहे हैं उस पर अमल हो चुका है या नहीं और हम ने अपने देश के स्वाधीनता-संग्राम के सैनिकों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया है या नहीं।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं यह घोषणा करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि सत्र के १७ दिसम्बर से आरम्भ होने वाले अन्तिम सप्ताह के लिये सरकारी कार्य निम्नलिखित होगा :–

१. सामान्य और रेलवे–अनुदानों के लिये अनुपूरक मांगों और रेलवे के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान।
२. इन मांगों सम्बन्धी विनियोग विधेयक।
३. लोक प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) संशोधन विधेयक।
४. बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक।
५. संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक।
६. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक (१७ दिसम्बर को पुरःस्थापित किया जायेगा)
७. केरल राज्य विधान मंडल (शक्ति प्रत्यायोजन) विधेयक।
८. प्रादेशिक परिषद् विधेयक।
९. पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में।
१०. दिल्ली (भवन निर्माण नियंत्रण) जारी रखना विधेयक।
११. दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक।
१२. गंदे क्षेत्र (सुधार तथा समाप्ति) विधेयक।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री सत्य नारायण सिंह]

आशा है कि अन्तिम तीन विधेयकों को राज्य सभा अगले सप्ताह के आरम्भ में पारित करेगी।

जिस क्रम में कार्य की मदों की मैंने घोषणा की है उन्हें लाने के लिये वही अस्थायी क्रम निश्चित किया गया है।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतनक्रमों के निर्धारण और अन्य सेवा सम्बन्धी शर्तों के सम्बन्ध में, आपकी अनुमति से १७ दिसम्बर सोमवार ५ म० प० बजे चर्चा करने का विचार है।

राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों के लिये छात्रवृत्तियां देने सम्बन्धी संकल्प

श्री रघुवीर सहाय : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव हमारे माननीय मित्र डा० राम सुभग सिंह ने रखा है उसके उद्देश्य से मैं पूरी तरह सहमत हूं और मैं उसका स्वागत करता हूं। अगर्चे हम यह चाहेंगे कि जब इस प्रस्ताव के पास करने की नौबत आवे तो वह इस शक्ल में पास हो जैसी कि मैंने अपने संशोधन में लिखी है :

> "देश के राजनैतिक पीड़ितों की बहुत खेदजनक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस सभा की राय में सरकार को न केवल उनके बच्चों को प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क देनी चाहिये वरन् उपयुक्त मामलों में छात्रवृत्तियां भी देनी चाहियें।"

मैं समझता हूं कि इस के समर्थन में मेरे लिये यह आवश्यक नहीं है कि मैं उन बातों का यहां पर वर्णन करूं कि ब्रिटिश काल में किन-किन लोगों ने और किन-किन जमातों ने फायदा उठाया है, और उन के चले जाने के बाद कौन-कौन लोग फायदा उठा रहे हैं ? मेरे ख्याल में इस प्रस्ताव का महत्व बहुत ज्यादा है और वह अपने महत्व के ऊपर ही इस भवन में पास कराया जा सकता है।

मैं यह समझता हूं कि हमारे राजनैतिक पीड़ितों की जो दुर्दशा इस समय है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं इस के मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि चाहे स्टेट्स (राज्यों) की सरकारें हों चाहे केन्द्रीय सरकार हो, उनकी शोचनीय दशा वह नहीं जानतीं। यह बात और है कि इस तरफ उनका ध्यान अभी पूरी तरह से आकर्षित न हुआ हो। मैं इस बात के भी पक्ष में हूं कि जहां तक राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों की तालीम और उनकी दूसरी सुविधायें देने की बात है, उसमें किसी तरीके की भी तफ्रीक सरकार को नहीं करनी चाहिये। अगर उन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया है, चाहे वह किसी तरह पर हो, चाहे हिंसात्मक तरीके से चाहे अहिंसात्मक तरीके से, यह तो मानना ही पड़ेगा कि उनकी नीयत बड़ी अच्छी थी और उन सब लोगों की तकलीफों से और उनकी तपस्या से ही आज हम अपने देश को स्वतन्त्र देख रहे हैं, और स्वतन्त्रता के जो फायदे हैं उनको भी पा रहे हैं।

अब आप देखिये कि सन् १९२१ में जब महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया तो कितने लोग उनके पीछे, उनके आदेश के अनुसार जेलों में गए, उनमें न सिर्फ वकील और बैरिस्टर, मुख्तार, रुपए पैसे वाले जमीदार बल्कि हजारों गरीब आदमी, जो कभी भी यह ख्याल नहीं करते थे कि उनकी जिन्दगी में स्वराज्य मिल सकेगा, भी थे। मेरा ख्याल है कि उन अनगिनत आदमियों में से आज भी बहुत से मौजूद हैं, जिनकी दशा बड़ी खराब है। जैसी कि हमारे यहां एक बड़ी भोंडी सी मसल है कि चोर चोरी से जाय पर हेरा फेरी से नहीं जा सकता। इसी तरह से कि जिन लोगों ने सन् १९२१ में महात्मा गांधी के आदेश से सत्याग्रह किया था उनमें से भी बहुत से लोग आज जिन्दा हैं, सन् १९४२ और १९४४ तक जितने भी आन्दोलन हुए उनमें सभी में उन्होंने भाग लिया है। लेकिन अगर आज देखा

जाए कि उनके बच्चों की क्या हालत है, तो वह चीज़ वाकई बड़ी शोचनीय है। इसी प्रकार जब सन् १९३० में नमक का कानून तोड़ने का आन्दोलन किया गया, और उसके बाद सन् १९३१ से १९३३ तक दूसरा आन्दोलन लगान बन्द करने का किया गया तो उसमें भी कितने ही अनगिनत आदमी जेलों में गये, उस वक्त जो गरीब आदमी जेल गए उनमें से बहुत से आज जिन्दा हैं। इसी प्रकार से जब सन् १९४१ का व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ तो आदमी जेल गए, सन् १९४२ का 'भारत छोड़ो' आन्दोलन हुआ तो भी अनगिनत आदमी जेल गए। इन तमाम राजनैतिक पीड़ितों के लिये मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि आज उनमें से बहुत थोड़े ऐसे हैं जो पार्लियामेंट (संसद्) के मेम्बर्स (सदस्य) हैं या ऐसेम्बलीज (विधान सभाओं) के मेम्बर्स हैं या जो एलेक्टिव आफिसेज में लगे हुए हैं और थोड़ा सा रुपया पैसा कमा सकते हैं और अपने बाल बच्चों की तालीम पर खर्च कर सकते हैं। अनगिनत आदमी ऐसे हैं जिनके खाने पीने का और अपने बच्चों की तालीम का कोई जरिया नहीं है। जैसा कि अभी हमारे एक माननीय दोस्त ने कहा कि बहुत से लोग तो इस बात में शरमाते हैं कि हम दर्ख्वास्त कैसे दें? क्योंकि जब स्वराज्य के लिये आन्दोलन होते थे उस समय वह जिस वातावरण में रहे हैं, उस वातावरण में वह यह बात ठीक नहीं समझते कि वह दर्ख्वास्त दें और दर दर मारे-मारे फिरें लोगों की खुशामद करें और बाद में इस खिफ्फत को बर्दाश्त करें कि उनकी दर्ख्वास्त खारिज हो। लेकिन आज जमाना बहुत बदल गया है, हम सोशलिस्टिक पैटर्न (समाजवादी व्यवस्था) की हुकूमत बनाने जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि यह वेलफेअर स्टेट है, यह जनता की सेवा का जमाना है, इसलिये इस चीज़ में हमें कोई कमी नहीं बरतनी चाहिये। हमें कोई तो कदम आगे बढ़ाना चाहिये।

अभी हफ्ते दो हफ्ते की बात है, जब चीन गया हुआ हमारा डेलिगेशन (प्रतिनिधि मंडल) वापस आया तो अध्यक्ष महोदय ने संसद् के हाल में एक व्याख्यान दिया, हम सब लोग वहां गए थे और उनके व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुना। उसमें कई एक ऐसी बातें थीं जिनका हम लोगों पर बड़ा असर हुआ। उनमें से एक खास बात यह थी कि उन्होंने कहा कि चीन में पढ़ाई-लिखाई बहुत कम कीमत में होती है, वहां खाने की चीजें बहुत कम कीमत में मिलती हैं। जो एक मामूली आदमी की सुविधाएं हैं वह सब बहुत कम खर्चे में मिलती हैं। हम नौ वर्ष की आजादी के बाद भी नहीं कह सकते कि हिन्दुस्तान में ऐसा हुआ है। आज तालीम की जो हालत है उसको बच्चों के माता-पिता जानते हैं। अगर बच्चे को स्कूल में रखना होता है तो कम से कम ४० या ५० रुपया भेजना पड़ता है। चूंकि स्कूल्स में मास्टर ठीक से पढ़ाते नहीं हैं इसलिये उनको प्राइवेट ट्यूटर (निजी अध्यापक) रखना पड़ता है, वह भी २५ रुपये महीने से कम नहीं लेता है। जो लड़के कालेज या यूनिवर्सिटीज (विश्वविद्यालयों) में पढ़ते हैं उनके ऊपर सौ या सवा सौ रुपया माहवार से कम खर्च नहीं होता है।

ये राजनैतिक पीड़ित जिनके बारे में मैंने अभी दो चार बातें कही हैं ये कैसे अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। उनका सारा भार हमारी सरकार को अपने ऊपर ले लेना चाहिये। हां मैं यह मानता हूं कि वह दिन दूर नहीं और उसे अवश्य आना चाहिये जबकि वास्तव में हमारे देश के अन्दर एक सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी (समाजवादी व्यवस्था का समाज) की स्थापना होगी और जब हमारी स्टेट सही मानों में एक वैलफेयर स्टेट (कल्याणकारी राज्य) होगी और सब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा सरकार के ऊपर होगा और सब लोगों की बीमारियों के इलाज के लिये दवादारू का इंतिजाम गवर्नमेंट करेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद उस दिन के आने में काफी देर लगेगी। इसलिये कम से कम इन लोगों के बच्चों के प्रति हमें अपना कर्त्तव्य निभाना चाहिये जिनको तपस्या से, जिनकी सेवाओं से हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ है, हमें आज़ादी मिली है।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। केवल एक बात कहकर समाप्त कर दूंगा, जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत ही कम लोग उन राजनैतिक पीड़ितों में हैं जोकि पार्लियामेंट के या स्टेट असेम्बलीज़ के

[श्री रघुवीर सहाय]

मैम्बर हो सके हैं। आज चाहे आप इसको दुर्भाग्य कहें और चाहे सौभाग्य कहें, टिकिट देते वक्त यह देखा जाता है कि वह आदमी जिसको टिकट दिया जा रहा है इलैक्शन में खड़े होने के लिये, क्या वह खर्चा कर सकता है। यह ठीक हो सकता है, उचित हो सकता है लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि बहुत से राजनैतिक पीड़ित इलैक्शन (चुनाव) में भी खड़े नहीं हो सकते हैं। इस तरह से अगर उनको इलैक्शन में खड़े होने से भी रोका गया और उनकी आमदनी का भी कोई इंतिज़ाम नहीं किया गया तो इसके माने यह होंगे कि उनके बच्चे हमेशा के लिये अनपढ़ रह जायेंगे और अनपढ़ बच्चे आप जानते हैं कि एक सोशल डेंजर हो सकते हैं। इस डेंजर (खतरे) से बचने के लिये भी यह आवश्यक है कि हम इस प्रस्ताव को मंजूर करें और इस सवाल पर हमदर्दी से गौर करें और जो भी सहायता हम इन बच्चों के लिये दे सकते हैं, दें।

†**श्री सु० चं० देव** (कचार-लुशाई पहाड़ियां) : मैं डा० राम सुभग सिंह के प्रस्ताव का हृदय से स्वागत करता हूं। १९२१ से स्वतन्त्रता आंदोलन के सिपाहियों में से मैं एक रहा हूं और मैंने हज़ारों नवयुवकों को काम करते देखा है।

हम जब देश का सभी प्रकार से विकास कर रहे हैं वे लोग आज भी पीड़ित हैं।

जब अभी मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाता हूं, राजनैतिक पीड़ित मुझे मिल कर सहायता मांगते हैं परन्तु मैं तो स्वयं असहाय हूं। यद्यपि राज्य सरकारों ने कुछ योजनायें बनाई थीं परन्तु उनके पास निधि कम है। मेरे राज्य में पहले ४० या ५० व्यक्ति चुने गये थे और फिर ४०० अथवा ५०० परन्तु उन्हें बहुत कम सहायता दी जाती है।

स्वतन्त्रता युद्ध के योद्धाओं की सहायता करना सरकार का कर्तव्य है। वे देश की आत्मा हैं। उनकी पीड़ाओं को कम किया जाना चाहिये।

सर्वप्रथम सरकार को देश भर में राजनैतिक पीड़ितों की सूची तैयार करनी चाहिये। उन पर निर्भर परिवारों और बच्चों के मामले देखने चाहियें। केन्द्रीय सरकार को निधि के लिये संसाधन ढूंढने चाहियें। उनके स्तर को देश के अन्य व्यक्तियों के समान बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार को भरसक सहायता करनी चाहिये।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : चेयरमैन साहब मैं अपने संशोधन को आपकी आज्ञा से यहां पेश करना चाहता हूं जो इस प्रकार है :

> "इस सभा की यह राय है कि राजनैतिक पीड़ितों की स्थिति की जांच के लिये और उन पर निर्भर सम्बधियों की सहायता के लिये साधनों का सुझाव देने के लिए एक समिति स्थापित की जाये"

मैं गत दो वर्षों से प्रयत्न कर रहा था कि प्रस्ताव इस हाउस के सामने आवे। चूंकि यह प्रस्ताव बैलट में नहीं आ सका इस वास्ते न तो वह यहां पेश हो सका और न ही उसको यहां पर डिसकस (विचार) किया जा सका। बड़े सौभाग्य की बात है कि डा० राम सुभग सिंह जी का प्रस्ताव इस सदन के सामने आया है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि आज पोलिटिकल सफरर्स (राजनैतिक पीड़ितों) की क्या हालत है, इसका अंदाजा लगाना अनुमान से बाहर है। जो लोग कि देहात के कार्यकर्ता हैं जिनको लोग जानते तक नहीं, वे तिल-तिल दुःख भोग रहे हैं और अपने दुःख को किसके सामने रखें, यह उनकी समझ में नहीं आता है। हमें आज़ाद हुए तकरीबन दस साल हो गए हैं और उनकी दशा आज पहले से भी खराब हो गई है। जिस वक्त आज़ादी की लड़ाई चल रही थी जोश में आकर उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया कि उनके घरों की क्या हालत होगी, उनके बाल बच्चों की क्या हालत होगी और उनकी वृद्धावस्था कैसे गुज़रेगी। वे अपना

†मूल अंग्रजी में।

सर्वस्व होम कर के इस देश की आजादी के लिये लड़े। हमने हमेशा यह देखा है कि किसी भी लड़ाई में लड़ने वाले सिपाही को बाद में रीहैविलिटेट (पुनर्वासित) किया जाता है, उसकी कुछ न कुछ सहायता की जाती है। इस सदन में भी बार-बार यह प्रश्न आता है कि डीमाबिलाइज्ड सोल्जर्ज़ (सेना से निकाले गये सिपाहियों को) को रीहैविलिटेट किया जा रहा है या नहीं और गवर्नमेंट बराबर यह जवाब दिया करती है कि इतने लोगों को जमीन दी गई है, इतने लोगों को नौकरी दी गई, इत्यादि। लेकिन यह कितने आश्चर्य की बात है कि आजादी की लड़ाई के सिपाहियों के सम्बन्ध में यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं आता। यह कहा जाता है कि यह काम राज्य सरकारों के जिम्मे है। मैं मानता हूं कि कुछ राज्य सरकारों ने कुछ रुपया पैसा देने का प्रबन्ध किया है, लेकिन यह मामला इतना बड़ा है—यह समस्या इतनी बड़ी है कि यह राज्य सरकारों के बस की बात नहीं है। मैं बिहार की बात जानता हूं। वहां करीब पचास साठ लाख रुपया राजनैतिक पीड़ितों को दिया गया, लेकिन कैसी हालत में वह दिया गया और किस तरह दिया गया, यह एक दर्दनाक कहानी है। आप जानते हैं कि बिहार में राजनैतिक पीड़ितों की संख्या बहुत है। हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त में शायद उतने राजनैतिक पीड़ित नहीं होंगे, जितने कि बिहार में हैं और उनकी हालत बहुत ही शोचनीय हो गई है। सन् १९२१ या सन् १९३० में वे बच्चे थे, जबकि वे अपने अपने स्कूल और कालिज छोड़ कर स्वतन्त्रता-संग्राम में भाग लेने के लिये आगे आये और आज १९५६ में उनकी अवस्था पचास पचपन वर्ष की हो गई है। कोई उनको देखने वाला नहीं है। उनकी लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। उनके बच्चों की एजूकेशन (शिक्षा) नहीं हो रही है। जिन लोगों ने दरख्वास्तें दीं, उनको क्या दिया गया ? किसी को १५० रुपए, किसी को २०० रुपये और किसी को ५०० रुपये दिए गये। यह कितना हास्यास्पद एमाउंट है। इतने से न किसी का रीहैविलिटेशन (पुनर्वास) हो सकता है और न ही एक वर्ष की भी समस्या हल हो सकती है। चूंकि बिहार सरकार या किसी भी और सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं कि वे पोलीटिकल सफ़रर्ज़ की समस्या को हल कर सकें, इस लिये मैं चाहता हूं कि इस समस्या को एक संकुचित रूप में न लेकर—केवल लड़कों की पढ़ाई की बात न लेकर—पोलीटिकल सफ़रर्स की सारी स्थिति की जांच की जाय और अगर उनकी या उनके बच्चों की कोई देख-रेख करने वाला न हो, तो उनकी देख-रेख का प्रबन्ध किया जाय। जो लोग १९२०, १९३० या १९४२ में मारे गये, उनकी विधवायें हैं। उनमें से कुछ को तो रुपये मिले हैं, कुछ को नहीं मिले हैं। मेरे प्रान्त में कुछ को दो हज़ार रुपये दिये गये। आप स्वयं सोच सकते हैं कि उस दो हज़ार रुपये से एक विधवा का क्या होगा। अगर उसकी कोई लड़की है, तो वह सारा रुपया उसकी शादी में ही खर्च हो गया और आज वह या तो किसी का गेहूं पीस कर, पानी भर कर या जूठे बरतन मल कर जीवन व्यतीत कर रही है या उसको भूखा रहना पड़ रहा है। समय के अभाव के कारण मैं इस सदन में उन लोगों की दुर्दशा का पूरा विवरण नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं यह निवेदन अवश्य करूंगा कि जिन राजनैतिक पीड़ितों को असेम्बली या पार्लियामेंट में जगह मिल गई है, या जो किसी ओहदे पर हैं, उनकी दशा को देख कर साधारण राजनैतिक पीड़ितों की दशा का अन्दाज़ा न लगाया जाय। उनको जानने वाले भी कम हैं और उनकी पहुंच भी सीमित है। बहुत से लोगों ने इसलिये भी दरख्वास्तें नहीं दी, क्योंकि वे ऐसा करना स्वाभिमान के खिलाफ समझते हैं। इसलिये उनको वह दो, चार या पांच सौ रुपये भी नहीं मिल सके। इसके विपरीत जो लोग हुशियार और चालाक थे, उन्होंने पीड़ित न होने पर भी सरकार को भ्रम में डाल कर रुपया ले लिया। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं।

मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि राजनैतिक पीड़ितों को पुनस्संस्थापित करने की समस्या छोटी नहीं है। यहां पर जो प्रस्ताव पेश किया गया है, उसमें कहा गया है कि केवल उनके बच्चों की पढ़ाई की समस्या की जांच की जाय। मैं इससे सहमत नहीं हूं और इस कारण कि जिनके घर खाने को नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, वे लड़कों को पढ़ा कैसे सकते हैं। वे तो इस ख्याल में रहते हैं कि उनका लड़का काम कर के एक सेर अनाज ला कर दे कि घर में बूढ़ा बाप या बूढ़ी मां पेट भर सकें। यह समस्या

[पंडित द्वा० ना० तिवारी]

बहुत बड़ी है और इसलिये मैं अपील करूंगा कि डा० राम सुभग सिंह और गवर्नमेंट मेरे इस संशोधन को स्वीकार-कर लें, जिससे यह समस्या केन्द्रीय सरकार में आ जाय और इसकी समुचित जांच हो सके।

मैं कुछ राजनैतिक पीड़ितों के पत्र भी अपने साथ लाया हूं, जिनको पढ़ने से हृदय विदीर्ण होता है। कोई लिखता है कि मेरी बच्ची की शादी होनी है, मैं क्या करूं ?

पंडित कृ० चं० शर्मा : शादी न करें।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : शर्मा जी कहते हैं कि शादी न करें। अगर इनकी अपनी बच्ची होती, तो वह क्या समझते--उनके मन की अवस्था क्या होती ? किसी राजनैतिक पीड़ित के बारे में इस प्रकार **लाइट-हार्टिड वे** (मजाक) में बोल देना मैं नहीं समझता कि इनको शोभा देता है।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने मज़ाक में कहा है।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : यह मज़ाक का विषय नहीं है।

सरदार अ० सिं० सहगल (विलासपुर) : यह बड़ा गम्भीर विषय है।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : यह समस्या बड़ी अहम है और सरकार इसको सारे हिन्दुस्तान की समस्या समझ कर देखे। जुलाई, अगस्त, १९५५ में दिल्ली विधान सभा में इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव आया था कि इन लोगों की कुछ सहायता की जाय। उसमें यह तय किया गया था कि राजनैतिक पीड़ितों को कुछ पेन्शन दी जाय। मेरा कहना यह है कि हर राजनैतिक पीड़ित को पेन्शन देना स्टेट गवर्नमेंट (राज्य सरकार) के बूते की बात नहीं है। वह केन्द्रीय सरकार ही दे सकती है और जैसे गत महायुद्ध के सिपाहियों को पुनस्संस्थापित किया जाता है, उससे भी अधिक सुन्दरता के साथ इस काम को हाथ में लेना चाहिये। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वह इस संशोधन को मान कर सारे हिन्दुस्तान में यश प्राप्त करें।

एक खतरा और भी है, जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। राजनैतिक पीड़ितों की पेशेन्स--उनके धैर्य की एक सीमा होती है। यह न समझा जाय कि आप बराबर उनकी इच्छा की अवहेलना और उनकी अवस्था की उपेक्षा कर सकते हैं। राजनैतिक पीड़ितों की संख्या इतनी है, उनमें जोश इतना है कि यदि वे चाहें तो सारी सरकार को उलट सकते हैं। इससे पहले कि उनके धैर्य की सीमा का बान्ध टूट जाय, सरकार चेते और इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करे।

श्री राम दास : जो प्रस्ताव इस सदन में पेश किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और जिन्होंने इसको पेश किया है, उनको मैं बधाई देता हूं। यह प्रस्ताव संसद् में बहुत पहले आ जाना चाहिये था और अब चूंकि यह आ गया है, इसलिये इस को कबूल कर लेना चाहिये। इसमें कोई मतभेद नहीं है कि इस किस्म के जो पोलीटिकल सफ़रर्ज़ हैं, उनकी मदद की जानी चाहिये और उनको हर तरह से सहूलियत मिलनी चाहिये, क्योंकि उनकी कुर्बानी से ही हम अपनी आज़ादी को प्राप्त कर सके हैं। उनको नेगलेक्ट (उपेक्षा) करना और उनकी तरफ ध्यान न देना एक बड़ा भारी अहसान-फ़रामोशी का काम होगा। इस प्रस्ताव में कोई बहुत बड़ी मांग तो की नहीं गई है, यह नहीं कहा गया है--जैसाकि एक आनरेबल मेम्बर ने संशोधन रखा है--कि उनकी सारी हालत को देख कर उनकी हर किस्म की इमदाद करनी चाहिये रेज़ोल्यूशन (संकल्प) में तो एक रेस्ट्रिक्टिड मांग है कि उन लोगों के जो बच्चे हैं, जिनको वे तालीम नहीं दे सकते, उनको तालीम देने का प्रयत्न सरकार की तरफ़ से होना चाहिये। मैं इससे सहमत हूं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी तरमीम करना चाहता हूं, जो कि मैंने इस सदन के सामने पेश कर दी है।

पहली योजना और दूसरी योजना के अन्दर हमारी सरकार का यह खास तौर से प्रयत्न है कि हमारे मुल्क के अन्दर बेरोजगारी नहीं रहनी चाहिये। बेरोजगारी को दूर करना कोई आसान काम नहीं है।

जिन-जिन लोगों ने या मुल्कों ने या कौमों ने या राज्यों ने इस काम को करने का प्रयत्न किया है, इसमें वे पूरी तरह से सफलता नहीं प्राप्त कर सके हैं। अपने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर तो हम यह कह सकते हैं कि एक योजना नहीं दो, तीन, चार योजनाओं के बाद भी शायद हम बेरोजगारी को अपने मुल्क से खत्म न कर सकेंगे। इसलिये मैंने यह सुझाव रखा है कि सरकार अपने ही खर्च से बेरोज़गारी पैदा न करे क्योंकि अगर ये वजीफे जिसको लिबरल एजूकेशन कहते हैं उसे देने के लिये दिये गये तो इससे पढ़े-लिखों की बेरोजगारी और बढ़ेगी। जो लोग पढ़े-लिखे नहीं होते हैं वे तो अपने हाथ से काम करके अपना पेट पालन कर लेते हैं, वे तो हाथ से काम करने में आन नहीं समझते। लेकिन हमारे पढ़े-लिखे नौजवान हाथ से काम करना पसन्द नहीं करते। इसके अन्दर वे अपनी बेइज्जती समझते हैं। वे समझते हैं कि इसके अन्दर हमारी आन नहीं रहती और हम लोगों की नजरों में गिर जाते हैं। इसलिये अगर सरकार अपना रुपया लिटरेरी एजूकेशन (साहित्यिक शिक्षा), नॉन प्रोफेशनल एजूकेशन (अव्यवसायिक शिक्षा) नॉन वोकेशनल एजूकेशन पर खर्च करेगी तो वह एक तरह से पढ़े-लिखे आदमियों को पैदा करेगी और उनकी बेरोजगारी को बढ़ायेगी, और इस किस्म के लोगों की तादाद मुल्क में बढ़ाना खतरे से खाली नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन लड़कों को लाजिमी तौर पर इस बात के लिये उत्तेजित किया जाये कि वह ऐसे इंस्टीट्यूशनों (संस्थाओं) में जायें जहां उनको टैकनीकल एजूकेशन मिल सकती है, जहां उनको वोकेशनल एजूकेशन (व्यवसायिक शिक्षा) मिल सकती है, साइंटिफिक एजूकेशन (वैज्ञानिक शिक्षा) मिल सकती है ताकि वे तालीम हासिल करने के बाद बेरोज़गार न रहें और बेकार न फिरें और अपने रोजगार के लिये किसी के मोहताज न हों, और अपना पेट पाल सकें और अगर उनके मां-बाप हों जिन्होंने कि आजादी की लड़ाई में तकलीफें उठायी हैं तो उनके लिये भी वे खाने, कपड़े की और दूसरी आसाइशें मुहय्या कर सकें। अगर हम इस इमदाद को उन लोगों के लिये इअर मार्क कर देंगे जो कि इस तरह के टैकनीकल इंस्टीट्यूशन्स (प्रविधिक संस्थाओं) में जाकर तालीम हासिल करेंगे, तो मैं समझता हूं कि हम केवल उन नौजवानों का ही भला नहीं करेंग, बल्कि हम अपने मुल्क के अन्दर पढ़े-लिखों की बेरोजगारी में ज्यादती करने के भी भागी नहीं होंगे ।

जो रिजोल्यूशन (संकल्प) आनरेबल मेम्बर ने मूव किया है उसे तो सरकार को मंजूर कर ही लेना चाहिये। मैं नहीं समझता कि ऐसा करने में सरकार को क्या दिक्कत हो सकती है। शायद वह यह कहें कि इस काम के लिये उनके पास पैसा नहीं है, जैसा कि उन्होंने उस वक्त कहा था जब कि हमने उनसे प्राइमरी एजूकेशन (प्रारम्भिक शिक्षा) फ्री और कम्पलसरी (अनिवार्य) करने के लिए कहा था। हो सकता कि वह इस वक्त भी यही कहें कि उनके पास रुपया नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार ने कुछ पब्लिक स्कूल खोले हैं। उन पर सरकार बहुत रुपया खर्च कर रही है, पर उनमें ज्यादातर अमीरों के ही लड़के तालीम हासिल कर सकते हैं। इसमें शक नहीं कि एजूकेशन डिपार्टमेंट (शिक्षा विभाग) कुछ गरीब लड़कों को इमदाद देकर वहां भेजता है लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है। जो रुपया इन पब्लिक स्कूल्स पर सरकार खर्च करती है अगर उसको इस तरफ डाइवर्ट कर दिया जाये तो बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती है, और उन स्कूलों के तालिबइल्म (छात्र) तकरीबन उसी तरह की तालीम दूसरे स्कूलों में हासिल कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि स्कूलों में भी इस तरह का फर्क करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इसलिये मैं इन चन्द अल्फ़ाज के साथ एजूकेशन मिनिस्ट्री (शिक्षा मंत्रालय) से ऐसा करने के लिये अपील करूंगा। जो साहब इस वक्त हमारी अपील को सुन रहे हैं उनका दिल तो इस बात से भरा हुआ है, वह तो आगे ही इसको मंजूर करने को बैठे हुए हैं। वह तो जानते हैं कि हमारे राजनैतिक पीड़ितों को किस तरह से तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। वे जानते हैं कि उन लोगों ने बहुत सफर किया है। अगर देश को आजादी मिलने के बाद भी वे लोग सफर करते रहें तो यह बड़े भारी अन्याय की बात होगी। जिस तरह से वे लोग गैर राज्य में तकलीफें उठाते थे, यदि वे आजादी मिलने के बाद भी वैसे ही तकलीफें उठाते रहे तो यह लज्जा की बात होगी। इसलिये मैं चाहता

[श्री राम दास]

हूं एक सरकार इसको स्वीकार कर ले। इसमें खर्च की ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार लाखों और करोड़ों रुपया आज खर्च कर रही है। अगर वह कहीं से भी थोड़ा सा संकोच कर दे तो इन लड़कों की तालीम के लिये रुपया मिल सकता है। इन चन्द अल्फ़ाज के साथ मैं अपना अमेंडमेंट मूव करता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रस्तावक महोदय इसको स्वीकार कर लेंगे और गवर्नमेंट भी इसको मंजूर कर लेगी।

†**सभापति महोदय** : मैं समझता हूं कि प्रत्येक सदस्य पांच मिनट से अधिक न ले। बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : यह महत्वपूर्ण विषय है और मेरा निवेदन है कि हमें कुछ अधिक समय देना चाहिये।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा): मेरा निवेदन है कि विषय महत्वपूर्ण होने के कारण यह आवश्यक है कि अधिकाधिक लोग अपनी प्रस्थापनाएं रख सकें। अतः पांच मिनट पर्याप्त हैं।

†**सभापति महोदय** : प्रत्येक सदस्य पांच मिनट तक बोले।

सरदार अ० सिं० सहगल : जो प्रस्ताव मेरे मित्र डा० राम सुभग सिंह ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि सदन को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिये। हो सकता है कि इस प्रस्ताव के कारण हमारी सरकार को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़े। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव हमारे राजनैतिक पीड़तों की माली हालत सुधारने के लिये नहीं लाया गया है। यह तो इसलिये लाया गया है कि उनके जो बच्चे हैं, और जो अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनकी शिक्षा का प्रबन्ध भारत सरकार करे। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव इस रास्ते की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। राज्यों की सरकारों ने इस तरफ कदम बढ़ाया है लेकिन वह दाल में नमक के बराबर है। आप देखें तो मालूम होगा कि राज्य सरकारों ने जो राजनैतिक पीड़ितों के लिये पैसा खर्च किया है वह बहुत ही थोड़ा है क्योंकि जो उनके आर्थिक साधन हैं उनको देखते हुए वे इससे ज्यादा कर भी नहीं सकतीं। इसलिये अगर हमारी सरकार हमारे राजनैतिक पीड़ितों की माली हालत को नहीं सुधार सकती तो कम से कम उनके बच्चों को पूरी शिक्षा देने का तो प्रबन्ध अवश्य करे। यहां पर कुछ मित्रों ने कहा कि उनको मैट्रिक तक पढ़ा दिया जाये। यह कोई भीख मांगने की बात नहीं है कि उनको मैट्रिक तक पढ़ा दिया जाये। उनको पूरी शिक्षा मिलनी चाहिये। आज मैट्रिक पास की क्या कद्र है। आज बी० ए०, एम० ए० मारे-मारे फिर रहे हैं। इसलिये इन लड़कों को पूरी शिक्षा देनी चाहिये और यह सरकार का कर्तव्य है।

अभी सन् १९४९ में चीन ने अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त की है। चीन में यह अवस्था है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उनके यहां के जितने भी राजनीतिक थे उनको डिपार्टमेंट्स (विभागों) का हैड (मुखिया) बनाया हुआ है क्योंकि वह जानते हैं कि अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) चलाना है तो हमको अपनी पार्टी के लोगों को रखना पड़ेगा और उन्होंने उन लोगों को रखा है।

लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दूसरी पार्टी के लोगों को उन्होंने निकाल कर बाहर कर दिया है। दूसरी पार्टियों के लोगों को भी अपने साथ में रख कर और उसी गवर्नमेंट में लेकर काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या हमारा यह कर्त्तव्य नहीं हो जाता कि हमारे जो भी भाई हों और चाहे उनकी कोई भी विचारधारा क्यों न हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन यदि उन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिये काम किया है तो हमारा कर्त्तव्य है कि हम उन लोगों के मामलों को भी देखें और उनको बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास करें।

अब सभापति महोदय आप बंगाल से आते हैं और मैं इस अवसर पर बंगाल के उन देशभक्तों की याद ताज़ा कराना चाहता हूं जिन्होंने कि अंग्रेजी साम्राज्य के सामने उस समय सिर उठाया जब कि

†मूल अंग्रेजी में।

कोई उठाने की देश में हिम्मत नहीं करता था। बंगाल में बंग भंग आन्दोलन किया गया और उसके बाद बंगाल में एनार्किज्म (अराजकता) का ज़माना आया और क्रान्तिकारियों ने अपने तरीक़े से देश को आज़ादी की राह पर बढ़ाने का प्रयत्न किया और उस सिलसिले में बंगाल के उन देशभक्त शूरवीरों को अनेक कष्ट और यातनायें भोगनी पड़ीं और कितने ही हमारे भाई गोली के शिकार हो गये और फांसी के तख्ते पर झूल गये। यह हो सकता है कि उन्होंने एक ऐसा रास्ता अपनाया हो जो कि कांग्रेस का अहिंसा का रास्ता नहीं था लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह देश की आजादी को मद्देनज़र (दृष्टिगत) रखते हुए किया। इसी तरीके से सन् १८५७ के स्वाधीनता-संग्राम में जिसको कि अंग्रेजों ने १८५७ का वलवा बतलाया हालांकि वह मेरी समझ में भारतीय स्वतन्त्रता के लिये भारतीयों द्वारा लड़ी गई पहली लड़ाई है, उसमें भारतीयों ने अंग्रेजी हुकूमत की दासता से अपने देश को आजाद कराने का प्रयत्न किया और उस सिलसिले में उन्होंने क्या कुछ यातनायें और कष्ट नहीं झेले। आज हम देखते हैं कि उन बेचारों की बड़ी खराब हालत हो रही है और वे भाई जिनकी कि पहले हजारों लाखों रुपये की आमदनी थी, आज उनकी आर्थिक अवस्था बहुत खस्ता है और आज उनके परिवार के लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें और ऐसी अवस्था में क्या यह हमारा कर्त्तव्य नहीं हो जाता है कि हम यदि उनकी फ़ाइनैंनशियल हैल्प (वित्तीय सहायता) नहीं कर सकते तो कम से कम उन राजनैतिक पीड़ितों के जो बच्चे हैं, उनके पढ़ाने का पूरा इंतज़ाम करें।

पेशावर कांड को लेकर जो हमारे देशभक्त सैनिकों ने त्याग और बलिदान किया और देशभक्ति का एक आदर्श देश के सामने रखा आज उनकी कैसी हालत है। आप आज जो उन वीर सिपाहियों को जो १४ रुपये या १५ रुपये पेंशन देने का प्रस्ताव कर रहे हैं तो क्या इससे उनकी हालत सुधर सकती है और क्या उससे वे अपने बंच्चों का ठीक से लालन-पालन कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं।

मैं आशा करता हूं कि हमारे उपमंत्री महोदय जो कि उस बंगाल प्रान्त से आते हैं जहां के लोगों ने देश के सामने एक देशभक्ति और आत्मत्याग का उदाहरण रखा है, वे राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था ज़रूर कर देंगे और इसके लिये सभापति महोदय मैं आपके द्वारा शिक्षा विभाग के उपमंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे उन तमाम राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों के लिये पूरी पढ़ाई मुफ्त दिलवाने का इंतजाम करेंगे। हो सकता है कि इसको अमल में लाने के रास्ते में कुछ दिक्कतें पेश आयें लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन दिक्कतों को रफ़ा कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि हर एक ज़िले में रजिस्टर्स मौजूद होंगे बशर्ते कि वे खराब न हो गये हों, हर एक राज्य की सरकार के पास इस किस्म के रजिस्टर्स होंगे कि दरअसल किस को जरूरत है और किस को कितना देना चाहिये।

हम अपने देश में सच्चे लोकतन्त्री प्रजातन्त्र की नींव रखने जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि उसके लिये यह बहुत अत्यावश्यक है कि राजनैतिक पीड़ितों को सहायता देते समय हम किसी किस्म का भी पक्षपात या भेदभाव न बर्तें और यह पर्वाह न करें कि वह हमारी पार्टी का है या दूसरी पार्टी का है।

सभापति महोदय मैं आपका बहुत अभारी हूं जो आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया।

श्रीमती उमा नेहरू (जिला सीतापुर व जिला खरी—पश्चिम): सभापति महोदय, मैं डा० राम सुभग सिंह को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने कि यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा। जब मैंने यहां हाउस में भाषणों को सुना तो मेरी आंखों के सामने हिन्दुस्तान की जीती जागती सच्ची तसवीर सामने आ गई और मुझे पुरानी बातें याद आ गईं। जब मैं देखती हूं कि वे लोग जिन्होंने कि इस मुल्क को आज़ाद कराया और उस स्वाधीनता-संग्राम में अकेले पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे, उनकी कोशिशों और बलिदानों के फलस्वरूप हमारा देश आज़ाद हुआ और भारत भर में जनता राज्य कांग्रेस का राज्य कायम हुआ और एक माने में वह राज्य आजादी के सिपाहियों का राज्य है जो कि पहले रिवैल्स (विद्रोही)

[श्रीमती उमा नेहरू]

थे, आज हिन्दुस्तान आजाद हो जाने के बाद शासन कर रहे हैं, ऐसी हालत में मैं समझती हूं कि जो हमारे मुल्क में राज्य कर रहे हैं और जिनके कि हाथ में हुकूमत की बागडोर आई है, वे सब से पहले अपने उन आज़ादी की लड़ाई के साथियों की हालत सुधारने की ओर ध्यान दें जिन्होंने कि कंधा से कंधा मिला कर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अनेक प्रकार की कुर्बानियां दीं। हम जो एक वेलफ़ेयर स्टेट बनाने जा रहे हैं और हमारी सरकार जोकि पोलिटिकल सफ़रर्स (राजनैतिक पीड़ितों) की हैसियत से बैठी है उसका यह अव्वल फ़र्ज हो जाता है कि वह यह देखे कि जो भूखे, नंगे हैं और इधर उधर मारे-मारे फिर रहे हैं, उनकी सब प्रकार से सहायता करे। हर स्टेट गवर्नमेंट का भी फ़र्ज होता है और सेंटर का भी फ़र्ज हो जाता है कि वे उन राजनैतिक पीड़ितों के परिवार वालों को हर तरह की सहूलियत पहुंचाने की कोशिश करे।

इस समय मेरे पास समय नहीं है नहीं तो मैं आपके सामने हिन्दुस्तान की आज़ादी की पूरी कहानी रखती। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूं कि जब मैं देहातों में घूमती हूं तो देखती हूं कि लोग वहां पानी में डूबे हुए सरसों के साग को मल कर खा रहे हैं कि उनके पास रोटी तक खाने को नहीं है। मैंने स्त्रियों को देखा है कि एक साड़ी में वे गुज़र करने पर मजबूर हैं और एक साड़ी को छोड़ कर उनके पास दूसरी साड़ी नहीं है और यह सब नक़शा देख कर मैं यह कहने पर मजबूर हो जाती हूं कि हम आज़ाद तो जरूर हुए और हमारा अपना राज्य है लेकिन जो चीज़ पहले होनी चाहिये थी वह नहीं हुई है।

अभी जो मैंने यहां पर कुछ स्पीचें सुनीं तो मुझे यह मालूम हुआ कि यहां पर यह कहा गया कि अगर हम पोलिटिकल सफ़रर्स के वास्ते कुछ मुनासिब इंतज़ाम नहीं करेंगे तो पोलिटिकल सफ़रर्स सरकार के विरुद्ध बागी हो जाने का डर है और उनके द्वारा वाएलेंस किये जाने का अन्देशा बतलाया गया। मैं अपने उन भाइयों से यह कहना चाहूंगी कि मैं भी आज़ादी की लड़ाई की एक अदना सिपाही रही हूं और मैंने अपने उन तमाम भाइयों के साथ महात्मा गांधी के सामने अहिंसा पालन करने की शपथ उठाई है, उसको हम भुला नहीं सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भाई लोग भी अपनी प्रतिज्ञा को नहीं झुठलायेंगे। लेकिन मैं सरकार से पुरज़ोर अपील करूंगी कि वे अपने कर्त्तव्य को पहचानें और उन आज़ादी के सिपाहियों को और उनके परिवारों को जिनकी कि हालत बहुत खराब है उनकी तरफ ध्यान दें और उन्हें सहायता पहुंचायें क्योंकि सरकार को यह नहीं भूलना चाहिये कि वह उन्हीं देशभक्तों के त्याग और बलिदानों की वजह से शासन की कुर्सी पर पहुंची है।

श्री विभूति मिश्र : सभापति महोदय, मैं डा० राम सुभग सिंह के प्रस्ताव का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं उन स्टेट गवर्नमेंट्स को बधाई देता हूं जिन्होंने कि राजनैतिक पीड़ितों की अब तक सहायता की है। परन्तु मैं यहां पर यह कह देना चाहता हूं कि जैसे कि मेरे एक भाई ने कहा कि बिहार सरकार ने अपने यहां राजनैतिक पीड़ितों को ५०० रुपये तक की ही सहायता दी है, ठीक नहीं है और मैं जानता हूं कि बिहार सरकार ने अपने यहां ३-३ हज़ार रुपये तक की राजनैतिक पीड़ितों की सहायता की है और इसलिये यह कहना ग़लत होगा कि बिहार सरकार ने कुछ आर्थिक सहायता नहीं दी, अलबत्ता जितनी उसकी सामर्थ्य के अन्दर था उतनी ही सहायता वह दे सकती थी और उससे अधिक सहायता देना उसके बूते के बाहर की बात थी .....

पंडित द्वा० ना० तिवारी : सर आन ए प्वाइंट आफ़ पर्सनल एक्सप्लेनेशन (श्रीमान्, वैयक्तिक स्पष्टीकरण के तौर पर मैं निवेदन करता हूं कि) मैंने यह नहीं कहा कि ५०० रुपये से अधिक आर्थिक सहायता दी ही नहीं, एक आध केस में २ हज़ार रुपये की सहायता दी गई हो, लेकिन अधिकतर सहायता १५०,२०० रुपये की ही दी गई। मैं इससे तो इंकार नहीं करता कि किन्हीं वेसेज़ में २,००० रुपयों की सहायता दी गई है।

श्री विभूति मिश्र : इस सम्बन्ध में मैं अपने प्रधान मंत्री जी से मिला था। प्रधान मंत्री जी भी चाहते हैं कि राजनैतिक पीड़ितों की सहायता हो उनके बाल-बच्चों की सहायता हो। अगर प्रधान

मंत्री जी यहां पर होते तो मैं समझता हूं कि जरूर वह इस बिल पर बोलते और जितना भी हो सकता वह सरकार की ओर से लोगों को देते ।

अभी श्री शिब्बन लाल सक्सेना ने कहा कि डिस्टिंग्शन (विभेद) किया गया । हमारे यहां बिहार में जो एम० एल० ए० या एम० पी० हैं, मैं नहीं समझता कि उन्हें राज्य सरकार से कोई फायदा मिला हो, हो सकता है कि यू० पी० में किया गया हो कि कांग्रेस वालों को फायदा पहुंचा हो ।

मुझे एक बात यह कहनी है कि जो हमारे नॉनवायोलेंस (अहिंसा) के सिपाही हैं जिनके बच्चे तकलीफ में पड़े हैं उनकी रक्षा हमको ज्यादा करनी चाहिये । दुनियां में दो ही उसूल हैं, एक वायोलेंस और दूसरा नॉनवायोलेंस का । अगर हम चाहते हैं और सरकार चाहती है कि नॉनवायोलेंस का पक्ष रहे तो उनको सहायता अवश्य मिलनी चाहिये । अगर उनको सहायता मिलेगी तो उनके बच्चे ज्यादा पढ़ें लिखेंगे और दुनियां में नॉनवायोलेंस की स्थापना में मदद मिलेगी । अगर नॉनवायोलेंस का नहीं चाहते हैं तो हमारा सारा ढांचा टूट जाता है । आज जो हम नॉनवायोलेंस पर चल रहे हैं उसका कारण हमारे आन्दोलन ही हैं ।

पिछली दफा मैं अपने चुनाव क्षेत्र में गया था । वहां पर मैंने जवाहर नाम के एक अपने साथी को बेतिया में लाल बाजार के चौराहे पर भीख मांगते हुए देखा । उस समय मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा पैसा था, मेरा हृदय टूक-टूक हो गया, मैंने उससे उनकी सहायता की । लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे आजादी के सिपाही मदद पाएं । वह दर-दर भीख मांगें और हमारी सरकार देखती रहे यह कैसे हो सकता है ? जिन्होंने वेन्गाजी और पर्शिया में दूसरों के लिए लड़ाई लड़ी, अंग्रजों के राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, उन्हें तो आज पेंशन मिलती है, लेकिन आज वह सिपाही जिन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी हासिल की उनको सहायता नहीं मिलती है । अभी प्रधान मंत्री ने जौनपुर में एक व्याख्यान दिया कि हिन्दुस्तान में कांग्रेस का राज्य इसलिये है कि उन्होंने हाल में ही इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई के बहुत से सिपाही कांग्रेस में हैं । इसलिये उसकी धाक है । मैं चाहूंगा कि कांग्रेस की धाक देश में हमेशा रहे, भले ही हमारे विरोधी कहें कि वह न रहे, लेकिन वह रहेगी । लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार उनकी पूरी सहायता करे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बलिदान किए हैं । उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दे । जब हमारी स्वराज्य की लड़ाई चलती थी उस समय हमारे आई० सी० एस० आफिसर्स जो कि विदेशी सरकार के आफिसर थे, वह लोगों को पीटते थे, उनको दबाते थे, लेकिन जब सरकार हमारे हाथ में आई तब भी वह अपने स्थानों पर ही नहीं बने रहे, उनकी तरक्कियां भी हुईं । मैं अपने ज़िले की जानता हूं जहां के सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस आई० जी० के स्थान तक पहुंच गए । उन लोगों को तो अफसरी मिलती है, लेकिन हमारे बच्चे आज पढ़ भी नहीं सकते हैं । आप बताइये कि हमारे बच्चे कैसे उनके बच्चों के साथ किसी कम्पिटीशन में आ सकेंगे । उन लोगों के लिये तो ट्यूटर रखे जाते हैं, उनके लिये सारी सहूलियतें हैं, लेकिन जो हमारे सिपाही हैं उनके लड़के क्या करें । जो आदमी सन् १९२० के मूवमेंट में हमारे साथ थे जो कि आज से ३०, ३५ वर्ष पहले हमारे साथ थे अब उनका १०, १५ आदमियों का परिवार हो गया है, उनको पेट भर खाना भी नहीं मिलता तो हमारे उन आदमियों के बेटे आई० सी० एस० अफसरों के बेटों के साथ कैसे मुकाबला कर सकते हैं ? इस प्रकार करने से तो फिर हमारे यहां विदेशी मनोवृत्ति वालों का राज्य होगा । हम एक सिद्धान्त पर लड़ाई लड़े, उसका प्रचार हमारे द्वारा ही हो सकता है, दूसरों के द्वारा नहीं, लेकिन अगर हम अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकते हैं तो हमारे अहिंसा के सिद्धांतों का प्रचार कैसे हो सकता है ? आज महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत के प्रचार के लिये आवश्यक है कि हमारे बाल बच्चों को पढ़ाया जाये । इसका कारण यह है कि हम को अहिंसा एवं स्वराज्य के लिये दर्द है क्योंकि हमने अहिंसा के द्वारा स्वराज्य हासिल किया है, हमारे बच्चे को भी उसके लिये दर्द होगा क्योंकि वह सोचेगा कि हमारे

[श्री विभूति मिश्र]

बाप, हमारे दादा और बाबा आजादी की लड़ाई लड़े हैं इसलिये जिस सिद्धांत को लेकर लड़े हैं, उस सिद्धांत का प्रचार करना चाहिये। मैं सरकार से कहूंगा, हमारे मंत्री जी तो शायद ध्यानपूर्वक सुन नहीं रहे हैं, मैं चाहता था कि हमारे मौलाना आजाद साहब यहां होते, क्योंकि वह स्वराज्य की लड़ाई में बड़े जबर्दस्त योद्धा रहे हैं, उनके मातहत हमने स्वराज्य की लड़ाई लड़ी है, अगर वे यहां पर होते तो बड़ा अच्छा होता। जहां पर इतना अहम मसला चल रहा है, जो इतना जरूरी सवाल है, उस वक्त सरकार की तरफ से एक डिप्टी मिनिस्टर को बिठला दिया गया है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा इस समय यहां पर बड़े से बड़े मिनिस्टर को होना चाहिये था यह इतना अहम सवाल है जिसकी बुनियाद पर एक ओर हमारे मिनिस्टर, आज मिनिस्टर हैं, प्रधान मंत्री हैं, हमारी पार्लियामेंट और असेम्बलीज के मेम्बर हैं दूसरी ओर हमारे साथी भूख की पीड़ा सहते हैं, उनको खाने को नहीं मिलता है, गांवों में रह कर सारे दुःख उठा रहे हैं, यह बहुत लज्जा की बात है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे, अगर हमारे प्रधान मंत्री जी यहां पर होते तो वह अवश्य इस प्रस्ताव को स्वीकार करते। वैसा योद्धा आज देश में एक भी नहीं है जो कि कांग्रेस की इज्जत और प्रतिष्ठा और देश की लज्जा को आगे बढ़ा सके।

आज डा० राम सुभग सिंह ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें उन्होंने जो स्कालर्शिप की बात कही है, सरकार को उसमें जरा भी इधर उधर नहीं करना चाहिये, एक कॉमा या फुलस्टाप का भी परिवर्तन नहीं करना चाहिये और उसे स्वीकार कर लेना चाहिये। मैं जानता हूं कि किस तरह से हमने स्वराज्य की लड़ाई लड़ी। हम लोग सन् १९२१, १९३०, १९३२-३४, १९४१ और १९४२ में लड़ाई में कूदे। मैं सन् १९३२ में इसी दिल्ली जेल में आया था, हम लोगों पर मार पड़ी, यहां के पुलिस वालों ने हम लोगों के होश खत्म कर दिये थे। स्वराज्य की लड़ाई के बाद अगर हमारे लोगों को, हमारे बाल बच्चों को शिक्षा के लिये पैसा नहीं मिलता तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे बहादुर साथियों को रात में खाना तक नहीं मिलता है, इधर उधर भीख मांगते हैं, हमारी कोई बात नहीं पूछता है, हमारे कितने भाई हैं, हमारी अपनी सरकार होते हुए भी हमारी सहायता नहीं करते हैं, उनको सहायता देते हैं जिन्होंने इस देश में ही रह कर हम लोगों के आन्दोलन को दबाया, इंडिया गवर्नमेंट की सर्विस में रहे और विलायत जा कर पेंशन पा रहे हैं, लेकिन स्वराज्य की लड़ाई करने वालों के लिये पेंशन की, बात तो कौन कहे, उनके बच्चों को पढ़ाई की फीस भी माफ नहीं होती है? आज आप बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को स्कालर्शिप देते हैं, उनमें से जिन लोगों के माता पिता स्वराज्य की लड़ाई में सिपाही रहे हैं उनका जरा ज्यादा ख्याल किया जाये और मैं चाहता हूं कि जहां तक हो सके सरकार उनकी पूरी सहायता करे।

†**श्री राघवाचारी** : अध्यक्ष महोदय, मैं राजनैतिक पीड़ितों पर आश्रित व्यक्तियों की सहायता का समर्थन करता हूं। मुझे एक व्यक्ति का उदाहरण मालूम है। वह पेनुकोंडा तालुके के सेट्टीपल्ली गांव का निवासी है। उसने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया था। अब वह शरीर से योग्य होते हुए भी अंधा हो गया है। उसके सामने अपने आश्रितों के उदर पोषण की समस्या है। वह विनोवा भावे के पास गया था। उन्होंने उसे एक चक्की देकर उसमें चावल दलकर जीविकोपार्जन के लिये कहा। उस व्यक्ति ने यह उपाय भी अपनाया परन्तु उससे वह आठ दस घंटे काम करने के बाद भी आठ या दस आने ही कमा पाता है। वह अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता। ऐसे अनेकों व्यक्ति हैं। यह कल्याणकारी राज्य है। यहां भावी पीढ़ी के कल्याण के लिये सुविधाएं दी जानी चाहिये। अतएव राजनैतिक पीड़ितों के आश्रितों का एक अलग वर्ग बनाना दूसरों के लिये आलोचना का विषय हो जाएगा। दूसरी आपत्ति सरकार कर सकती है कि शिक्षा राज्य से सम्बन्धित है अतएव केन्द्र का उससे कोई सरोकार नहीं है, परन्तु कल्याणकारी राज्य में ऐसी कठिनाईयां आती ही हैं और सरकार को उनका सामना करना चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में।

†**एक माननीय सदस्य** : स्वतन्त्रता-संग्राम सरकारी कार्य नहीं था ।

†**श्री राघवाचारी** : जब कोई राजनैतिक दल सत्तारूढ़ हो और उसके ही लोग राजनैतिक पीड़ित हों, वह दल उनकी सहायता कर सकता है । यह सम्भव है कि इस सहायता का दुरुपयोग हो । अंग्रेजों के राज्य में हम कभी यह नहीं सहन कर सकते थे कि सैनिक कर्मचारियों के बच्चों को विशेष शिक्षा सुविधाएं दी जायें क्योंकि वे दूसरों के लिये लड़ते थे, देश की स्वतन्त्रता के लिये नहीं । हमारे राजनैतिक पीड़ितों ने देश की स्वतन्त्रता के लिये लड़ाई लड़ी है । उनको सहायता देने के सम्बन्ध में कई आपत्तियां हो सकती हैं परन्तु विरोधी पक्ष का सदस्य होने के नाते मैं आशा करता हूं कि सरकार इस दिशा में उचित कार्यवाही करेगी, और यह देखेगी कि इस सहायता का दुरुपयोग न हो ।

मैं इस सम्बन्ध में यह बताना चाहूंगा कि मद्रास सरकार ने राजनैतिक पीड़ितों को ५ एकड़ गीली भूमि या १५ एकड़ सूखी भूमि देने का प्रस्ताव रखा था परन्तु उसमें कठिनाई यह थी कि सभी राजनैतिक पीड़ित किसान नहीं थे अतएव उनके बच्चों की शिक्षा के लिये यह उचित सहायता नहीं थी । जिन बच्चों के पिताओं ने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था यदि उन्हें उचित शिक्षा मिले तो वे देश के सुशिक्षित योग्य और उत्तम नागरिक बनेंगे, और देश के कल्याण में सहायक होंगे । अतएव मैं इस संकल्प का पूर्णतः समर्थन करता हूं ।

†**श्री गिडवानी** : मैं डा० राम सुभग सिंह को यह प्रस्ताव रखने के लिये बधाई देता हूं, परन्तु इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि उनका प्रस्ताव बहुत ही सीमित है, अतः मैं यह चाहता हूं कि सभा में श्री तिवारी के द्वारा उसके स्थान पर रखे गये संकल्प पर चर्चा की जाये ।

हमारी सरकार को सारे राजनैतिक पीड़ितों की गणना करानी चाहिये, चाहे वे किसी भी दल के हों, चाहे उन्होंने बम्ब फेंके हों, छिपे कार्यकर्त्ता रहे हों, चाहे वे जेल गये हों या नहीं अथवा वे अहिंसात्मक कार्यकर्त्ता हों ।

दूसरी बात यह है कि यह सहायता सारे भारत में दी जाये । यह काम राज्यों पर न छोड़ा जाये क्योंकि स्वतन्त्रता संग्राम का सम्बन्ध समूचे देश की स्वतन्त्रता से था । केन्द्र को ही इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिये । इसके लिये एक समान नीति बनाई जाये । सरकार को इस दिशा में सक्रिय प्रयत्न करना चाहिये । यदि सरकार ऐसा नहीं करती, तो उसका दोष सरकार का या उसके कर्मचारियों का नहीं है । हम सरकार बनाते हैं अतएव हमें पंडित तिवारी द्वारा रखे गए संकल्प को पास करके उसे कार्यान्वित कराना चाहिये ।

मुझे एक ऐसे राजनैतिक पीड़ित की जानकारी है जो शिक्षा विभाग में था और यदि वह वहीं रहता तो आज उसे ४०० रुपये पेन्शन मिलती होती । परन्तु आज वह जीविकोपार्जन में कठिनाई अनुभव कर रहा है । ऐसे और भी उदाहरण हैं । हमें ऐसे व्यक्तियों की तकलीफें दूर करके उन्हें गुजर करने के योग्य बनाना चाहिये ।

नियम समिति

छठा प्रतिवेदन

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**पंडित ठकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : महोदय, मैं सभा-पटल पर नियम समिति का छठा प्रतिवेदन रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों के लिये छात्रवृत्तियां देने सम्बन्धी संकल्प

†**श्री रघुनाथ सिंह** (ज़िला बनारस---मध्य) : श्रीमान्, समय बढ़ाया जाए क्योंकि यह सारे भारत से सम्बन्धित विषय है और बहुत से सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मैं भी एक प्रार्थना करता हूं। अभी तक किसी ने इस संकल्प का विरोध नहीं किया और सभा के प्रत्येक सदस्य ने उसका समर्थन ही किया है अतएव मंत्री उत्तर दे सकते हैं। मुझे अपना संकल्प रखने के लिये कुछ समय दिया जाये।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : अधिक सदस्यों की रायें सरकार को अपनी नीति निश्चित करने में सहायक होगी।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : हम अपनी राय देना चाहते हैं और कुछ बहुमूल्य सुझाव भी देना चाहते हैं। अतएव आधा घंटा समय बढ़ाने की प्रार्थना है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर चर्चा दो मिनट कम साढ़े छः बजे समाप्त होगी। इसके बाद श्री गोपालन अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

†**श्री अ० म० थामस** (एरणाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, डा० राम सुभग सिंह के इस संकल्प का आशय सीमित है। सरकार को उसे अपनाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। राजनैतिक पीड़ितों को रियायतें देने की जिम्मेदारी वैसे गृह मंत्रालय को है। परन्तु छात्रवृत्तियां देने का प्रश्न शिक्षा मंत्रालय से सम्बन्ध रखता है। जो भी हो, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और इस पर उच्चस्तर से विचार होना चाहिये। राजनैतिक पीड़ितों में देशी राज्यों के पीड़ितों को भी शामिल किया जाये। इस आवश्यक प्रश्न को यों ही न छोड़ा जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : चूंकि बहुत से माननीय सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं, इसलिये इस पर अगले समय विचार होगा।

†**श्री वर्मन** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह विवाद दूसरे सत्र तक स्थगित रखा जाये।"

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव मतदान के लिये रखा तथा स्वीकृत हुआ।

चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी संकल्प

†**श्री अ० क० गोपालन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"इस सभा की यह राय है कि चाय उद्योग में ब्रिटिश पूंजी का प्राधान्य राष्ट्रहित के लिये हानिकारक सिद्ध हुआ है और चाय उद्योग का तत्काल राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।"

मैं यह संकल्प उस समय पेश कर रहा हूं जब बागान जांच समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है। समिति ने ब्रिटिश पूंजी का इस उद्योग में जो प्रधान है उसका राष्ट्रहित पर प्रतिकूल प्रभाव बताते हुए भारत सरकार को ब्रिटिश पूंजी सम्बन्धी नीति के बारे में कठिन परीक्षा में डाल दिया है।

समयाभाव के कारण में, मैं हमारी अपनी अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्धित समिति की रिपोर्ट के कुछ ही तथ्यों को सामने लाना चाहूंगा। संसार के चाय उत्पादन का ४६·२ प्रतिशत उत्पादन हमारे देश में होता है और संसार के कुल निर्यात का ३८·९ प्रतिशत यहां से होता है। हमारी निर्यात की ५७८·३ करोड़ की

---

†मूल अंग्रेजी में।

कुल रकम में से चाय से १४७·६८ करोड़ रुपया अर्थात् कुल रकम का २५·४ प्रतिशत प्राप्त हुआ है । इस उद्योग में १० लाख आदमी लगे हुए हैं । यदि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो जाये, तो कई लाख लोगों को रोजी मिल सकती है और राज्य तथा केन्द्र के राजस्व में काफी वृद्धि हो सकती है ।

यह उद्योग अंग्रेजों के हाथों में होने से, वे उसे बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं । वे पूर्वी अफ्रिका में चाय उद्योग बढ़ाने में ज्यादा प्रयत्नशील हैं । उनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना है । यदि देश में कम उत्पादन होगा, तो मांग ज्यादा होगी और फलस्वरूप लाभ भी अधिक होगा ।

चाय उद्योग का बाहरी कम्पनियों के हाथों में रहना हमारे सामाजिक विचारों के भी प्रतिकूल है । इस उद्योग में जितना पैसा लगा है, उसमें भारतीय कम्पनियों का हिस्सा केवल २५ प्रतिशत ही है ।

उत्पादन, पूंजी और हिस्सों में ही नहीं वरन् इस उद्योग के सभी पहलुओं में विदेशी कम्पनियों का एकाधिकार है । दलाली, खरीदने और बेचने जैसे महत्वपूर्ण आमदनी के जरियों पर भी उनका ही एकाधिकार है । इस प्रकार समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि विदेशियों का उत्पादक, खरीदार और विक्रेता होना चाय उद्योग के लिये घातक है ।

इसके बाद मैं चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता पर कुछ कहूंगा । भारतीय उपभोक्ताओं के हित में चाय का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है । इसके बारे में समिति की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि एक पौंड चाय का सारा खर्च ८ आना या १० आना आता है परन्तु कलकत्ता में पैक की गई चाय के लिये ही उपभोक्ताओं को ५ रु० प्रति पौंड देना पड़ता है । इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि विदेशी कम्पनियां कितना लाभ उठा रही हैं । यदि यह लाभ देश हित के लिये प्राप्त किया जा सके तो प्रत्यक्ष कर की आवश्यकता न रहेगी ।

इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय सम्पत्ति के साधनों की कमी को दूर करने के लिये राष्ट्रीयकरण आवश्यक है । रक्षित बैंक के हिसाब के अनुसार विदेशी पूंजी पर दिया जाना वाला लाभ, अधिलाभांश १९४८–४९ में १०·४ करोड़ था । यह कुल लाभ का ३३ प्रतिशत से भी अधिक है । भारत में चाय की खपत जैसे-जैसे बढ़ेगी वैसे-वैसे यह लाभ भी बढ़ेगा और हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति की हानि होगी ।

चाय उद्योग की मजदूरी भी सबसे कम है । दूसरे उद्योगों की तुलना में भी वह बहुत कम है । औद्योगिक न्यायाधिकरण ने चाय बागान के मजदूर की मजदूरी ४५ रुपये माहवार तय की थी परन्तु चाय उद्योग के मालिकों ने इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील कर दी है । इस मामले में भी सरकार चुप है । बागान श्रमिक अधिनियम, १९५१ के अनुसार चाय बागानों में ३,८०,००० कुटुम्बों के लिये मकान बनाने थे परन्तु, अभी तक ये मकान नहीं बने । मजदूरों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं भी अप्राप्य हैं । बागानों में तो साधारण चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं । मजदूरों के लिये शुद्ध हवा, पानी सफाई, आदि की भी व्यवस्था नहीं है ।

यदि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो जाये तो इससे बहुत लाभ होगा । उससे न केवल देश की अर्थ-व्यवस्था ही सुधरेगी वरन् द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अनेकों बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सकेगा, अतएव सरकार को इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, १७ दिसम्बर, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, १४ दिसम्बर १९५६]

विषय	पृष्ठ
राज्य सभा से सन्देश	११०१
सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त हुए निम्न दो संदेशों की सूचना दी :	
(१) "कि राज्य सभा अपनी १२ दिसम्बर, १९५६ की बैठक में मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक, १९५६ से, जिसे लोक-सभा ने २९ नवम्बर, १९५६ को पारित किया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"	
(२) "कि राज्य सभा ने अपनी ११ दिसम्बर, १९५६ की बैठक में प्रेस परिषद् विधेयक, १९५६ को पारित कर दिया है।"	
राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक सभा-पटल पर रखे गये	११०१
सचिव ने राज्य सभा द्वारा पारित रूप में प्रेस परिषद् विधेयक सभा-पटल पर रखा।	
प्रतिवेदित याचिका	११०२
सचिव ने सूचना दी कि श्री राधा रमण द्वारा २७ जुलाई, १९५६ को पुरः-स्थापित किये गये साधू और सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में एक याचिका प्राप्त हुई है जिस पर याचिका देने वाले के हस्ताक्षर हैं।	
प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया	११०२
चौतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।	
पुरःस्थापित विधेयक	११०२–०३
निम्नलिखित विधेयक पुरःस्थापित किये गये :	
(१) केरल राज्य विधान सभा (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक।	
(२) प्रादेशिक परिषद् विधेयक।	
(३) संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक।	
पारित विधेयक	११०३–३८
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्ययं विधेयक पर आगे और विचार समाप्त हो गया। खण्डशः विचार के बाद विधेयक पारित कर दिया गया।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	११३८
छियासठवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।	

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प वाद-विवाद स्थगित हो गया	११३८–६०
राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्तियां देने सम्बन्धी संकल्प पर आगे और चर्चा जारी रही । कुछ देर चर्चा होने के पश्चात् श्री बर्मन ने प्रस्ताव किया कि इस संकल्प पर चर्चा आगामी सत्र तक के लिये स्थगित कर दी जाये ।	
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।	
नियम समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा गया ...	११५९
पंडित ठाकुर दास भार्गव ने नियम समिति के छठे प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प विचाराधीन	११६०–६१
श्री अ० क० गोपालन ने चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में एक संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
सोमवार, १७ दिसम्बर, १९५६ की कार्यावलि—	
१९५६–५७ की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान और जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतनक्रम और सेवा की अन्य शर्तें निश्चित करने के बारे में चर्चा ।	

M53LSD—190—5-4-58—GIPF.